1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का चवालीसवां दिवस [संख्या : 29

मंगलवार,

दिनांक 7 अप्रेल, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश भामनानी।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

855. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के वर्ष 1990 एवं 1991 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए किस अधिकारी को यह जिम्मेवारी दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पुनः जांच कराने के लिए जिस अधिकारी को कार्य सौंपा था, उसका पुत्र परीक्षा में बैठा था एवं वह अनुत्तीर्ण हुआ था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने अपने पुत्र को प्राप्त हुए अंकों से अधिक अंक दिलवाकर अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण करवा दिया ?

(4) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री रतनलाल जाट) : (1) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की वर्ष 1990 की एवं 1991 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कार्य कराने के लिए निम्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी :–

1990 की परीक्षा

डा. टी. सी. पाठक, श्री यू. सी. चौबीसा, श्री यू. एम. जैन, श्री के. एन. शर्मा, श्री एल. एल. कालानी, डा. एम. पार्वती, डा. जी. जी. सैनी।

1991 की परीक्षा

श्री टी. सी. पाठक, श्री यू. एम. जैन, श्री के. एन. शर्मा, श्री एल. एल. कालानी, श्री एम. पार्वती, श्री जी. जी. सैनी।

(श्री रतनलाल जाट)

(2) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की वर्ष 1990 व 1991 की परीक्षा में किसी भी ऐसे अधिकारी का पुत्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ जिसे पुनर्मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था।

(3) यह सही नहीं है कि किसी अधिकारी ने अपने पुत्र को प्राप्त अंकों के अधिक अंक दिलवाकर अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण कराया।

(4) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरीश झामनानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो यह उत्तर दिये हैं वह तथ्यों से बिल्कुल भिन्न हैं। इन्हीं वर्षों में श्री जी. जी. सैनी के पुत्र श्री दिवाकर सैनी प्रथम वर्ष के लिए परीक्षा में बैठे, उन्हें हिन्दी व इंग्लिश में अंक 34 प्राप्त थे। रिवेल्यूएशन इन्हीं के द्वारा, जी. जी. सैनी के द्वारा कराने से उनको 37 अंक प्राप्त हुए। दर्शन शास्त्र में उनके 42 अंक हुए, दर्शन शास्त्र में उनके 37 अंक थे द्वितीय परीक्षा में, उन्हें 49 अंक प्राप्त हुए। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि यह व्यक्ति, जिसकी कोई स्पेसिलिटी नहीं है, राजकीय महाविद्यालय में कम से कम 210 लेक्चरर्स काम करते हैं और हायर स्केल के भी उसमें काम करते हैं, फिर इसी व्यक्ति से बार-बार दोनों वर्ष में क्यों काम लिया गया और क्या यह अनियमितता नहीं हुई है ? यह जानकारी दे दें।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने श्री जी. जी. सैनी के पुत्र दिवाकर सैनी, जो परीक्षा में फेल होते हुए भी उन जी. जी. सैनी के द्वारा उनको पास कराने बाबत जो मुद्दा उठाया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जी. जी. सैनी के पुत्र दिवाकर सैनी, जो परीक्षा में एपीयर हुआ था, जनरल हिन्दी व जनरल अंग्रेजी के जो अनिवार्य विषय थे, उसमें उसको 34 अंक प्राप्त हुए और नियम के अनुसार जो छात्र कम्पलसरी पेपर्स में फेल हो जाते हैं उनको आगे की क्लास में क्रमोन्नत कर दिया जाता है, वह केवल फेल तभी माना जाता है जब वह ओप्शनल पेपर्स में हों, और इसके बारे में उनको लगभग तीन इस प्रकार के चांसेज दिये जाते हैं। साथ ही इन कम्पलसरी पेपर्स में जो मार्क्स दिये जाते हैं उनको डिवीजन में काउन्ट नहीं किया जाता है। खासतौर से जो जी. जी. सैनी की बात बताई जा रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री जी. जी. सैनी सन् 1973 से वहां पर बोटनी के लेक्चर के रूप में कार्यरत हैं, वह पी. जी. क्लासेज पढ़ा रहे हैं, यू. जी. क्लासेज पढ़ा रहे हैं और काफी लम्बे समय से वहां पर एक्जामिनेशन के काम से सम्बन्धित हैं। आटोनोमस कॉलेजेज में प्रिंसीपल को यह डिस्क्रेशन है कि वह अपने कान्फीडेन्स के और जो एक्जामिनेशन वर्क में ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को वह रखे। उसके आधार पर यह जो बोर्ड उनके सुपरविजन का बना रखा है एक्जामिनेशन वर्क का, उसमें श्री जी. जी. पाठक भी एक लम्बे समय से कार्यरत हैं और जहां तक इनकी इन्टेग्रिटी के बारे में कहा गया है कि उसने नम्बर बढ़ाने वाली बात की है,

Page No. 3

(श्री रतनलाल जाट)

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पेपर में जिन नम्बरों की इन्होंने बात की है, दो विषयों का इसमें पुनर्मूल्यांकन करवाया गया था और पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए अलवर में कापीज भेजी गई थीं और इसके परीक्षक थे—डॉ. अशोक कुमार, विभागाध्यक्ष हिन्दी और दूसरे श्री सागरमल गुप्ता, प्रवक्ता अंग्रेजी, क्योंकि हिन्दी और इंग्लिश, दोनों विषयों का उसमें पुनर्मूल्यांकन करवाया गया था और साथ में उन कॉपीज को, आन्सर बुक को जो लेकर गया था वह....

श्री अध्यक्ष : यह किस साल की परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन करवाया गया था ?

श्री रतनलाल जाट : 1991 की।

श्री अध्यक्ष : आपने तो मना किया है इसमें।

श्री रतनलाल जाट : रिवेल्यूएशन का। माननीय सदस्य का यह कहना है कि जी. जी. सैनी ने अपने पुत्र को अनुत्तीर्ण होते हुए भी ज्यादा नम्बर देकर के रिवेल्यूएशन में पास करा दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने दो में लिखा है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की वर्ष 1990 व 1991 की परीक्षा में किसी भी ऐसे अधिकारी का पुत्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ जिसे पुनर्मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था।

श्री रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुनर्मूल्यांकन के बारे में मैंने जैसा अभी आपसे निवेदन किया है, क्योंकि कम्पलसरी पेपर्स में फेल होने वाले को फेल नहीं मान कर अगली क्लास में क्रमोन्नत कर दिया जाता है इसलिए इसमें अनुत्तीर्ण शब्द लिखा गया है। जहां तक श्री जी. जी. सैनी के द्वारा अपने पुत्र के मार्क्स बढ़ाने की बात की है....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ने जवाब खुद पूछा है, जवाब कोई दे रहे हो, अधिकारी के कहने से जवाब दे रहे हैं आप। अब यह क्यों नहीं कहते हैं कि वह फेल तो हुआ है लेकिन फेल नहीं मानते हैं उसको। यों कहिये आप इसको।

श्री रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिवेल्यूएशन का, छात्रों का, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में उनको पूर्ण अधिकार है और जिस एक्जामिनेशन की बात यह की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : उनको फेल भी नहीं मानते और उनको उत्तीर्ण भी नहीं मानते। उनको तीन चांसेज दिये जाते हैं क्लियर करने के लिये।

श्री रतनलाल जाट : तीन चांसेज दिये जाते हैं उनको।

श्री अध्यक्ष : और इस कन्डीशन पर उनको अगली क्लास में बैठाया जाता है। न उसको उत्तीर्ण मानते हैं और न उनको फेल मानते हैं। दोनों ही नहीं मानते। चांस दिया जाता है। यह है। बोलिये, अब क्या पूछना है।

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरीश कामनानी)

मैंने इस संदर्भ में वर्तमान सत्र में ही अतारांकित प्रश्न पूछा था। सामान्यतः यह प्रक्रिया होती है कि जो परीक्षा लेने वाले, परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र बनाने वाले, परीक्षाओं की जांच करने वाले या जो गोपनीय शाखा में काम कर रहे हैं उनसे एक प्रमाण-पत्र लिया जाता है कि मैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री या मेरे रिलेशन में कोई भी इस परीक्षा में इस वर्ष में नहीं बैठ रहा है। उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार था, "क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की परीक्षाओं में जी. जी. सैनी के पुत्र-पुत्री बैठे हैं जबकि स्वयं जी. जी. सैनी परीक्षा गोपनीय शाखा में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो निर्धारित नीति का अनुसरण करने के मामले में लापरवाही किसने और क्यों की ?" इसका मुझे जवाब दिया गया था कि "इसकी आवश्यकता नहीं है कि गोपनीय शाखा में काम करने वाले से प्रमाण-पत्र लिया जाये।"

एक तरफ तो इस प्रकार की बात कही जाती है और एक तरफ उनके पुत्र-पुत्री जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनको पद और गोपनीय शाखा में काम करने के कारण से, अपने प्रभाव का उपयोग कर उत्तीर्ण कराया गया है। कितने उस वर्ष में पेपर स्थगित हुए हैं, पेपर स्थगित होने, पेपर होने के पूर्व छप जाने की कितनी घटनाएं अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं यह चाहता हूं अध्यक्षजी, कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो निवेदन किया, उसके आधार पर प्रमाण-पत्र पेपर सेटर्स और इन्विजिलेटर्स से जो लिया जाता है लेकिन वहां जो गोपनीय शाखा से संबंधित लोग हैं या जो इन्विजिलेटर्स हैं उनसे किसी प्रकार के इस प्रकार के प्रमाण-पत्र लेने का कोई प्रावधान नहीं है। खास तौर से आपने उसके रिवेल्यूएशन के बारे में, और यहां की जो गड़बड़ियों के बारे मे निवेदन किया है, जब भी इस प्रकार की कोई जानकारी मिली है उसके आधार पर तुरन्त वहां जांच की गई है और अजमेर विश्वविद्यालय में जो एक्जामिनेशन सैल से सम्बन्धित एक मिस्टर अमरचन्द शर्मा था उसके खिलाफ 16 सी. सी. ए. की कार्यवाही करके आगे चार्जशीट दी गई है। इसलिए जहां तक गड़बड़ियों की बात है माननीय सदस्य और भी कोई जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही कराई जायेगी।

सिंचाई खण्ड प्रथम, अजमेर द्वारा खारिज की गई निविदाएं

856. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिंचाई खण्ड प्रथम, अजमेर में वर्ष 1990-91 में किन-किन कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गईं ? इनमें किन-किन कार्यों के आदेश दिये गये एवं किन कार्यों की निविदायें खारिज की गईं ? सूची जिस दर पर निविदायें स्वीकृत की गई हैं, दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बांदनवाड़ा उप-खण्ड की

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

नहरों की सफाई व मरम्मत की निविदाओं को ऐन वक्त पर खारिज किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या बादनवाड़ा उप-खण्ड में नहरों की मरम्मत की निविदा खारिज कर विभागीय मजदूरों द्वारा कार्य कराया गया ? यदि हां, तो क्या ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) सिंचाई खण्ड प्रथम, अजमेर में वर्ष 1990-91 में कुल 131 कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गई जिनमें से 119 निविदायें स्वीकृत कर कार्य आदेश दिये गये एवं 12 कार्यों की निविदायें खारिज की गई। स्वीकृत निविदाओं की दर अंकित करते हुए सूची परिशिष्ट (अ) में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। खारिज की गई निविदाओं की सूची प्रपत्र (ब) में सदन पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, काश्तकारों द्वारा रबी सिंचाई हेतु पानी की मांग निविदा प्राप्त करने की तिथि से पूर्व ही आ जाने से रबी सिंचाई हेतु नहरें खोलने की वजह से समयाभाव के कारण आमंत्रित निविदायें निरस्त कर दी गई थीं।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं कि आपने खण्ड 1 में निविदाओं के स्वीकृत करने की सूची परिशिष्ट (अ) में दर्शायी है इसमें आप आइटम नम्बर 4 देखें यह है मदरसागर थनवा 6 लाख 18 हजार 938 रुपये का कार्य है। यह 111.35 परसेन्ट अबव है। मतलब इतना एक साथ अबव होना आश्चर्य की बात है। दूसरा, अध्यक्ष जी, बहुत आश्चर्यजनक इसमें तथ्य यह है कि इस काम को प्रारम्भ करने की तारीख 5-10-90 है और काम के समाप्त होने की तारीख है 4-10-90। यह भी अपने आप में एक ऐसे आश्चर्य की बात है कि काम एक दिन पहले कैसे समाप्त हो गया काम प्रारम्भ होने के ? एक तो 111 परसेन्ट अबव भी आश्चर्य की बात है। इसीके साथ दूसरे में इसी में ही परिशिष्ट (अ) में आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी कि इसमें नहरसागर, पीपलाज पर 3 कार्य दिये गये हैं जो इस तरह से हैं। एक आप देखें बिन्दु नम्बर 55, दूसरा देखें बिन्दु नम्बर 61 पर और तीसरे देखें आइटम नं. 78 पर इसमें बिन्दु नम्बर 55 वाला काम है 3,24,563 रुपये का यह 87 परसेन्ट अबव हैं, इसी तरह यह जो 61 बिन्दु वाला है उसी जगह पर काम हो रहा है वह केवल 19 परसेन्ट अबव है और तीसरा काम 105 परसेन्ट अबव है। एक ही परियोजना में एक तरह के काम पर इतनी भिन्नता कि केवल 19 परसेन्ट अबव के बाद दूसरे ठेकेदार को काम दिया तो 105 परसेन्ट अबव है। क्या यह भ्रष्टाचार की सीमा में आता है ? क्या इस तरह से जो मनमानी कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से जांच करके सन्तुष्ट करेंगे ?

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

दूसरे में खण्ड 2 में भी एक बात पूछना चाहता हूं इसमें आपने जवाब दिया है कि कृषकों की मांग आ गई थी इसलिए हमने मोरियां खोल दीं। माननीय अध्यक्ष जी खण्ड 2 में निविदायें खारिज करने की बात मैंने पूछी है। इसमें भी एक आश्चर्य की बात जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं अजमेर सिंचाई विभाग की वह यह है कि यहां 6-7 इस तरह के यह तालाब हैं घोरा सागर, जोतिया, महासागर जोतिया, देवसागर घड़ली, पांचोला तालाब खाण्डला इस तरह के तालाब हैं इनके लिए मोरियां खोलने के पहले एक प्रावधान ऐसा है कि उनकी सफाई के लिए निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, ठीक है वह समझ में आता है और उन्होंने निविदायें आमन्त्रित कीं यह भी समझ में आता है मगर इसमें जो आश्चर्यजनक घटना है वह यह है कि यह किन-किन निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए तारीख तय करते हैं 4-11-90 और निविदाएं लेने की तारीख है 5-11-90 तो 4-11-90 और 5-11-90 दोनों तारीखें हैं और इन तारीखों के बाद में यह मोरियां साफ होकर मोरियां खोलने की बात थी लेकिन आप इसका गेज रजिस्टर देखें तो उसमें पायेंगे कि इन तालाबों की मोरियां जैसे महासागर जोतिया की इन्होंने तो सफाई करने के लिए जो टेन्डर किये हैं वह 5-11-90 को किये हैं और मोरियां खोल दीं 13-10-90 को ही। मतलब जो टेण्टर आमन्त्रित कर रहे हैं उससे एक महीने पहले से ही मोरियां चल रही हैं। सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है और अधिकारी मोरियां खोलने के नाम पर टेन्डर करके सारा पैसा जेब में ले जाते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह जो मैंने तीन-चार मुद्दे रखे हैं जो अपने आप ही आपके रिकार्ड से ही सिद्ध होती है और आपने जो सूचना दी है उससे भी सिद्ध होती है। कृपया आप जानकारी दें कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ताकि जो जन-धन की लूट हो रही है इससे हम सरकार को सुरक्षित रख सकें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा जो दूसरा पूरक प्रश्न किया गया है उसका उत्तर मैं पहले दे रहा हूं। यह सही है कि जो तारीख उन्होंने बताई है टेन्डर प्राप्त करने की और खोलने की वह तारीखें थीं और यह भी सही है कि इन तारीखों के पहले यह सारी नहरें तालाबों की खोली जा चुकी थीं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सारी नहरें खोली जा चुकी थीं और जैसा मैंने आपको बताया कि किसानों ने मांग करवाई थी कि हमें पानी खोल दो और इसलिए नहरें साफ होने के पहले ही नहरें खोल दी गयीं तो वह सारे टेन्डर निविदायें निरस्त कर दी गयीं। जब माननीय विधायक की आशंका यह है कि किसी के संकेत करने से यह सामने आ गया। यह मुद्दा अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसमें जांच का मामला हो।

दूसरे जो एक टाइपिंग मिस्टेक, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताई है यह सही है इसमें। मैंने इतने विस्तार से इसको देखा नहीं था और वह जो तारीख है मैं प्रथम दृष्टया से यही निवेदन कर सकता हूं कि यह जो कोई टाइपिंग मिस्टेक है इतनी

(श्री कैलाश मेघवाल)

बड़ी मिस्टेक हो नहीं सकती कि 5-10-90 और 4-10-90 का कोई हो। मैं इसके मूल उत्तर को देखकर माननीय विधायक को जवाब दे दूंगा।

दूसरे उन्होंने जो अब का बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो स्थिति सारी देखने में मेरे सामने आई है वह यह है कि एक तो ऐसे मरम्मत के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं और छोटे-मोटे काम हैं क्योंकि यह 1984 की जो हमारी बी. एस. आर. थी, इस 1984 की बी.एस.आर. के आधार पर एस्टीमेट्स बने थे क्योंकि दूसरी बी.एस. आर. 1990 में आई है और उस आधार पर जो एस्टीमेट्स बने थे। वह काम जिनमें केवल मरम्मत करनी थी या ट्रांसपोर्टेशन करना था, उनका तो अब परसेन्टेज कम है लेकिन जो अधिक परसेन्टेज आया है वह उन कामों का आया है जो कि मूल रूप से नये प्रारम्भ होने थे और जिनको पूरा करना ही था। यह अभी तक मेरे समझ में आया है और इसमें भी मैं देखता हूं कि प्रथम दृष्ट्या मुझे कहीं किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं हो रही है। फिर भी माननीय विधायक इसको कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी है तो मैं स्वयं इस बात को देख लूंगा, यह मैं इनको विश्वास दिलाता हूं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष जी, जो खण्ड 2 में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उसमें मेरा निवेदन यह है कि मैंने महासागर जोतिया तालाब के अन्दर 13-10-90 को मोरियां खोलने की बात कही है और मैं यह भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि इसके लिए जो सर्वप्रथम अखबार में विज्ञापन दिया गया था, वह था 13-10-90 को कि हम यह करवाना चाहते हैं मोरियां साफ और इनकी तारीखें थीं 4-11-90 को। यह 13-10-90 को ही खुल गया था तो फिर इसके विज्ञापन की क्या तुक थी? यह अपने आप में आरोप सिद्ध होता है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे रजिस्टर देखे हैं और यह माननीय विधायक बता रहे हैं वह 28-10 है। सारे रजिस्टरों को मंगवा कर देखा है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मेरे पास 13-10 ही है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह 28-10 का है। इसको मैं और देख लूंगा अगर यह 13-10 होगी तो निश्चित रूप से गलती है।

श्री अध्यक्ष : यह 13-10 हो या 28-10 हो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, इसमें फर्क पड़ता है कि 17 को निविदाएं साफ करने की आमन्त्रित की गई हैं। अगर 13 तारीख है तो निश्चित रूप से अब नहरें चालू हो गयीं तो यह उनका एक मूल प्रश्न है। मेरे यहां जो तारीख आयी है वह 28 आयी है। मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मेरा तो यह है 13-10 या 17-10 को और निविदाएं प्राप्त करने का नहीं है। अखबार में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 17-10 को और निविदायें प्राप्त होने की तारीख 5-11-90 है और,

Page No. 8

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

यह तो खुल गई थी 13-10-90 को ही तो वह विज्ञापन दिया वह....

श्री अध्यक्ष : वह 13 नहीं 28 है।

नैक्स्ट—श्री हेतराम बेनीवाल

श्री गंगानगर जिले में पोंग डैम के विस्थापितों को भू-आवंटन

857. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में पोंग डैम के विस्थापितों को कितनी जमीन किस आधार पर अलाट की है ? प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि किन शर्तों पर दी गई ?

(2) भूमि अलाटमेन्ट के अतिरिक्त विस्थापितों को अन्य क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ? क्या उनके लिए मकान, स्कूल एवं डिस्पेन्सरी इत्यादि भी बनाई गई हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने कितना रुपया खर्च किया ?

(3) क्या पोंग डैम विस्थापितों ने काफी संख्या में सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके अपनी भूमि को स्थानीय लोगों को बेच दी है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले के स्थानीय निवासियों द्वारा 10-15 वर्ष पहले अपनी सारी जायदाद बेचकर विस्थापितों की भूमि खरीदी है और आज भी कई काश्तकार 10-10 लाख रुपये खर्च करके विस्थापितों की भूमि खरीद रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार राजस्थानी नागरिकों से लाखों रुपया लेने वाले विस्थापितों को पुनः कब्जा दिलवाने का काम करके प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रही है ?

(6) क्या सरकार विस्थापितों से खरीदी गई भूमि का नियमन करेगी और ऐसे इकरारनामों के लिए बेचान की छूट देगी ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी):

(1) जिला श्री गंगानगर में कुल 7441 पोंग बांध विस्थापितों को 77,390 एकड़ भूमि अलाट की गई। यह आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन पोंग बांध विस्थापितों को सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1972 के तहत नियम 4 में उल्लेखित शर्तों के आधार पर किया गया है।

(2) जी हां, यह सही है कि पोंग बांध विस्थापितों के लिए कालोनी, स्कूल डिस्पेंसरी इत्यादि भी बनाये गये। इन सुविधाओं पर कुल कितनी राशि व्यय हुई यह कहना सम्भव नहीं है क्योंकि अलग-अलग पदों पर व्यय अलग-अलग विभागों द्वारा किया गया है।

(3) जी हां, भूमि के अनियमित हस्तांतरण के बारे में विस्तृत सर्वे किया जा रहा है।

(4) पोंग बांध विस्थापितों को आवं-

Page No. 9

(श्री गंगाराम चौधरी)

टित भूमि से अनियमित हस्तान्तरित की हुई भूमि का हस्तान्तरी काबिजों को आवंटन के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (4) उप / 91 दिनांक 12.3.92 को जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों को सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1972 के नियम 6 के पश्चात् नया नियम 6 (क) अन्तःस्थापित किया गया है जिसके अनुसार काबिज हस्तान्तरी को ही कुछ शर्तें पूरी करने पर भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न के खण्ड 4 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने तीसरे पैरा में जवाब दिया है कि भूमि का विस्तृत सर्वे करवाया जा रहा है। वास्तव में नियम 4 के तहत जो अलाटमेन्ट हुआ है उनको, उस अलाटमेन्ट की शर्तें इस तरह की हैं कि वह किसी को किसी कीमत पर जमीन दे ही नहीं सकते इसलिए रिकार्ड में वह भूमि उसी आदमी के नाम से है जिस आदमी ने उसको, जिसके नाम से वह अलाट हुई थी। अभी भी जो हमारा रेवेन्यू रिकार्ड है उसमें भी प्रेक्टिकली जमीन को काश्त दूसरा कर रहा है पिछले 30-40 साल से और सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की पर्ची और इरिगेशन के रिकार्ड में है वह जमीन उनके नाम है। क्या माननीय मंत्रीजी, आप जो सर्वे करवाएंगे उसमें अपने रेवेन्यू के रिकार्ड का सर्वे करवायेंगे कि रेवेन्यू रिकार्ड में भूमि किसके पास है या जो उसमें भूमि दी गई है उसका और रिकार्ड भी करवायेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात होगी अगर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का सर्वे करवायेंगे कहीं आपके पास ट्रांजेक्शन मिलेगी नहीं। सारी की सारी उन्हीं के नाम होगी जो पोंग डेम विस्थापित हैं और पोंग डेम विस्थापितों ने एक, क्यों कि उनको इस बात की भी परमिशन नहीं थी कि वे जमीन किसी को काश्त के लिए हिस्से पर दे सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परमिशन भी नहीं थी कि वे अपनी जमीन कल्टिवेशन पर किसी को दे सकें इसलिए उन्होंने सिर्फ एक छोटे से कागज पर, 5 रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा किया है तो आप किस बात की सर्वे करवा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि उसमें क्या-क्या शर्तें हैं? जो अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, कौन-सा अधिकारी कर रहा है और किन-किन शर्तों पर कर रहा है?

दूसरी बात, इसमें यह है कि जो आपने नियम 6 बनाया है, नियम 6 'क' की जो अधिसूचना आपने निकाली है उस अधिसूचना के बाद सबसे बड़ा सवाल इस बात का पैदा होगा कि जिनके नाम रेवेन्यू रिकार्ड की गिरदावरियां हैं वे लोग कोर्ट में जायेंगे। जैसा कि विस्थापितों ने कहा है, विस्थापित गये हैं और वे कोर्टों में जायेंगे तो राज्य सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है? क्योंकि इस जमीन पर आपने यह कह दिया कि खण्ड 4 के उत्तर में ही, उसमें अभी आपने स्पष्ट नहीं किया कि जिन लोगों ने 10-10 लाख रुपये दिये हैं और उनकी जमीन को काश्त किया है

(श्री हेतराम बेनीवाल)

उनका क्या होगा ? यह मेरा पहला सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सर्वे जो भी पोंग डेम विस्थापितों के कब्जे के बारे में किया जायेगा। हर मुरब्बे के, हर आवंटी ने किसी और के भूमि हस्तान्तरित कर दी है या कब्जा किसी और को सौंप दिया है। फिजिकल वेरीफिकेशन हो रहा है और इस फिजिकल वेरीफिकेशन में अब तक जो जानकारी मिली है, हालांकि सारी सूचना मेरे पास अभी तक नहीं आई, अब तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से यह जो 77 हजार एकड़ भूमि आवंटित की गई थी उनमें से, बीघा मैं बता सकता हूं, लगभग 51 हजार बीघा पर दूसरे लोगों का कब्जा है जो कि पोंग डैम आउस्टीज़ अलाटी, उसने किसी और को अनियमित तरीके से हस्तान्तरित कर दी है। अभी जो हमने नियम बनाये थे उससे प्रार्थना-पत्र भी आमन्त्रित किये थे, तो जिन लोगों ने खरीद ली है, चाहे एग्रीमेंट-टू सेल या किसी और तरह से पोंग डेम आउस्टीज से, ऐसे लगभग 4 हजार लोगों के प्रार्थना-पत्र हमारे पास में 31.3.92 तक प्राप्त हुए हैं और जैसा हमने नियमों में प्रावधान रखा है, इस पर शास्ती लगाई है। अगर शास्ती सारी आ जाती है तो, अध्यक्ष महोदय, लगभग 45 करोड़ रुपये की सरकार को आमदनी होगी। माननीय सदस्य ने यह संशय जाहिर किया है कि आवंटी कोर्ट में आ सकते हैं। राज्य सरकार ने हमारे कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम 22 के अन्तर्गत इन सभी आवंटियों को पहले नोटिस दिये हैं और उनसे किसी के तो उत्तर प्राप्त हुए हैं, किसी ने उत्तर नहीं भेजा है। जहां पर उनका रेजिडेन्स है, उनको वहां तक सूचना देने की हमने सारी व्यवस्था की है और उसके बाद में जो आवंटन खारिज हो रहे हैं अनियमित बेचान के कारण, उन्हीं कब्जाधारियों को हम रेग्यूलराइज करेंगे। इतना ही निवेदन कर सकूंगा।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्षजी, क्या यह सही है कि 1972 का जो एग्रीमेण्ट किया आपने पोंग डेम की आउस्टीज की हिमाचल सरकार से कि राजस्थान सरकार जो आपको जमीन दे रही है उसमें स्पेसिफिक कंडीशन यह है कि 20 साल तक आप इस जमीन को पार्ट विद नहीं करोगे। यदि पार्ट विद किया तो यह जमीन राजस्थान सरकार को वेस्ट कर जाएगी। यह शर्ते हैं। क्या यह सही है कि इन आउस्टीज को जब इनसे जमीन ली हमने इनको कैश पेमेण्ट इन दी ल्यू ऑफ कम्पन्सेशन इनको हमने किया, यह सही है कि अब आप नोटिस दे रहे हो? जो आपका अधिकार है सेक्शन 22 के तहत उनको अधिकार है अगर उन्होंने पार्ट विद कर ली तो उनका कोई टाइटल, कोई क्लेम आउस्टीज का इस जमीन पर नहीं रहता। जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है 3 मार्च को, यह आपने अच्छा किया कि इनको रेगुलाइज करने का तय कर दिया और आपको पैसा मिल गया। क्या यह सही है कि हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्रीजी को केन्द्र के मार्फत कोई नोटिस दिया है कि 9 तारीख को हम इसको री-ओपन करने जा रहे हैं? इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत

(श्री केदारनाथ शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसको री-ओपन करने का प्रश्न ही नहीं है। इतना मौका देने के बाद, 20 साल लगातार मौका दिया, वह जमीन पर काबिज भी नहीं है, काश्त नहीं कर पाये। जमीन हमारी वेस्ट हो गई। अब उसका कोई क्लेम, कोई टाइटल रहता नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न समय-समय पर काफी विवादास्पद हो गया है। पोंग आउस्टीज को जमीन अलाट करने के लिए राजस्थान सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार के बीच एक समझौता हुआ था और उसी समझौते के आधार पर कुछ शर्तों के साथ उनको भूमि का आवंटन किया गया था। वह वहां बस सकें इसलिए वहां पर कॉलोनीज बनायीं, उसमें राज्य सरकार और विभिन्न विभागों का काफी खर्चा भी हुआ। शनैः-शनैः यह जमीनें बिकती रहीं और बेचने में ऐसी भी घटनायें जानने में आयी हैं कि एक आदमी को नहीं बल्कि लगातार दो-दो, तीन-तीन आदमियों को जमीन बेच दी गई और उसके कारण से आपस में झगड़े हुए और शान्ति और व्यवस्था की स्थिति भी कई बार इस सम्बन्ध को लेकर बिगड़ी। एक तरफ तो यह प्रश्न है और दूसरी तरफ यही आउस्टीज हिमाचल सरकार के सामने यह अपना रिप्रजेन्टेशन करते हैं कि हमें वहां बसने की कोई सुविधा नहीं है और इसके कारण से हम जमीनें छोड़कर आ रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि जमीनें छोड़कर नहीं आ रहे हैं, वह जमीनें बेचकर आ रहे हैं। अब जमीनें बेच दें और बेचने की बात को वह मानें नहीं तो नेचुरली जो हमने पहले समझौता किया था, पोंग डेम के आउस्टीज को राजस्थान में बसाने का, उनको सुविधायें देने का, उसका वे और लाभ उठाने की कोशिश करेंगे इसलिए इस सम्बन्ध में भारत सरकार से तो कोई लिखा हुआ नोट नहीं आया, नोटिस भी दिया है लेकिन यह बात सही है कि सारे प्रश्न पर विचार करने के लिए दिल्ली में हिमाचल के मुख्य मंत्री और हम सब बैठकर बात करेंगे और उनको यह जानकारी देंगे कि जिन-जिन आउस्टीज को हमने जमीन आवंटित की थी, इतने लोगों ने वह जमीन बेच दी। कॉलोनीज खाली पड़ी हैं। कॉलोनीज खाली रहने के कारण से वहां पर कई कई असामाजिक तत्व उसमें रहने लग गये हैं। राज्य सरकार के सामने कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस दृष्टि से 9 तारीख को बात करेंगे।

अभी आप जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर यह नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो उससे भी कई समस्यायें खड़ी होतीं। हम इससे बचना चाहते हैं कि जमीन, जो हमने आवंटित कर दी और जिस पर उन्होंने अपना पजेशन छोड़ दिया, या जमीन बेच दी वह दोबारा इस समझौते के कारण से क्लेमेण्ट नहीं बन सकें। इस दृष्टि से परसों के दिन इस सम्बन्ध में दिल्ली में चर्चा होगी और उस चर्चा में इस बात की कोशिश करेंगे कि जिनको आवंटन हो गया और जो जमीन बेच के चले गये वे लोग किसी प्रकार से उसका लाभ नहीं उठा सकें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No. 12

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें एक स्पष्टीकरण है । जो उनके रिकार्ड में गिरदावरियां हैं, माननीय मन्त्रीजी, क्या इस तरह का प्रोविजन करेंगे कि उनके नाम रिकार्ड में अभी भी गिरदावरियां हैं उनको दुरुस्त करवायेंगे, क्योंकि जब तक वे लीगली दुरुस्त नहीं होंगी उनको कोर्ट में जाने का अधिकार होगा, जो सही नहीं है, गलत है और 20-20 साल से गलत इन्द्राज कर रहे हैं । उसके बारे में क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे जैसे इन्द्राज हो रहे हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता....

श्री केदारनाथ शर्मा : वे सर्वे ही इसलिए हो रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सर्वे सारा कर लिया है । कुछ हो रहा है । हिमाचल के अधिकारियों ने भी वहां जाकर के इस बात की जानकारी की है, कितने लोगों ने जमीन बेची है और किस तरह से वे हिमाचल में जाकर क्लेम कर रहे हैं । वे सब कागजात सामने हैं उसके आधार पर ही चर्चा होकर कोई न कोई निर्णय इस पर लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह । (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसलिए तो रिजर्वेशन के लिए कहते हैं ताकि बोलना सीख जायं, हम लोग भी सही उच्चारण करना सीख जायें (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आपको देख कर मन नहीं करता । (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : नहीं, हमारी सबकी यही स्थिति है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब की नहीं, आप तो कलफ लगाकर आते हो, स्थिति सब की एक-सी कैसे है ।

श्री जगतसिंह दायमा : श्रीमान्, मेरा भी करवा दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो और भी ज्यादा खतरनाक हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह ।

प्रश्न संख्या 858

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री किशनाराम ।

पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाएं

859. श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्य पिछड़ी जातियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ?

(श्री किशनाराम नाई)

(3) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रा/छात्राओं को छात्रावास में रहने का खर्चा, भत्ता कितना दिया जा रहा है ? वर्ष 1989 से 1992 तक राजकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को कितना-कितना खर्चा दिया गया ? प्रत्येक का जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्र निधि शुल्क में लाभ देने के आदेश शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा विभाग को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) अन्य पिछड़ी जाति के वर्तमान में कितने छात्रावास हैं जो कि राजकीय या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) अन्य पिछड़ी जाति एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा छात्रावास चलाने पर सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

(7) अन्य पिछड़ी जाति की असहाय विधवा व अपंग महिलाओं को स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

(8) क्या उनको प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं :—

(अ) सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(ब) राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(स) अन्य पिछड़ी जातियों के लिये विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में दस प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। सम्बन्धित नियम राजकीय अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 1982 के नियम 4 (15) की प्रति परिशिष्ट "स" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट "स" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में रहने के खर्च हेतु मैस भत्ते की राशि 250 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह दिये जाते हैं। वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 (अप टू 31-10-91) तक राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को 170 रुपये प्रति छात्र प्रति माह मैस भत्ता उपलब्ध कराया जाता

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

था। दिनांक 1-11-91 से इस मैस भत्ते की राशि 250 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र कर दी गयी है। राज्य के सभी जिलों में आवासीय छात्र-छात्राओं हेतु वर्तमान में मैस भत्ते की राशि 250 रुपये प्रति माह प्रति छात्र ही दी जा रही है।

(4) जी हां, आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में पृथक् से कोई छात्रावास संचालित नहीं है।

(6) राजकीय एवं अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रासों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "द" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(7) स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार से प्राप्त अनुदान से प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करती हैं। जिसमें सभी समुदायों की संकट ग्रस्त महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं जिन्हें निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

1. स्थायी सामान क्रय की।
2. स्टाई पेण्ड की।
3. पार्ट पाइम स्टाफ को वेतन।
4. भवन किराये की।
5. कच्चा माल क्रय करने की राशि
6. अन्य व्यय करने हेतु राशि।
7. स्टेशनरी क्रय करने की राशि।
8. प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद पुनर्वास हेतु अनुदान।

(8) भारत सरकार की योजनान्तर्गत उनके आर्थिक सहयोग से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं, उन केन्द्रों में महिला प्रशिक्षणार्थियों को 75 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है।

(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण राज्य मन्त्रीजी ने ने जो जवाब दिया है उससे तो मैं सन्तुष्ट हूं लेकिन आपके माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मन्त्रीजी नोट करलें और उनका जवाब दें। मेरे चूरू जिले में समाज कल्याण छात्रावास अधीक्षक के पांच पद रिक्त हैं, सरकार कब तक भरने की मंशा रखती है? चूरू हमारा हैडक्वार्टर है जिसमें समाज कल्याण छात्रावास की हालत बड़ी दयनीय है, वहां उनको स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है और वह गिरने की हालत में है, उनको कब तक मरम्मत कराकर पूरा कर देंगे? चूरू में महिला छात्रावास....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, थोड़ा-सा आप सहयोग करोगे, छोटी-मोटी बात तो आप ही करा सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने कह दिया, वह तो पूछेंगे नहीं। मुख्य मन्त्रीजी ने कह दिया कि इतनी-सी बात तो आप मिलकर करालें।

Page No. 15

श्री अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, महिला छात्रावास 6 माह से अधूरा पड़ा है उसको कब तक पूरा करा लिया जायेगा? चौथा, समाज कल्याण सचिव श्री के. के. साहब, डाइरेक्टर श्री एस. एस. थानवी और समाज कल्याण राज्य मन्त्रीजी ने बिना प्रोग्राम दिये किस-किस जिले का अचानक दौरा करके निरीक्षण किया? यदि कोई किया है तो जवाब दें। चैकिंग का क्या रिजल्ट रहा? यह जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी, जवाब दीजिये ना। इनका स्पेसिफिक सवाल है। जवाब आने दें।........(व्यवधान) वह प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भले ही नहीं हों, प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह प्रश्न हाउस की प्रोपर्टी हो गया, अब प्रश्नकर्ता का सन्तुष्ट....

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : यह हाउस की प्रोपर्टी है, यह राजस्थान की पिछड़ी जातियों के लोगों से सम्बन्धित है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बहुत ही महत्व-पूर्ण सवाल है, श्रीमन् इसलिये मुझे आप सप्लीमेण्टरी पूछने की इजाजत दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं यह चाहूंगा कि मुझे भी इजजित दें।.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये, हो गया। एक बात मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि प्रश्न आने के बाद यह सम्पत्ति प्रश्नकर्ता की है। यदि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित होता तो प्रश्न तो फिर भी छपा होता। लेकिन आप में से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, यदि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित है तो। अब....

श्री यदुनाथ सिंह : फिर, प्रश्नकाल में हम लोग आया ही नहीं करें, जिनके प्रश्न हैं। वही आया करें।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप पहले मेरी बात तो सुनिये। इसलिये प्राइमेरिली जो सम्पत्ति है वह तो प्रश्नकर्ता की है। लेकिन जब कभी ऐसे सवाल आते हैं कि जिसमें राज्य के इंट्रेस्ट का सवाल है तो उसमें और लोगों को भी सप्लीमेण्टरी करने के लिये अलाउ किया जाता है। यदि आप इसको सम्पत्ति ही मान लेंगे तो फिर हर माननीय सदस्य का अधिकार बनता है कि वह सवाल पूछेगा। फिर सौ पूछें तो सौ पूछेंगे। तो जब उस पर कहीं न कहीं प्रतिबन्ध है तो आप उस प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए अधिकार की बात करें, यह मैं कह रहा हूं। उनका जवाब आने दीजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आप भी इसको महत्वपूर्ण मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब उनका जवाब तो आने दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर, श्रीमन् हम आपको सन्तुष्ट कर देंगे....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का जवाब ही नहीं आया अभी तो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिये ना इनको । वह जवाब दे रहे हैं । अभी जवाब कहां दिया मंत्रीजी ने ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह पूछा है कि खाली स्थान वार्डन के छात्रावासों में पड़े हैं, उनको कब तक भरा जायेगा । उसके लिये एप्लीकेशन इन्वाइट कर ली गयी हैं । चूंकि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आयी हैं, उनकी छंटाई की जा करके उनके लिये रिटन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि रिटन टैस्ट होगा, उसके लिये डेट निश्चित की जा करके शीघ्रातिशीघ्र इन खाली स्थानों को भरने की योजना बनायी जा रही है, कार्यवाही की जा रही है । दूसरा प्रश्न है कि चूरू में छात्रावास की हालत खराब है । कुछ दिन पहले उस पर कुछ पैसा लगाया गया, उसका सुधार किया गया । फिर भी उसमें जो कमी होगी, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद वह हालत भी सुधार दी जायेगी । उसके बाद चूरू महिला छात्रावास के लिये भी यही उन्होंने बताया है कि उसकी हालत खराब है । मैंने निवेदन किया है कि क्योंकि इस बार बजट अभी-अभी सैंक्शन हुआ है उस बजट के अनुसार उनके जो भी खराबी होगी, जो भी कमी होगी, तुरन्त प्रभाव से उनको सही कर दिया जायगा । चौथी बात उन्होंने पूछी है कि समाज कल्याण विभाग के सचिव, समाज कल्याण विभाग के निदेशक और मैंने जहां भी सरप्राइज विजिट किया है वह कब-कब किया है । उसके लिये कार्यक्रम तो दिया नहीं जाता । यदि यह पहले पूछ लिया होता तो बता दिया जाता । पहले भी मैंने कई बार निवेदन किया है और जहां भी जिस छात्रावास में, चाहे वह स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है, या राजकीय छात्रावास है, वहां जो भी अनियमितताएं किसी के द्वारा पायी गई हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की भी गई है और की भी जा रही है और फिर भी जहां जायेंगे, और कोई कमी मिलेगी तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, मैं इतना ही सदन को विश्वास दिलाता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रश्न को गौर से देखें, तो प्रश्न के पहले पार्ट में अन्य पिछड़ी जातियों को सरकार के द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ? उत्तर-अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं सो एण्ड सो । अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार के ऊपर आरोप यह है कि इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल गलत दिया है । राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अलावा किसी जिले के अन्दर पिछड़ी जाति के छात्रों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्या यह सही है ? माननीय मन्त्री महोदय पहले तो आप इस बात का उत्तर दे दें। क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है उससे तो यह आभास होता है कि सारे राजस्थान के अन्दर यह सुविधा उपलब्ध है जबकि हकीकत में सारे राजस्थान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, नम्बर एक ! नम्बर दो, पिछड़ी जातियों में अगर आपकी बात को सही माना जाये तो पिछड़ी जातियों में राजस्थान के अन्दर कौन-कौनसी पिछड़ी जातियां हैं, कृपया उन जातियों के नाम गिनाने की आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगी कि मन्त्रीजी ने बताया कि किसी महिला को प्रसूति....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाये। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : 75 रुपया दिया जाता है। क्या वह 75 रुपया वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, 75 रुपये में तो एक किलो घी भी नहीं आता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें पहले।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब देवें। उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए पहले।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जानना चाहा है....।

श्री अध्यक्ष : सदस्या का सवाल मैंने अलाउ नहीं किया है। आपका जवाब दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्या का जवाब देकर आप टालना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो पूछा है यह बिल्कुल सही है कि पिछड़ी जातियों को सहयोग करने का जो यह नियम बना हुआ है, केवल मात्र शिक्षा के क्षेत्र में ही सहयोग करने का है। क्योंकि यहां से राजस्थान में और आमेर के जिले में 82 या 78 जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में मानी गई हैं। उनको बार्डर के एरिया में सहयोग करना, या किन-किन कार्यों में सहयोग करना, वह लिस्ट अगर आप चाहें तो मैं लिस्ट भी दे सकता हूं। 78 जातियां हैं। क्योंकि केवल मात्र शिक्षा के क्षेत्र में उनको सहयोग करने के लिए है, ऐसा कोई भी नियम नहीं बना, मगर राजस्थान सरकार के विचाराधीन है कि उनको और भी कोई सुविधाएं दी जायें या नहीं दी जायें। मान्यता दी जाये या नहीं दी जाये....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। यह सवाल नहीं है। यह पूछ रहे हैं....।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं भी वही बताने जा रहा हूं। मेरे पास है, जो बात उन्होंने पूछी है····।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने छोटी सी बात पूछी है कि सीमावर्ती जिलों के अलावा यह सुविधा सारे राजस्थान में नहीं है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : नहीं सारे राजस्थान में नहीं है, सीमावर्ती जिलों में ही है और ऐसा ही नियम है।

श्री अध्यक्ष : यही है, बस ठीक है। इतना ही सवाल है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ी जातियों को सुविधा देने की जो बात आपने अपने उत्तर में कही है, मैं सरकार से जानना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी भी सदन में विराजे हैं, क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके इन जातियों के नागरिकों को सुविधा देने का काम किया है?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों से सम्बन्धित है। अन्य पिछड़ी जातियों को सुविधा देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला केन्द्रीय सरकार ने किया है····।

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित नहीं है। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सम्बन्धित है। अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : मंडल कमीशन से सम्बन्धित नहीं है। केवल राजस्थान में अन्य पिछड़ी जातियों की जो सूची बनी हुई है, उससे सम्बन्धित है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र छात्राओं को सुविधाएं देने के लिए···· (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : यह मंडल आयोग से सम्बन्धित सवाल नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंडल आयोग से सम्बन्धित है। कैसे नहीं है?···· (व्यवधान)

श्री हरि सिंह (महुआ) : सरकार अन्य पिछड़ी जातियों की सूची निकाले, प्रकाशित करे, सूचीबद्ध करे और सरकार उस पर मौन साधे हुए बैठी है। मामला उलझा हुआ है। सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बिल्कुल संवेदनशील नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : घी भी नहीं 75 रुपये में। महिलाओं के साथ अन्याय मत करो।

डा. चन्द्रभान : अन्य पिछड़ी जातियों को सरकार और कोई सुविधा देना चाहे, मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अन्य

Page No. 19

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

पिछड़ी जातियों को सरकार और क्या कोई सुविधा देने जा रही है ? क्या सरकार इसका....(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : अभी पूछ रहे हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इरादा रखती है । मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी जानना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र–छात्राओं को सुविधाएं देने बाबत जो राज्य में बोर्ड गठित हुआ था । उसने भी अपनी रिपोर्ट जाहिर की थी उसमें भी पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार को रिकमंड किया था, वर्मा कमीशन ने और अब तक सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से हमें अवगत करावें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि मंडल कमीशन को किस प्रकार लागू किया जाये, कौन-कौनसी जातियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जायें, इस सम्बन्ध में 10 तारीख को प्रधान मंत्री जी ने सारे मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है, उसमें विचार-विमर्श होगा तो आपको अपने आप ही जानकारी मिल जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल ।....(व्यवधान)....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है । 75 रुपये में क्या होता है । (व्यवधान)....

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय मुख्य मंत्री जी जब 10 तारीख को जाएंगे तो राजस्थान की तरफ से हाउस में थोड़ी चर्चा करके जाएं, परामर्श लें अगर वाजिब समझते हैं तो सदन को, माननीय सदस्यों को कांफिडेंस में लेकर जाएं ।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्मा कमीशन की रिपोर्ट है, राजस्थान सरकार उस पर क्या करना चाहती है ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इस राय के हैं क्या कि मंडल कमीशन को राजस्थान में लागू किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल । केवल मंत्री जी का ही अंकित हो और किसी का नहीं ।

खण्डार (सवाई माधोपुर) के किले के चौतरफा खाई की खुदाई

860. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रोजेक्ट रेंज खण्डार जिला सवाई माधोपुर के रेंजर हंसदेव सैनी द्वारा खण्डार किले के चारों तरफ खाई खुदवाई गई ? यदि हां, तो कब तथा खाई की लम्बाई व चौड़ाई क्या थी एवं इस पर कितना धन खर्च किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि खाई निर्धारित माप के अनुसार नहीं खुदवाकर

(श्री चुन्नीलाल)

सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त प्रकरण की जांच सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक जांच पूर्ण हो जायेगी ? (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) प्रोजेक्ट रेंज–खण्डार जिला सवाई माधोपुर के रेंजर श्री हंसदेव सैनी द्वारा खण्डार जिले के चारों तरफ खाई वर्ष 1990–91 एवं वर्ष 1991–92 में खुदवाई गई। खाई की नाप निम्न प्रकार है:–

वर्ष 1990–91

1. लम्बाई 500 रनिंग मीटर,
   चौड़ाई ऊपर से 70 सेंटीमीटर,
   चौड़ाई नीचे से 60 सेंटीमीटर।
2. लम्बाई 1202 रनिंग मीटर,
   चौड़ाई ऊपर से 70 सेंटीमीटर,
   चौड़ाई नीचे से 60 सेंटीमीटर,

वर्ष 1991–92

3. लम्बाई 420 रनिंग मीटर,
   चौड़ाई ऊपर से 70 सेंटीमीटर,
   चौड़ाई नीचे से 60 सेंटीमीटर।
4. लम्बाई 145 रनिंग मीटर,
   चौड़ाई ऊपर से 150 सेंटीमीटर,
   चौड़ाई नीचे से 90 सेंटीमीटर।

इस पर वर्ष 1990–91 में 20,856 रुपये एवं वर्ष 1991–92 में 9,366 कुल 30,222 रुपये खर्च किया गया।

(2) जी नहीं। खाई प्राक्कलन के अनुसार खुदवाई गई है। एतदर्थ आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी। (व्यवधान)। आप सवाल पूछिये ना।.... (व्यवधान).... केवल चुन्नीलाल जी का अंकित हो।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप नहीं पूछ रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : × × ×

श्री हरि सिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दयाराम परमार।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

आदिवासियों को खनन पट्टे

861. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दयाराम परमार)

क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में आदिवासियों को खनन पट्टे दिलाने के लिए धनराशि देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जन जाति क्षेत्रीय विकास (श्री जीवराम कटारा) : जी हां, यह सही है कि जनजाति विकास विभाग में आदिवासियों को खनन पट्टे दिलाने हेतु डेड रेंट, रायल्टी एवं औजार क्रय करने के लिए धनराशि देने का प्रावधान है।

पिछले पांच वर्ष (1986–87 से 90–91 तक) में कुल 63,138/– रुपये की धनराशि 68 आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरि सिंह (महुआ) : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम परमार।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री हरि सिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : और किसी को नहीं, सिर्फ श्री दयारामजी को लिखें। हां, श्री दयारामजी बोलिये।····(व्यवधान)····

श्री हरि सिंह : (महुआ) × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री अध्यक्ष : हिन्दुस्तान में कोई डाक्टर पिछड़ा हुआ नहीं है, सब डाक्टर पढ़े लिखे हैं।····(व्यवधान)····पूछिये दयारामजी।····(व्यवधान)····जवाब दीजिये।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कार्यरत जनजाति खनन पट्टाधारियों को डेड रेन्ट, रायल्टी एवं औजार क्रय करने हेतु अनुदान राशि आवंटित की जाती है। वर्ष 1986–87 एवं 1987–88 में यह योजना राजस संघ के माध्यम से क्रियान्वित की गई थी जिन्होंने 9638 रुपये व्यय करके 42 आदिवासियों को लाभान्वित किया था। वर्ष 1988–89 में इस योजनान्तर्गत 0·55 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया था। उक्त राशि को उपयोग करने के लिये खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा राजस संघ से कुछ सूचना चाही गई थी लेकिन उस सूचना के अभाव में खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। वर्ष 1989–90 में 0·55 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 22

(श्री जीवराम कटारा)

उस राशि में से 53500 रुपये व्यय करके 26 आदिवासियों को खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा लाभान्वित किया गया। वर्ष 1990–91 में 17 आदिवासियों को अभी तक 40 हजार 500 रुपये का आवंटन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फतेह सिंह, प्र. सं. 598.

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री कुबेर सिंह, प्रश्न संख्या 862.

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्रीमती कमला भील, प्रश्न सं. 863.
(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद, प्र. सं. 864.
(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री बंशीलाल पटवा

भीलवाड़ा जिले की ग्राम सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों पर गबन का आरोप

865. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की किन-किन ग्राम सहकारी समितियों में आज तक किन-किन व्यवस्थापकों ने कितनी-कितनी राशि का गबन किया ?

(2) गबन करने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) :

(1) भीलवाड़ा जिले की 83 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 55 व्यवस्थापकों द्वारा 19.77 लाख रुपये की राशि का गबन/दुरुपयोग करने के मामले प्रकाश में आये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त व्यवस्थापकों में से 50 व्यवस्थापकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, शेष 5 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त इन सभी व्यवस्थापकों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य

866. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिन जिलों में अकाल घोषित हो चुका है, वहां भी अभी तक अकाल राहत के कार्य शुरू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

अकाल राहत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : जी नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री प्रद्युम्नसिंह : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री नत्थीसिंह : ×××

डॉ. चन्द्रभान : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

अल्प-सूचना-प्रश्न

नजूल सम्पत्तियां

18 ए (अकासू). श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जिलेवार कितनी-कितनी नजूल सम्पत्ति कहां-कहां हैं ? नजूल सम्पत्ति की जिलेवार सम्पत्तिवार आज की बाजार कीमत क्या है ?

(2) जयपुर शहर में नजूल सम्पत्ति कहां-कहां है एवं उसकी बाजार कीमत कितनी-कितनी है ? सम्पत्तिवार सूची मय आज की बाजार कीमत बताते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त नजूल सम्पत्ति को बेचने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 18 'ए'

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न स्थगित किया जाता है ।....(व्यवधान)....अल्प सूचना प्रश्न आपका स्थगित है इसलिये कि उसकी इन्फोर्मेशन अभी तक पूरी आयी नहीं है । आपको जवाब मिल जायेगा जब इन्फोर्मेशन आ जायेगी....(व्यवधान)....अच्छा, आप, दो मिनट में कह दीजिये । क्या कहना चाहते हैं । कहिये दो मिनट में, क्या कहना है । श्री प्रद्युम्नसिंह जी कहिये । कहिये, दो मिनट में, क्या कहना है आपको (व्यवधान) आप बोलिये । क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा सरकार के बचाव में आना, उस पर तो मुझे घोर आपत्ति है । मुझे घोर आपत्ति है जिस प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों ओर की आपत्तियां यहां पर सहन करने के लिए बैठा हूं । इसलिये आप दोनों ओर से करते जाइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको करनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : करते जाइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको करनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : I am doomed for that. This Chair is Meant for it.

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No. 24

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो आप सुनें फिर।

श्री अध्यक्ष : I am hearing.

श्री प्रद्युम्नसिंह : Kindly listen to me.

श्री अध्यक्ष : आप कहिये। आप अपने तरकस से पैने से पैने बाण चलाइये मैं हंसता ही रहूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप हंसते रहेंगे तो आसन हमेशा आराम में रहेगा, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जब क्रोध में आता है तो बड़ी व्यवस्था खराब होती है सदन के अन्दर (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न के उत्तर में सदन को राजस्थान की जनता को गुमराह करने की चेष्टा की, नम्बर-एक।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : 40 साल तक आपने गुमराह किया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सारे राजस्थान का था। उत्तर से यह बात झलकती थी कि पिछड़ी जाति के लोगों को सारे राजस्थान के छात्रावासों में यह सुविधा मिल रही है लेकिन जो सप्लीमेण्टरी, इन्फोर्मेशन दी गयी उसमें साफ स्वीकार किया कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अन्दर यह सुविधा उपलब्ध है।....

श्री अध्यक्ष : यह तो बाद में ही मन्त्रीजी ने यही कहा था कि केवल सीमावर्ती में....

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय। बाद में कहा, सप्लीमेण्टरी में कहा। तो नीयत सरकार की आरम्भ में ही खराब थी। इसमें एक लाइन जोड़ सकते थे....

श्री अध्यक्ष : बाद में स्पष्ट कर दिया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कह सकते थे कि सीमावर्ती जिलों के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : बाद में स्पष्ट कर दिया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप बात सुन लीजिये। फिर हमने पूछा कि आपकी लिस्ट में पिछड़ी जाति के कौन-कौन से लोग हैं? चौमू से आने वाले माननीय सदस्य, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य और हम लोगों ने राजस्थान के पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे। भारत सरकार ने अपनी घोषणा में पचास प्रतिशत स्थान एस. सी., एस. टी. और बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन कर दिया है। उसके बाद सप्लीमेण्ट्री पूछे। आसन द्वारा उस प्रश्न को छोड़कर हो-हल्ले के बाद दूसरा प्रश्न ले लिया।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोटा पूरा करना था। हाउस ने तय कर रखा है कि 10 प्रश्न लेने हैं। 10 प्रश्न पूरे कर दिये, आप देख लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हाउस ने कोई तय नहीं किया है केवल आसन ने अपनी व्यवस्था दी है। यह तय नहीं हुआ है हाउस के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट—2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड हिण्डौन की मतदाता सूची

858. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. हिण्डौन के चुनाव हुए और चुनाव में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहीं होते हुए भी मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया गया हैं ?

(2) क्या चुनाव अधिकारी ने रजिस्ट्रार के पत्र दिनांक 23.12.91 के आदेशों की अवहेलना कर अनियमित कार्यवाही की ?

(3) क्या यह क्रय-विक्रय सहकारी समिति ऋण का कार्य नहीं करती है, फिर भी ऋण अवधिपार का दोष लगाया है ?

(4) क्या सहायक रजिस्ट्रार सवाई-माधोपुर ने दिनांक 16.12.91 को चुनाव अधिकारी व व्यवस्थापकों को पत्र देकर दोहरी सदस्यता के बारे में निर्देश दिया था ?

(5) क्या सहायक रजिस्ट्रार के निर्देशों की अवहेलना की है ? क्या चुनाव अधिकारी ने चुनाव में अनियमित कार्यवाही की है और उसकी शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी समिति के चुनाव पूरे नहीं हुए हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया मनोनयन पत्र प्राप्त कर वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने तक ही पूर्ण हुई है। मतदान होना शेष है। मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों के नामों पर ऐतराजों को लेकर विभाग में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत वाद लम्बित है। जिसमें चुनाव कराने के विरुद्ध स्थगन आदेश दिनांक 10.1.92 को दिया हुआ है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

(3) यद्यपि क्रय विक्रय सहकारी समितियां ऋण वितरण का कार्य नहीं करती हैं परन्तु कई सदस्य/पैक्स क्रय-विक्रय समिति से कृषि आदान व अन्य व्यापारिक लेन-देन उधार में करती है। यदि कोई व्यक्ति/समिति यह समझती है कि उस पर दोष गलत लगाया है तो उसकी कानून के अनुसार अपील हो सकती है।

(4) जी हां। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सवाईमाधोपुर ने हिण्डौन, मण्डावर व गंगापुर समितियों एवं सम्बन्धित चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि मतदाता सूची में सम्बन्धित क्रय-विक्रय समितियों के कार्य क्षेत्र में आने वाली पैक्स के ही नाम शामिल किये जावें ताकि चुनाव में दोहरी सदस्यता नहीं हो।

(5) सहायक रजिस्ट्रार के निर्देशों की अवहेलना का कोई मामला नहीं आया है। निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्राप्त

Page No. 26

(सहकारिता मन्त्री)

शिकायतों के सम्बन्ध में दो वाद धारा 75 के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं जो मध्यस्थ के रूप में निपटारे हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) के पास प्रक्रियाधीन है । निर्णय अभी अपेक्षित है ।

स्थगित प्रश्न

(गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 1992)

पशुपालन अधिकारी कार्यालय, बांसवाड़ा में नियुक्त कर्मचारी

598. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पशुपालन अधिकारी, कार्यालय बांसवाड़ा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सईस, जलधारी, सफाईकर्ता एवं सांड परिचालक के पद पर कार्यालय खुलने से दि. 28–1–1992 तक कितने कर्मचारियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं ?

(2) क्या समय-समय पर नियुक्तियां होने से पूर्व व बाद में जिलाधीश, निदेशक पशुपालन विभाग एवं सचिव तथा राज्य मन्त्रियों को बांसवाड़ा जिले के विभिन्न संगठनों एवं कार्यकर्ताओं, राजनैतिक नेताओं एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्तियों में अनियमिततायें होने की शिकायतें की जाती रही हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब कब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिला पशुपालन अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 28–1–1992 को 18 हरिजनों को सफाईकर्ता के पद पर नियुक्तियां दी गई ? क्या इन नियुक्तियों में अनियमिततायें होने की शिकायतों को लेकर बांसवाड़ा जिले में रोष है ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर में संयुक्त निदेशक डा. धीरेन्द्र सिंह भण्डारी को समय-समय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में अध्यक्ष मनोनीत किया जाता रहा है ।

(5) क्या यह सही है कि डा. धीरेन्द्र सिंह भण्डारी संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में धांधली आदि करवाने के समाचार राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं जो राज्य सरकार व विभाग के निदेशक, सचिव के भी ध्यान में लाये जाते रहे हैं ?

(6) क्या जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा डा. धीरेन्द्र सिंह भण्डारी के क्रियाकलापों व अन्य के बारे में पत्र क्रमांक एफ. (2) अ. अ./225 दिनांक 6-2-1992 निदेशक को भेजा गया है ? यदि हां, तो निदेशक द्वारा की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला पशु-पालन अधिकारी, बांसवाड़ा के कार्यालय खुलने से 28-1-1992 तक 114 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां दी गई हैं । जिनमें 28 सईस, 30 जलधारी, 7 सांड परिचारक, 46 सफाईकर्ता, 3 कुक्कुट परिचारक हैं ।

(राज्य मन्त्री, पशुपालन)

(2) विभाग को दो शिकायतें नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच करवाई गई, उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई।

(3) जी हां। 18 सफाईकर्ताओं को नियुक्तियां दी गई हैं। इस क्रम में एक शिकायत 21-2-92 को अभाव-अभियोग के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर जांच की कार्यवाही की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में किसी प्रकार के रोष की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष डा. धीरेन्द्र सिंह भण्डारी, तत्कालीन संयुक्त निदेशक को केवल एक ही बार वर्ष 1987 में मनोनीत किया गया है।

(5) 25-4-87 के राष्ट्रदूत में "नियुक्तियों में भारी धांधली" शीर्षक से प्रकाशन किया था, जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने पर अनियमितता नहीं पाई गई।

(6) जी हां। जिलाधीश से प्राप्त शिकायत पत्र का उत्तर जिलाधीश को भेजा गया है। जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सेवागीरों, प्रबन्धकों का वरिष्ठता सूची व पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण

862. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22-2-91 की पालना में देवस्थान विभाग के एक सेवागीर को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिट याचिका में विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण यह निर्णय सम्भव हुआ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय में न्यायालय ने प्रार्थी कर्मचारी की पात्रता जांच किये जाने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो क्या पात्रता की जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सेवागीरों, प्रबन्धकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अब भी सरकार न्यायालय के निर्णय के अनुसार उक्त पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता की जांच करवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय दिनांक 22-2-1991 के परिणामों की गम्भीरता को देखते हुये सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निर्णय के विरुद्ध स्पेशल अपील दायर करने हेतु सरकार को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया?

उत्तर

(1) जी हां। प्रबन्धक ग्रेड I के पद से

Page No. 28

(देवस्थान मन्त्री)

निरीक्षक के पद पर अस्थायी पदोन्नति दी गयी है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय में रिट आफ मेन्डामस प्रस्तुत की गयी थी जिसमें ट्रिब्युनल के आदेश की पालना के निर्देश थे। विभागीय उत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के निर्णय की पालना के फलस्वरूप उक्त अस्थायी पदोन्नति की गयी है। पात्रता की जांच की जा रही है।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) जी हां। पात्रता की जांच की जा रही है। शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

(6) जी हां। स्पेशल अपील किया जाना विधि विभाग की राय के अनुसार उचित नहीं माना गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्र को प्रस्तावित जलोत्थान योजना में सागवाड़ा की स्थिति

863. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या डूंगरपुर जिले से विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 145 जलोत्थान योजनाओं के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये थे? सूची सदन की मेज पर रखें? यदि हां, तो सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के लिये कितने प्रस्ताव भेजे गये तथा कितने स्वीकृत हुये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विभाग द्वारा जलोत्थान योजना के कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजे गये हैं।

चूरू व झुन्झुनूं जिले के भूतपूर्व सैनिकों को भू-आवंटन

864. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू व झुन्झुनूं जिले के भूतपूर्व सैनिक व भूतपूर्व सीमा सुरक्षा सैनिकों को 1985 से 1991 तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मोहनगढ़ व नाचना तहसील में कितनी भूमि कब-कब आवंटित हुई तथा कितने आवेदन-पत्र अब लम्बित हैं? क्या सरकार लम्बित आवेदकों को भू-आवंटन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? चूरू तहसील के लम्बित आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्र तहसील कार्यालय चूरू तथा जिलाधीश कार्यालय चूरू की लापरवाही के कारण समय पर उपनिवेशन विभाग बीकानेर को प्रेषित नहीं होने से उनके नाम लाटरियों में नहीं डाले गये? यदि हां, तो सरकार दोषियों के

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है व शेष आवेदकों के लिए भू-आवंटन की क्या प्रक्रिया अपना रही है ?

उत्तर

(1) चूरू व झुंझुनू जिलों के भू. पू. सैनिकों व भू. पू. सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को 1985 से 1991 तक इ. गा. न. प. के अन्तर्गत मोहनगढ़ तहसील में भूमि आवंटित नहीं की गई है। नाचना में इन्हें दि. 8-10-85 से 11-10-85 व 3-2-86 से 4-1-86 को आवंटन किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

भू. पू. सैनिकों को आवंटन

नाम तहसील	नाम जिला	तादाद आवंटी	आवंटित क्षेत्र (बीघा में)
नाचना 2	चूरू	7272	5003.00
नाचना 1	झुंझुनू	401	9838.00

सीमा सुरक्षाबल के भू. पू. कर्मियों को आवंटन

नाम तहसील	नाम जिला	तादाद आवंटी	आवंटित क्षेत्र (बीघा) में
नाचना नं. 1	चूरू	43	594.10
नाचना	झुंझुनू	—	—

झुंझुनू जिले के 1348 सक्षम करार व 142 प्रतीक्षा सूची से तथा चूरू जिले के 944 सक्षम करार व 77 प्रतीक्षा सूची में आवेदन पत्र भू. पू. सैनिकों के लम्बित हैं। प्रतीक्षा सूची में रखे गये भू. पू. सैनिकों के आवेदन पत्रों में उपलब्ध भूमि का आवंटन भू. पू. सैनिकों को आगामी वर्ष तक किया जावेगा। चूरू तहसील के भू. पू. सैनिकों के 146 सक्षम करार व 7 प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्र लम्बित हैं की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। इस तहसील की सीमा सुरक्षा बल के भू. पू. कर्मियों के सक्षम करार व प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। चूरू तहसील के भू. पू. सैनिक नहीं बल्कि इस तहसील के सीमा सुरक्षा बल के 20 भू. पू. कर्मियों के आवेदन पत्र इस विभाग में समय पर प्राप्त नहीं हुये जिनकी सूची "ख" संलग्न है। इन्हें समय पर नहीं भिजवाने का कारण स्वयं प्रार्थीगण द्वारा प्रमाण-पत्रादि प्रस्तुत करने में विलम्ब करना है। अतः चूरू तहसील या जिलाधीश कार्यालय के किसी कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। मियाद बाहर प्राप्त प्रकरणों में भू-आवंटन की कार्यवाही करने में असमर्थता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, लेखाकारों के रिक्त पद

1364. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकारों के कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं और सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) पदोन्नति की पात्रता पूर्ण कर

(श्री कुबेर सिंह)

चुके लेखा कर्मियों को अब तक पदोन्नति नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(3) निदेशालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर गत वर्षों में हुई पदोन्नति की पुनः समीक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कोई समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें । क्या सरकार इसकी क्रियान्विति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में लेखाधिकारी के 71 पद, सहायक लेखाधिकारी के 116 पद एवं लेखाकारों के 375 पद रिक्त हैं । इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) विधानसभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति द्वारा पदोन्नति पर रोक लगाये जाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुये पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं ।

(3) जी हां, समिति की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के प्रयोजनार्थ कलक्टर्स की नियुक्ति

1365. **श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा)** : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा सहायक महानिरीक्षकों, पंजीयन मुद्रांक को राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर नियुक्त करने का क्या औचित्य है ? इससे आम जनता को क्या राहत मिलेगी ?

(2) महानिरीक्षक, पंजीयन व मुद्रांक किन नियमों व किन शक्तियों के अन्तर्गत विभिन्न जिला कलेक्टर व अति. जिला कलेक्टर्स के न्यायालय में स्टाम्प एक्ट में विचाराधीन प्रकरणों के स्थानान्तरण व सुनवाई के क्षेत्राधिकार निर्धारित करते हैं ? क्या उक्त क्षेत्राधिकार निर्धारित करते समय जनहितों का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(3) राज्य सरकार ने रूपान्तरण नियम, 1981 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत कर वसूली का प्रावधान किया लेकिन जमीन विक्रय करने पर दस्तावेज पंजीयन के समय इनकी मिल्कियत भी सवर्णों की जमीनों के बराबर मानकर मुद्रांक राशि ली जाती है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की जमीन केवल उन्हीं की श्रेणी के आदमी ही क्रय कर सकते हैं, ऐसा क्यों ?

(4) महानिरीक्षक, पंजीयन व मुद्रांक द्वारा आदेश जारी किया गया है कि चाही भूमि के साथ हस्तान्तरित होने वाले कुएं की कीमत अलग से जोड़ी जाकर उस पर मुद्रांक कर वसूल किये जायें ? उक्त आदेश किस प्रकार विधि सम्मत है ? कोई भूमि चाही है तो उस कुएं के आधार पर जब चाही भूमि की मिल्कियत उसकी श्रेणी के

(श्री देवेन्द्र सिंह)

अनुसार ही काफी अधिक है तो फिर कुएं की मिल्कियत अलग से कैसे आंकी जाती है? यदि कुएं को भूमि से अलग किया जाए तो क्या कीमत बरानी भूमि के बराबर ही मानी जाकर मुद्रांक कर वसूल किये जाने चाहिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सहायक महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को अपने क्षेत्राधिकार के जिलों के लिये 'कलक्टर' घोषित करने का औचित्य यह रहा है कि मुद्रांक प्रकरणों का शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ हो सके क्योंकि जिले के कलक्टर एवं अतिरिक्त कलक्टर के पास प्रशासनिक एवं राजस्व सम्बन्धी कार्य-भार बढ़ जाने के कारण मुद्रांक प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता था तथा पक्षकारों को जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था किन्तु प्रशासनिक एवं व्यवस्था के कार्य में व्यस्तता के कारण जिला कलक्टर या अतिरिक्त कलक्टर को सुनवाई का समय नहीं मिल पाने से तारीख बदलती रहती थी। जिसके कारण पक्षकारों को परेशानी होती थी। अतः मुद्रांक प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने एवं केम्पकोर्ट के द्वारा तहसील मुख्यालय पर भी मुद्रांक प्रकरणों की सुनवाई करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सहायक महानिरीक्षकों को 'कलक्टर' की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। इस व्यवस्था से आम जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलने की राहत मिल सकेगी। सुलभ संदर्भ के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 2-11-1991 संलग्न है। इसके अलावा कैम्पकोर्ट द्वारा सुनवाई करने के सम्बन्ध में जो परिपत्र दिनांक 17-2-1992, 18-2-1992 एवं 12-1-1992 को जारी किये गये हैं। उनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना जारी करके सहायक महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को भी अपने क्षेत्राधिकार के जिलों के लिये 'कलक्टर' नियुक्त किया है जिसके कारण प्रत्येक जिले में मुद्रांक प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार जिला कलक्टर, अतिरिक्त कलक्टर एवं सहायक महानिरीक्षक में निहित हो गये हैं। समान क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिकारियों में कार्य विभाजन करने का प्रावधान मुद्रांक अधिनियम एवं नियमों में नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर क्योंकि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की गतिविधियों का संचालन एवं पर्यवेक्षण महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किया जाता है अतः मुद्रांक प्रकरणों का कार्यभार आंकलन कर समान अधिकारिता धारित अधिकारियों के बीच मुद्रांक प्रकरणों का कार्य विभाजन महानिरीक्षक द्वारा किया गया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आदेश दिनांक 10-12-1991 की प्रति संलग्न है। उक्त कार्य विभाजन जनहित को ध्यान में रख कर ही किया गया है ताकि मुद्रांक प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण होने से शीघ्र एवं सस्ता न्याय जनता को प्राप्त हो सके। यहां तक कि विभागीय सहायक महानिरीक्षकगण जिन्हें 'कलक्टर' की शक्तियां दी गई हैं उन्हें 50 से अधिक प्रकरणों वाले तहसील मुख्यालयों पर केम्प कोर्ट आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। यह भी

(मुख्यमंत्री)

निर्देशित किया गया है कि किसी भी फरिकेन को प्रकरणों की सुनवाई के लिये जिले से बाहर नहीं बुलवाया जावे। तहसील मुख्यालय पर केम्प कोर्ट आयोजित करने से पूर्व व्यवस्था की तुलना में जनता को अधिक राहत मिलेगी एवं इन अधिकारियों के पास निरीक्षण के अलावा केवल यही काम होने के कारण मुकदमों का निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। सुलभ संदर्भ के लिए परिपत्र दिनांक 17-2-1992, 18-2-1992, 12-3-92 की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) भूमि रूपान्तरण शुल्क एवं मुद्रांक कर अलग-अलग अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत देय होता है किसी एक अधिनियम या नियम में दी गई रियायत अन्य अधिनियम या नियमों पर लागू नहीं होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति की कृषि भूमि का हस्तान्तरण उसी वर्ग के व्यक्तियों को किया जा सकता है किन्तु आबादी भूमि पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं है। मुद्रांक अधिनियम की अनुसूचित 2 के आर्टिकल–23 के तहत अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेज पर निष्पादन की तिथि को उस सम्पत्ति की प्रचलित मार्केट वेल्यू पर मुद्रांक कर देय है न कि प्रतिफल पर।

मुद्रांक अधिनियम में जाति या धर्म के आधार पर मुद्रांक कर अलग-अलग दर से वसूल करने का प्रावधान नहीं है अन्य किसी राज्य में भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

(4) यह सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आदेश सं. एफ. 7 (जन) (354) पार्ट–3/339 दिनांक 4-1-1991 के द्वारा उप पंजीयकों को निर्देश दिये गये हैं कि सिंचित भूमि के दस्तावेजों में भूमि की मालियत की जांच करते समय भूमि के मूल्यांकन के साथ-साथ कुए के मूल्यांकन की भी जांच करे तथा कुए के मूल्य पर भी मुद्रांक कर वसूल करे। उक्त निर्देश विधि सम्मत है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की सिंचित एवं असिंचित भूमि की मार्केट वेल्यू की दरें अलग-अलग होती हैं तथा जब किसी दस्तावेज से केवल सिंचित भूमि हस्तान्तरित होती है तो उस क्षेत्र की सिंचित भूमि की दर से मालियत की जांच करके मुद्रांक कर वसूल किया जाता है किन्तु जब दस्तावेज से सिंचित भूमि के साथ कुआ भी हस्तान्तरित होता है तो केवल सिंचित भूमि की दर से भूमि की मालियत ही आंकी जाती है तथा कुए की मालियत को नजर अंदाज कर देने से करापवंचन होता था इसीलिए उक्त परिपत्र में तीन अलग-अलग स्थितियों

(मुख्य मंत्री)

का वर्णन करते हुए सही तरीके से मार्केट वेल्यू की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सिंचित भूमि के दस्तावेज में कुएं का भी हस्तान्तरण होता है। भूमि नहर द्वारा या अन्य कुएं से सिंचित होने के कारण उसके हस्तान्तरण पर मालियत कम होगी तथा कुएं के साथ सिंचित भूमि के हस्तान्तरण पर मालियत अधिक होगी ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की सिंचित भूमि की दर से मालियत की जांच करते समय कुएं की कीमत की जांच भी करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि कराप-वंचन न हो। सुलभ संदर्भ के लिए परिपत्र दिनांक 4-1-1991 की प्रति संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जी. पी. एफ. की राशि का भुगतान

1366. **श्री अमीन खां** (शिव) एवं **श्री घासीलाल** (टोडारायसिंह) : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के बाद लगभग एक माह की समयावधि में उनको जी. पी. एफ. की राशि का भुगतान किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के श्री पुखराज पुरोहित, गिरदावर जो करीब एक साल पूर्व रिटायर्ड हो गये हैं और उन्हें जी. पी. एफ. एवं जीवन बीमा की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य कर्मचारी के सेवानिवृत्त तिथि के तीन माह पूर्व स्वत्व प्रपत्र पूर्ण रूप से पूर्ति पश्चात् प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति तिथि से एक माह की अवधि में ही भुगतान हेतु अधिकार पत्र जारी कर दिया जाता है।

(2) श्री पुखराज पुरोहित गिरदावर जिनका जी.पी.एफ. खाता संख्या 256348 है उनको अधिकार पत्र दिनांक 11-12-91 राशि रु. 17990/– के भुगतान हेतु जारी किया जा चुका है। बीमा प्रमाण पत्र संख्या 132292 जो कि श्री पुखराज पुरोहित के जीवन पर जारी है के अन्तर्गत भुगतान हेतु अधिकार पत्र संख्या 247 दिनांक 28-3-92 राशि 17018/– रु. का जारी किया जा चुका है। कर्मचारी ने बीमा के स्वत्व का प्रपत्र दिनांक 19-11-91 को भरकर प्रेषित किया है। इस पालिसी के पक्ष में अब कोई राशि देय नहीं है।

सरप्लस राज्य कर्मी

1367. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में कितने-कितने कर्मचारी, किस-किस विभाग द्वारा सरप्लस घोषित किये गये हैं ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर से

(मुख्यमंत्री)

एक सहायक रसायनविज्ञ, विशेष आतंकवाद, न्यायालय, जोधपुर से एक वाहन चालक तथा ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर से एक कनिष्ठ लिपिक अधिशेष घोषित किये गये हैं।

इन सरप्लस कर्मचारियों का समावेशन रिक्त पद उपलब्ध होते ही कर दिया जायेगा।

'राजस्थान विकास कोष' से व्यय

1368. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या मुख्य (मुख्य मंत्री सचिवालय) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विकास कोष का गठन किया है और इसमें सरकार ने अपनी ओर से 50 लाख रुपये का प्रारम्भिक योगदान करने का प्रावधान किया था? यदि हां, तो राजस्थान विकास (कोष) में देश और प्रदेश के किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना आर्थिक सहयोग वर्ष 1991-92 में प्राप्त किया है?

(2) इस कोष के माध्यम से प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई है? व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विकास कोष का गठन किया है, और राज्य सरकार ने अपनी ओर से 50 लाख रु. (पचास लाख रु.) का प्रारम्भिक योगदान किया है। वर्ष 1991-92 में राजस्थान विकास कोष में देश और प्रदेश के किसी भी व्यक्ति द्वारा आर्थिक सहयोग नहीं किया गया है।

(2) राजस्थान विकास कोष से वर्ष 1991-92 में कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

कालेज शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी

1369. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द): क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कॉलेज शिक्षा विभाग के निदेशालय में 1 अप्रेल, 1991 से अब तक कितने कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है? नाम, पद, उसे प्राप्त वेतन, प्रतिनियुक्ति की अवधि व बुलाने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कॉलेज शिक्षा विभाग के निदेशालय में सभी स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों के स्वीकृत पद कम हैं? यदि हां, तो किस स्तर के, कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के पद कम हैं और क्यों?

(3) कॉलेज शिक्षा विभाग के निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों और शिक्षकों को बुलाने का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) कालेज शिक्षा विभाग के निदेशालय में 1 अप्रेल, 1991 से अब तक 31 कर्मचारियों/शिक्षकों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। विवरण सदन

(मुख्यमंत्री)

के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "क")

(2) जी, नहीं।

(3) कॉलेज शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों के कार्यों को समय पर कराये जाने तथा कार्य की अधिकता के कारण कर्मचारियों और शिक्षकों विशेषकर अधिशेष व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता है। अधिशेष व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट

1370. **श्री शिवजी राम** (जहाजपुर) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1984-85 में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (राजफैड) के द्वारा किये कारोबार में हानि हुई है? यदि हां, तो कितनी तथा किस-किस कार्य में?

(2) उक्त हानि के लिए ऑडिट रिपोर्ट में एवं जांच में किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया मामलों में कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लागू नहीं होता।

(3) लागू नहीं होता।

आलनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति (सवाई माधोपुर) के चुनाव

1371. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आलनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील व जिला सवाई माधोपुर के चुनाव में कोई अनियमितता हुई थी? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सहायक रजिस्ट्रार द्वारा कोई पंच/निर्णायक नियुक्त किया था?

(2) क्या यह सही है कि पंच निर्णायक द्वारा निर्णय की तारीख निश्चित करने के पश्चात् निर्णायक बदल दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध व्यवस्थापकों की हड़ताल के दौरान की गई अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) आलनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील व जिला सवाईमाधोपुर के पदाधिकारियों के चुनाव में अनियमितता के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर एक वादी श्री सिराज रसूल द्वारा पंच निर्णय हेतु सहा-

Page No. 36

(सहकारिता मंत्री)

यक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत हुआ था। जिसमें सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आदेश दिनांक 14-2-91 से पंच निर्णायक नियुक्त किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। श्री दिलशाद आगा, उपाध्यक्ष आलनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर क्षेत्रीय निरीक्षक से जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रेषित योजनायें

1372. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों ने जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थापना पर सभी आवासीय योजनाओं के एग्रीमेंट व प्लान पेश किये थे एवं उनकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव को भी प्रस्तुत की थी ?

(2) छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति के ग्रामवार क्षेत्रफल की योजनाओं की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या उक्त सहकारी समिति परगणित जनजाति के लोगों की भूमि के भी ऐग्रीमेंट कर रही है ? यदि हां, तो ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी ने पिछले दिनों में मुरलीपुरा में मीणों की भूमि का सौदा किया है ?

उत्तर

(1) गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये ऐग्रीमेंट या प्लान की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग राज. जयपुर को प्राप्त नहीं हुई।

(2) श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि जयपुर द्वारा सृजित योजनाओं का ग्रामवार मय क्षेत्रफल के विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि पर एग्रीमेंट कर सृजित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) उक्त समिति द्वारा मुरलीपुरा में हाल ही में सौदा करने की कोई जानकारी विभाग को नहीं है। समिति द्वारा विभाग को मई 1990 में दी गई जानकारी के आधार पर मुरलीपुरा योजना के महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा ग्राम के मीणा जाति के खातेदार की 4 बीघा भूमि का सौदा पहले का ही किया हुआ है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., के निलम्बित कर्मचारी/अधिकारी

1373. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) :

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के कौन-कौन से कर्मचारी व अधिकारी कब-कब से निलम्बित हैं ? प्रत्येक के निलम्बन के क्या-क्या कारण थे ? क्या इन्हें चार्जशीट दे दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि संघ की ओर से कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस से अनुसंधान हेतु मुद्दे दर्ज कराये हैं ? यदि हां, तो कब-कब, किनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? प्रत्येक मुकदमें में अनुसंधान के क्या-क्या परिणाम रहे ? अदालत में किस-किस के विरुद्ध चालान कब-कब पेश किये गये ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के 6 कर्मचारी निलम्बित हैं जिनमें से एक को आरोप पत्र दिया जा चुका है । निलम्बित कर्मचारियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां । संघ के तीन कर्मचारियों श्री घनश्याम महेश्वरी, सहायक व्यवस्थापक मेडिकल, श्री हरकचंद जैन, सुपरवाईजर, मेडिकल, एवं श्री प्रमोदकुमार शर्मा व विक्रेता मेडिकल के विरुद्ध तत्कालीन प्रबंधक (मेडिकल) द्वारा एफ. आई. आर. मोतीडूंगरी थाने में दिनांक 14-10-91 को प्रस्तुत की गई थी । जिस पर की गई कार्यवाही से संघ को सम्बन्धित थाने द्वारा अभी तक अवगत नहीं कराया गया है । इस मामले में आगे और जांच की जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कराने हेतु दिनांक 27-1-92 को राज्य अन्वेषण ब्यूरो को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया जिस पर कार्यवाही राज्य अन्वेषण ब्यूरो स्तर पर विचाराधीन है ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट—5 देखें)

सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक नागौर द्वारा ऋण वितरण

1374. **श्री रामकरण** (मेड़ता) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 'दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक', नागौर ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, जसनगर तहसील मेड़ता को पिछले चार वर्षों से किसी प्रकार का ऋण काश्तकारों को नहीं दिया ?

(2) क्या यह सही है कि इस समिति का रबी फसली ऋण स्वीकृत किया हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि इस समिति के साथ पादुखुर्द, रियांबड़ी व डोडीयाना सहकारी समितियों को तो ऋण वितरण लगातार किया जा रहा है, जबकि यह समितियां लगातार बैंक की डिफाल्टर रहती आई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जसनगर की समिति डिफाल्टर नहीं रही है फिर

(श्री रामकरण)

भी ऋण काश्तकारों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है ? इसके लिए कौन दोषी है ? उस दोषी व्यक्ति (अधिकारी) के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई तो क्या अब करने का विचार है ?

(5) क्या यह सही है कि रबी ऋण वितरण की अवधि 30-12-1991 तक ही थी फिर भी यह ऋण किन-किन संस्थाओं को, कब-कब व किन-किन को; कितनी-कितनी राशि वितरित की गई ? जबकि जसनगर समिति को यह ऋण 30-12-1991 से पहले स्वीकृत किया जाकर भी क्यों दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । जसनगर समिति को वितरित ऋण का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) पादुखुर्द रियांबड़ी व डोडियाना सहकारी समितियों को भी लगातार ऋण वितरण किया जा रहा है । ये समितियां बैंक की डिफाल्टर नहीं है ।

(4) जी हां । पूर्ण वितरण किया गया है अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जी नहीं । रबी ऋण वितरण की अवधि अक्टूबर माह से मार्च माह तक निर्धारित है । इस अवधि में रबी ऋण वितरण जिन-जिन समितियों को किया गया है कि सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । सूची के अनुसार जसनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति को तो 30-12-91 से पूर्व ही ऋण दे दिया गया है ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

तहसील परबतसर के केरोसिन विक्रेता

1375. श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) परबतसर तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत कितने केरोसीन के खुदरा व्यापारी हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या केरोसीन के रिटेलर के लिए लाईसेंस में केरोसीन रखने व बेचने के लिए एक स्थान पर गोदाम बनाना पड़ता है या रिटेलर चाहे जहां पर केरोसीन रख सकता है ?

(3) क्या केरोसीन रिटेलर के लिए वितरण हेतु क्षेत्र का आवंटन किया जाता है ? यदि हां, तो परबतसर तहसील के केरोसीन विक्रेताओं के लिए कौन-कौन से ग्रामों व वार्डों का बंटवारा कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) परबतसर तहसील के केरोसीन रिटेलर्स को माह जनवरी, 1991 से माह फरवरी, 1992 तक किस रिटेलर को कितना केरोसीन प्रतिमाह आवंटन किया व कहा-कहां के लिए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) परबतसर तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

कुल 36 कैरोसीन खुदरा व्यापारी हैं। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कैरोसीन रिटेलर के लिए लाइसेंस में कैरोसीन रखने व बेचने के लिए व्यवसाय स्थल एवं गोदाम बताना आवश्यक है।

(3) जी हां। परबतसर तहसील के कैरोसीन विक्रेताओं के लिये जिन-जिन गावों व वार्डों का बंटवारा कर रखा है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) परबतसर तहसील के कैरोसीन रिटेलरों को माह जनवरी, 1991 से माह फरवरी, 1992 तक जिस-जिस रिटेलर को जितना-जितना कैरोसीन प्रतिमाह आवंटन किया व जहां-जहां के लिये वितरण किया, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

रसोई गैस हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र

1376. **श्री शम्भूदयाल बडगुजर** (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा जयपुर शहर की जनता से रसोई गैस कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र अन्तिम बार कब आमन्त्रित किये गये थे ? जोनवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ?

(2) क्या उक्त आवेदकों को उक्त कनेक्शन्स दे दिये गये ? यदि हां, तो किस-किस को, कब-कब ?

(3) वर्तमान में प्रत्येक जोन में कितने उक्त कनेक्शन दिये जाने शेष हैं ? शेष रहे आवेदकों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग शेष रहे आवेदकों को जल्दी ही उक्त कनेक्शन देने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा जयपुर शहर की जनता हेतु रसोई गैस कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र अंतिम बार वर्ष 1988 में आमंत्रित किये गये थे। जोनवार प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रथम जोन	16091
द्वितीय जोन	29200
तृतीय जोन	18499
चतुर्थ जोन	19767

(2) उक्त आवेदकों में से जितने कनेक्शन अब तक (दिनांक 30-3-92 तक) दिये गये हैं, का जोनवार विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रथम जोन	3680
द्वितीय जोन	9290
तृतीय जोन	2650
चतुर्थ जोन	4590

(3) वर्तमान में (दिनांक 31-3-92 को) जोनवार निम्न आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने शेष हैं :—

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

प्रथम जोन	12411
द्वितीय जोन	19910
तृतीय जोन	15849
चतुर्थ जोन	15177

सूची लम्बी होने के कारण सदन की पटल पर रखा जाना संभव नहीं है।

(4) पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्मस के आधार पर तेल कम्पनियों द्वारा गैस ऐजेन्सियों को जब-जब जितने-जितने गैस कनेक्शन आवंटित किये जायेंगे, शेष रहे आवेदकों को वरीयता सूची के आधार पर उपलब्ध करा दिये जायेगें।

मंदिर गोवर्धन जी (जोधपुर)

1377. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर शहर में नागौरी गेट के अन्दर विशनपुरा में गोवर्धन जी का मंदिर स्थित है ? यदि हां, तो उक्त मंदिर निजी है अथवा देवस्थान विभाग के अधीन ? उक्त मंदिर का प्रबन्ध किसके द्वारा किया जाता रहा है ?

(2) क्या उक्त मंदिर को विक्रय कर दिया गया ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा किसको कितनी राशि में ? पूर्ण विवरण मय विक्रयनामा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग उक्त मंदिर को पुनः अपने अधीन लेने एवं इसका जीर्णोद्धार करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभाग उक्त विक्रय को अवैधानिक मानता है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है एवं विभाग दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर नागौरी गेट के अन्दर विशनपुरा में गोवर्धननाथ जी का मंदिर सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में स्थित है। यह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित राजकीय मंदिर नहीं है। मंदिर का प्रबन्ध प्रन्यासियों द्वारा किया जाता है।

(2) इस मंदिर का सार्वजनिक प्रन्यास पंजीयन होने के बाद कोई विक्रय नहीं किया गया है, पंजीयन करने से पूर्व उक्त मंदिर को मकान के रूप में श्री इन्द्रचन्द पुत्र श्री मदनदास ने मातेश्वरी ट्रस्ट भवन के सात ट्रस्टियों को 16000/— रुपये में वर्ष 1980 में विक्रय कर दिया जिसका विक्रयनामा दिनांक 19-4-80 को उप पंजीयन अधिकारी, जोधपुर के पुस्तक संख्या फर्स्ट जिल्द संख्या 655 में पृष्ठ नम्बर 365/368 से क्रम संख्या 775 पर पंजीबद्ध किया गया है। विक्रय नामे की फोटो स्टेट प्रति संलग्न है।

(3) उक्त मंदिर सार्वजनिक प्रन्यास पंजीकृत होने से विभाग का इसको अपने अधीन लेने एवं इसका जीर्णोद्धार करने का विचार नहीं है।

(देवस्थान मंत्री)

(4) उक्त मंदिर को सार्वजनिक प्रन्यास बनाने के उद्देश्य से न्यासियों ने पंजीयन से पूर्व सन् 1980 में मकान के रूप में क्रय किया था तथा बाद में विभाग द्वारा इसका पंजीयन किया गया । अतः उक्त विक्रय को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्तमान में अवैधानिक नहीं कहा जा सकता ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जिला सवाई माधोपुर की इन्दिरा आवासीय योजना

1378. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1983 से 1991 तक इन्दिरा आवासीय योजना कहां-कहां स्वीकृत की गई । पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना के कितने मकान पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1985-86 से फरवरी, 1992 तक 2569 आवास स्वीकृत किये गये । पंचायतवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट–अ में सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) इस योजना के 1890 मकान पूर्ण एवं 679 अपूर्ण हैं । वर्षवार विवरण परिशिष्ट–ब में सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सलूम्बर क्षेत्र की पंचायतों को आवन्टित राशि

1379. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या विशिष्ट योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जवाहर रोजगार के तहत पिछले वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में पंचायत समिति, सलूम्बर, सराडा, धरियावद एवं गिर्वा में कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि आवंटित कर कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

पंचायत समिति गिर्वा में वर्ष 90–91 एवं 91–92 में पंचायतवार स्वीकृत राशि के मुकाबले स्वीकृत किये गये और कार्यवाइज व्यय वर्ष 90–91 में हुआ उसका विवरण संलग्न सूची के अनुसार प्रेषित है । वर्ष 91–92 के व्यय का ब्यौरा कार्य पूर्ण होने पर मूल्यांकन के आधार पर होगा । अनुमानित व्यय की सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर द्वारा तैयार मैनुअल

1380. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) :

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1985 से 1989 तक जयपुर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित तत्कालीन परियोजना निदेशक ने डी. आर. डी. ए. की योजनाओं की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुये अपनी इच्छा से मैन्युअल तैयार कर प्रस्तावित योजनाओं को क्रियान्वित किया ?

(2) क्या उक्त तत्कालीन परियोजना निदेशक ने स्वयं बनाये गये मैन्युअल की स्वीकृति/अनुमोदन राज्य सरकार व भारत सरकार से प्राप्त कर लिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ?

जीवनधारा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कृषि कुओं हेतु अनुदान

1381. श्री भंवर लाल (सुजानगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जीवनधारा या अन्य योजना द्वारा बनने वाले कृषि कुओं के लिए क्या राज्य सरकार अनुदान के तौर पर सहायता प्रदान करती है ? यदि हां, तो कितनी राशि ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर व जिला चूरू पड़ौसी जिला होते हुए भी इनकी राशि में अन्तर है ? जिला बीकानेर में जीवनधारा के कुएं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की जाती है तथा जिला चूरू के लिए कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि जिला चूरू में बनने वाले इन कुओं के लिए कम राशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जिला बीकानेर के बराबर ही जिला चूरू के इन कुओं के लिए राशि देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जीवनधारा योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत तक राशि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को स्वीकृत की जाती है। मैसिव के अन्तर्गत लघु कृषकों को उक्त इकाई लागत का 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत राशि की सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत लघु सिंचाई एवं कूप निर्माण हेतु लघु कृषकों को 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को इकाई

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

लागत की 50 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाती है।

(2) जी हां। कुओं की इकाई लागत उस क्षेत्र की भूमिगत जल की उपलब्धता, गहराई तथा नरम एवं चट्टानी स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है। बीकानेर जिले में 45 मीटर गहरा कुएं के लिए रु. 63,700/– स्वीकृत की जाती है एवं चूरू जिले में 40 मीटर गहरा कुएं के लिए रु. 48,000/– की राशि स्वीकृत की जाती है। केवल मैसिव योजना के अन्तर्गत श्री डूंगरगढ़ तहसील में भी डग कम बेग वैल की इकाई लागत रु. 63,700/– है।

(3) जी नहीं। जिले में उपलब्ध जल की गहराई एव भू-गर्भीय स्थिति के अनुसार कुओं की इकाई लागत निर्धारित की जाती है।

(4) जी नहीं।

दुगारी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण

1382. श्री कन्हैयालाल मीणा(बस्सी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक पाठशाला कुम्हारिया, पंचायत दुगारी, जिला बून्दी के लिए भवन निर्माण हेतु कितनी राशि, किस योजना के तहत एवं कब स्वीकृत की गई थी ?

(2) उक्त राशि में से अब तक कितनी राशि खर्च की जाकर कितना कार्य मौके पर करवाया जा चुका है ? अब कितनी राशि का कार्य करवाया जाना शेष है ?

(3) बकाया कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालय कुम्हारिया, पंचायत दुगारी, जिला-बून्दी को राज्य-सरकार के पत्र क्रमांक: प. 1 (2) शिक्षा /2/90 दिनांक 21-12-90 के अनुसरण में 96,000/–रुपये निम्न प्रकार मदवार स्वीकृत किये गये :—

नवें वित्त आयोग से	शिक्षा मद से	जे. आर. वाई. मद से	योग
0.50	0.384	0.076	0,96

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति के पत्रांक 923 दि. 23.08-91 के अनुसार अब तक उक्त स्कूल में 88,163/–रु. व्यय किया जा चुका है। स्वीकृत राशि में से अवशेष राशि 7,837/–रु. का कार्य किया जाना शेष है।

(3) बकाया कार्य अवशेष राशि रु. 7,837/– एवं वर्ष 1992-93 में जवाहर-रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

दौलतपुरा (मसूदा) जवाहर रोजगार योजना के तहत कार्य

1383. श्री सांवरलाल (भिनाय)

(श्री सांवर लाल)

क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम दौलतपुरा लोडियाना पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर में जवाहर रोजगार योजना के तहत इस वर्ष खुरा बीड़ने का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो किसकी देखरेख में एवं पत्थरों की सप्लाई किससे हो रही हैं ?

(2) क्या मस्ट्रोल में मजदूरों की अनियमित उपस्थिति दर्ज हो रही है ? क्या इस सन्दर्भ में ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत पर विकास अधिकारी, मसूदा ने कोई कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम पंचायत लोडियाना के ग्राम दौलतपुरा में वर्ष 1991-92 में मुख्य बाजार में खुर्रा निर्माण कार्य चल रहा है । यह कार्य प्रशासक, ग्राम पंचायत लोडियाना की देखरेख में चल रहा है तथा इसका तकनीकी पर्यवेक्षण कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति मसूदा द्वारा किया जा रहा है । पत्थरों की सप्लाई मजदूरों एवं श्री रामकरण पुत्र उगमा निवासी दौलतपुर के ट्रेक्टर नं. आर. जे. 01-95 से की जा रही है ।

(2) जी नहीं । पंचायत समिति में इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है ।

छोगड़वास में कृषि भूमि दर्ज सेवज किस्म

1384. श्री अर्जुनदास (लाड़पुरा), **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) **एवं श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरहद मौजा ग्राम छोगडवास तहसील सोजत (पाली) की कृषि भूमि में कौन-कौन से खसरा नम्बरान व रकबों में सेवज किस्म दर्ज है ? खसरा नम्बरान, रकबा सहित प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त कृषि भूमि में सेवज फसल नहीं होने के पश्चात् भी सेवज किस्म गलत दर्ज है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किस्म परिवर्तन कर बारानी दर्ज करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) पाली जिले की तहसील सोजत में छोगडवास नाम का कोई ग्राम अवस्थित नहीं है । इस कारण आगे की सूचना शून्य है ।

(2) ग्राम नहीं होने से सूचना शून्य है ।

सोना जाटव नन्दीपुरा (हिण्डौन सिटी) की भूमि पर अतिक्रमण

1385. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बसन्ता पुत्र सोना जाटव निवासी नन्दीपुरा हुकमीखेड़ा तहसील हिन्डौन सिटी को सरकार द्वारा 1975 में खसरा नम्बर 109 का पट्टा

Page No. 45

(श्री रामप्रसाद)

दिया गया ? यदि हां, तो उक्त जमीन पर आज तक किसका कब्जा है ?

(2) क्या सरकार आवण्टित व्यक्ति को कब्जा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । लेकिन वर्तमान में खसरा गिरदावरी में वास्तविक कब्जा दर्ज नहीं किया जाता, इसलिए वर्तमान में राजस्व रेकार्ड के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि कब्जा है अथवा नहीं ।

तहसीलदार, हिण्डौन को निर्देशित किया जा रहा है कि मौके पर किसका कब्जा है, इस बाबत जांच करके बतायें ।

(2) संवत् 2046 में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो अभिलेख तैयार किया गया है, उसमें आवंटित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज कर दिया है । अतः राजस्व अभिलेख की दुरुस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में आवंटित द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस प्रकार के आदेश कोर्ट से करवाने चाहिए कि जब तक राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती नहीं हो जाती है, तब तक उसके कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं करें ।

ग्राम आसोप (भोपालगढ़) में नयी जमा बंदी

1386. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आसोप ग्राम परवार क्षेत्र, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर में नयी जमा बन्धी (खतौनी) संख्या 525 में डोली बनाम मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज की खसरा संख्या 2089 एवं 2090 कृषि भूमि है ? क्या पंचायत ग्राम आसोप द्वारा भूमि रूपान्तरण बिना ही राजकीय स्वीकृति के पट्टे दे दिये थे ? क्या कृषि भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरण किये बिना ही पट्टे देना गैर कानूनी है ? यदि हां, तो अवैध पट्टे कब तक रद्द कर दिये जायेंगे ?

(2) क्या सरकार द्वारा अवैध पट्टों को रद्द करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्णित खसरा क्षेत्र में अवैध रूप से दुकानें भी बनी हुई हैं ? यदि हां, तो रेवेन्यू विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्व अभिलेख जमा बन्दी सं. 2048–2051 मौजा आसोप के खतौनी सं. 564 (525) पर डोली बनाम मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज पुजारी बचेतनराम पुत्र मांगीलाल कौम साद के नाम खसरा नम्बर 2089 एवं 2090 कृषि भूमि पर दर्ज है । यह सही है कि ग्राम पंचायत आसोप द्वारा खसरा नम्बर 2089 रकबा 5.11 बीघा बारानी दोयम भूमि में अवैधानिक अनियमित तौर पर भूमि को बिना वैधानिक रूपान्तरण करवाये/प्राप्त किये एक कमेटी बनाकर

(राजस्व मंत्री)

पंचायत द्वारा 47 दुकानों के पट्टे जारी किए जिनमें से 33 दुकानें, वर्ष 1983 में 2 दुकानें धर्मशाला एवं प्याऊ व शेष सभी दुकानें वर्ष 1983 से वर्ष 1988 व 2 दुकानें वर्ष 1989 में निर्मित होना बताया गया है। मौके पर 14 प्लाट खाली होना तहसीलदार, भोपालगढ़ ने सूचित किया है।

(2) जिला कलक्टर, जोधपुर को निर्देशित किया जा रहा है कि वे इस अवैध रूपान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करके अवैध पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही करें।

(3) हां यह सही है कि उपरोक्त दोनों खसरों में से खसरा नम्बर 2089 में अनियमित अवैधानिक तौर पर 33 दुकानों का निर्माण हुआ है। जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को आदेश दे दिये गये हैं। दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर आवास

1387. **श्री अमीन खां** (शिव) एवं **श्री घासीलाल** (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 एवं 91 के तहत कृषि भूमि का का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि जब्त करने का अधिकार प्राप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 1953–1955 में कृषकों की एक समिति के बनाने के उपरान्त 12 परिवारों ने जबरन कब्जा कर वर्ष 1987 में आवास बना कर रहवास शुरू किया ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर तहसीलदार/बाड़मेर ने इन 12 अवैध कब्जों के विरुद्ध अतिक्रमी मामला संख्या 7/87, 18/87 सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह बनाकर अतिक्रमी घोषित किया ?

(4) क्या सरकार अतिक्रमी घोषित परिवार से कब्जे को खाली कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमिधारी द्वारा बिना स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृष्य प्रयोजनार्थ भू उपयोग किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए सपठित धारा 91 के तहत तहसीलदार को अधिकार प्राप्त है कि या तो वह (1) निर्माण कार्य को हटाने हेतु नोटिस जारी करे और सम्पूर्ण भूमि पर किये गये निर्माण कार्य को तुड़वा दें, या (2) निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य नहीं हटाने पर उसे जब्त कर ले।

(2) बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 1953 का कोई खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 1953 के बजाय खसरा नम्बर 1453 दर्ज है और इस खसरे में कोई अतिक्रमण नहीं है। खसरा नम्बर

Page No. 47

(राजस्व मंत्री)

1455 में कृषकों की कोई अभिलिखित समिति नहीं बनी हुई है मगर यह सही है कि खसरा नम्बर 1455 में 12 परिवारों ने कृषि भूमि का अनियमित रूपान्तरण कर कब्जा कर 39000 वर्गफीट भूमि पर वर्ष 1987 में आवास कर रहवास प्रारम्भ किया है। यह कब्जा 1987 में किया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। अनियमित रूपान्तरण कर कब्जा करने वाले इन अतिक्रमियों को नियमानुसार मौके से बेदखल करने की कार्यवाही तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1388 (स्थगित)

पटवारी, ग्राम पंचायत पाली (हिण्डौन) के विरुद्ध जांच

1389. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पटवारी हल्का ग्राम पंचायत पाली, तहसील हिण्डौन, जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध अनियमितताएं एवं गरीब व्यक्तियों को नाजायज परेशान करने पर रिजवास व पाली के अनुसूचित जाति तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थानीय सांसद के माध्यम से जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को शिकायत की थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पटवारी के विरुद्ध जिला कलक्टर ने जांच कर दोषी पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त पटवारी के विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) स्थानीय सांसद के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पटवार हल्का पाली के भूतपूर्व पटवारी श्री देवीसिंह के विरुद्ध दिनांक 17-1-92 को ग्राम जनता की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी नहीं। अभी जांच विचाराधीन है।

(3) जांच तहसीलदार हिण्डौन द्वारा की जा रही है।

जंगलात की भूमि (परानिया) का आदिवासियों को आवंटन

1390. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम परानिया में जंगलात की कुल भूमि 17,849 बीघा 19 बिस्वा में से 7,258 बीघा भूमि तहसील किशनगंज के आदिवासियों तथा विस्थापितों को आवंटन हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(श्री हेमराज)

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग इसमें से 2915 बीघा 3 बिस्वा भूमि को अभी भी आदिवासियों एवं विस्थापितों को आवंटन हेतु आदेश के उपरांत भी राजस्व में निकाली गई भूमि को हस्तांतरित नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब यह भूमि राजस्व में कब-तक हस्तांतरित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1956 में हस्तान्तरित की गई थी ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

प्रयोगशाला सहायक का कार्य

1391. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई खण्ड प्रथम जयपुर में कोई प्रयोगशाला है ?

(2) क्या किसी प्रयोगशाला सहायक को उक्त खण्ड में प्रयोगशाला सहायक के रूप में प्रतिनियुक्ति दी गई ?

(3) क्या यह प्रतिनियुक्ति अवैध है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) गत 2 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर रखे गये प्रयोगशाला सहायक से क्या-क्या कार्य लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । एक प्रयोगशाला सहायक वर्ष भर के जल विज्ञान सम्बन्धित आँकड़े तथा बाँधों के भराव सम्बन्धित आँकड़ों को एकत्रित करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत था ।

(3) जी नहीं, प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी है ।

(4) प्रयोगशाला सहायक उप संचालक (जल विज्ञान) सिंचाई के आदेशानुसार जल विज्ञान सम्बन्धित कार्य सम्पादित करता था ।

जिला डूंगरपुर में लिफ्ट नहर सिंचाई योजना

1392. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितनी हैक्टर भूमि लिफ्ट द्वारा सिंचित होती है ?

(2) डूंगरपुर जिले में किन-किन पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सागवाड़ा क्षेत्र में कितनी लिफ्ट सिंचाई की योजना कार्यरत हैं ?

(श्रीमती कमला भील)

(4) इस लिफ्ट सिंचाई से आदिवासियों की कितने हैक्टर कृषि भूमि सिंचित हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में विभाग के अधीनस्थ 5 लिफ्ट योजनाओं से 364 हैक्टर भूमि सिंचित होती है ।

(2) डूंगरपुर जिले में विभाग के अधीन जो 5 लिफ्ट सिचाई योजनाएं कार्यरत हैं उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं. योजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत वि. वि.
1, सिमलिया महादेव लिफ्ट	डूंगरपुर	मेंनाली
2. गलियाकोट लिफ्ट	सागवाड़ा	गलियाकोट
3. भिलुडा लिफ्ट	सागवाड़ा	भीलुडा
4. भिलुडा लिफ्ट	सागवाड़ा	भिलुडा
5. सलोता लिफ्ड	सागवाड़ा	कानपुर

(3) सागवाड़ा क्षेत्र में विभाग द्वारा 4 लिफ्ट सिचाई योजनाएं कार्यरत हैं ।

(4) लिफ्ट योजनाओं से आदिवासियों की 206 हैक्टर भूमि सिंचित होती है ।

अटरू में सिंचाई कार्य

1393. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले 2 वर्षों में अटरू विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये ?

(2) किस-किस कार्य में कहां-कहां पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 89-90 एवं 90-91 में किये गये कार्य एवं खर्च का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) उपरोक्तानुसार कार्यवार व्यय की सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

बांसवाड़ा में पेड़ों की अवैध कटाई

1394. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर-पूर्व) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग उपखण्ड बांदनवाड़ा में प्राकृतिक पैदावार पेड़ आदि गैर कानूनी ढंग से बेचे जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई उपखण्ड बांदनवाड़ा के अधीन देहसागर बड़ली तालाब की पाल से दिनांक 26-1-1992 को शीशम का पेड़ काटा गया तथा क्या वह पेड़ हरा था ?

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(3) क्या यह सही है कि यह पेड़ विशालकाय एवं कीमती था ?

(4) उक्त पेड़ की चोरी से काटे जाने की जानकारी किस अधिकारी को कब हुई तथा किस स्तर के अधिकारी ने कब और क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) उक्त पेड़ को चोरी से काटे जाने की जानकारी सहायक अभियंता, सिंचाई उपखण्ड बाँदनवाड़ा को दिनाँक 3-2-92 को हुई । जिनके द्वारा दिनाँक 3-2-92 को ही पुलिस थाना भिनाय को पत्र प्रेषित किया गया व विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तथा दिनाँक 17-2-92 को एक एफ. आई. आर. भिनाय में स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करायी गई । जिस पर मुकदमा संख्या 19 दिनाँक 17-2-92 को थाना भिनाय में दर्ज किया गया । थाना इंचार्ज भिनाय को साथ ले जाकर जांच पड़ताल करायी गई । दिनाँक 18-2-92 को अधीक्षण अभियंता, सिंचाई वृत्त, अजमेर के माध्यम से अधिशाषी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्रथम, अजमेर को पेड़ काटे जाने की जानकारी प्राप्त हुई उसी दिन सहायक अभियंता बाँदनवाडा से रिपोर्ट माँगी गई एवं तकनीकी सहायक वास्ते अधिशाषी अभियंता, सि. खण्ड प्रथम अजमेर को जाँच हेतु निर्देशित किया गया । उसी दिन तकनीकी सहायक द्वारा सूचित किया गया कि देहसागर बडली से काटे गये पेड़ की एफ. आई. आर. थाना अधिकारी भिनाय को सहायक अभियंता, बाँदनवाड़ा द्वारा दर्ज करा दी है एवं जाँच कार्यवाही जारी है । जाँच पूरी होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

मेजा बांध (भीलवाड़ा) पर बनाये गये एनिकट, तालाब

1395. **श्री बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में मेजा बाँध तथा कोठारी बाँध की कोठारी नदी के ऊपरी भाग में (बेड) में किन-किन स्थानों पर एनिकट तथा बंध बनाये गये ?

(2) क्या केचमेण्ट एरिये में ऐसे बंधे तथा एनिकट नियमानुसार बनाये जा सकते हैं ? यदि हाँ, तो किस नीति के तहत ?

उत्तर

(1) मेजा व कोठारी बाँध के ऊपरी बेड (केचमेण्ट क्षेत्र) में कोठारी नदी पर निम्न स्थानों पर बाँध एवं एनिकट बनाये गये हैं :—

(अ) मेजा के ऊपरी भाग में कोठारी नदी के बेड में बनाये गये बाँध एवं एनिकटों की सूची :—

(सिंचाई मंत्री)

1. लड़की बाँध (लड़की ग्राम) 2. मटेवर एनिकट 3. पाटीयाखेड़ा एनिकट 4. थला एनिकट 5. नाथड़ियास एनिकट 6. डेलास एनिकट 7. रामपुरिया एनिकट

(ब) कोठारी बाँध के ऊपरी भाग में नदी के बेड में बनाये गये एनिकट :—

1. सुत्राणा एनिकट 2. बोरड़ियास एनिकट

(2) उपरोक्त बाँधों एवं एनिकटों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय अकाल राहत कमेटी से प्रस्तावों के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधीश द्वारा स्वीकृति पारीत के आधार पर निर्मित करवाये गये थे।

वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार एनिकट के निर्माण पर सिंचाई विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति देने से पूर्व यह देखा जाता है कि ऐसे एनिकट किसी बाँध आदि के केचमेन्ट क्षेत्र में नहीं बनें।

महुआ को सिंचाई परियोजनाएं

1396. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महुआ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की प्रस्तावित परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ? क्या कोंडरा सिंचाई परियोजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या महुआ तहसील में "टुड्याना सिंचाई परियोजना" (मध्यम) का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था ? क्या यह परियोजना वाटर पावर कमीशन को भेजी गई है ? इस परियोजना की स्वीकृति में क्या कठिनाई है ?

(3) क्या सिंचाई विभाग द्वारा "बाँधवा सिंचाई परियोजना" पर सरकार द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो इससे कितनी भूमि सिंचित की गई ?

(4) क्या इस परियोजना का डिजाइन व सर्वेक्षण कार्य गलत कर निर्माण गलत कराया गया है ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो फिर इस परियोजना से सिंचाई क्यों नहीं हो रही है ?

(5) 1980 के बाद आज तक यह बाँध कितनी बार भरा है ?

(6) महुआ तहसील के सिंचाई बाँधों में से कितने बाँध क्षतिग्रस्त हैं ? इन क्षतिग्रस्त बाँधों की मरम्मत के लिए गत वर्ष कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर

(1) महुवा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा टोडियाना एवं कोन्डरा परियोजनायें प्रस्तावित हैं। कोन्डरा परियोजना की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है क्योंकि इसकी तकनीकी एवं आर्थिक उपादेयता की जांच की जा रही है।

(2) जी हां। परियोजना के जल

(सिंचाई मन्त्री)

विज्ञान एवं पैरामीटर सम्बन्धी विवरण की विस्तृत जांच की जा रही है, इनके बारे में केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

(3) बाबवा परियोजना के निर्माण पर 75.16 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। इस परियोजना से अभी तक सिंचाई नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। पिछले वर्षों में बारिश की कमी की वजह से बांध में समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से सिंचाई नहीं हुई।

(5) 1980 के पश्चात् आज तक यह बांध नहीं भरा है।

(6) महुवा तहसील के सिंचाई बांधों में से एक बांध खण्डेला क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के लिए कोई राशि गत वर्ष व्यय नहीं की गई।

बीकानेर क्षेत्र में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत सड़क निर्माण पर व्यय

1397. **श्री मोहनलाल चित्तोड़िया** (कपासन) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1986–87, 1987-88, 1988-89 में अकाल राहत में जल निकासी हेतु ग्राम खोरवारा रामनगर-रानेर, जिला बीकानेर के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में निम्न सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी :—

1. सड़क तख्तपुरा से खरवारा
2. ,, तख्तपुरा से लालावाली
3. ,, तख्तपुरा से शेरपुरा
4. ,, तख्तपुरा से मांडसर
5. ,, खारवारा से शेरपुरा
6. ,, कृष्णनगर से खारवारा
7. ,, खारवारा से मांडसर
8. ,, लाखनसर से रामनगर
9. ,, रामनगर से दामोलाई
10. ,, रामनगर से कृष्णनगर

(3) उपरोक्त सड़कों की स्वीकृति कितनी-कितनी राशि की व किस-किस अधिकारी ने कब-कब दी तथा इन सड़कों की स्वीकृति का औचित्य क्या है ?

(4) उपरोक्त सड़कों को जोड़ने वाले गांव तख्तपुरा, रामनगर व खारवारा की तत्कालीन जनसंख्या क्या थी ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों में से कई सड़कों को सम्बन्धित सरपंचों ने फर्जी रिकार्ड तैयार करके रेकार्ड में ही दिखाई है, मौके पर सड़क का नामोनिशान भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 87-88 में ग्राम पंचायत खारवारा, रानेर मय दामोलाई में जल निकासी के 6 कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मन्त्री)

(2) जी नहीं ।

(3) सड़कों की स्वीकृति 86-87 से 88-89 में नहीं दी गई ।

(4) सड़क कार्य स्वीकृत नहीं किये गये थे ।

(5) सड़कों की स्वीकृति नहीं दी गई थी अतः सरपंचों द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मेवाड़ सहायता समिति का भुगतान प्रकरण

1398. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) एवं **श्री चुन्नीलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ सहायता समिति ने अप्रेल, 1987 से जुलाई 1988 तक चारा वितरण का कार्य राहत के समय किया था ? यदि हां, तो इस अवधि में कितने लाख क्विन्टल चारा वितरित किया गया और उसकी राशि कितनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस समिति द्वारा चारा वितरण में जो परिवहन क्लेम किया गया वह लगभग 2 करोड़ 50 लाख के लगभग का था ? यदि हां, तो क्या इस सम्पूर्ण राशि का भुगतान हो गया है अथवा क्लेम की राशि बकाया है ?

(3) क्या यह सही है कि मेवाड़ सहायता समिति को अभी भी 7.75 लाख रु. का मुगतान करना बकाया है ? यदि हां, तो इस मुगतान को रोकने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या यह सही है कि मेवाड़ सहायता समिति के कार्यों को लेकर कोई ज्ञापन जिला कलक्टर, उदयपुर को अप्रेल, 1988 में प्राप्त हुए थे और डिवीजनल कमिश्नर, उदयपुर ने इस मामले में कोई जांच की ? यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम रहे ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । अप्रेल, 87 से जुलाई,88 की अवधि में मेवाड़ सहायता समिति द्वारा 737592 क्वि. चारा वितरण किया था जिसकी परिवहन क्लेम की राशि 2,43,02 322/- रुपये थी ।

(2) परिवहन क्लेम की राशि 2,43,02,322 रुपये की थी इस राशि में से परिवहन अनुदान की राशि 2,35,73,784 रुपये का मुगतान किया जा चुका है ।

(3) मेवाड़ सहायता समिति का 7,28,538/- रुपये का क्लेम मुगतान हेतु बकाया है । महालेखाकार द्वारा विशेष आडिट अभी नहीं होने के कारण मुगतान बकाया है ।

(4) जी हां । मामले में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा जांच की गई थी । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है निर्णय लिये जाने से पूर्व जिला कलक्टर, उदयपुर से कुछ सूचनायें चाही गई हैं सूच-

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

नायें प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील सिवाना के अकालग्रस्त घोषित गांव

1399. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिवाना तहसील के कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? ग्राम नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिवाना तहसील को पूर्ण अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस आधार पर कितना क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित हुआ ?

उत्तर

(1) सिवाना तहसील के सभी 100 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ग्रामवार सूची परिशिष्ठ–"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पशु जैविक इकाई, जयपुर

1400. **श्री खंगार सिंह** (खारची) एवं **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के स्थापित पशु जैविक इकाई में उप-निदेशक स्तर के विशेषज्ञों, संयुक्त निदेशक के कितने पद स्वीकृत हैं ? इन विशेषज्ञों द्वारा कौन-कौन सी बीमारी के बचाव के टीके किस अवधि तक के बनाये जाते हैं ? इनके निर्माण उत्पादन से लेकर टीका लगाने की अवधि के बीच रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या सामान्य दवाइयों की तरह ही इन टीकों का वितरण किया जाता है ?

उत्तर

(1) जयपुर में स्थापित जैविक उत्पादन प्रयोगशाला हेतु एक संयुक्त निदेशक एवं पांच उप-निदेशक स्तर के विशेषजों के पद स्वीकृत हैं। इन विशेषज्ञों द्वारा पशुओं में गलघोटू, फिडकिया, शीपपोक्स एवं मुर्गियों में रानीखेत फाऊल पोक्स बीमारी से बचाव के टीके 1 से लेकर 2 वर्ष की अवधि के बनाये जाते हैं। टीकों के उत्पादन से लेकर वितरण तक की अवधि के दौरान संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज, वाक-इन-कूलर आदि की समुचित व्यवस्था है।

(2) इन टीकों का वितरण सामान्य दवाइयों की तरह न किया जाकर आवश्यकतानुसार थर्मस/आइस बोक्स इत्यादि में रखकर दूर स्थानों हेतु वाहन आदि के माध्यम से भेजा जाता है।

उच्च स्तरीय अधिकारियों का पदस्थापन

1401. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) एवं **श्री अचलाराम** (देसूरी): क्या

Page No. 55

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुपालन विभाग में कौन-कौन से पद विशेषज्ञों, उप निदेशक के व इससे ऊपर की श्रेणी के स्वीकृत हैं ?

(2) क्या इन विशेषज्ञों को उनके द्वारा सम्पादित विशिष्ट कार्य पर से हटाकर अन्य सम्बन्धित उच्च पदों पर लगाया जाना विभाग के व जनहित में सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जा रहा है ।

(3) क्या सरकार इन अधिकारियों को इनके कार्यरत पदों पर ही पदोन्नत कर विशिष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ? क्या इन विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ पदों पर ही रखा जाना राजकीय हित में होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अधिकारियों को पदोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग में कुल 31 उप-निदेशकों के पदों में से 7 पद विशेषज्ञों तथा 3 संयुक्त निदेशकों में से एक पद विशेषज्ञ के रूप में स्वीकृत हैं ।

(2) जी हां । इसी कारण से राजस्थान पशुपालन सेवा संशोधन नियम में 1991 में संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत उपनिदेशक के पदों को छोड़कर अन्य उच्च पदों के लिये विशेषज्ञ शाखा से अन्य शाखा में पदोन्नत करने का प्रावधान किया गया है ।

(3) उपनिदेशक स्तर तक विशेषज्ञों को उन्हीं की शाखा में पदोन्नत करने का प्रावधान है । इसके उपरान्त वे उच्च पदों के लिए अन्य शाखाओं में जा सकते हैं ।

छत्तरगढ़ में हरिजन छात्रों के लिए छात्रावास

1402. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छत्तरगढ़ में हरिजन छात्रों के छात्रावास के लिए कब और कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा यह भवन किस विभाग द्वारा बनाया गया तथा ठेकेदार कौन था ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपूर्ण छात्रावास भवन को समाज कल्याण विभाग को हैंड ओवर कर दिया है ?

(3) उपरोक्त छात्रावास को कुल कितनी भूमि है और कितने क्षेत्र में चार दीवारी का निर्माण हुआ है ? क्या भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(4) क्या यह भी सही है कि अपूर्ण भवन में न तो लाइट फिटिंग है न पानी का कनेक्शन है और न ही खिड़की आदि के शीशे हैं और छात्रों को इस अपूर्ण भवन में शिफ्ट करने के लिए दबाव दिया जा रहा है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या उचित व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) छत्तरगढ़ में अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन निर्माण को

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

11.50 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 30-6-88 को जारी की गई। भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर कराया गया है।

(2) जी हां।

(3) छात्रावास हेतु 4 बीघा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। चार दीवारी का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, भवन का पूर्णता का प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है।

(4) जी हां।

जी नहीं। बिजली पानी तथा खिड़कियों के शीशे लगवाने की व्यवस्था हो जाने के उपरान्त ही नये भवन में छात्रों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

जालौर जिले में पाकिस्तानी नागरिकों की बसावट

1403. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर), **श्री बालचन्द** (डग) एवं **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जून, 1990 में कुछ पाकिस्तानी नागरिक पलायन कर जालौर में आकर बस गए थे? यदि हां, तो उन परिवारों एवं उनके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ये सभी परिवार अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा अब वापस पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते?

(3) क्या इन शरणार्थियों के जीवन यापन हेतु जिला प्रशासन द्वारा कुछ सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जून, 1990 में कोई पाकिस्तानी नागरिक जालौर जिले में पलायन कर नहीं आये।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 12 तथा 26 मार्च, 1992)

कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित करने के नियम

464. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) **एवं श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने जिला मुख्यालयों पर अपने कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट क्वाटर्स आवंटित करने हेतु कोई नियम बना रखे हैं? यदि हां, तो जिला मुख्यालय जालौर पर इसकी पालना कितने वर्षों से नहीं हो पा रही? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि कर्मचारी महासंघ ने इन नियमों की पालना के लिये

Page No. 57

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

न्यायिक अदालत से अनियमितताओं पर स्थगन जारी करवाते हुए 18-8-1984 से वरीयतानुसार क्वार्टर आवंटन के निर्देश जारी करवाये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य न्यायिक अदालत, जालौर द्वारा जारी इस स्थगन आदेश के विरुद्ध जिलाधीश जालौर की रिवीजन/अपील सैशन जज एवं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है ? यदि हाँ, तो 18-8-1984 के इस स्थगन आदेश के बाद भी जिलाधीश द्वारा आदेशों की अवमानना कर निरन्तर अनियमित रूप से क्वार्टर्स आवंटित किये जाते रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या न्यायालय के आदेशों की अवमानना न हो इसके लिए राज्य सरकार ने कोई यथोचित निर्देश जारी किये हैं और इसके बावजूद भी यह प्रक्रिया जारी है ?

उत्तर

(1) जी हां । चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । आदेशों की अवमानना सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मामला सब-जुडिस (Sub-Judice) होने के कारण कोई टिप्पणी वांछित नहीं है ।

(दिनांक 17 मार्च, 1992)

अतारांकित प्रश्न संख्या 678

(पुनः स्थगित)

(गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1992)

वर्ष 1991–92 में जवाहर रोजगार योजना में खर्च राशि

971. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना का लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष 1991–92 में विभिन्न विभागों में ट्रांसफर कर शाला भवन, सड़कें एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ?

उत्तर

जी हां, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में विभिन्न विभागों को रुपया 20.71 करोड़ हस्तान्तरित कर शाला भवन, सड़कें एवं सामाजिक वानिकी कार्य हाथ में लिये गये । जिलेवार एवं कार्यवार व्यय की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची के लिए परिशिष्ट–9 देखें)

जिला अजमेर अनुसूचित जाति विकास निगम की दुकानें

988. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितनी दुकानों का निर्माण करवाया गया व कितने व्यक्तियों को दुकानों का कब्जा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त दुकानदारों में से कितने व्यक्तियों की दुकान चलाने हेतु कार्यकारी पूंजी उपलब्ध करवाई गई और कुल कितना धन दिया गया ? क्या कुछ व्यक्तियों को कार्यकारी पूंजी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? कितनी दुकानें पूंजी के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सकीं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) बैंकों द्वारा कार्यकारी पूंजी उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में क्या सरकार पूंजी उपलब्ध करवाने की कोई योजना रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा निम्नानुसार दुकानों का निर्माण करवाया गया तथा कब्जा दिया गया ।

	निर्मित दुकानों की सं.	कब्जा दी गई दुकानों की सं.
शहरी क्षेत्र	197	110
ग्रामीण क्षेत्र	198	198

सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिन व्यक्तियों को दुकानों का कब्जा दिया गया उनमें से 34 व्यक्तियों को दुकान चलाने हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई गई है । बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी हेतु कुल 1,23,200 रुपये का भुगतान किया गया है ।

जी हां, कार्यशील पूंजी बैंकों द्वारा सीधे ही प्रार्थियों को आवेदन करने पर उपलब्ध कराई जाती है निगम केवल मात्र उनकी पैरवी करता है, 10 व्यक्तियों को बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं कराई गई है । जिसके कारण उनकी दुकानें पूंजी के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सकीं । उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । प्रार्थियों को कार्यशील पूंजी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सीधे ही प्रदान कराई जाती है जिसके लिए सरकार द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के माध्यम से उनकी ताईद की जाती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था सुन लीजिए.... (व्यवस्था) हरिसिंह जी आप व्यवस्था सुन लीजिए । बाद में बोलते रहना ।.... (व्यवधान)........आप बोल चुके हैं, बैठिए आप । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, प्रो. केदार नाथ, श्री नत्थीसिंह, डा. चन्द्रभान, श्रीमती

(श्री अध्यक्ष)

सुमित्रा सिंह और श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर क्षेत्र में सी. ए. डी. द्वारा बनाये गये पक्के खालों की रकम की वसूली स्थगित करने की कथित घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों में 40 रुपये से 100 रुपये माहवारी वेतन प्राप्त करने वाले दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवर लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा कृषकों के लिए स्वीकृत कुंडों की धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रकाश चन्द बैरवा और श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के पुलिस थाना लालसोट में दर्ज मुकदमा नम्बर 66/92 की जांच पुलिस द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह सभी प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी—

(1) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर पुलिस द्वारा कथित रूप से बाड़मेर जिले के अकाल पीड़ित हरिजन मजदूरों को बिना गुनाह मारपीट कर तबाह करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से पी. एन. बी. अस्पताल बीकानेर में मरीज के साथ कथित बलात्कार करने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा विभाग में अनावश्यक रूप से साढ़े इक्कीस लाख रुपये का आयोडीन क्रिस्टल खरीदने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील के कतिपय गांवों को मोरेल बांध की नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहम्मद माहिर आजाद और 4 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला व तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम ढींगला व कंचनपुरा के काश्तकारों की लगभग 71 बीघा जमीन राज्य सरकार

(श्री अध्यक्ष)

ने 1956 में हवाई अड्डे के लेंडिंग हेतु नाजायज तरीके से कब्जे में लेने तथा उस भूमि का किसानों का मुआवजा नहीं देने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सेण्टपाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर में वर्ष 1989 की वार्षिक एवं पूरक परीक्षाओं के अनुत्तीर्ण छात्रों को अनैतिक तरीके से उत्तीर्ण घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना विश्वकर्मा जयपुर में दर्ज मुकदमा नम्बर–105/91 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही करने व इसकी जांच सी. आई. डी. से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर स्थित ब्रह्मपुरी तथा मालवीय नगर के नालों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई उपखण्ड कानोता के सहायक अभियन्ता के तूंगा सीमेण्ट स्टोर में हुई चोरी में कथित हाथ होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नोखा में कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावल जोगी समाज को रिजर्वेशन में नहीं लेने से उनके व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(7) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रानीवाड़ा दूध की डेयरी में गन्दा पानी इकट्ठा होने, मच्छरों की भरमार व मलेरिया फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री खंगार सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा कथित एक हजार बेनामी आवासीय भूखण्ड के पट्टे जारी करने की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीय नगर थाना, जयपुर के थानाधिकारी, प्रभारी व उप निरीक्षक द्वारा कच्ची शराब का धन्धा करने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने वाले व्यक्तियों की पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन के गन्दे नाले की सफाई नहीं होने से प्रदूषण व बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रकाशचन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से फागी में स्वीकृत पीपला तल सिंचाई योजना के कार्य को चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में अकाल सहायता के तहत सुरह घाटा फीडर व देवाता फीडर के अधूरे कार्य को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

व्यवस्था

श्री रमजान खां, राज्यमन्त्री तथा श्री चतुर्भुज वर्मा, सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव

श्री हरिसिंह, सदस्य व पांच अन्य ने प्रक्रिया नियमों के नियम 119 व 120 के अन्तर्गत श्री रमजान खां, भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री तथा श्री चतुर्भुज वर्मा, सहकारिता मन्त्री, राज्य सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव की सूचना दिनांक 10 मार्च, 1992 को प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 आदेश संख्या-9 दिनांक 23-10-91 को प्रतिस्थापित किया गया जो 25 अक्टूबर को प्रभाव में आ गया और जो मौजूदा विधान सभा सत्र में राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 (1992 का विधेयक संख्या–1) के रूप में अधिनियम का रूप भी ले चुका है। इस अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार जो संशोधन 1965 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 34 का मूल नियम की धारा 34 में 7-ख में जो सशोधन किया गया वह नीचे उद्धृत है :—

"(17–ख) कोई भी व्यक्ति, किसी समिति का सदस्य और संसद या किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और यदि पहले ही संसद या किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का सदस्य बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संसद या राज्य विधान मण्डल की अपनी सीट से या यथास्थिति, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति में धारित करता है, त्याग-पत्र नहीं दे देता।"

इस नोटिस में राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) के अध्यादेश को जारी करने के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख भी किया गया है।

सूचना में कहा गया है कि एक ओर जहां राज्य सरकार ने ऐसे अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है, वहीं खेद है कि सरकार के राज्य मन्त्री श्री रमजान खां आज तक केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, उनके कथनानुसार इस संशोधन के द्वारा 14 दिन के बाद स्वतः वे इस पद पर नहीं रह जाते हैं। प्रस्तावक का यह भी कहना है कि सारे पद के दुरुपयोग में इनके साथ सहकारिता मन्त्री श्री चतुर्भुज वर्मा भी सम्मिलित हैं।

(श्री अध्यक्ष)

इस सूचना के अन्त में कहा गया है कि उनके इस कृत्य से संविधान का घोर उल्लंघन हुआ है, अतः प्रस्तावक यह प्रस्ताव करते हैं कि, "यह सदन इनके इस आचरण की निन्दा करता है और राय व्यक्त करता है कि इनको मंत्रिपरिषद् से बर्खास्त किया जाये ।"

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 से 123 तक के प्रावधान सुसंगत व प्रासंगिक हैं। नियम 119 में व्यवस्था है कि संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

नियम 121 में ऐसे प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें उल्लिखित हैं । इसी प्रकार नियम 122 में व्यवस्था है कि अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करेगा :—

"अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो ।"

इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम संसदीय प्रक्रिया तथा व्यवहार नामक पुस्तक का विवेच्य प्रकरण में जो अंश उल्लेख किया जाना प्रासंगिक एवं सुसंगत है, उसके अनुसार एक निन्दा प्रस्ताव, जो मन्त्री परिषद् से किसी मन्त्री को बर्खास्त करने के सम्बन्ध में मांग करता हो, वह अग्राह्य है, चूंकि मन्त्रिपरिषद् राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है । प्रकारान्तर से जिसका तात्पर्य यह है कि एक अथवा दो मंत्रियों के प्रति निन्दा प्रस्ताव लाने का इस आशय का प्रस्ताव, जैसा माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, यथा....

"यह सदन उनके इस आचरण की निन्दा करता है और राय व्यक्त करता है कि इनको मन्त्रिपरिषद् से बर्खास्त किया जाये ।"

मन्त्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होने के कारण प्रस्ताव पूर्ण मन्त्रिपरिषद् के खिलाफ माना जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव प्रक्रिया नियमों के नियम 132 के तहत उठाया जा सकता है ।

उक्त पुस्तिका में मुख्य प्रस्ताव (Substantive Motion) के सन्दर्भ में उल्लेख किया है कि ऐसे प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक होता है कि ऐसा प्रस्ताव पूर्ण स्वतन्त्र प्रस्थापना है, जो सभा अनुमोदन के लिए उसके सामने रखा जाता है और उसका प्रारूप इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वह सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति कर सके ।

उपरोक्त उल्लेख की दृष्टि से यह प्रस्ताव, मुख्य प्रस्ताव की परिभाषा में नहीं आता है, चूंकि मन्त्रिपरिषद् से एक अथवा दो मन्त्रियों को बर्खास्त करने की मांग

(श्री अध्यक्ष)

की गई है, जिस पर सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति, ऊपर के पैरा में किये गये उल्लेख की दृष्टि में नहीं हो सकती।

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन विभाग द्वारा उनके अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अजमेर के पद पर कार्य करने के सम्बन्ध में विधि विभाग से सम्पति चाही गई थी और तत्सन्दर्भ में शासन सचिव, विधि विभाग, जो प्रशासनिक प्रमुख हैं, और जो विभागीय वैधिक प्रकरणों में अपनी राय विभिन्न शासन सचिवों को देते हैं उन्होंने लिखित में 12–3–92 को राय दी जो अविकल रूप से नीचे उद्धृत है :—

"The question is whether in view of the provisions contained in sub–clause (7–B) in question, a person, who was a M. L. A. and also a member of the Co-operetive Committee before the Ordinance No. 9 of 1991 came into force on 25-10-1991 can continue to hold both the offices. It is no doubt true that the sub-clause in its mandatory form provides that no person can continue to hold both the offices, but this provision does not specifically provide for those cases where a particular person was holding both the offices before the Ordinance came into force. Such a person had acquired a particular right under the law. This right could not be snatched away from him except under their express provisions of law. The clause (7–B) in question does not warrant the snatching away of such a right, especilly in a case where a person was holding both the Offices before the Ordinance was published.

Sd/–
(J. P. Bansal)
12-3-92
Law Secretary

विधि सचिव स्तर के एक राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा इस प्रकार की लिखित राय दिये जाने पर ऐसी राय को मंत्री द्वारा सही मानना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है।

इस प्रकरण को दूसरे पहलू से जांचने पर एक प्रश्न जो उपस्थित होता है वह यह भी है कि अध्यक्ष के कृत्यों में किसी भी मन्त्रिपरिषद् की वैधानिकता के प्रश्न को अथवा किसी एक मन्त्री की नियुक्ति अथवा उसका मन्त्री पद पर बने रहना वैधानिक है अथवा नहीं इस पर निर्वचन करने की अधिकारिता अध्यक्ष नहीं रखता है। इस सम्बन्ध में सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक, "संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार (1991–चौथा संस्करण)" के निम्न अंश से सहज समर्थन प्राप्त किया जा सकता है :—

"It is not for the Speaker to give his rulings on legal issues or

(श्री अध्यक्ष)

to pronounce on the legality of a Ministry. In this connection, Speaker Reddy observed :

"If a controversy arises as to whether a Ministry is 'legal' or not, the proper forum to settle the matter is the Court. But the House is not helpless for even if the Court upholds the appointment of the Chief Minister and the Other ministers, the House can vote them out of office if it Wants. The Speaker does not come into the picture at all, and if he takes upon himself to pronounce on the legality of the Ministry and precludes the House from expressing its views in the matter, he is arrogating to himself the functions of the House and the Courts. Not only that, if the Speaker just does not allow the House to function, he is, in effect, releasing the Ministry from its obligations and responsibility to the House."

सार संक्षेप यह है कि इस प्रकरण में इस सीमा तक किया गया यह प्रस्ताव कि, "यह सदन माननीय मन्त्रीगण रमजान खां एवं चतुर्भुज वर्मा के आचरण की निन्दा करता है और राय व्यक्त करता है कि इनको मन्त्रिपरिषद् से बर्खास्त किया जावे" उपरोक्त कारणों से अग्राह्य है, क्योंकि इसमें प्रस्ताव के माध्यम से सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति की गुंजाइश नहीं है और दो माननीय मन्त्रीगण को कथित आचरण के कारण बर्खास्त करने के प्रस्ताव के माध्यम से उठायी गई मांग इसलिए अग्राह्य है कि पूर्ण मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति जिम्मेदार है।

जहां तक इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के पश्चात् सदस्य श्री हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 24-3-92 का प्रश्न है इस पत्र में माननीय सदस्य ने मांग की है कि इस पत्र को भी उनके पूर्व के प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जावे। मेरी राय में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि जो मूल प्रस्ताव है उसमें कथित इतिहास का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सम्बन्धित मन्त्री महोदय को उनका उत्तर देने का अवसर भी नहीं मिला। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए दिनांक 10 मार्च, 1992 को माननीय सदस्यगण सर्वश्री हरिसिंह एवं 5 अन्य द्वारा प्रक्रिया के नियम 119 एवं 120 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे अस्वीकार किया जाता है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : ऑन ए. पाईट आफ आर्डर....(व्यवधान)....

श्री जगमाल सिंह यादव : ऑन ए पाईट आफ आर्डर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोलेंगे तो सब बोल लेंगे....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, हमने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : पहले हमने उठाया है, अध्यक्ष महोदय....व्यवधान का प्रश्न ही हमने उठाया है....

डॉ. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में काहे का व्यवस्था का प्रश्न है ?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष जी, आपने जो व्यवस्था दी है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के बारे में निवेदन करने की कोई परम्परा नहीं है इसलिए मैं इजाजत देने में असमर्थ हूं....

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरा निवेदन तो सुनें....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, फिर क्या सुन लूं....

डा. हरिसिंह : व्यवस्था के बारे में....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के बारे में, मैं कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कुछ बिन्दु छूट गये हैं उनके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : जो बिन्दु छूट गये हैं उनके बारे में आप मुझ से अन्दर बात करलें....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने फैसला सदन में सुनाया है सदन में ही कह देते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस व्यवस्था के बारे में अभी कुछ भी सुनना नियम, प्रक्रिया, परम्परा में नहीं है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : परम्परा में तो है श्रीमान्... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद कुछ भी....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो बिन्दु रह गये हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी, जो रह गये हैं उनकी बात भी अलग से होगी, अब नहीं होगी । मैंने जो व्यवस्था दे दी है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट आप सुन तो लें, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मैं क्या सुनूं जो प्रश्न मेरे सामने नहीं है, जिसको मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है उसके बारे में क्या सुनूं । अब आप मेरे सामने नए रूप से कोई बात कहेंगे तो सुनूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नये रूप में ही कह देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यहां नहीं, उसकी भी कोई प्रक्रिया है। यहां खड़े होकर आप नये रूप की बात से मेरी व्यवस्था की आलोचना करेंगे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आलोचना नहीं है, आप पहले सुन तो लें।

डा. हरिसिंह : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है....

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं एलाऊ नहीं करता....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें....

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी, आप बहुत सीनियर हैं। मैं समझता हूं इस हाउस की परम्पराओं को आप मेरे से ज्यादा समझते हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको याद दिलाता हूं जब माननीय मुख्य मंत्रीजी विपक्ष के नेता थे अध्यक्ष रूलिंग देते थे उसके बाद आधे घंटे तक व्यवस्थाओं के बारे में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा कभी नहीं हुआ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती नहीं दी कभी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप चुनौती नहीं देते थे लेकिन धीरे से सरका देते थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं धीरे से सरकाने नहीं दूंगा मैं जागरूक हूं। आपको बता दी बात। धीरे से सरकाने की इजाजत नहीं होगी (व्यवधान)...श्री जगमाल सिंहजी, आप क्या बोल रहे हैं....उनका सुन लीजिये पहले आपकी आवाज मेरे से भी बुलन्द है, बोलिए....

डा. हरिसिंह : क्या आसन....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से एक महिना पहले मैंने मण्डल आयोग और सामाजिक न्याय पर आपको एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : जो अनियमितताएं हुई हैं....

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमको दिक्कत यह है....

डा. हरिसिंह : और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, आप दो मिनट सुनना नहीं चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हम यह व्यवस्था आपसे हाउस में चाहते हैं....

डा. हरिसिंह : इस मामले में सरकार ने...

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह जी का नोट किया जाए, और किसी का नोट न किया जाए....

डा. हरिसिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे खेद है कि जब हम कोई प्रश्न हाउस में लाते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश होते हैं कि मुझ से चेम्बर में मिल लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने से लगातार हम आपसे एक महीने से कह रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय; मुझे खेद के साथ मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपने सामाजिक न्याय जैसे प्रश्न को भी मार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था जो कुछ हुई है या तो कल का आखिरी दिन है आपसे निवेदन है कि मण्डल आयोग और सामाजिक न्याय पर बहस आज कराई जाए इससे ज्यादा इम्पार्टेन्ट कोई मसला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपने बात कह दी, अब श्री सम्पतसिंह जी कहना चाहते हैं....

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां कुत्ते और बिल्ली मरने के मोशन तो लग जाते हैं लेकिन इस हिन्दुस्तान के 85 फीसदी लोगों की तकदीर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह जी की सुनें आप।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आक्रोश है और हमारे अधिकार आपके पास सुरक्षित हैं। इसीलिए मैं यह व्यवस्था चाहता हूं यहां पर मण्डल आयोग पर आज ही बहस कराई जाए....

श्री अध्यक्ष : सम्पतसिंह जी, बोलिए.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कानून का उल्लंघन कर 6 महीने तक काम करते रहे, इसके बारे में हम निवेदन करना चाहें तो आप नहीं करने देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज, एक बार बिराजिये। जब आप इसी पर इनसिस्ट कर रहे हैं, मैं अपनी इस व्यवस्था में कह चुका हूं। आपका एक व्यू है और ला सैक्रेटरी, ला डिपार्टमेंट ने....

श्री सुरेन्द्र व्यास : गलत राय दी है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिए।

एक दूसरी राय दी है। लेकिन यह मेरी और आप सब की मान्यता है कि सामान्यतया सरकार के मन्त्री और सरकार को विधि के सम्बन्ध में उनका विधि मन्त्रालय जो राय देता है उसके अनुसार वे काम करते हैं। जब माननीय सदस्य को ला सैक्रेटरी ने यह कहा कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे आपको हटना पड़े। इस गुडफेथ में यदि उन्होंने काम किया है तो आपका यह इण्टरप्रिटेशन है कि यह इण्टरप्रिटेशन ठीक नहीं है। इन दोनों इण्टरप्रिटेशंस में से कौनसा ठीक है यह निर्णय करने का अधिकार केवल कोर्ट को है मुझे नहीं मैं कानून का इण्टरप्रिटेशन नहीं कर सकता, मैं केवल रूल्स का इन्टरप्रिटेशन कर सकता है। यदि कानून में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं तो उसका निर्णय काम्पीटैण्ट कोर्ट करेगा कि ला सैक्रेटरी की राय सही है कि माननीय सदस्यों की राय सही है। परन्तु जहां तक मन्त्री के आचरण का सवाल है; उसने गुडफेथ में अपने विधि विभाग की राय के अनुसार काम किया है

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए इस पर कोई मैलाफाइड इण्टेंशन नहीं लगाया जा सकता या उन्होंने विधि-सम्मत बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता । इतना स्पष्ट करने के बाद अब इस सम्बन्ध में और कोई प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री हेतराम जी, क्या बोल रहे हैं आप ?....(व्यवधान)

केवल श्री हेतराम जी का नोट हो ।....(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये । बताइये आपका क्या है पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन ?

डा. हरिसिंह : रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि आपने ला सैक्रेटरी की राय बतायी, वह कब आयी और किसने वह राय ली ? आपने मंगायी या सरकार ने....?

श्री अध्यक्ष : ला सैक्रेटरी की राय मुझे मंत्रीजी ने अपने जवाब के साथ दी है कि मुझे ला सैक्रेटरी ने यह राय दी है, इसलिए मैंने यह काम किया ।

डा. हरिसिंह : कौन-सी तारीख को ?

श्री अध्यक्ष : अब यह तारीख आप हाउस में पूछेंगे ?

डा. हरिसिंह : बड़ा इम्पार्टेण्ट है । काम पहले हो गया और राय अब दी जा रही है । राय पहले ली थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें मैं फाइल देखकर बता सकता हूं....(व्यवधान)....वह तो इसमें कोट की हुई है, कोट की है....

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : पाइण्ट आफ आर्डर, सर ।

इस तरह हर बात का जवाब जिस पर आप रूलिंग दे चुके, क्या उस पर हर पूरक प्रश्न का जवाब देंगे यहां पर ?

डा. हरिसिंह : अनादर पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री अध्यक्ष : अब डा. हरिसिंह, आप अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, आप रूल्स में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, आप सम्पूर्ण मर्यादाओं को हाथ में ले रहे हैं ।

You are speaking against the rules. You have no right whatsoever to challenge my ruling. It is final and now I won't allow a single word on this. Please take your seat.

डा. हरिसिंह : I have got the right.

श्री अध्यक्ष : Please take your seat. I won't allow a single word on this ruling, nothing whatsoever. On other point I may allow you, let your turn come.

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

डा. हरिसिंह : I have....

श्री अध्यक्ष : You have no right. It is the turn of Mr. Sampat Singh. I have called him. Let him speak first. When your turn comes. I will allow you, but not on this point. On other account, if you want.

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च को मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये प्रोवोकेशन दे रहे हैं, कैलाश जी मेघवाल। नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। मन्त्री महोदय, इस तरह कण्ट्रोल नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये सीधे बात करने का अधिकार कैसे रखते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये कौन होते हैं इस तरह से बात करने वाले ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। मंत्रीगण आपकी रूलिंग के बाद माननीय सदस्यों को एब्यूजिंग लैंग्वेज में बोलें, यह क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रोवोक नहीं करेंगे। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कोई प्रोवोक नहीं करें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 5 मार्च को मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाय और केन्द्र सरकार को हमारी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या राय दी जाय, इस पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण चाहा था। सत्र करीब-करीब पूरा होने को है। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न काल में यह कहा था कि 10 तारीख को प्रधान मंत्रीजी के साथ दूसरे मुख्यमन्त्रियों और हमारे मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। इस सदन की राय भी आ जाती कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे. वहां। इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आपकी क्या व्यवस्था है ? पहले भी हमने निवेदन किया है और अब कल का दिन आखरी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। डा. चन्द्रभान उसी पर बोल रहे हैं या किसी दूसरे विषय पर बोलेंगे ?

डा. चन्द्रभान : मैं किसानों के सम्बन्ध में बोल रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है इस सम्बन्ध में।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इसी संबंध में मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप बिराजिये। बोल रहे हैं, एक एक बोल रहे हैं सब यही तो बोल रहे है। डा. चन्द्रभान यही तो बोल रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मैंने प्रश्न काल के समय में भी यही आपके माध्यम से निवेदन

(डा. चन्द्रभान)

करना चाहा था लेकिन वह हल्ले में आपको सुनायी नहीं दिया ।

10 तारीख को जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलायी है, उस मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्रीजी जायेंगे । इस सदन की इस सम्बन्ध में क्या राय है और राजस्थान की सरकार क्या राय रखती है ? राजस्थान में मण्डल कमीशन को लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बस इतना स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी ! मैं एक-एक को बुला रहा हूं । श्री हेतराम जी, बहुत देर से खड़े हुए बैठ रहे हैं, ये कई बार खड़े होकर बैठ गये, बैठ गये खड़े हुए । इनको बोलने दीजिए । श्री हेतराम जी, बोलिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया था राजस्थान सरकार की 1990 की घोषणा के अनुसार, जो खाले सी. ए. डी. ने राजस्थान कैनाल या दूसरे स्थानों में बनाये हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी वसूली स्थगित कर दी गयी है । यह भी उन्होंने ऐलान किया कि इस बारे में किश्तें माफ करने के बारे में बात करेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले मण्डल कमीशन ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं मण्डल कमीशन पर बहस नहीं कर रहा हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह बहस नहीं, हमारे विचार सुनिये आप ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यदि आप इसको मण्डल कमीशन की बहस के रूप में यूज करेंगे तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर पर बुला दूंगा, पहले इनको पूरा करने दीजिए । मण्डल कमीशन पर इनका काल अटैंशन था ।

श्री हरिसिंह : हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हुए हैं मण्डल कमीशन पर ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपने काल अटैंशन पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मण्डल कमीशन पर भाषण नहीं हो रहे हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह करोड़ों आदमियों से सम्बन्धित है, इस तरह से नहीं दबाया जा सकता । अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दबाया जा सकता ।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, बिराजिये । बैठिये, दो मिनट बैठिये ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में आज करीब एक महीना हो गया हमें ।

श्री अध्यक्ष : आसन जब पैरों पर हो तब आप बैठेंगे नहीं ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : आसन की हमने एक महीने तक इज्जत की है ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय श्री सम्पत-

(श्री अध्यक्ष)

राम जी से निवेदन करूंगा कि अपने नेता को समझायें कि कानून-कायदा रखें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि मैंने एक महीने तक इज्जत की है आपकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पत राम जी, कानून-कायदा तो रखें, जोश तो बहुत आ रहा है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : आपके कहने से एक महीने तक इज्जत की है मैंने।

श्री अध्यक्ष : विराजिये-विराजिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नहीं, अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महीने तक आपकी इज्जत की है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप, एक मिनट विराजिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : हमने पांच तारीख को प्रस्ताव दिया, हमने पांच बार आपसे निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : विराजिये तो सही। आप नोट मत करिये। डोण्ट राइट।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : अभी भी मैं देख रहा हूं। मैंने बन्द थोड़े ही कर दिया है देखना। कल एक दिन और बाकी है। अभी भी देख रहा हूं मैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ×××

(व्यवधान)

(12.30 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।....(व्यवधान)।

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12.33 बजे पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित हुई।]

पुनः समवेत होने पर

(12.50 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए और स्थगित की जाती है।

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12.50 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई]

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(पुनः समवेत होने पर)

(1.21 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी। मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहां मण्डल आयोग के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई उसमें थोड़ी उत्तेजना भी पैदा हुई और उसके कारण हाउस को दो बार एडजोर्न भी करना पड़ा। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 10 तारीख को इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में विशेष तौर से इस प्रश्न पर चर्चा होगी। जहां तक पिछड़े, गरीब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको किसी न किसी प्रकार से सुविधा दी जाय, उनको इस बात का अवसर दिया जाय कि वह भी अपने पिछड़ेपन से किसी प्रकार से मुक्त हो सकें। उसमें मैं समझता हूं कि सदन का कोई सदस्य इसके विरोध में विचार नहीं रखता हो। जहां तक मण्डल कमीशन का प्रश्न है, मण्डल कमीशन की सारी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोकी हुई है और मैं इस पर साफ तौर से नहीं कह सकता लेकिन कुछ राज्यों ने जहां इसको लागू किया वहां के हाईकोर्टस ने इस सम्बन्ध में या तो अपने निर्णय दिये हैं या हाईकोर्टस के सामने यह मामला विचाराधीन है। जहां पर लागू किया गया वहां कई जगह स्टे-आर्डर्स भी हैं। ऐसी स्थिति में मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा यह प्रश्न गम्भीर है और पिछले एक-दो वर्ष से इस पर गंभीरता से चिन्तन हो रहा है। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न आता है हम सामाजिक और आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े हैं उन लोगों को किस प्रकार से सहायता दी जाय इसके पक्ष में हैं और इसी आधार पर परसों की बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा। परसों की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने सारनाथ में अपना इस तरह का प्रस्ताव पास किया है और जनता दल (डी) ने भी इसी प्रकार की मान्यता प्रकट की है। बाकी के दल भी इसके पक्ष में हैं। मैं समझता हूं इसमें दलगत राजनीति नहीं आये तो निश्चित रूप से जिनका हम उत्थान करना चाहते हैं उनको उत्थान मिलेगा और निश्चित रूप से उनकी सहायता कर पायेंगे। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, 10 तारीख को बैठक होगी उसके समाचार आप सबकी जानकारी में अपने आप आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी। एक मिनट, बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रिविलेज मोशन है।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर बाद में विचार करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा निवेदन सुन लें। आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, वो तो जब मैं मूव करने के लिए कहूंगा तब मूव करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं मूव नहीं कर रहा, अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार की दो

Page No. 73

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मंत्रियों के बीच यहां पर मार-पीट की नौबत आ गई....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कोई मार-पीट नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : वो तो आपने प्रिविलेज दे दिया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह बड़ा गम्भीर विषय है । राजस्थान विधान सभा के इतिहास में श्रीमन्, ऐसा कभी नहीं हुआ ।

श्री डूंगरराम पंवार : हमारे आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : विधिवत् कायदे से उसकी जांच करूंगा आपने जो प्रिविलेज दिया है । बैठिये आप । श्री मदनलाल सैनी ।

श्री हरिदेव जोशी : (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि कोई चीज, कोई प्रश्न, कोई मुद्दा हल नहीं हुआ तो हल हो जायेगा । उसमें मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर जो बात बताई कि हमारे कोई मतभेद नहीं है । मैं यहां आज आपके सामने इसलिए खड़ा हुआ हूं कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और हमारे यहां अर्से तक विरोधी पक्ष में रहे और आज मुख्य मंत्री हैं इनके नेतृत्व में यह सरकार चल रही है उसने जो शो आज किया है उसने हमारा सिर नीचे कर दिया है । हम गौरव से कहते थे कि राजस्थान विधान सभा में हम लोग मिल करके बात करके फैसले करते हैं और कोई मुद्दा ऐसा रह गया जिसका समाधान नहीं हो सका तो बात-चीत के जरिये करेंगे । मुख्य मन्त्री जी हमारी इस सौहार्द्रता का चारों तरफ बखान करते रहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं आपने एक ऐसा शब्द नहीं कहा इस बारे में कि आज सारी चीजें दरगुजर क्यों कर रहे हैं ? यह क्या स्थिति है, हम समझना चाहते हैं और हमारा अधिकार है यह समझने का । आप अपना शासन चलायें, किसको मिनिस्टर रखें, किसको मिनिस्टर नहीं रखें, यह आपकी मर्जी की बात है । कौन रहे, किसका अधिकार, कैसा क्या है, यह भी गौण है । मगर क्या इसका ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए कि आप और हम कैसा दिखें ? जनता हमको किस रूप में देखें ? यह आज मैं कह रहा हूं यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है । दुनिया आज कहती है एक एम.एल.ए. को, एक-दूसरे को वह सही कहती है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर कहीं भी, कोई भी लम्बी-चौड़ी कानून कायदा देखने की बात नही है । यह तो आपकी और हमारी आंखों के सामने हुआ है । इसमें हमको बोलना नहीं चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मेरी उपस्थिति नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप सदन के पार्ट हैं सर ।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी नहीं होगी, आपके प्रतिनिधि की होगी । आपसे मेरा मतलब चेयर से है । आपने भी सुन लिया होगा । अध्यक्ष महोदय, आपने सुना क्या है, क्या हुआ था यहां पर ?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दीजिये फिर मैं अपनी बात कह दूंगा ।

श्री हरिदेव जोशी : आप अपनी बात

Page No. 74

(श्री हरिदेव जोशी)

कहें उसके पहले मैं आपको अपनी बात तो सुनाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो अभी सबको सुनना है इसलिए सबको सुन करके अपनी बात कहूंगा । एक बात को सुनकर मैं नहीं कह सकता । सबको सुन लूंगा फिर अपनी बात कहूंगा ।

श्री हरिदेव जोशी : आज अगर पूरे अपोजिशन को एक मानकर चलते हैं तो आपकी मर्जी की बात है मगर आप जो वेदना व्यक्त करते हैं कि मिनिस्टर प्रश्नकाल के अन्दर हाजिर नहीं होवे, अपनी मांग आ जाय तब भी देर से उपस्थित होवे । इन सब चीजों को आप कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे ? यह तो कांच का गिलास टूट गया है, इस टूटे हुए गिलास को लेकर लेमेन्स रेस चलती रहेगी । आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोग्नीजेंस लेना चाहिए था और जब आप सदन में नहीं थे और आपकी एब्सेंस में हुआ तो और भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है । मुख्य मंत्रीजी खड़े हुए, उन्होंने जैसे कोई बात ही नहीं हुई है इस तरह से भोलेपन से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो भोला ही हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : भोले ही हैं । भोलेपन से जो बात कर रहे थे वह मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप इस सरकार को चला रहे हैं, जो लोग चला रहे हैं मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर आपस में लड़ें-मरें । आप क्या करना चाहते हैं ? एक प्रश्न के ऊपर एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को बोलने नहीं देवें इसके मायने क्या है, यह तो अति हो गई है । It has crossed all the limits.

इसलिए जो प्रस्ताव हमने रखा है उसको स्वीकार करके उस पर अभी चर्चा करवायें तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, आपको पिछले दिनों बड़ी चिन्ता रही है कि सदन में गरिमा बनी रहे और आज जो दृश्य हम सबके सामने हुआ है वह राजस्थान विधान सभा में सबसे ज्यादा + + + समय था, + + दिन था और वह भी सत्ता पक्ष की ओर से बोलने नहीं दे, + + + करें, + + + करें और फिर यह चाहा जाय इस प्रदेश में लोकतंत्र जीवित रहेगा ? यह हमारा सर्वोपरि सदन है और यहां पर विपक्ष की बात तो छोड़ें सत्ता पक्ष में खुद मन्त्री आपस में लड़ रहे हैं । एक मंत्री जो पिछड़े वर्ग के कोई बात कहना चाहते हैं उनको जबर्दस्ती + + + करके बैठना चाहते हैं और यह सारा हुआ है इसलिए सदन की गरिमा रहे । राजस्थान विधान सभा के सम्बन्ध में अभी पिछले दिनों बहस का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि उन्हें बड़ा गर्व और गौरव है कि राजस्थान की विधान सभा एक ऐसी विधान सभा रही है जिसका सारे देश में अनुपम स्थान रहा है । कहीं झगड़े होते हैं, कहीं और तरह की व्यथाएं और कथाएं होती हैं लेकिन राजस्थान में गौरव रहा है । आज मुझे कहते हुए खेद

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री नत्थी सिंह)

है कि आज सत्ता पक्ष ने उसी राजस्थान की विधान सभा के गौरवमयी इतिहास पर + + + लगाया है और इसीलिए हमने जो प्रस्ताव रखा है प्रिविलेज का, उस पर तत्काल आप विचार करें ताकि इसका परिमार्जन हो सके, परिष्कार हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसे आगे और नहीं टालना चाहिए।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन बोलने की आवश्यकता पड़ गई। मैं यह समझता हूं कि जो कुछ भी यह हुआ थोड़ी देर पहले, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया। यह सदन के नेता हैं और नेता सत्ता पक्ष के नहीं, हमारे भी नेता हैं। मण्डल कमीशन का मुद्दा एक बुनियादी मुद्दा था। सारे माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे, आप दिल्ली पधार रहे हैं, आप वहां विचार-विमर्श करेंगे, आप किस ख्याल को लेकर के वहां जा रहे हैं, यह बात कहना चाहते थे। मैं व्यक्तिशः जानता हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, गरीब, पिछड़े हुए दूसरे लोग हैं उनके दिल में उनके लिए बड़ी गुंजाइश है और मैं कभी-कभी कहा करता था कि भैरोंसिहजी बाई लक एण्ड चांस बीजेपी में हैं लेकिन खयालात से इनके दूसरे ख्याल हैं। यदि स्वयं भैरोंसिह जी दखलंदाजी करते और जो बात अभी आपने फरमाई, यह बात उसी वक्त फरमा देते तो यह अनहोनी घटना सदन में देखने को नहीं मिलती। मुझे तो यही कहना है कि सत्ता दल का नेतृत्व ठीक तरीके से कन्ट्रोल करें और सदन में इस प्रकार की पुनरावृत्ति आगे नहीं हो, ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में....

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट और विधान सभाओं के कन्वेन्शन यह रहे हैं कि जब विशेषाधिकारों का हनन सदन के समक्ष हो तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है। मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति ने बाधा उपस्थित की, पन्ने फेंक दिये या सदन में नारे लगवा दिये, तत्काल उसे गिरफ्तार किया जाता है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उस पर निर्णय दिया जाता है। आपके सामने अव्यवस्था फैलाते हैं तो प्रथम आप उनको नाम से सम्बोधित करते हैं और अगर ऐसा वह नहीं मानते तो उसके बाद में उनको सदन से बहिर्गमन करने को कहा जाता है। यहां पर जो कुछ भी घटनायें हुई वह सदन के समक्ष हुई हैं, उसमें कोई किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है और हालत यह बनी कि इस सदन का पौन घण्टे का कीमती समय इसमें गया। अब आप उसकी कीमत लगायें तो यह कितना होता है। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य कर सकते थे। इसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं, जो कोई भी दण्ड आप, सदन ठीक उचित समझें, वह उन दोनों को प्रदान करें। और इसमें कोई साक्ष्य लेने की जरूरत हो कानून में बहुत गहराई से, जैसे

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

साधारण अन्य माननीय सदस्यों के साथ व्यवहार किया जाता है, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, यहां पर वह सदन के साधारण सदस्य के बराबर हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, आज आपकी उपस्थिति न सही, पर उपाध्यक्षजी की उपस्थिति थी और जिस तरह से हाथापाई हाउस में हुई है, मैं समझता हूं इसके लिए भी हम अगर विचार करें कि इसमें कोई साक्ष्य लेंगे, इसको देखेंगे, इसके बाद तय करेंगे, यह तो बड़ी अजीब बात है। सब के सामने हुई है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहाँ थे, दूसरे मंत्री महोदय तो छुड़ा रहे थे उनको और वह आपस में गुत्थमगुत्था हो रहे थे, +++ दे रहे थे आपस में एक–दूसरे को और चार–पांच मंत्री एक को घेर कर नीचे बैठा रहे थे, हमने उठते-बैठते देखा है। ऐसी स्थिति में जो आपके सामने हमने निवेदन किया है, मैं यह समझता हूं कि जो परम्परा और वास्तव में आज से पहले दिन ही जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सारे देश की जो विधान सभाएं हैं उनमें जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए राजस्थान में जो परम्परा अच्छी परम्परा कायम रही है, आज वह खुद सत्ता पक्ष की तरफ से टूटी है। अगर कोई विरोधी पक्ष के लोग, जिनकी बात नहीं सुनी जाय, ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई चीज नहीं सुनी जाय, वह लड़े तो बात जंचती है। पर ऐसे लोग, जिनके हाथ में सत्ता है, जो हुकूमत चला रहे हैं और उनमें से एक–दूसरे के बोलने पर झगड़ा हो जाय कि एक आदमी, कोई एक मंत्री कुछ बात कहना चाहे और दूसरा झगड़ा करे तो निश्चित तौर से आपको इस पर फैसला करना चाहिए।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन जनता दल का विभाजन राजस्थान में हुआ और विभाजन में हमारा नया दल जनता दल (दिग्विजय-सिंह) के नाम से अलग होकर के और सरकार का समर्थन हमने दिया, उस दिन भी हमारी पूरी पार्टी का यह मुद्दा था कि हम इस इश्यू पर सरकार से या माननीय भैरोंसिहजी से कोई भी, हमें कहना चाहिए कि समझौता नहीं करेंगे, हम यह मांग अपनी रखेंगे और रखते रहेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मण्डल कमीशन वाली।

श्री जगत सिंह दायमा : मण्डल कमीशन। लोकतंत्र में अगर यह बात कही जाती है, लोकतंत्र में मतभेद भी हो सकते हैं और मतभेद भी हो सकते हैं परन्तु मैं ऐसा नहीं मानता कि माननीय भैरोंसिहजी पिछड़ों के समर्थक नहीं हैं और उनका भला नहीं चाहते। मैं मानता हूं कि वह पिछड़ों का भला चाहते हैं और आगे भी लाना चाहते हैं और मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। मुद्दा यह था कि एक माननीय सदस्य कुछ मामला उठा रहे थे और मेरे मित्र, मेरे सहयोगी भाई ने उस बीच में कुछ टोका-टाकी शुरू की और मैं यह कह रहा था कि आप भी पिछड़े हैं,

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगतसिंह दायमा),

मैं भी पिछड़ा हूं, जो मामला उठ रहा है उनको सुनें तो सही हम। इस मामले पर हमारी आपस में थोड़ी-बहुत कहा-सुनी हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : हाथापाई।

एक माननीय सदस्य : गलत–गलत।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हाथापाई हमारे अन्दर नहीं हुई और न मैं इसके पक्ष में हूं कि हाथापाई हो इस चीज के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सदन + + + है मतलब। यह सारा सदन + + + है, चेयर + + + है, क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य, आपने देखा क्या हाथापाई.....।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके सामने हुई है ! (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप सुनिये तो सही।

श्री हरि सिंह : सच्चाई यह है, जब आप अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो आपको बल प्रयोग करके अपनी बात कहने से रोका गया।

श्री जगत सिंह दायमा : आप पूरी बात तो सुनिये। मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र का एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा है इस बात का कि मन्त्री मण्डल में बैठे हुए भी कुछ बात पर मतभेद हो सकते हैं तथा वह मतभेद अगर मेरे अन्दर और भाई इसके अन्दर हैं कोई, तो मैंने तो अपना यह दर्ज कराया है कि मैं तो मण्डल आयोग के पक्ष में हूं कि यह लागू हो, इसीलिए, और कोई बात नहीं। मेरी पार्टी के नेता हैं वह भी यह चाहते थे और हमारे अन्दर न कोई इसमें पार्टी के साथ में माननीय भैरोंसिहजी के समर्थन में पूरी तरह से अपना पक्ष मैं जाहिर करता हूं और इनके साथ हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार की भावना व्यक्त की है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए और राजस्थान विधान सभा का इतिहास रहा है कि हम बहुत ही सौहार्द्र के वातावरण में इस विधान सभा का संचालन करते हैं। मैंने आज के दो–तीन दिन पूर्व ही यह बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके नजर लग गई और यहां नजर लगाने वाले बहुत बैठे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके पीछे हैं कई, कई उधर भी बैठे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया है। लेकिन यह सही है कि नजर लगाने वाले बैठे हैं। वह नजर लगाने वाले कामयाब हो गये, उनकी कामयाबी और उनकी सफलता के लिए तो उनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, मैं खुद भी चाहता हूं और जोशीजी की भावना के साथ अपने आपको जोड़ता हूं कि सदन में इस प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस सदन में पहले भी कई बार इस प्रकार की उत्तेजना पैदा हुई है, पहले भी आपस में वाद-विवाद हुए हैं और उस वाद-विवाद के कारण कोई सदन की इतनी मर्यादा भंग हो गई कि उसके कारण से हम सदन की कार्यवाही स्थगित करें या सदन में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न यहां उपस्थित करें, ऐसी स्थिति नहीं है। एक मेम्बर चाह रहे थे कि बोलो और दूसरे कह रहे थे कि इसमें मत बोलो। अब एक दूसरे को बैठाना करना यह तो सदन में कई बार होता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं उस समय भी जाकर कहते हैं कि बहुत क्वेश्चन पूछ लिये, अध्यक्ष की व्यवस्था हो गयी अब दुबारा इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोनों सदस्यों ने जिस प्रकार की मेरे सामने अपनी भावना प्रकट की है कि न तो हमने किसी को + + + निकाली और न मैंने सुनी.... ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सारे सदन ने सुनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला साहब आपकी तो एक विचित्र स्थिति है। आप अच्छी बात तो सुनते ही नहीं और + + + सुनते हैं, मेरे बस की बात नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सारे सदन ने सुनी है। ऐसा सीन तो दस बारह साल में मैंने देखा ही नहीं कि मंत्री आपस में लड़ रहे थे; + + + कर रहे थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई + + + नहीं हुई मेरे दोनों कान साफ हैं। खुले हुए हैं। मैंने गाली नहीं सुनी।

श्री रामकरण सिंह : रामायण की चौपाई गाई जा रही थी।

श्री दिग्विजय सिंह : कल्ला साहब आप भूल गये क्या आपने वह सीन भी देखा है जब आपके मंत्री के आपके हो सदस्य ने थप्पड़ मारा था.... ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप असत्य बोल रहे हैं और राजेन्द्र सिंह जी वहां नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या आज सीन क्रियेट होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : असत्य नहीं बोल रहे हैं वह रेकार्ड में है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है मैं उसको एप्रीशियेट नहीं करता। वह अच्छा भी नहीं है। नहीं होना चाहिए और उसको एक उदाहरण के रूप में कोई यह समझे कि जो हुआ है भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो इसको भी मैं उचित नहीं समझता। जो भी हुआ है वह भविष्य में नहीं हो इस प्रकार की हम भी व्यवस्था करेंगे और मैं समझता हूं कि सदन में इसका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जोशी जी से मैं निवेदन

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करूंगा कि जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपने रखा है उसको तो आप समाप्त कीजिए और आगे के विषय पर जो चर्चा होनी है उसे करें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई इस बात का शौक नहीं है कि अनावश्यक रूप से सदन का समय खराब कराऊं मगर मैं यह कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अपोजीशन की ओर से कभी ऐसा हुआ था कि जिसके कारण से हाउस को एडजर्न करना पड़ा हो? आपने मांग की थी मुख्य मंत्री जी···।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वेल में आ गये थे इस कारण से हुआ। इनके कारण से हाउस स्थगित नहीं हुआ। यहां वेल में आ गये और नारे लगाये इसके कारण से एडजर्न हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चेयर ने एक बार हाउस को एडजर्न किया। दूसरी बार फिर एडजोर्नमेंट अनाउन्स हुआ। इस दरमियान के अन्दर किसने क्या बात की–हमारे से तो कोई बात नहीं की आपने। क्या हम इस योग्य भी नहीं हैं कि आप इस प्रकार का सीन क्रियेट करें और हम मजे से बैठे बैठे देखा करें इसको? यह है क्या आपकी इच्छा? आप जिस समय झगड़ा हो रहा था उस समय भी नहीं बोले। आपने जाकर कोई समझौता या दोनों के बीच में मतभेद थे उनको दूर करने की भी कोई बात नहीं की और इस सदन को भी विश्वास में नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, जब तक इसका फैसला साफ नहीं हो जाता है यह सदन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। दो दिन हमको और बैठा लीजिएगा और काम करवा लीजिएगा पूरा। मगर मेहरबानी करके अखबारों में सुर्खियों में मत दिलवाइये कि राजस्थान विधान सभा के अन्दर इस प्रकार से हाथापाई हुई और हाथापाई मिनिस्टरों के बीच में····।

श्री अमृतलाल परमार : नहीं हुई।···· (व्यवधान)····

श्री हरिदेव जोशी : तो आपका लक्ष्य क्या है? कुलड़ी में गुड़ फोड़ने का? यह हमारा अधिकार है इस मसले के ऊपर आप लोगों के बीच में जो भी चर्चा हुई हो स्पीकर और मुख्य मंत्री के बीच में वह हमारे प्रति जवाबदेह हैं, सदन के प्रति जवाबदेह हैं यह बतायें कि उन्होंने क्या किया? आप इस सदन को पोकेटमनी के तौर से यूज करना चाहते हैं? क्या तरीका अपनाना चाहते हैं? आपकी कठिनाइयों को मैं समझता हूं परन्तु इस सदन को आप ऐसा बना दें कि जिसके ऊपर लोग हंसे और थू थू करें। ऐसे हम तटस्थ दर्शक की तरह से नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा अधिकार है आपने क्या बात की यह बतायें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी का यह कहना कि सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती यह कितना उनको व्यक्तिशः शोभा देता है खुद ही विचार कर लें।····

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उन्होंने यह कहा कि दो दिन और बैठ सकते हैं····

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह यह कह रहे हैं कि सदन नहीं चलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने बीसियों बार कहा है पूर्व में। मैं साक्षी हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार-बार यह कहा जाये कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और उस सदन की कार्यवाही चलाने में....।

श्री हरिदेव जोशी : ट्विस्ट करने की आदत है इनकी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी ने कहा कि दो दिन सदन की कार्यवाही पूरी करने के लिए और बैठ जायें लेकिन आपको इस बात को स्पष्ट करना होगा। सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने का चैलेन्ज नहीं है। यह आप जब तक इसको स्पष्ट नहीं करें तब तक के लिए बात कही गई है। सदन की कार्यवाही के लिए तो साफ-साफ कहा है कि दो दिन और बैठ जायेंगे।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहें कि आज की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और दो दिन और चला लीजिए यही मतलब है ना आपका ?

डा. चन्द्रभान : ऐसे माहोल में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माहोलतो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का माहोल बना उसमें सत्ता पक्ष का कन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्या ?

अनेक माननीय सदस्य : बिलकुल सत्ता पक्ष का कन्ट्रीब्यूशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने तो दीजिए। जोशी जी बोल रहे थे मैं नहीं बोला था। यह तो क्वेश्चन पोज कर रहे थे फिर भी मैं नहीं बोला। मैं क्वेश्चन पोज नहीं कर रहा हूं और आप खड़े हो रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जिस प्रकार का वातावरण बना उसमें एक बार वाकआउट हो गया। वाकआउट होकर माननीय सदस्य वापिस आ गये। फिर बाद में प्रश्न आया कि सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी और इतना ही कहकर अगर चुप हो जाते तो शायद सदन की कार्यवाही चल सकती थी लेकिन यहां वेल में आ गये और वेल में जाकर नारेबाजी करने लग गए तो आप यह समझते हैं क्या कि वेल में सदस्य खड़े हों वहां सदन की कार्यवाही चल सकती है ? सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।....

एक माननीय सदस्य : जरूर चलाइये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए। यों तो उस समय भी चली थी जिस समय गवर्नर साहब के हाथ से कागज छीने थे, उस समय भी चली थी। यह भी परम्परा आपने डाली है जो कि आज तक किसी ने हिन्दुस्तान में कहीं नहीं डाली। यहां गवर्नर का माइक भी आपने छीना था। वह भी हमें मालूम है। तो इसलिए आप ज्यादा परम्पराओं की बात मत करो। जो गवर्नर के साथ मिसविहेव कर सकते हैं उनको दूसरों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप छोड़िये कि इस हाउस में किस प्रकार की परम्परायें रही हैं। ठीक है कई बार उत्तेजना के वातावरण बनते हैं। कई बार सदस्यों को उत्तेजना आ जाती है। आज का ही नहीं मुझे तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई बरसों का इस सदन का अनुभव रहा है। मैंने कई मंत्रियों को भी लड़ते देखा है, आपस में विधायकों को भी लड़ते देखा है। कई बार हाउस में उत्तेजना आ जाती है, इसको मैं मना नहीं करता और उस उत्तेजना के शब्दों में कोई कुछ कहे तो उसको आप गाली-गलोच कहें, हाथापाई कहें। न गाली-गलोच हुआ न हाथापाई हुई। अब इस प्रश्न को लेकर आप यह कहें कि आपने आपने अध्यक्ष जी से क्या बात की तो मैंने अध्यक्ष जी से हाउस एडजर्न करने के बाद कोई बात नहीं की। हमने आपस में कोई सलाह नहीं की और आप यह समझें कि गुप चुप करके समझौता करके आये हैं तो जोशी जी मैं इतना ही बता दूं कि कोई समझौता नहीं किया। मैंने केवल इतना सा कहलवाया था कि अगर माननीय सदस्य मण्डल आयोग के सम्बन्ध में कुछ सुनना चाहें तो मैं अपनी तरफ से वक्तव्य दे सकता हूं। वह वक्तव्य मैंने दे दिया। यहां परम्पराओं की बात करेंगे कि सदन में इस प्रकार की परम्परायें थीं जो परम्परायें केवल कांग्रेस पार्टी ने ही रखी हों और बाकी के लोगों ने कोई परम्परायें नहीं रखीं। सब ने मिलकर परम्पराओं को बनाया है। राजस्थान का इतिहास बनाने में कोई न तो सत्ता पक्ष पार्टी और न विपक्ष अलग-अलग हैं बल्कि सबने इस प्रकार की परम्परायें बनाई हैं और राजस्थान का इतिहास बनाया है और सारे जगत में इस बात को रखा है कि हम सौहार्द्र से विधान सभा चला सकते हैं। मैं तो पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हम उसी प्रकार का सौहार्द्र रखें। किसी प्रकार का दोनों मंत्रियों में आपस में विवाद हो गया था। उनमें भी न तो कोई गाली-गलोच हुआ और अब उसे कह रहे हैं कि हाथापाई हो गयी तो कहां हाथापाई हो गई ?....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब के सामने हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता कि कम से कम आप बाहर जाकर यह कहते कि हाथापाई हो गयी थी.... तो मैं समझता हूं कि आप कुछ कह सकते थे लेकिन इस पवित्र सदन में आप इस प्रकार की गलत बात कह दें, जो हुई ही नहीं और उसको आप कहते जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता.... (व्यवधान)....यह उचित नहीं होगा.... (व्यवधान)....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि उन्होंने आपसे आकर बात भी नहीं की, यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है।

श्री हरिदेव जोशी : जब चेयर ने हाऊस एडजोर्न किया तो क्या कारण पैदा हुए, जब मुख्य मन्त्रीजी यहां बैठे हुए थे, कुछ ही नहीं कहा उन्होंने, आपको भी कुछ नहीं कहा, बुलाकर उन लोगों से भी बात नहीं की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर ली मैंने उनसे।

श्री हरिदेव जोशी : आपने बताया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने दोनों से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात कर ली, बाकी के सदस्यों से बात कर ली और बात क्या करता मैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप यहां बैठे थे और यह वाकया हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बैठा था मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और शांतिपूर्वक बैठे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल, शांतिपूर्वक बैठा था। कोई उत्तेजना मेरे में नहीं थी। बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा था.... (व्यवधान)....

श्री हरिदेव जोशी : आप कहते हैं कि झगड़ा नहीं था, विवाद नहीं था, तब तो सब-कुछ चेयर की ओर से ही किया गया। यही कह रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कभी नहीं कहा मैंने। जब आपके आदमी बीच में आ गये, उसके कारण से हुआ।

डॉ. चन्द्रभान : यह बिल्कुल गलत है.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : रोक लेते तो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अधिकारों का हनन कर रहे थे मन्त्री का, हम आगे आये थे....(व्यवधान)....हमने पहले आपको देखा। जब आप बीच-बचाव नहीं करने गये तो हम को जाना पड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुश्किल तो अध्यक्ष महोदय, यह है कि मण्डल कमीशन के मामले में कांग्रेस बैठी हुई है। आज मण्डल कमीशन के पक्ष में होते तो जैसे नत्थी सिंह जी ने वाक आउट किया कांग्रेस ने वाक आउट क्यों नहीं किया। यह बिल्कुल बटी हुई है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : जिस दिन प्रधानमन्त्रीजी ने नीति निर्धारित की कांग्रेस ने मण्डल कमीशन की शर्तें स्वीकार कर ली....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इसलिए अब आपस में इस मामले को निपटाना चाहते हैं। करिये वाक आउट, मण्डल कमीशन लागू किया जाय, वाक आउट तो करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे प्रधान मन्त्री जी की जो नीति है हम उसका समर्थन करते हैं। हमने साफ कहा है यहाँ पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रधानमन्त्रीजी की नीति इनके खिलाफ है क्या।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसके खिलाफ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो बैठे हैं नत्थीसिंहजी हैं, आपने....

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रधानमन्त्रीजी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनसे हाँ भर ली कि हम वाक आउट करेंगे और बाद में धोखा देकर यहीं बैठे रहे....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल गलत है।

श्री नत्थी सिंह : हमने किसी से सलाह नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो बड़ी हिम्मत का काम किया लेकिन आपके साथ विश्वासघात कर गये यह लोग।

श्री नत्थी सिंह : कोई विश्वासघात नहीं है। विश्वासघात तो आप भी हमारे साथ कर गये हो, वह क्या करेंगे (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो दुनिया जानती है किसने किसके साथ विश्वासघात किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विपक्ष के नेता महोदय, आप नेता महोदय की बात में नहीं आयें। यह इस बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। डाइवर्ट करना चाहते हैं, इनकी बात में नहीं आयें आप (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : हमेशा जब यह ट्विस्ट करते हैं, एक गम्भीर सवाल है कि हाऊस में कार्यवाही नहीं चल सके, यह स्थिति पैदा हो जाय और स्पीकर अथवा चेयर हाऊस को एडजोर्न कर दे और लीडर ऑफ दी रूलिंग पार्टी स्पीकार से बात भी नहीं करे। आप बात भी नहीं करें, यह यह स्थिति पैदा हो गयी अब। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन-सी ? बस यही शिकायत है न कि मैंने इनसे बात नहीं की। और तो नहीं है न कोई ....(व्यवधान)....यही शिकायत है तो मैं अभी बात कर लूं....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रयत्न करना चाहते हो क्या आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन के नेता हंसी में बात को टालना चाह रहे हैं.... (व्यवधान)....फिर आप हंसी में टाल रहे हैं। सदन के नेता हैं आप, आपको कम से कम बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। आप यह कहते हैं कि मैंने दोनों मन्त्रियों को डांटा है कि इस तरह का व्यवहार वे नहीं करें और आइन्दा शालीन व्यवहार करें, तो यह समझ में आने वाली बात थी। आपने यह कुछ कहा नहीं और बात को बिल्कुल डाइवर्ट करना चाहते हैं, डाइल्यूट करके आप बात को हंसी में उड़ाना चाहते हैं (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, विपक्ष के नेता यहां नहीं थे। माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी ने यहां चुनौती दी और चुनौती देकर कहा, आपको मालूम ही नहीं, बताया ही नहीं गया, यह चुनौती दी कि हम सब लोग यहां हाऊस नहीं चलने देंगे। इशारा किया फिर आप लोग यहाँ आ गये उसके बाद में आप फिर इधर आ गये। यह बराबर चुनौती देते रहे ....(व्यवधान)....

श्री ईश्वरलाल सैनी : हम इसलिए आये, मुख्य मन्त्री जी ने बीच-बचाव नहीं किया, हमें आना था। एक मन्त्री जी के अधिकारों का हनन कर रहे थे।

एक माननीय सदस्य : हमें तो आपने ही भेजा था।

Page No. 84

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो आपको नहीं भेजती। मैं तो कह रही थी कि मन्त्री महोदय ने चैलेंज कब दे दिया ? आप बात क्यों बनाते हैं। फिर मुख्य मन्त्री जी बोल लिये, कोई बात ही नहीं थी। आपको मिस गाइड किया गया है, माननीय जोशी जी, आपको मिस गाइड किया गया है और उसी आधार पर आप बोल रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना गम्भीर है और इसको हंसी-मजाक में उड़ाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने इस आसन से बहुत सही परम्पराओं को जन्म दिया है और एक दिन तो यहाँ तक हुआ कि एक बहुत सीनियर मन्त्री हैं, श्री गंगाराम चौधरी, उनसे आपने 3 बार माफी सिर्फ इसलिए मंगवाई कि वह सदन में मौजूद नहीं थे....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे उकसाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी बात कहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : और अध्यक्ष महोदय, चेयर के सामने हाथापाई हो, मारपीट हो और उस पर इस प्रकार बहस की जाय....

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बिराजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : माफी तक माँगने की बात नहीं की जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, प्लीज। ऐसा है, मैं समझता हूं कि काफी चर्चा हो गयी है।

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक निवेदन था कि आपने हाऊस एडजोर्न किया। एडजोर्न करने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह फर्ज था कि आपके चैम्बर में जाकर के बात करते, अपोजिशन लीडर और ग्रुप लीडर को बुलाकर क्या कारण था एडजार्नमेण्ट का ? यह परम्परा तो आपने निभाई नहीं, मुख्य मन्त्री जी, हमेशा यह परम्परा हुआ करती थी ताकि यह डिस्कशन नहीं होता, यह पौन घण्टे का डिस्कशन नहीं होता अगर चैम्बर में बैठकर बात हो जाती, सैटल हो जाता तो कोई झगड़ा नहीं था कि हम इतनी चर्चा करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय के पास तो जाने की आवश्यकता जब थी कि जब इस सम्बन्ध में इन 2 के विवाद को लेकर ही हाऊस एडजोर्न होता। हाऊस एडजोर्न हुआ है कांग्रेस के बैल में आकर माननीय सदस्यों ने नारे लगाये उसके कारण से....(व्यवधान)....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत :यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके सामने झगड़ा हुआ, यह आसन छोड़ गये थे।

डॉ. चन्द्रभान : इस झगड़े के कारण हाऊस एडजोर्न हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मामला तो इनसिग्निफिकेण्ट है। यह तो बीच में आकर यहाँ नारेबाजी करें....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशीजी, एक मिनट मुझे मौका दीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

बहुत अच्छी बात है कि हाऊस में हंसी-खुशी के साथ चर्चा हो रही है लेकिन जो मुद्दा उठा है, मैं अध्यक्ष हूं और इस आसन पर बैठा हूं और मैं जानता हूं कि सदन की मर्यादा को रखना मेरी प्रथम जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य कुछ भी करें, तो घूम-फिरकर के आसन पर ही सारा आक्रमण होता है लेकिन वह तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी स्थिति में सदन की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए। इसमें कोई दो-राय नहीं है। आप सब लोग बोले, मगर यह किसी ने नहीं कहा कि सदन की गरिमा किन्हीं परिस्थितियों में गिर जाय तो टोलरेट किया जाय, यह किसी ने नहीं कहा। सम्पूर्ण हाऊस इस बात में एक मत है कि विवाद होते हैं, कई बातों को लेकर हल्ला-गुल्ला भी होता है लेकिन अंततोगत्वा सदन की गरिमा रहे। ऐसा कोई दृश्य उपस्थित नहीं हो कि जिनसे सदन की गरिमा गिरे। आप बोलते हैं, उत्तेजना से भी बोल सकते हैं, किसी को बैठने की बात हो तो बैठाया भी जा सकता है। हाथ पकड़कर भी बैठाया जा सकता है, समझाकर भी बैठाया जा सकता है। रोज होता है, तो इसमें मैं समझता हूं यह इस प्रकार से परम्परा-सी है कि इसको हाऊस की गरिमा गिरना नहीं माना जाता। यह रोज की प्रक्रिया की बात है लेकिन कभी भी सदन में हाऊस में यह लगे कि कुछ ऐसी बात हुई है कि जिससे सदन की गरिमा पर आंच आयी है तो उसके लिए मेरे पास 2 विकल्प हैं, इस नियम में।

एक विकल्प तो यह है कि इस सम्बन्ध में जो प्रिविलेज मोशन आया है उस पर मैं जाँच करूं और जाँच कर के अपनी सम्मति दूं।

(2.00 म. प)

और दूसरा विकल्प यह है कि सम्बन्धित माननीय सदस्य खड़े हो करके खेद प्रकट कर दें। मैं समझता हूं उसमें बड़प्पन बढ़ता है कि हमारी वजह से यदि हाऊस की मर्यादा गिरी है, वह चाहें तो मैं सबकी तरफ से खेद प्रकट कर सकता हूं यदि वह खेद प्रकट कर दें तो मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिये। इस प्रकार की रूलिंग है। इसलिये मैं सम्बन्धित महानुभावों से कहूंगा, वे इसमें अपना बड़प्पन बतायें। कोई बताने की जरूरत नहीं है; उनकी वजह से यदि हाउस को ऐसा लगा है कि हाउस की गरिमा में ठेस है तो वह खेद प्रकट कर दें।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी वजह से हाउस की गरिमा को कोई ठेस लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय दोनों सदस्यों के बारे में आपने निर्णय दिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के वैल में आ करके जिन्होंने नारेबाजी की है, क्या उनको खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब आप। देखिये, ऐसा है, मैंने इसीलिये बहुत बात स्पष्ट शब्दों में कही है और मैं समझता हूं उसमें हाउस के वैल में आना नियम विरुद्ध

Page No. 86

(श्री अध्यक्ष)

है। हाउस के वैल में आ करके नारे लगाना भी नियम विरुद्ध है। लेकिन परम्परा से कई बार यह बात आप टालरेट कर जाते हैं। पूरा सदन टालरेट कर लेता है। एडजोर्न करके ही उसमें क्षमा मांग लेता है (व्यवधान) मेरी बात सुनिये, इसको इश्यू नहीं बनाया जाता। एक मेरी बात सुनिये, इसको इश्यू नहीं बनाया गया है। जब कभी भी कोई भी माननीय सदस्य नाराज होकर वैल में आते हैं, बैठते हैं तो ऐसा कभी इश्यू नहीं बनाया कि उसको सदन की गरिमा का इश्यू बनाया जाय और प्रजातंत्र में सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की बातों को एक परम्परागत मान लिया गया है कि हमारे यहां जो प्रजातंत्र काम कर रहा है उसमें एक यह बहुत अच्छा पक्ष नहीं है, यह कोई प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सदन इतना संवेदनशील नहीं होता कि उसको अपनी गरिमा पर आंच मान ले। इसलिये मैं सामान्य रूप से कहता हूं बाकी तो सदन की कार्यवाही में एक माननीय सदस्य बाधा खड़ी करें वह भी अनुचित है। उचित तो वह भी नहीं है। जैसे आज कई माननीय सदस्यों ने, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, खड़े होकर यह कहा कि हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। यह कहा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप नाम लीजिये, सब मालूम हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं कई माननीय सदस्य कह रहा हूं, सबका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है और मैं किसी बात को भड़काना नहीं चाहता। इसलिये नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम हाउस को चलने नहीं देना चाहते। यह भी कोई अच्छी परम्परा नहीं है। एक सदस्य को यह अधिकार सदन ने या सदन के नियमों की किसी प्रक्रिया में नहीं दिया गया है कि पूरे सदन को एक सदस्य खड़ा होकर यह कह दे। परन्तु उसके लिये दूसरे अधिकार हैं मुझे। यदि मैं देखूं कि भई, वह मानते ही नहीं हैं तो उनको बाहर भेजा जा सकता है, जबर्दस्ती भेजा जा सकता है।

There are other powers.

मगर उसके लिये अवमानना जैसी बात नहीं आती और अधिकार हैं, लेकिन अवमानना जैसी बात नहीं आती। अवमानना जैसी बात तो तब आती है कि जो हमारे सदन की गरिमा को गिराने वाली बात या दृश्य उपस्थित किया जाय। इसलिये मैं यह समझता हूं इसको समाप्त किया जाय, माननीय सदस्य बोल दें एक मिनट में।.... (व्यवधान) अब आप प्लीज, अब इसको do not explain it. अब आप फालतू बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं सदन का नेता हूं और सदन में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये पहले एक बार। प्लीज हियर हिम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : नेता तो हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं ना। सदन में जिस प्रकार की बात हुई है....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गलती आपने नहीं की, माफी आप नहीं मांगेंगे। हम समझ गये आपका इरादा क्या है। आप वापस इस बात को डाइल्यूट करना चाहते हैं। हम आपसे माफी मंगवा कर.... (व्यवधान).......

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। कोई बात भी सुन लीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप माफी मत मांगो।

श्री अध्यक्ष : कोई बात भी सुन लें आप। इनकी बात तो पूरी होने दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, सुन ली उनकी बात।

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी, यह भी अनुचित है कि किसी की बात को पूरा नहीं होने दिया जाता है। यह भी अनुचित है। उचित यह भी नहीं है। अब आप सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं तो फिर व्यवहार वैसा ही करिये गरिमापूर्ण ताकि उसमें कुछ गम्भीरता आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनकी तरफ से माफी नहीं मांग रहा।........ (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये पहले बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन तो लीजिये। आपने सदन का नेता माना है और उसमें कई प्रकार की बातें भी मेरे सम्बन्ध में कही हैं। यह तो दोनों अपनी तरफ से खेद प्रकट करेंगे लेकिन जो वैल में आ गये, नारेबाजी की, अध्यक्ष को यह कहा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं।

एक माननीय सदस्य : नहीं अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से माफी मांगी है। बैठिये। तो क्या हो गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे दी....

श्री अध्यक्ष : अब आप प्लीज, प्लीज। बोलिये, बोलिये माननीय सदस्य। प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, जब आसन से यह व्यवस्था दी थी कि आज इस तरह....

श्री अध्यक्ष : आप तो दो शब्दों में बात कह दीजिये, भूमिका मत बनाइये।

श्री डूंगरराम पंवार : फिर भी माननीय सदस्य बोल रहे थे, इस पर जब माननीय चौमूं से आने वाले श्री रामेश्वर दयाल जी बोल रहे थे। तब मैंने कहा कि कोई काल अटेंशन दीजिये, इस पर तो चर्चा करने की अनुमति नहीं है और मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के मैं विरोध में नहीं हूं और न ही ऐसी मेरी मंशा है। लेकिन विचार अपने-अपने अलग होते हैं आपस में। माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि भाई आप मत बोलो। मैंने कहा, मैं बोल

(श्री डूंगरराम पंवार)

रहा हूं, कोई गलत नहीं कह रहा हूं। इसलिये मुझे बैठा रहे थे, इनको बैठा रहे थे। कोई हमारी कहा सुनी ऐसी नहीं हुई, कोई हाथ पाई वाली बात, तोड़ मरोड़ कर कहना, यह बात गलत है। कोई हाथापाई नहीं हुई, गाली-गलौच नहीं हुआ। फिर भी अगर....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : क्या हुआ ?

श्री डूंगरराम पंवार : कुछ नहीं हुआ, हम बैठ गये। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि भाई, सदन की गरिमा को कोई ठेस पहुंचाऊं। फिर भी मेरे तेज बोलने से, आवाज तो मेरी तेज है ही, तेज बोलने से फिर भी कोई ऐसी बात आयी है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोई मेरी मंशा नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा महसूस हो कि सदन की गरिमा को ठेस आयी तो मैं इसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। धन्यवाद। मैं समझता हूं, अब आगे कार्यवाही चालू की जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक और है, साहब।

श्री अध्यक्ष : जगतसिंह जी बोल चुके हैं ना पहले। जगतसिंह जी, आपको बोलना है ? बोल चुके यह तो। जगतसिंह जी बोल चुके। अब चलिये, श्री मदनलाल सैनी।.... (व्यवधान) प्लीज, अब आप चलने दीजिये। अब आप हाउस चलने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी। प्लीज।

With folded hands I request you please sit down.

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आन ए. पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज, बैठिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनका नाम पुकार लिया है। आप विराजिये। मैं जवाब देता हूं।

There is no point of order because no busiriers is being taken.

इसलिये कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैंने उनका नाम पुकार लिया। उनको समाप्त करने दीजिये फिर आपको जो कहना है, रोज होता है, मैं आपको पूछ लूंगा। हां तो बोलने दें। बोलें, चलिये। आप पढ़िये।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सेंट पाल विद्यालय, अजमेर द्वारा अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण घोषित करने बावत

श्री मदनलाल सैनी : राजस्थान

(श्री मदनलाल सैनी)

विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान सेन्ट पाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर 1989 की वार्षिक एवं पूरक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों को अनैतिक तरीके से उत्तीर्ण घोषित करने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया आवाज नहीं करें । आपस में बात नहीं करें ।

श्री मदनलाल सैनी : मान्यवर, सेन्ट पाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय है । इस विद्यालय में केवल छात्र ही पढ़ते हैं । कक्षा 6 से 9 तक की परीक्षाए घरेलू परीक्षाएं ही होती हैं । परीक्षा पेपर भी स्थानीय अध्यापक बनाते हैं तथा उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का कार्य भी स्थानीय अध्यापक करते हैं । उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है और तदनुरूप निर्धारित तिथि पर उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है । जिसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है । ताकि कोई कभी शिकायत परीक्षा परिणाम में अनियमितता बरतने की प्राप्त हो तो जांच की जा सके । मान्यवर, इस विद्यालय द्वारा वर्ष 1989 में कक्षा 6 से 9 तक घरेलू परीक्षाएं ली गयीं जिसका परीक्षा परिणाम घोषित किया । घोषित परीक्षा परिणाम की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर को भेजी गयी । परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् श्री राजेश नारंग कालाबाग अजमेर की शिकायत पर सेन्ट पाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की दिनांक 12-7-89 को जांच करने के लिये श्री उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी अजमेर (जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर कार्यालय से) को नियुक्त किया गया । दोनों जांच अधिकारियों ने विद्यालय के परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की जांच की । जांच पर पाया कि—

(2-10 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(1) कक्षा 9 से 7 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के विभिन्न विषयों में अंक बहुत कम थे जिसके अनुसार वे उत्तीर्ण घोषित नहीं किये जा सकते थे, किन्तु परीक्षा परिणाम पत्रक में अधिक अंक चढ़ाकर उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया ।

(2) एक छात्र के अंक बदलकर उत्तीर्ण घोषित किया गया जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण था ।

(3) चार छात्र ऐसे पाये गये जो तीन विषयों में अनुत्तीर्ण थे जिन्हें अक बदलकर उत्तीर्ण घोषित किया गया ।

(4) एक छात्र एक विषय तथा एक दो विषयों में अनुत्तीर्ण थे जिनके भी नम्बर बढ़ाकर उत्तीर्ण घोषित किया गया ।

मान्यवर, पूरक परीक्षा सन् 1989 में कक्षा 9 के 19 विद्यार्थी ऐसे पाये गये जिनके परीक्षा परिणामों को बदलकर उन्हें

(श्री मदन लाल सैनी)

अनुत्तीर्ण होते हुए भी उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसमें ऐसे छात्र भी थे जिनके 3 से 36, 6 से 36 और 10 से 36 बढ़ाकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जो गलत था। कक्षा 6, 7, 8 कक्षा के 21 विद्यार्थी पाये गये जो अनुत्तीर्ण थे जिनके अंक बढ़ाकर उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसमें से दो छात्र ऐसे भी हैं जिनको "0" (शून्य) अंक प्राप्त हुआ जिसका अंक बढ़ाकर 36 कर दिये और इस आधार शून्य वाले को उत्तीर्ण घोषित कर दिया। मान्यवर, देखने योग्य बात यह है कि ऐसे अनुत्तीर्ण छात्र जिनके अंक बढ़ाकर उत्तीर्ण घोषित किया गया की अंक बढ़ाकर उत्तीर्ण घोषित करने की बात कभी खुल न जाये इस डर से ऐसे छात्रों को डरा धमका कर सेन्ट पाल सी. उ. मा. विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने पर बाध्य किया गया। इस कारण 24 विद्यार्थियों ने स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लिये। गड़बड़ तो 47 छात्रों के विषय में पायी गई और इन 47 में से 24 को जबरन स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने को बाध्य किया गया। यह भी हो सकता है कि उत्तीर्ण घोषित करने की यह शर्त ही लगायी गयी हो, जिसकी पालना के अन्तर्गत यह किया गया हो।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह संस्थान इतना प्रभावी है कि जिला शिक्षा अधिकारी जिसने इस सारे काण्ड की जांच कर सही स्थिति सामने लाने का प्रयास किया, उनका स्थानान्तरण करवाकर ही दम लिया। जांच रिपोर्ट जुलाई 25 को और स्थानांतरण 10 अगस्त को हो गया। श्रीमान् प्रभावशाली ये लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं यह एक नमूना है। इस प्रकार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कर क्या अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करते होंगे। क्या यह व्यवसाय नहीं है? क्या इससे शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा? क्या दूषित, अनैतिक, भ्रष्टाचारयुक्त कारनामों की जांच करने वाले शिक्षा अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरेगा। क्या ऐसे कारनामें करने वाले लोगों का प्रोत्साहन नहीं बढ़ेगा?

मैं मान्यवर आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर जानना चाहता हूं कि क्या वे उक्त विद्यालय जिसके प्रभाव के कारण 25 जुलाई, 1989 को जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में बन्द पड़ी को निकलवाकर शिक्षा क्षेत्र के अपराधियों एवं विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाकर विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं से वंचित करेंगे और मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने वाले अधिकारी को प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम।

थाना विश्वकर्मा, जयपुर में मृतक रामजीलाल के हत्यारों की गिरफ्तारी

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 7-6-91 को मुकदमा नम्बर 105/91 धारा 302 आई. पी. सी. थाना विश्वकर्मा जयपुर शहर

Page No. 91

(श्री किशनाराम)

मृतक श्री रामजीलाल उर्फ राजू की लाश थाना विश्वकर्मा में बरामद करें तफतीश शुरू की व दिनांक 9-6-91 को मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नम्बर 654/91 एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर में करवाया जिसमें मृतक के साथ संगीन 27 चोटें पत्थरों से कनपटी पर प्राण लेवा अभियुक्त महेन्द्र ग्रोवर (पंजाबी) व उनके गिरोह द्वारा की गई व मार कर लाश को छोड़ गये। महोदय, उक्त अभियुक्त ने एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र नम्बर 725/91 के अन्तर्गत धारा 438 सी. आर. पी. सी. में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर शहर को पेश की जिसमें अभियुक्त को दोषी (गम्भीर) मानते हुए दिनांक 24-6-91 को खारिज कर दी जिसकी प्रति आदेश संलग्न है। अभियुक्त आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है व इसके खिलाफ करीब 14 मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसमें दो मुकदमे दफा 302 व 34 आई. पी. सी. के हैं। अभियुक्त हत्या का अपराधी है, यह बात उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है व गवाहान को धमकी देते हैं, खुले आम घूमते हैं। इनसे गवाहान व उनके परिवारजनों को खतरा भी बना हुआ है। वह फिर हत्या जैसा अपराध कर सकते हैं, यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो। वे मुकदमों के सबूत भी नष्ट कर रहे हैं जिससे कि ये लोग बच सकें। सम्बन्धित पुलिस अधिकारी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं व उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसकी जानकारी पुलिस के किसी उच्च अधिकारी को दी जा चुकी है, किन्तु यह मामला प्रगति पर नहीं है।

अतः मान्यवर से अनुरोध है कि इस अपराध से सम्बन्धित अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार करवाने के पुलिस विभाग (सी. आई. डी.) को इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिये जाकर प्रार्थी को शीघ्र न्याय दिलवाने की कृपा करें। अन्यथा यह भी समझा जावेगा कि इतने उच्च कोटि के अभियुक्त को जानबूझकर बचाया जा रहा है और इसी वजह से इस प्रकरण में उचित न्याय नहीं मिल पाया है।

मैं मृतक के पिता श्री हनुमान प्रसाद नाई का प्रार्थना पत्र, श्री साबिर पुत्र छोटे खां गवाहान का पत्र जो कि गृह मन्त्री व डी. आई. जी. को दिया गया था, थाना कोतवाली जयपुर में दर्ज मुकदमें जिनमें अभियुक्त व गिरोह लिप्त हैं, की प्रति सेशन कोर्ट जयपुर शहर के फैसले जिसमें जमानत खारिज की गई है, की प्रति तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डाक्यूमेंट मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां रख दीजिए।

(माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से सम्बन्धित कागजात सदन की मेज पर रखे गये)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ और भी कुछ दे रहे होंगे यह।

बाढ़ग्रस्त नालों के निर्माण के सम्बन्ध में

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं....(व्यवधान) आप बोले बगैर चुप नहीं रहेंगी । आपने बोलने का कोई ठेका ले लिया क्या ? बात-बे-बात बोलती रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना काम कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे इनके आक्रमण से बचाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर भी कोई आक्रमण कर सकता है क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मुझे और भड़का रहे हैं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, सुमित्राजी कह रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में बैठे हैं ना ।

श्री रामकिशन : नहीं नहीं मैं और कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या है ।

श्री रामकिशन : यह कह रही हैं कि मेरा ध्यान आपकी तरफ वैसे ही आकर्षित होता है तो यहां रामायण की एक चौपाई याद करें कि "नारि न मोहे नारि के रूपा"

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा-अच्छा ।

श्री रामकिशन : यह लिखा हुआ है । इसलिए आप इनको डिस्टर्ब करने के लिए कह रही हैं, बाकी मोह और आकर्षण का तो कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह वर्णन ठीक किया हुआ है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नारी न मोहे नारी रूपा है ।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये अरोड़ा जी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कैसे भी शुद्ध कर लो पर चुप रहो ।

मान्यवर, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से जयपुर नगर में 1981 में आई भयंकर बाढ़ के बाद बने बाढ़ प्रोजेक्ट पर जयपुर के 7 में से पांच नालों पर ही निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में । जैसे :–

1. जवाहर नगर नाला, इसका निर्माण कार्य 265 लाख रुपये में होने वाला था जिसमें से बहुत कम राशि उस नाले को पूरा करने के लिए दी गई ।

2. नाला नागतलाई, जिसमें 163 लाख रुपये देने थे लेकिन 43 लाख रुपये ही इस कार्य के लिए दिये गये हैं ।

3. गंदानाला (सी-स्कीम) इसके 189 लाख रुपये देने थे, लेकिन इसमें 48 लाख रुपये ही दिये गये हैं ।

4. नाहरी का नाका नाला जिसमें 83 लाख रुपये देने थे, इसमें 45 लाख ही दिये गये हैं ।

5. खानिया का नाला, इसमें 19.25

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हजार रुपये देने थे, बहुत कम राशि दी गई है।

6. मालवीय नगर नाला और

7. ब्रह्मपुरी का नाला, इसमें 720 लाख रुपये और ऊपर से कुछ और रुपया दिया जाना था, लेकिन इसमें खेद की बात है कि मालवीय नगर का नाला, ब्रह्मपुरी का नाला शामिल नहीं किया गया। जैसा मैंने निवेदन किया आप देख रहे हैं कि मालवीय नगर का नाला, ब्रह्मपुरी का नाला इन पांच नालों से अलग कर दिये गये हैं। पैसा अॉवंटन नहीं किया गया जबकि इन नालों में भी भयंकर नुकसान किया था। मेरा कहना है कि इन दोनों नालों पर भी कार्य आरम्भ किया जाय। सरकार को आदेश देना चाहिए और अपने हाथ में कार्य लेना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए।

मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने निश्चय करके इन नालों के काम को पूरा किये जाने के लिए सिंचाई विभाग को जितना पैसा दिया गया उससे अधिक अपनी ओर से भी पैसा लगाकर काम को पूरा करने का प्रयास किया है। काम अच्छा किया है। मैं इसकी प्रशंसा करती हूं परन्तु खेद की बात है कि जिन जिन विभागों पर आर्थिक भार डाला गया था उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। इससे शेष कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आवंटित की गयी राशि इस प्रकार से है—हाउसिंग बोर्ड को कुल 76 लाख 13 हजार देने थे, केवल पांच लाख दिये हैं। ओ टी एस को 7 लाख देने थे केवल 3.97 लाख दिये। राजस्थान विश्वविद्यालय को भी पैसा देना था 51.33 लाख उसने 12 लाख दिये। राजस्थान डेयरी को भी इसमें पैसा देना था प्रभावित क्षेत्र में आता है 5.32 लाख उसमें से केवल 3.32 लाख दिया। आर. एस. ई. बी. को भी पैसा देना था 42.53 लाख उसने केवल 18 लाख दिया। पी. डब्ल्यू. डी. को रुपया देना था 120 लाख उसने 10 लाख दिया। यदि मैं इसमें सही आंकड़े न दे पाऊं तो मंत्री महोदय स्वयं इसको सही कर लें। पी. एच. ई. डी. को भी राशि देनी थी 210 लाख रुपये उन्होंने केवल 12 लाख रुपये दिये। सिंचाई विभाग को देने थे 11.44 लाख रुपये उन्होंने 16 लाख रुपये अधिक अपने पास से खर्च कर दिये। नगर परिषद को भी राशि देनी थी 16.78 लाख उन्होंने केवल 10 लाख रु. दिये। जय ड्रिंक्स को भी पैसे देने थे। 5.32 लाख उसने केवल 3 लाख रुपये दिये। मान्यवर, ऊपर लिखे आंकड़ों में कुछ गलती हो तो विभाग सही कर ले और उक्त विभागों से सिंचाई विभाग को पैसा दिया जाय तथा ब्रह्मपुरी व मालवीय नगर नालों को मरम्मत कार्य से जोड़े जाने के लिए काम हाथ में लेना चाहिए। यदि बरसात आ जावे क्योंकि कई सालों से बहुत कम वर्षा आ रही है यदि अब की बार वर्षा आ जाय और अधिक रूप से आ जाये तो इस शहर में कहीं फिर वही हाल न हो जाय। जो 81 में जयपुर शहर के 9 रास्ते थे 9 के 9 से सम्बन्ध विच्छेद हो गया था। मंत्री परिषद् के कुछ लोग बैठे हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र पूरा करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं शीघ्र पूरा कर रही हूं। सम्बोधित करना कोई गलत

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं है। आप सुनिये। जो लिखा है वही पढ़ रही हूं। उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ रही हूं। पिछली बार 45 करोड़ का नुकसान जयपुर शहर में हुआ था। मुख्यमंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता से बनी कमेटी है लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है। आप अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलायें ताकि यह कार्य पूरा हो सके। और इस कार्य को अपने हाथ में लेकर इस कार्य को पूरा करायें। इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मेरी बात समाप्त करती हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र यह सरकार कार्य पूरा करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलालपरमार।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद के लिए 300 दिनों से हड़ताल चल रही है (व्यवधान)....धरने पर बैठे हैं मैंने लगा रखा है 295 लगा रखा है आप देखना चाहें तो देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : देख लेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 300 दिन की हड़ताल हो गयी। धरने पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आज तक कुछ नहीं कहा। एक दिन का टाइम रह गया है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। माननीय सदस्य बिराजें....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : 300 दिन हो गये धरने पर। बेरोजगार बाहर बैठे हैं। रोते रहते हैं वह विधायकों के सामने। मंत्रीजी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं (व्यवधान) 300 दिन हो गये धरने पर बैठे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं।

131 में लगाया, 295 में लगाया लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था दीजिए। मंत्रीजी बिराजमान हैं कुछ व्यवस्था दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। बिराजें परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल मीणा : मुझे व्यवस्था दिलायें।

तूंगा सीमेंट स्टोर में हुई चोरी में निर्दोष कर्मचारी को फंसाया जाना

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सिंचाई उपखण्ड कानोता के सहायक अभियन्ता के तूंगा सीमेण्ट स्टोर में हुई चोरी की घटना में संबंधित सहायक अभियन्ता की साजिश एवं निर्दोष को अपने प्रभाव का उपयोग कर फंसाने की नीति के सम्बन्ध में राजस्थान विधानसभा में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, सिंचाई उपखण्ड कानोता जिला जयपुर के सहायक अभियन्ता श्री नरपतसिंह मिर्धा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1991 का खारली सिंचाई परियोजना के लिए सीमेण्ट का मांग पत्र अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय जयपुर को प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधिशाषी अभियन्ता ने

(श्री अमृतलाल परमार)

29-3-92 को सहायक अभियन्ता कानोता को 2100 बोरी सीमेण्ट वेयर हाऊस से कनिष्ठ अभियन्ता खारली को ट्रांसपोर्टर के द्वारा पहुंचाने हेतु अधिकृत किया परन्तु ट्रांसपोर्टर को सहायक अभियन्ता ने 200 सीमेण्ट के बेग कानोता नहर के लिए निर्देश दे दिये जिससे ट्रांसपोर्टर ने 1900 बेग ही खारली बांध के कार्य हेतु तूंगा स्टोर पहुंचाया वे 200 बैग वहां नहीं पहुंच कर अन्य जगह गये। उसके पहचान दि. 30-7-91 को सहायक अभियन्ता के आदेश से कनिष्ठ अभियन्ता खारली ने कनिष्ठ अभियन्ता कानोता नहर को दिये।

मान्यवर, दिनांक 14/15 सितम्बर को कनिष्ठ अभियन्ता कानोता ने अधीनस्थ कर्मचारी रामराय मिस्त्री को निर्देश दिये कि तूंगा स्थित स्टोर से रात को 500 बैग चोरी हो गये हैं। इसकी सूचना एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज करवायें। रामराय मिस्त्री ने दिनांक 16-9-91 को पुलिस थाना बस्सी में सीमेण्ट चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवायी।

पुलिस में रिपोर्ट सीमेण्ट चोरी दर्ज होने पर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की। पुलिस ने अपनी जांच में सीमेण्ट चोरी होना न पाकर सीमेण्ट का गबन होना पाया और गबन में षड़यंत्र में रिपोर्ट कर्ता श्री रामसहाय के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत कर दिया परन्तु उच्च अधिकारी सहायक अभियन्ता कानोता जिसने स्वयं ने निर्देश देकर सीमेण्ट अन्यत्र जगह भिजवाई उनका अभी तक विभाग या पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं की अपितु उनके दवाब में मूल रिकार्ड में हेराफेरी करने हेतु उसी स्थान तथा वहीं पर आसीन हैं।

मान्यवर, उसकी जांच हेतु श्री मुख्य अभियन्ता सिचाई राजस्थान ने अधीक्षण अभियन्ता एच. जी. आचार्य को तूंगा स्टोर से चोरी गयी सीमेण्ट प्रकरण की जांच हेतु नियुक्त किया।

श्री आचार्य ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि स्टोर की सुरक्षा का दायित्व सहायक अभियन्ता को माना है। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन न करने का दोषी भी सहायक अभियन्ता को ही माना है।

श्रीमान् इस प्रकरण से कई तथ्य उजागर हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, अपने प्रत्युत्तर में दर्ज तथ्यों पर भी प्रकाश डालें :

(1) 14-10-91 को मुख्य अभियन्ता सिंचाई को जांच रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भेज दिए जाने के पश्चात् भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।

(2) जिस व्यक्ति पर गबन में भागीदार होने का पुलिस को सन्देह है उस व्यक्ति को अभी उसी स्थान पर रखकर गबन करने के कारण क्या वह अपने बचाव में सम्बन्धित रिकार्ड का तथा प्रमाणों को नष्ट नहीं कर देगा।

(3) सही जांच होने के लिए सम्बन्धित आरोपियों का न केवल स्थानान्तरण होना अनिवार्य है अपितु निलम्बित किया जाना भी अति आवश्यक है।

(श्री अमृतलाल परमार)

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भ्रष्ट प्रभावी व्यक्ति के हाथों सिंचाई विभाग को बर्बाद होने से बचाने के लिए सहायक अभियन्ता कानोता को तुरन्त निलम्बित करें। यह मेरी आपसे मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नाथूरामजी अहारी।

रावल जोगी समाज को रिजर्वेशन में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत रावल जोगी समाज....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, व्यवधान मत डालिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत रावल जोगी समाज को रिजर्वेशन में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

महोदय जी, उदयपुर डिवीजन में रावल जोगी समाज एक बहुत ही पिछड़ी जाति के लोग हैं। इनकी आजीविका मात्र भीख मांग कर जिन्दा रहना ही है। इनके पास न कोई धन्धा है और न कोई जमीन है। इस कौम को अछूत कौम मानते हैं तथा सवर्ण जाति के लोग यहां तक कि आदिवासी एवं पाटीदार जाति भी इस कौम को अछूत मानती है। इस कौम के लोगों ने पिछले 20 वर्षों के बाद जोगी के साथ रावल जोगी लगाना शुरू किया गुजरात राज्य में जोगी जाति को एस. सी. में रिजर्वेशन दिया गया है पिछले सालों में इस जाति का एस. सी. में रिजर्वेशन दिलाने के बारे में पूर्व सरकार कांग्रेस ने इस जाति को रिजर्वेशन दिलाने के लिए फाईल चलायी थी और वर्तमान सरकार में भी एस. सी. में रिजर्वेशन दिलाने के लिए समाज कल्याण मंत्री को निवेदन किया है लेकिन आज दिन तक इस पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन नहीं मिल सका है। श्रीमान् इन्हें रिजर्वेशन में नहीं लेने से इस पिछड़ी जाति को पढ़ने, नौकरी में लेने तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की हालत दयनीय हो रही है। श्रीमान् आज के जमाने में कौन भीख देता है। धीरे-धीरे भीख मांगने का रिवाज खत्म सा है। मैंने यह भी सुना है कि रिजर्वेशन में लेने के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है लेकिन केन्द्र सरकार तभी रिजर्वेशन की कार्यवाही करती है जब राज्य सरकार सिफारिश करें।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग इस जाति को रिजर्वेशन में लेने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजे ताकि केन्द्र सरकार इन्हें रिजर्वेशन में लेने की उचित कार्यवाही कर सके। श्रीमान् मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार रावल जोगी जाति को रिजर्वेशन में लेने के लिए क्या उपाय कर रही है इस बारे में इसी सत्र में अवगत कराने का कष्ट करें ताकि रावल जोगी जाति को गरीबी से उबारा जा सके

(श्री नाथूराम अहारी)

और इन्हें सरकार से मिलने वाली अनेक सुविधाओं का फायदा मिल सके ।.... धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतनाराम जी चौधरी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री खंगार सिंह चौधरी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवजीराम जी मीणा ।

मालवीय नगर, जयपुर के पुलिस थाना के अन्तर्गत कच्ची शराब निकालने व बेचने के सम्बन्ध में

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना मालवीय नगर जयपुर के अन्तर्गत रामचन्द्र जाट हनुमान पुत्र श्री बख्श, राजेश उर्फ पप्पू जयपाल, बजरंग, सीताराम एवं सुनील कच्ची शराब निकालने व बेचने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में गुण्डागर्दी करते हैं । इस आशय की रिपोर्ट श्री कृष्ण मीणा निवासी छत्रसाल नगर खारड़ा की ढाणी थाना मालवीय नगर ने कई बार थाने में की एवं वहां की पुलिस नागरिक शांति समिति ने भी इस आशय की चर्चा कई बार थाने में की । इस समिति में भी हनुमान मीणा भी सदस्य है ।

इस शिकायत से रुष्ट एवं क्रुद्ध होकर उपरोक्त रामचन्द्र, हनुमान पुत्र श्रीबख्श राजेश उर्फ पप्पू, जयपाल, बजरंग एवं सीताराम दिनांक 26-3-92 को रात्रि 9.30 बजे लाठी सरिये तलवार रिवाल्वर हाकी से लेस होकर आये एवं श्री कृष्ण मीणा गंगाधर, कैलाश एवं बाबू के साथ मारपीट प्रारम्भ कर दी एवं जानलेवा हमला किया व श्री कृष्ण मीणा से रुपये 6300 लूटकर ले गये । इस मारपीट में काफी चोटें आई फ्रेक्चर हुए हैं । श्री कृष्ण मीणा ने रात्रि 11.30 बजे थाना मालवीय नगर जयपुर में उक्त घटना की रिपोर्ट की जिस पर पुलिस थाना में मुकदमा न. 105/92 धारा 147 323, 382 एवं 427 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया । इसके पश्चात् 30-3-92 को 6 बजे सहायक उप निरीक्षक श्री रामदेव सिंह श्री कृष्ण मीणा के घर गये एवं बतौर चश्मदीद गवाह के श्री हनुमान मीणा को थाना प्रभारी श्री सुरेशकुमार सैनी द्वारा बुलाने की सूचना दी जिस पर श्री हनुमान एवं श्री कृष्ण मीणा रात्रि 8 बजे थाना मालवीय नगर में पहुंचे जहां रामदेवसिंह ए. एस. आई. थाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार के कक्ष में ले गया जहां ऊपर वर्णित मुकदमों से सम्बन्धित सभी मुल्जिम उसके कक्ष में मौजूद थे । उक्त अभियुक्तों के सामने थाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार सैनी एवं ए. एस. आई. रामदेव सिंह ने श्री हनुमान मीणा एवं श्री कृष्ण मीणा को मुकदमा संख्या 105/92 को राजीनामे से निपटाने का दबाव डाला श्री कृष्ण मीणा को राजीनामे के लिए मना कर दिया तब थाना प्रभारी एवं ए. एस. आई. रामदेव सिंह ने श्री कृष्ण मीणा एवं हनुमान मीणा को अभियुक्तों के सामने बिना वजह मारपीट की गाली गलोच कर अभद्र व्यवहार किया एवं अभियुक्तों को उनके सामने थाने से बाहर भेज दिया एवं

(शिवजीराम मीणा)

शिकायतकर्ता एवं गवाह से रात्रि 11.30 बजे तक पुलिस थाने में जबरन विठाए रखा।

क्या राज्य सरकार उक्त थाना प्रभारी एवं सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने श्री कृष्ण मीणा एवं हनुमान मीणा को जबरन गैर कानूनी तरीके से थाने में मारा-पीटा एवं अभद्र व्यवहार किया।

श्री कृष्ण मीणा ने अवैध शराव का धन्धा करने वालों की शिकायत की जिसके कारण अवैध शराब के धन्धा करने वालों में श्री कृष्ण व उसके साथियों पर घर जाकर हमला कर 6300 रुपये लूटकर ले गये उन अभियुक्तों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की।

उक्त अवैध शराब निकालने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार श्री कृष्ण मीणा एवं हनुमान मीणा की अवैध पिटाई एवं अभियुक्तों से मिली भगत हेतु उक्त थाने के प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

आशा है श्री कृष्ण मीणा एवं हनुमान मीणा को जिसे बार-बार पीटने एवं मारने की धमकी मिल रही है उन्हें सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी एवं दोषी थाना अधिकारियों को दण्डित करेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भरोसी लाल जी।

हिण्डौन के गन्दे नाले की सफाई नहीं होने के कारण प्रदूषण एवं बीमारी फैलने बाबत

श्री भरोसी लाल जाटव (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत हिण्डौन के गन्दे नाले की सफाई नहीं होने के कारण प्रदूषण एवं बीमारी फैलने के क्रम में मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान हिण्डौन के गन्दे नाले की तरफ आकर्षित करूंगा कि हिण्डौन का गन्दा नाले को बने हुए लगभग 35 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन गन्दे नाले के बनने के बाद आज तक नगर पालिका हिण्डौन के द्वारा कोई सफाई कार्य नहीं करवाया गया है जिससे पूरा नाला भर गया है। गंदे नाले में ओवर फुल होने से पानी के श्रोत रुके हुए पड़े हैं। गन्दा पानी मुख्य बाजार में फैल जाता है जिससे बाजार में सामान खरीदने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गन्दगी एवं बदबू के कारण बाजार में रुकना दुर्लभ हो रहा है गऊशाला से गन्दा नाला बीच बाजार में से होता हुआ जाटव बस्ती से गुजरता है। अनुसूचित जाति के लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। 11 अप्रेल, 1990 को मुख्य मंत्रीजी महोदय श्री महावीर जी पधारे थे उस वक्त मुख्य मंत्रीजी को हिण्डौन लाकर के मौका दिखाया गया। इसके बाद मुख्य मंत्री के द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि भी गन्दे नाले की सफाई के लिए स्वीकृत की गई थी जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी उससे थोड़ा सा नाला साफ किया इसके बाद बरसात में गन्दा नाला दोबारा से भर गया। गन्दे नाले के सम्बन्ध में हाईकोर्ट राजस्थान ने भी निर्देशक नगर

(श्री भरोसी लाल जाटव)

पालिका एवं अध्यक्ष नगर पालिका हिण्डौन को भी निर्देश दे रखे हैं कि गन्दे नाले को दो साल के अन्दर साफ कराया जावे। दो साल बीत जाने के बावजूद भी गन्दा नाला साफ नहीं हुआ है। यदि जून 1992 से पहले गन्दा नाला साफ नहीं हुआ तो हिण्डौन की जनता के साथ घोर अन्याय होगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हिण्डौन के गन्दे नाले की सफाई हेतु 30 लाख रुपये मंजूर किया जावे जिससे हिण्डौन का गन्दा नाला साफ हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा।

फागी विधान सभा क्षेत्र की पीपला लघु सिंचाई योजना को स्वीकृत कराने बाबत

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फागी में स्वीकृत पीपला लघु सिंचाई योजना के कार्य को चालू करवाने बाबत निवेदन है कि पीपला लघु सिंचाई योजना का कार्य तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फागी तहसील के किसानों को राहत पहुंचाने हेतु स्वीकृत किया था। यह योजना 1989 में स्वीकृत हुई थी जिसकी अनुमानित लागत 126.38 लाख थी। स्वीकृत होने के पश्चात् इस बांध पर करीब 10-12 लाख का मिट्टी का कार्य किया गया, जिसके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया व काम भी घटिया किस्म का किया। इसकी शिकायत पीपला व आस-पास के लोगों ने व मैंने भी मुख्य अभियन्ता से लेकर सिंचाई मन्त्री झाला साहब को भी की, व विधान सभा में भी कई तरह से इसके प्रश्न उठाये लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला बल्कि इस चलते हुए कार्य को बन्द और कर दिया। मैंने राजस्थान सरकार से बार-बार मांग की कि इस कार्य को अविलम्ब चालू करवाया जाय तथा इस बांध को कब तक पूरा कर देंगे, किस-किस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना पैसा आप खर्च करेंगे ?

मुझे गत सत्र में उठाये गये एक प्रश्न के जवाब में आपने 12 लाख, 14 लाख और 35 लाख इस वित्तीय वर्ष में खर्च करना बताया है तथा वर्ष 1992-93 तक यह कार्य पूर्ण होने का आश्वासन दिया है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कौनसा जादू-मन्तर आपके पास है जिससे इस बांध के कार्य को 1992-93 तक पूरा कर देंगे ? आपने बांध के इस कार्य को कुछ माह पहले चालू किया। दो-ढाई माह काम भी चला लेकिन दो माह से यह कार्य फिर बन्द है। आखिर आपके ये अधिकारी व ठेकेदार इस बांध का क्या करना चाहते हैं ? जो कार्य किया जा रहा था वह भी घटिया स्तर का है। मैं आपकी मार्फत मांग करता हूं कि इस योजना से 6-7 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही 15-20 गांवों के कुओं का जल-स्तर भी बढ़ेगा इसलिए इस योजना को अविलम्ब चालू कराया जाय। दो वर्ष से अधिक समय इस बांध का कार्य बन्द हुए हो गया, अतः इस बांध का रिवाइज एस्टिमेट बनाया जाय। पक्का निर्माण कार्य भी अविलम्ब चालू कराया जाय ताकि इसी वर्ष में पानी का रुकाव इस बांध में हो सके और सरकार द्वारा खर्च किये जा रहे करोड़ों रुपए का लाभ भी किसानों को मिल सके। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

सरकार घोषणा व आश्वासन के आधार पर इस बांध को पूरा कराएगी ? क्या सरकार पूछे गये प्रश्नों के आधार पर पैसा खर्च करेगी ? क्या सरकार लापरवाही बरत रहे अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या बांध के पक्के निर्माण को इसी वित्तीय वर्ष में चालू कर पूरा करवा दिया जायेगा ? क्या बांध की नहर का निर्माण कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में चालू करवा दिया जायेगा ? कार्य दो वर्ष तक बन्द रहने के कारण क्या रिवाइज एस्टिमेट बनाया जायेगा ? और अन्त में इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि इस कार्य को पुनः कब तक चालू करवा दिया जायेगा ? धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल जैन ।

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र पानी की कमी से अत्यधिक पीड़ित रहा है । इस विधान सभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति में प्रायः अकाल ही रहता है । यह सारा क्षेत्र पहाड़ी है जिसके कारण यहां वन भी नहीं हैं तथा पेड़ आदि भी समाप्त हो चुके हैं, जिससे धीरे-धीरे यह क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य खोता जा रहा है । इसके विकास हेतु आज से कुछ वर्षों पूर्व दो फीडर बनाये जाने की योजना बनाई गई थी—सुरहघाटा फीडर और देवाता फीडर । इन पर लगभग 78 प्रतिशत कार्य पहले ही हो चुका है व शेष कार्य अधूरा है । इसके पूरा हो जाने से इस देहाती क्षेत्र में पानी की समस्या के निराकरण के साथ-साथ सिंचाई व वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अकाल राहत कार्य के तहत इन दोनों ही योजनाओं को सरकार प्राथमिकता से लेकर शेष कार्य शीघ्र पूरा कराये जिससे क्षेत्र में खुशहाली हो ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
ग्राम भाक व लूलवा को सड़क से जोड़ने बाबत

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय किशन गोपालजी कोगटा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन के निदेशानुसार....

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, अब माननीय मन्त्रीजी कहेंगे । माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग ने जो मापदण्ड निर्धारित किये उसमें 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से 1985 तक जोड़ देना था । मरु क्षेत्र एवं वनवासी क्षेत्रों में 1971 की जनगणना के अनुसार 1000

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से 1985 तक जोड़ने का कार्यक्रम था। इसके साथ ही योजना आयोग का यह भी आग्रह था कि यदि सम्भव हो तो सामान्य क्षेत्रों में 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले और मरु क्षेत्र एवं वनवासी क्षेत्रों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ने के कार्यक्रम पर विचार किया जाय। इन गांवों हेतु डामर, मैटल या ग्रेवल सड़क निर्माण योजना आयोग द्वारा सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इस कार्यक्रम को अन्य कार्यक्रमों तथा अकाल राहत, आर.एल.ई.जी.पी., एन.आर.ई.पी. एवं जवाहर रोजगार योजना के साथ समन्वित किया गया और विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य कराया गया। परिणामस्वरूप कई स्थानों पर धनाभाव के कारण केवल ग्रेवल की अथवा मैटल की सड़कें ही बन सकीं। इस प्रकार निर्मित सड़कों से जुड़े हुए गांवों को योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया गया है। जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला है, हमने यह निश्चित किया है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें डामर की हों और यदि किसी कार्यक्रम के साथ समन्वित करके इनका निर्माण किया जाता है तो योजना के अनुसार योजना मद के प्रावधान से डामरीकरण कराया जाय। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 102 गांवों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यक्रम के उपरान्त भी उनका डामरीकरण 1991-92 में स्वीकृत कर दिया गया। इसी तरह से 1991-92 में जिन 157 गांवों में अनटाइड फण्ड से सड़कें स्वीकृत हुई हैं उनमें भी योजनागत प्रावधान से डामरीकरण करने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य का ग्राम भाक एवं ग्राम लुलवा को डामर की सड़क से जोड़ने के क्रम में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है उसके विषय में स्थिति यह है कि ग्राम भाक की 1971 की जनगणना के अनुसार 3801 जनसंख्या है और एम.डी.आर.–9 से इस सड़क की लम्बाई चार किलोमीटर है जो ग्रेवल की सड़क है। यह अकाल राहत के अन्तर्गत बनी हुई सड़क है जो अभी विभाग की संधारण सूची में नहीं है। ग्राम लुलवा की वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 2950 जनसंख्या है। इस सड़क की लंबाई चार किलोमीटर है। यह भी ग्रेवल की सड़क है और अकाल राहत के अन्तर्गत बनी हुई है। यह सड़क अभी विभाग की संधारण सूची में नहीं है। इस ग्राम लुलवा व भाक ग्रेवल सड़क से जुड़े होने के कारण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क से जुड़े हुए मान लिये गये हैं। मैंने यह निर्देश दिये हैं कि वर्ष 1992-93 में ऐसी सभी सड़कें जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं और अभी तक असंधारित हैं उनका संधारण कार्य विभाग द्वारा नियमित रूप से करा लिया जाय। माननीय विधायक इन दोनों सड़कों के डामरीकरण के लिए समय-समय पर आग्रह करते रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि ये सड़कें डामर की होनी चाहिए थीं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

राज्य सरकार की प्रथम वरीयता अब उन बचे हुए गांवों को सड़क से जोड़ने की है जिनकी वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 या इससे अधिक जनसंख्या है और जो किसी प्रकार सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। पिछले दो वर्षों में हमने ऐसे सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है, उसी में समस्त प्रावधान व्यय हो जायेंगे। राज्य में वर्तमान में 117 गांव ऐसे हैं जो मैटल सड़क से जुड़े हुए हैं। इन सड़कों की लम्बाई लगभग 600 किलो मीटर है। और इसके डामरीकरण हेतु 12 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसी प्रकार 288 गांव ऐसे हैं जिनमें ग्राम लुलवा और झाक भी हैं जो केवल ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं। ऐसी सड़कों की लम्बाई लगभग 2.30 किलोमीटर है। इन सड़कों के डामरीकरण हेतु लगभग 60 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर मैटल और ग्रेवल सड़कों को उच्चीकृत करके डामर की सड़क स्तर पर लाने के लिए 72 करोड़ रुपये के प्रावधान की आवश्यकता है। वर्तमान आवश्यकताओं के सन्दर्भ में कोई प्रावधान पुरानी ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु उपलब्ध नहीं है। जैसे ही वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होंगे, इन गांवों को भी डामर की सड़कों से जोड़ने के लिए विचार किया जायेगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी की हाउस में और राजस्थान में जो पहचान है कि जो काम गलत या छूट गया है उनकी निगाह में लाये, तो तुरन्त ही इस ओर ध्यान दिया जाता है और काम करने के आदेश तत्परता से दिये जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार आज इन्होंने इस विषय को जिस चतुराई से इधर-उधर करने की कोशिश की है, मैं सोचता हूं कि आपकी जो पहचान है, उसमें फर्क आयेगा।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के निर्देश के अनुसार क्या नियम लिखे हुए हैं, यह पढ़कर सदन को बताएं। 4,000 की पापुलेशन 1971 में थी और आज 10,000 है जो कि म्युनिस्पेलिटी की होती है और वहां लाइट, बिजली और रोडवेज की बस सब चलती हैं। यदि 10,000 की पापुलेशन 1991 में है और 4,000 उस समय थी, ऐसा 4,000 की पापुलेशन वाला गांव ही नहीं है, यहां पर पंचायत का मुख्यालय है, आप बतायें कि ऐसी स्थिति में कैसे रह सकता है? और रह गया है तो इसमें कब तक करवा देंगे?

दूसरा, वहां जाने का कोई साधन नहीं है और यह हालत है कि वहां लड़कों को लड़की कोई नहीं देता। 10 किलोमीटर पैदल अपना सामान लेकर जाना पड़ता है। ऐसी तकलीफ है उस एरिया में।

तीसरी बात, वह एक संवेदनशील एरिया है। वहां धर्म परिवर्तन के काम चल रहे हैं। पैट्रो-डालर की इतनी बाढ़ आई हुई है कि इधर-उधर खूब परिवर्तन का काम कर रखा है। वहां पहुंचने के लिए अन्य साधन भी पहुंचे। उन लोगों को क्यों कि पैसा फोकट में, फ्री मिल जाता है इसलिए वह मिशन चला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उस एरिया में आप स्वयं जाकर निरी-

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

क्षण करें और आवश्यकता पड़े तो तुरन्त इसकी कार्यवाही करें ।

अन्त में आपको कहूंगा कि ये 4,000 की जनसंख्या वाले जो पंचायत मुख्यालय हैं, राजस्थान में पंचायत मुख्यालय कौन से छूट गये हैं, कृपया सदन को बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने अपने वक्तव्य में जो प्रश्न उन्होंने किये, उनका सबका उत्तर दे दिया । अब मैं कहूंगा तो दोहराना होगा । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को....

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने दो-तीन बातें विशेष रूप से रखी हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसी को दोहरा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वयं जाकर के आया हूं । समस्या गम्भीर है (व्यवधान) ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : कोई साधन नहीं है और 10,000 की पापुलेशन है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं कह रहा हूं । मैं स्वयं जाकर के आया हूं । मन्त्री महोदय जो कहेंगे, अपनी इच्छा से कहेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सच है कि जैसा उन्होंने कहा कि आबादी 1971 में 1500 से ऊपर थी । किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया कि जो योजना आयोग ने दिशा निर्देश दिये थे, उसके कारण से जो रूल्स बने, शायद दिशा निर्देश पढ़े हैं माननीय सदस्य ने, इसकी चर्चा करते हुए उसमें जोड़ने का लिखा है । किन्तु उसके बाद जो रूल्स बने, उसमें डामर मैटल या ग्रेवल, इन तीनों से जुड़ गई, उसको सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया गया । मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार जो मैटल से जुड़ गई है, ग्रेवल से जुड़ गई है, ऐसे गांवों को जोड़ने के लिए 72 करोड़ रुपये और चाहिए । अब जो बिल्कुल किसी तरह नहीं जुड़े, उनको पहले जोड़ा जाय या इनको जोड़ा जाय, यह प्रायोरिटी का सवाल है । इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार, इस वर्ष की जो धनराशि है, उस धनराशि में तो स्थिति यह है कि ओन-गोइंग काम चलेंगे, नया काम लेने की स्थिति में नहीं हैं । फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि एक गांव में भी गया हूं—भाक और मुझे भी ऐसी स्थिति लगती है कि वहां जाना कठिन है । जैसे ही धन उपलब्ध कहीं से भी होगा, निश्चित रूप से एक गांव को जोड़ने की व्यवस्था तो मैं करूंगा । किन्तु आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बोलना वह करना और जो करना वह बोलना और समय पर करना । इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो अनावश्यक घोषणा हो जाय । फिर भी जिन दो गांवों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, मेरी जानकारी उनके बारे में है । अब यह बात कि सड़क नहीं होगी, वहां लोग कहते हैं कि लोग मर जाते हैं, वही मर जाते हैं, जो बीमार होता है, लड़की होती है तो दूल्हा नहीं मिलता है । यह तो सब जगह है । राजस्थान में ऐसी कई जगह हैं । इन सब कामों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

धनराशि की आवश्यकता होगी किन्तु राज्य सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उन नियमों के अनुसार निश्चित रूप से हम कार्यवाही कर रहे हैं। उनमें भी इनके स्थान का नाम आता है, थोड़ा समय लग सकता है, उतना और थोड़ा समय मुझे वे देंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय कोगटाजी. बिराजें।

माननीय श्री जुबेर खान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत गंगानगर शुगर मिल्स से सम्बन्धित रुग्ण पड़ी डिस्टलरीज इकाइयों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से प्रदेश को हो रहे नुकसान की ओर उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

गंगानगर शुगर मिल्स से सम्बन्धित रुग्ण पड़ी डिस्टलरीज इकाइयों में अपर्याप्त उत्पादन से हानि

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत गंगानगर शुगर मिल से सम्बन्धित रुग्ण पड़ी डिस्टलरी इकाइयों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से प्रदेश को हो रहे नुकसान की ओर उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में गंगानगर शुगर मिल्स की केवल दो डिस्टलरियां श्री गंगानगर व अटरू (जिला कोटा) में हैं जिनमें से गंगानगर डिस्टलरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 27 लाख बल्क लीटर एवं अटरू की केवल 6 लाख बल्क लीटर है। श्री गंगानगर डिस्टलरी का मौजूदा प्लाण्ट सन् 1967 में लगाया गया था जबकि अटरू डिस्टलरी का प्लाण्ट कोटा स्टेट के समय में लगाया गया था जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होने से उत्पादन लागत भी अधिक आती थी। अटरू प्लाण्ट बन्द होने के समय वर्ष 1988–89 में अटरू डिस्टलरी में उत्पादन लागत 8.42 रुपये प्रति बल्क लीटर थी जबकि उस समय श्री गंगानगर डिस्टलरी में प्रति बल्क लीटर लागत 4.89 रुपये ही थी। अटरू प्लाण्ट बहुत पुराना होने से जगह-जगह खराबी उत्पन्न होने तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से रिकवरी का प्रतिशत भी अन्य राज्यों की डिस्टलरियों से कम रहने लगा था। सितम्बर, 1988 से यह प्लाण्ट बन्द पड़ा है जिसे उसी स्थिति में चलाया जाना पूर्णतया जोखिम भरा था व कभी भी गम्भीर दुर्घटना घटने की सम्भावना थी। संचालक मण्डल द्वारा इसे आवश्यक रिपेयर कर पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया जिस पर लगभग 35 लाख रुपये के खर्च का अनुमान था परन्तु पुनः प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सहमति तब तक प्राप्त होना सम्भव नहीं है जब तक अटरू में एफलुएण्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट (ई. टी. पी.) नहीं लगा दिया जाता जिस पर 80 लाख से एक करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान है। इतनी अधिक रकम का खर्च बहुत छोटी केपेसिटी के प्लाण्ट को आरम्भ करने हेतु करने से उत्पादन लागत काफी ऊंची रहने की सम्भावना है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

इसी तरह श्रीगंगानगर डिस्टलरी का प्लाण्ट भी पिछले लगभग 25 वर्षों से चलते रहने से घिस गया है जिसकी शेल, प्लेट, बबल केप आदि खराब हो गये हैं। जगह-जगह पर रिपेयर कर प्लाण्ट चलाया जा रहा है। इस प्लाण्ट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 27 लाख लीटर है। श्रीगंगानगर शुगर मिल की इस डिस्टलरी में पिछले तीन वर्षों में वार्षिक उत्पादन 31 से 34 लाख बल्क लीटर के मध्य रहा है। अभी यहां उत्पादन व्यय लगभग 7.70 रुपये प्रति बल्क लीटर है। श्रीगंगानगर शुगर मिल के संचालक मण्डल ने अपनी पिछली बैठक में नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत पूरा डिस्टीलेशन कालम बदलवाने का निर्णय लिया है जिस पर लगभग 53 लाख रुपये व बायलर कन्वर्शन पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च होगा। यह कार्य 1992-93 में पूर्ण होने की सम्भावना है जिससे उत्पादन लागत घट कर लगभग पांच रुपये पिचहत्तर पैसे प्रति लीटर आने की सम्भावना है साथ ही उत्पादन क्षमता में भी उचित अनुपात में वृद्धि होगी। नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित आवश्यकतानुसार ई. टी. पी. लगाने का मामला भी संचालक मण्डल के विचाराधीन है जिस पर लगभग 170 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है व इसका पे-बेक पीरियड तीन–चार वर्ष है। श्रीगंगानगर डिस्टलरी में 25 कर्मचारी कार्यरत हैं। अटरू में 7 कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें देशी मदिरा संभाग कोटा से वेतन व सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

राज्य में देशी मदिरा के उत्पादन हेतु वर्ष 1989–90 व 1990–91 में औसत 165 लाख बल्क लीटर एल्कोहल का वार्षिक उपयोग हुआ व 1991–92 में जनवरी तक दो सौ लाख बल्क लीटर का उपयोग हुआ है। श्रीगंगानगर डिस्टलरी के उत्पादन के अलावा मेवाड़ डिस्टलरी भूपालसागर में निर्मित अधिकांश एल्कोहल की मात्रा भी श्रीगंगानगर शुगर मिल द्वारा उनसे लेकर देशी मदिरा के उपयोग में लाई जाती रही है जिनसे एल्कोहल पिछले वर्ष सात रुपये पचास पैसा व इस वर्ष आठ रुपया प्रति बल्क लीटर उपलब्ध हुआ

(3.00 म. प.)

अन्य राज्यों में आयात की लागत 8.40 रुपये से कम है। राजस्थान एल्कोहल एवं मोलेसेज की उपलब्धता में सदैव कमी (डेफिसिट) वाला राज्य रहा है जिसे हमेशा सरप्लस राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा) पर इस बारे में निर्भर रहना पड़ता है। गंगानगर व भूपालसागर के उत्पादन के बावजूद भी देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु व 1989–90 में 110 लाख, 1990–91 में लगभग 121 लाख व इस वर्ष जनवरी तक 158 लाख बल्क लीटर एल्कोहल बाहर के राज्यों से आयात किया गया है जिसकी औसत लागत कीमत 8.40 प्रति लीटर रुपये पड़ी है। राज्य में पचास लाख बल्क लीटर का उत्पादन प्रति वर्ष हो पाता है, अतः सरप्लस राज्यों से आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्य राज्यों से एल्कोहल बहुत प्रयासों के बाद ही प्राप्त होता है।

राजस्थान मोलेसेज व एल्कोहल के उत्पादन में डेफिसिट राज्य है। राज्य में

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

केवल तीन शुगर फैक्ट्रियां हैं–श्रीगंगानगर, भूपालसागर व केशोरायपाटन। श्रीगंगानगर एवं केशोरायपाटन के उत्पादित मोलेसेज को श्रीगंगानगर डिस्टलरी में उपयोग में लिया जाता है, जबकि भूपालसागर में उत्पादित मोलेसेज उनकी स्वयं की डिस्टलरी में उपयोग में लिया जाता है; जिसके अधिकतम एल्कोहल की मात्रा का उपयोग गंगानगर शुगर मिल द्वारा देशी मदिरा के उत्पादन में किया जाता है।

राज्य में उत्पादित मोलेसेज वर्तमान में कार्यरत डिस्टलरियों को चलाने में पर्याप्त नहीं है अतः भारत सरकार के आवंटन पर सरप्लस स्टेट से मोलेसेज व अल्कोहल आयात किया जाता है। राजस्थान में गन्ने की उपलब्धता कम होने के कारण नई शुगर फैक्ट्रियां लगाना सम्भव नहीं है। जब तक पर्याप्त मात्रा में मोलेसेज उपलब्ध न हो, नई डिस्टलरियां लगाना उपयुक्त नहीं है। इसी के कारण भारत सरकार ने आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 1975 के अन्तर्गत नई डिस्टलरियां (पोटेबल उत्पादन के लिए) लगाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, जो अभी तक लागू है। भारत सरकार ने प्रेस नोट दिनांक 14-2-1992 द्वारा इण्डस्ट्रीयल एल्कोहल के उत्पादन को ही डी–लाइसेंस किया है। बन्द पड़ी हुई डिस्टलरी अवश्य चालू की जा सकती है, परन्तु क्षमता बढ़ाना सम्भव नहीं है। यह क्षमता आधुनिकीकरण के अन्तर्गत 10% से 20% तक बढ़ाई है। अटरू डिस्टलरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता केवल 6 लाख बल्क लीटर है, जबकि वर्तमान में नई डिस्टलरी वही वाइबल मानी गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 30 हजार बल्क लीटर प्रतिदिन अर्थात् 9 लाख बल्क लीटर प्रतिमाह हो। इसी कारण गंगानगर डिस्टलरी का भी नवीनीकरण सिर्फ उत्पादन क्षमता के अनुसार ही किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में जबकि हमारा राज्य डेफिसिट स्टेट है व मोलेसेज वर्तमान डिस्टलरियों के लिए भी उपलब्ध नहीं है तो निर्यात का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल की जो डिस्टलरियां हैं, इकाइयां हैं, उनमें हमारे प्रान्त में पर्याप्त अल्कोहल उत्पादन नहीं होने के कारण हमारे प्रान्त को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे प्रान्तों से जब हम आयात करते हैं एल्कोहल तो 6 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में हमें दूसरे प्रान्तों को देनी पड़ती है जिससे हमारे प्रदेश का पैसा दूसरे प्रान्तों से चला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय ने कही कि वही यूनिट वाइबल मानी जाती है जिसमें 108 लाख बल्क लीटर परईयर उत्पादन होता हो। अल्कोहल में जहां 30 लाख लीटर हो रहा है और पूरे प्रान्त में 50 लाख लीटर बल्क में उत्पादन हो रहा है। आप यह कह कर नजरन्दाज नहीं कर सकते कि केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 पर्सेन्ट के हिसाब से ऑन एन एवरेज, औसतन उत्पादन हर प्रान्त में चाहे शराब हो या कोई भी चीज हो, खपत बढ़ती है। मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर 15 पर्सेन्ट जिस

(श्री जुबेर खान)

चीज का कंजम्पशन बढ़ता हो, आप यह कहते हैं कि 75 के बाद में हम कोई नई डिस्टलरी नहीं लगा सकते हैं, क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं, उनका आधुनिकीकरण नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप किस तरह से यह कोटा पूरा कर पायेंगे ।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 3–4 स्टेट ही अल्कोहल में डेफिसिट में हैं । उदाहरण के लिए मध्य-प्रदेश की स्थिति है, अपने यहां तो 50 लाख बल्क लीटर तो उत्पादन होता है लेकिन वहां पर तो 30–35 लाख बल्क लीटर उत्पादन होता था ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से और प्रान्तों में अपना पैसा चला जाता है । आज मध्य–प्रदेश की यह हालत है कि 3–4 लाख बल्क लीटर दूसरे प्रान्तों में पिछले 6 साल से व्यवस्था बदल कर 5 करोड़ रुपये सालाना का निर्यात कर रहे हैं । जहां तक आप कहेंगे कि क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं, अक्टूबर, 1986 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि जहां पर 15 पर्सेन्ट उपयोग बढ़ता है, जिस चीज का कंजम्पशन बढ़ता है तो जो मौजूदा डिस्टलरियां हैं उन्हीं डिस्टलरियों में आप क्षमता भी बढ़ा सकते हैं और उनका आधुनिकीकरण भी कर सकते हैं । अटरू इकाई बन्द पड़ी हुई है 1980 से, आपने उसके लिए क्या कदम उठाये हैं जिससे कि कोई शुरूआत की जा सके ।

आप एक बात कहते हैं कि मोलासेज की कन्ट्रोल से रेट 300 रुपये प्रति टन है । आपको अगर ब्लैक से लेनी है तो 600-700 प्रति टन के हिसाब से मिलती है । मंत्री महोदय मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अगर आप यहीं उत्पादन नहीं करके बाहर से मंगाते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में 6 रुपये प्रति लीटर के देने पड़ते हैं । अगर आप यहीं उत्पादन करेंगे तो 6 रुपये प्रति लीटर बचेंगे । दूसरा, एम्प्लायमेंट जेनेरट होगा, तीसरा, रेगुलर सप्लाई मिलेगी, चौथा, जिस प्रकार से मध्य–प्रदेश स्टेट आज 1986 से 1990 तक, पिछले 4–6 साल से एक्सपोर्ट करके आय प्राप्त कर रहा है, आप भी दूसरे प्रान्तों को एक्सपोर्ट करके आय प्राप्त कर सकते हैं ।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या आप मोलासेज का भी आयात करते हैं ? अगर मोलासेज का आयात करते हैं तो उस पर भी क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हैं या स्प्रीट पर ही एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हैं ? यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ देशी मदिरा बनाने के हिसाब की बात है । अगर विदेशी मदिरा बनाते हैं अपने प्रान्त में वह सब लोग भी बाहर से अल्कोहल मंगाते होंगे, उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अपने प्रान्त का कितना पैसा एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से दूसरे प्रान्तों में चला जाता है । इसलिए आप इस व्यवस्था में सुधार करें, आप इस बारे में विचार करें । दूसरे प्रान्तों के आधार पर कमेटी बनाकर इसका निर्णय करें, इसकी थारोली जांच करवायें अगर आपकी कोई व्यवस्था बन सकती है इसका आधुनिकीकरण किया जाता है या ट्रांसफर किया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रान्तों ने पोल्युशन के नाम से डिस्टलरी को बदल कर दूसरी जगह भी लगाई है । उदाहरण आपके सामने मौजूद

(श्री जुबेर खान)

है। अगर आप चाहेंगे तो इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत तौर पर कागजात दे सकता हूं जिनमें दूसरे प्रान्तों ने यह व्यवस्था सुधारी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रान्त के हित में अगर आपको कोई कदम उठाने पड़ते हैं, अगर आपको केन्द्र सरकार पर कोई दबाव डालना पड़ता है तो आप डालें लेकिन इसकी व्यवस्था में सुधार करें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां जिर्स रेट में 8.40 प्रति लीटर आप लेते हैं और यहां पर आधुनिकीकरण हो, मशीनें सही स्थिति में हों तो 5 रुपये 75 पैसे कॉस्ट आती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप डिफरेंस निकाल लीजिए जहां हम लाखों के हिसाब से आयात करते हैं तो कितना अधिक फायदा उन प्रान्तों को होता होगा।

आप एक बात कह सकते हैं कि कर्मचारी कहां जायेंगे? आपके टोटल 32 कर्मचारी हैं सिर्फ उन डिस्टलरियों में जो काम कर रहे हैं। जिनमें से 7 तो कोटा की अटरू में थे जो 1986 से बन्द है। एक्साइज डिपार्टमेंट में उनको आब्जर्व किया गया है और 25 गंगानगर शुगर मिल में हैं, उनको शुगर मिल में आब्जर्व करवा सकते हैं। मेरा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आपने 1990–91 में जनवरी तक 1327.20 लाख रुपये का निर्यात किया है और यहां का पैसा आपने दूसरी स्टेट को दिया है और 1989–90 में आपने 110 लाख बल्क लीटर का निर्यात किया था। ऐसी बात नहीं है कि मात्रा नहीं बढ़ी हो, मात्रा तो बढ़ती जा रही है जिसके ऊपर आपने 924 लाख रुपये खर्च किए और यहां पर जो कन्ट्री मेक शराब के लिए स्प्रीट बनाते हैं, देशी और विदेशी मदिरा के लिए। आप यह देखें कि 1989–90 में आपने 1474.96 लाख रुपये दूसरे प्रान्तों को दिए हैं।

इसलिए मंत्री महोदय, मेरा तो विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इसकी पूरी जांच करवायें और राज्य के हित में आप देखें। क्या दूसरी तरह से वाइबल कह सकते हैं? अगर आपकी जरूरत बढ़ती है तो आपको नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और दूसरे प्रान्तों की तरह हमारे यहां के सहकारी विभाग और सरकारी विभाग नहीं चला सकते हैं तो आपको दूसरे प्राइवेट लोगों को इन्वाइट करके, जरूरत पड़े तो आप टेंडर करके इन्वाइट करें और ऑक्शन करके दीजिए जिससे राज्य को लाभ होगा... (व्यवधान)... क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकारी लोग आपको कह देंगे कि यह वाइबल नहीं है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप हरेक को अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जुबेर खान: सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह मैं आपको दिखा सकता हूं जिसके अन्दर क्षमता बढ़ाने का पूरा हक है। मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि आज तक पिछले पांच वर्षों में आपने कितना रुपया दूसरे प्रान्तों को दे दिया?

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं पूछना चाहती हूं मन्त्री महोदय से कि वह हाउस की प्रोपर्टी है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए आप। पहले बैठिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो सुझाव तो देने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर के बाद तो पूछने देंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी बैठिए आप, बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा देखा जाएगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटरू की डिस्टलरी का मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि हाउस में शराब के रॉ मेटेरियल से राजस्थान के हित को कैसे जोड़ा जा सकता है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप, पहले बिराजिए। मेरा निवेदन है बैठिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं दोनों का उत्तर एक साथ दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखना बन्द कर दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इनका उत्तर आने दो फिर अलाऊ करूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है उस भावना का जहां तक सम्बन्ध है राज्य सरकार का कोई मतभेद नहीं है। राज्य सरकार की आमदनी बढ़े उस नाते हमको अन्य राज्यों से एल्कोहल इम्पोर्ट न करना पड़े हम अपना एल्कोहल बना लें उस नाते उसके लिए जितनी डिस्टलरी की आवश्यकता है उन डिस्टलरियों का हम निर्माण करें कहीं इस प्रश्न पर मतभेद पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसा वह स्वयं इस बात को मानकर चल रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया, मैं आंकड़े देकर भी बताऊंगा कि राजस्थान के अन्दर केवल शुगर मिल हमारे पास तीन हैं। एक गंगानगर शुगर मिल, एक सहकारी क्षेत्र के अन्दर केशोरायपाटन शुगर मिल और तीसरा मेवाड़ शुगर मिल जो भोपाल सागर है, मेवाड़ वाली जो शुगर मिल है वह प्राइवेट है। वह अपना मोलेसेज के आधार पर स्वयं का एल्कोहल बना रही है। राज्य सरकार बहुत सा अंश उसका अपना लेती है लेकिन जो उसका एल्कोहल है उसके आधार पर उसके पास लाइसेंस है। वह अपना इण्डियन मेड फोरेन लिकर जो कहलाती है उसको बनाकर बेचती है। तो हमारे पास तो मोलासेज की दृष्टि से केवल दो यूनिट रह जाती हैं। गंगानगर शुगर मिल और केशोराय पाटन शुगर मिल। इन दोनों से हमको जो मोलासेज मिलता है वह इतना कम है कि हमारी जो केपेसिटी गंगानगर शुगर मिल के पास डिस्टलरी में है उसकी आवश्यकता की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मैं आंकड़े देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर डिस्टलरी में मोलासेज की मांग 18 हजार टन है। वर्ष 1951 में राज्य में मोलासेज का उत्पादन निम्न

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

प्रकार था :—

गंगानगर—3400 टन

केशोराव पाटन—7400 टन।

वर्ष 1990-91 में गंगानगर डिस्टलरी में 15,870 टन मोलासेज उपयोग में लाया गया। यनि केपेसिटी 18 हजार टन की है उसको भी मीट करने के लिए हम मोलेसेज बाहर से नहीं ला पाए, हमें नहीं मिला केवल उसके अगेंस्ट में हमको 15,870 टन मोलेसेज प्राप्त हुआ जो हमने उपयोग में लिया। एल्कोहल बनाने के लिए हमको 8,400 टन हम नए यूनिट लगा सकते, न मोलेसेज तो उत्तर प्रदेश से लाना पड़ा। इसके अलावा हरियाणा से भी मोलेसेज मंगाया गया। तो हमारी जो आज डिमाण्ड है जिनती हमारी कैपेसिटी आलरेडी क्रिएटेड है, यद्यपि गंगानगर का प्लान्ट पुराना है। पुराना होने के बाद भी जो उसको कैपेसिटी जितने मोलासेज को यूज करके एल्कोहल बनाने की है उस क्षमता को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमको यू.पी से और दूसरे प्रदेशों से मोलेसेज मंगाकर के मांग पूरी करनी पड़ रही है।

ऐसी स्थिति में जब हमारे पास स्वयं की कैपेसिटी नहीं है तो चाहे वह अटरू का सवाल हो या अन्य डिस्टलरी लाने का सवाल हो और रिनोवेट करने का सवाल हो, हम मोलेसेज लाएंगे कहां से ? राजस्थान किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान के अन्दर शुगरकेन कहां होता है, गंगानगर के अन्दर जो शुगर केन की स्थिति थी, जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वह मुझसे ज्यादा जानते होंगे। एक समय यह प्राइवेट कम्पनी थी। गंगानगर के अन्दर जब इसको लोस होने लगा, यह भागकर जाने वाली थी, उस समय स्टेट के अन्दर आई। दो साल के लिए लीज के ऊपर इस कारखाने को लिया गया क्योंकि मजदूरों ने वहां पर आन्दोलन कर दिया था कि हमारे गन्ने का क्या होगा, किसान चिल्लाने लग गए थे। फिर जाकर के राज्य सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और आज हालत यह है कि गंगानगर शुगर मिल के लिए उस क्षेत्र के अन्दर गन्ना उपलब्ध नहीं है ताकि शुगर फैक्ट्री भी चल जाए।

एक कहानी इसके साथ और जुड़ी हुई है यह जितना भी हमको आमदनी होती है उस मोलेसेज का एल्कोहल बनाकर या दूसरे प्रदेशों से एल्कोहल लाकर के उस आमदनी के आधार पर जो कुछ हम कमाते हैं वह सारी की सारी कमाई गंगानगर शुगर फैक्ट्री और धोलपुर ग्लास फैक्ट्री में चला जाता है इसलिए कहीं आपत्ति नहीं है। अब अगर माननीय सदस्यों का यह कहना हो इसके आधार पर कैपेसिटी बनाई जाए, नए लोगों को प्राइवेट पार्टीज को इन्वाइट किया जाय, वह अपना इन्वेस्ट करें, राज्य सरकार की एक लिमिटेशन है। मैं यह मानता हूं कि हमें मोलेसेज मिलने में जो मोलेसेज बोर्ड है वहां पर तय होता है। मोलेसेज बोर्ड जब हमको कोटा एलाट करता है उस कोटे से अगेंस्ट हम यू. पी. से मोलेसेज लेकर आ सकते हैं। हम डायरेक्ट मोलेसेज नहीं ला सकते। जो प्राइवेट पार्टी मोलेसेज लाती हैं वह कैसे लाती हैं, अण्डर हैण्ड कितना वर्क कर सकती है, स्टेट

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

गवर्नमेन्ट तो उस अण्डर हैण्ड से काम नहीं कर सकती ।

हमारे पास एक रास्ता है कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वह एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा हमको दी जाती है । वह रिक्वायरमेंट हम एलकोहल के माध्यम से, दूसरे राज्यों से एलकोहल लाकर करते हैं । इसके अन्दर माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन्होंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया है, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जिस समय डिमाण्ड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, एलकोहल की बहुत आवश्यकता होती है, मार्केट के अन्दर, इण्डियन मार्केट के अन्दर एलकोहल नहीं मिलता है । उस समय यह जिनके पास मोनोपोली है शुगर फैक्ट्रियों के कारण मोलेसेज के कारण और मोलेसेज के आधार पर एलकोहल बनाने पर वह एलकोहल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं और जब डिमाण्ड कम होती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है वहां पर एलकोहल की उस समय वह इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं यदि हमारे साथ इस प्रकार की आंख मिचौलियां होती हैं कि अगर हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा लें, मोलेसेज भी हमारे पास किसी प्रकार आ जाए तो यह गारन्टी नहीं है कि कम्पीटीशन के अन्दर विशेषकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अन्दर जो वह इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर और घटाकर के जो खेल खेलते हैं उसको हम मीट कर सकें । तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत मजबूरी है कि राज्य सरकार जैसे मैंने बताया कि वाइबल यूनिट के लिए तीस हजार टन चाहिये । हम बना भी लेते हैं, इनवेस्ट भी कर देंगे, किया भी जा सकता है, राज्य सरकार को रिक्वेस्ट भी कर देंगे लेकिन उसके लिये मोलेसेज कहां से लायेंगे ? मोलेसेज हमारे पास होगा तो हम एल्कोहल बनायेंगे और एल्कोहल के आधार पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है । मैं मानूंगा इस बात को डिमाण्ड बढ़ती चली जा रही है, डिमाण्ड के आधार पर उसकी मीट करना पड़ रहा है, एल्कोहल लाते हैं । यह सच है कि मोलेसेज के ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती । लेकिन मोलेसेज हम तभी ला सकते हैं तब तक हमको बोर्ड इजाजत दे और सबसे बड़ी बंदिश तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जैसा मैंने निवेदन किया कि सरकार के द्वारा हम पर पाबन्दी लगाई हुई है कि हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड नहीं कर सकते । न हम नए यूनिट लगा सकते, न हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकते ।

माननीय सदस्य ने जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है मैं चाहूंगा कि वह मुझे दें मैं उसका अध्ययन कर लूंगा क्योंकि मुझे इतना तो याद है कि एक्सटेन्शन उन्होंने केवल इतना तक अलाऊ किया है अदर देन मोलेसेज, जैसे आलू हो सकता है, जैसे एक बड़ा पौधा होता है उसके आधार पर बन सकता है, तीसरी चीज होती है । एक तो चुकन्दर है और चुकन्दर के आधार पर तो गंगानगर में आरम्भ किया है । लेकिन वह चुकन्दर का बीज इस बार गंगानगर को नहीं मिला इसलिए चुकन्दर पैदा नहीं हुआ । तो इसके आधार पर अलाऊ किया है । लेकिन हमारी जो स्थिति है उस सम्बन्ध में और आपने जो कहा उसका अध्ययन करा लेते हैं कि क्या राजस्थान की बढ़ती हुई डिमाण्ड को मीट करने के लिए अगर हमको प्राइवेट

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

पार्टीज को बुलाकर राजस्थान के अन्दर डिस्टलरी भी देनी पड़ती है मैं समझता हूं यह इतना आसान विषय नहीं है। जिस पर कि हम निर्णय ले सकें। क्या हम डिस्टलरी को बढ़ाना चाहते हैं ? मोलेसेज हमारे पास नहीं हैं पर हम जानते हैं। मोलेसेज के लिये शुगर केन फैक्ट्री ज्यादा क्रिएट कर सकें राजस्थान में वह आज स्थिति नहीं है। तो क्या प्राइवेट पार्टीज को बुलाकर अण्डर हैण्ड वर्क करके मोलेसेज इस प्रकार के लाने के लिये हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके आधार पर केवल अपनी कैपेसिटी को अधिक बढ़ाकर हम राजस्थान के अन्दर एल्कोहल को पैदा करके अपनी स्वयं की डिमाण्ड को हम मीट कर सकें। हम जानते हैं कि जो एल्कोहल हम खरीद रहे हैं उस एल्कोहल पर हमें मनमाने ढंग से जो पैसे मांग रहे हैं वह देने पड़ रहे हैं और उसी आधार पर अपनी मांग को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यह सही है क्योंकि हमारे पास मोलेसेज नहीं हैं और हमारे पास मोलेसेज होते तो उसी आधार पर कैपेसिटी क्रिएट करके हम यूनिट भी ला सकते थे, नई डिस्टलरी भी ला सकते थे इनको रिनोवेट भी कर सकते थे यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है ···(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारी बात स्पष्ट हो गई है। माननीय श्री बंशीलाल जी पटवा।

श्री रमाकान्त शर्मा : छोटा सा प्रश्न है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने व्यवस्था दे दी।

श्री जुबेर खान : आपने कह दिया कि हमारे यहां मोलेसेज नहीं होता है। आपने कह दिया कि केन्द्रीय सरकार आपको कोटा देती है····(व्यवधान) केन्द्रीय सरकार ने···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये।

श्री जुबेर खान : आज इस स्थिति में हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं····(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : शराब की चर्चा हो, हाउस में चर्चा हो और माननीय सदस्य उसकी बिक्री बढ़ाने की बात करे।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी आप विराजिये।

श्री जुबेर खान : अगर आपको यह लगता है कि वह आपके हित में है, सरकार के हित में है, प्रान्त के हित में है तो आप मध्य प्रदेश में अपनी टीम भिजवाइये अगर उसमें कोई तथ्य मिलते हैं तो आप उसको लागू करिये और नहीं मिलते हैं तो आप निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस धर्म में शराब पीना हराम होता है वहां भी शराब की बिक्री बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। हाउस में खेद प्रकट करें, कौनसी ऐसी बात हो गई है कि यह उनके लिए चिन्ता की बात है। बात तो यह है कि हाउस में शराब की बिक्री की चर्चा की बात है····। (व्यवधान) यह अफसोस की बात है। मैं यह कहना चाहती हूं कि शराब बन्द कर दीजिये कोई जरूरत नहीं शराब की।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा किसी को। माननीय अरोड़ा जी, नोट नहीं किया जाये इनका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब इनको आप अलाऊ कर रहे हैं तो हमको भी....

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ नहीं कर रहा हूं, नोट नहीं हो रहा है इनका। माननीय उजलाजी बैठिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी।

श्रीमती उजला आरोड़ा : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल। एक सवाल आप ऐसा मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हैं कि इसी पर सारी चर्चा हो। चार काल अटेन्शन मोशन हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसी पर नहीं उपाध्यक्ष महोदय, बराबर ऐसे विषय आते हैं। आप समय बरबाद कर रहे हैं हाउस का। इतनी देर में तो जवाब भी आ जाता।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेयर को चेलेन्ज कर रहे हैं कि समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या शुगरकेन की खपत पहले से कम हुई है। अगर उसकी आपूर्ति आज कम हो रही है। उसके क्या कारण हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गंगानगर शुगर मिल काश्तकारों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं देती हो।

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था है (व्यवधान) चार बज गये, बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस होनी शेष है इसलिए मेरा आपसे कहना है कि काल अटेन्शन पर केवल पांच पांच मिनट बुलवाइये। चार बज गये।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो सदन के वरिष्ठ सदस्य भी ध्यान नहीं रख रहे हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई जवाब नहीं, बैठ जाइये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके लिये ये विषय इम्पार्टेन्ट हो सकता है, दूसरों के लिये कोई विषय इम्पार्टेन्ट हो सकता है आपका विषय हो तब तो एक घंटे बात हो उस पर। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका थोड़े ही है। हर आदमी की अपनी बात होती है, आप आसन को निर्देश दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके हैं। विराजिये आप।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जिस बात को कहा हम सब उसके हामी हैं। शराब बंदी होनी चाहिये लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में न तो अधिकृत हूं और मुझे लगता है कि, यह मुझसे सम्बन्धित नहीं है। यह विषय तो एक्साइज मिनिस्टर का है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप काहें को उत्तर दे रहे हो इसका।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नियम नहीं है उजला जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दूसरा झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शुगरकेन की बात कही वहां कोई शिकायत नहीं है कि शुगरकेन के पैसे नहीं दिये, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इरिगेशन का पानी वहां पर उपलब्ध नहीं है, शुगरकेन पैदा नहीं होता है इसलिये यह स्थिति पैदा हुई है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मध्य प्रदेश को एग्जामिन करवा लिया जाये, यह ठीक है कि मध्य प्रदेश एक डेफिसिट एरिया है, वहां मोलेसेज नहीं है, शुगरकेन नहीं है किस प्रकार वहां का काम चल रहा है, किस प्रकार भलाऊ किया है इसका अध्ययन करवा लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा में गम्भीर अनियमिततायें

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी शिक्षण संस्था, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में पनप रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा के विधान के अनुसार संस्था में निम्न वर्णित पदाधिकारियों के पद अनुमत है :—

1 अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. मैनेजर 4. कोषाध्यक्ष, 5. मंत्री (प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य)। संस्थान की कार्यकारिणी के चुनाव दिनांक 6-4-86 को सम्पन्न हुए थे, जिसमें निम्न प्रकार पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ था। श्री उम्मेदसिंह आजाद, अध्यक्ष, 2. श्री केदार मल तोषनीवाल, उपाध्यक्ष एवं मैनेजर, श्री जगदीश प्रसाद काबरा कोषाध्यक्ष।

श्री उम्मेद सिंह आजाद, अध्यक्ष पद पर उनकी मृत्यु दिनांक 22-7-87 तक कार्यरत रहे। श्री केदार मल तोषनीवाल को भी दिनांक 6-4-86 को निर्वाचन अधिकारी एस. डी. एम., गुलाबपुरा द्वारा गुलाबपुरा द्वारा उपाध्यक्ष एवं मैनेजर के पद पर निर्वाचित किया था। श्री तोषनीवाल मैनेजर होते हुये अध्यक्ष नहीं बने थे। श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एवं श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना क्रमशः सहायक सदस्य एवं द्वितीय अभिभावक सहायक सदस्य के रूप में दिनांक 3-4-86 को ही निर्वाचन घोषित हुये थे तथा उन्हें बैठकों में बुलाया गया था। श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना दिनांक 3-10-86 की कार्यकारिणी की बैठक में आमन्त्रित किये गये थे, किन्तु उन्हें आगामी बैठकों में आमन्त्रित नहीं किया गया।

श्री जगदीश प्रसाद काबरा की मृत्यु

(हरिकुमार औदिच्य)

से कोषाध्यक्ष का पद दिनांक 20-7-86 को एवं श्री उम्मेद सिंह आजाद की मृत्यु पर अध्यक्ष पद दिनांक 22-7-87 को रिक्त हुआ, जबकि उपाध्यक्ष का पद श्री केदारमल तोषनीवाल के त्याग पत्र के कारण दिनांक 5-10-86 को रिक्त हुआ है। इन पदों हेतु कार्यकारिणी एवं साधारण सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर पूर्ति की गई है। श्री सत्यनारायण राठी को कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 3-10-86 के पारित प्रस्ताव द्वारा श्री मोतीसिंह छाजेड को उपाध्यक्ष पद हेतु कार्यकारिणी के दिनांक 27-11-86 को प्रस्ताव के द्वारा चुना गया, जबकि अध्यक्ष के पद पर समिति की साधारण सभा की बैठक दिनांक 10-1-92 को श्री मोतीसिंह छाजेड को निर्वाचित किया गया है। समिति के विधान की धारा 9 के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों में एक से अधिक स्थान रिक्त होने पर उक्त सदस्यों के चुनाव समिति की साधारण सभा को करवाने तक, एक सदस्य का चुनाव स्वयं कार्यकारिणी द्वारा करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकार संस्था के विधान के अनुसार ही उपरोक्त निर्वाचन सम्पन्न हुये।

समिति के सदस्य बनने वाले इच्छुक व्यक्तियों को विधान के अनुरूप सदस्य बनने से नहीं रोका गया तथा न ही किसी अध्यापक को विद्यालय से निकाला गया है। यह कहना भी सही नहीं है कि संस्था राजनीति का केन्द्र बनी हुई है।

वर्तमान विधान संस्था की जनरल सभा 1968 में पूर्व में पारित किया गया था। संस्था की नई कार्यकारिणी द्वारा साधारण सभा की बैठक बुलाकर दिनांक 10-1-92 को पुराने संविधान में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव पारित कर उसे सहकारी विभाग को भेजा गया है।

छात्रावास निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रुपये 65 हजार की राशि प्राप्त हुई थी। छात्रावास का निर्माण कार्य दिनांक 10-8-88 को प्रारम्भ हुआ था। समस्त व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से अनुमोदित कराकर, नियमानुसार भुगतान किया गया है। छात्रावास का निर्माण कार्य समिति बना कर ही करवाया गया है।

संस्था में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री धैर्य कुमार ठक्कर, जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा को दिनांक 12-11-90 को प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 17-11-90 को कार्यग्रहण किया था, किन्तु कार्यग्रहण करने के पश्चात् उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 20-11-90 स्थगित कर दिया गया। उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णयानुसार प्रशासक नियुक्ति के आदेश स्थगित कर दिये जाने से उसके पूर्व विद्यमान स्थिति स्वतः बहाल हो जाती है। श्री ठक्कर ने पुनः चार्ज नहीं लिया, किन्तु इस स्थगन के निर्णय के अनुसार संस्था को स्वयं उसके संचालन करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जबकि न्यायालय के अन्यथा निर्णय हो अथवा स्थगन आदेश को निरस्त नहीं करवा लिया जावे, स्थगन आदेश को निरस्त करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में उप जिला अधिकारी, शिक्षा

Page No. 116

(हरिकुमार औदिच्य)

(विधि) जोधपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, जिनके द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पटवा जी ।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा में गांधी शिक्षण संस्था के अधीन विद्यालय चलता है और किसी जमाने में श्री मोहन सिंह ढाबरिया की देखरेख में यह विद्यालय, एक अच्छे विद्यालय के रूप में माना जाता था और वहां पर दूर-दराज के विद्यार्थी पढ़ने आते थे....

श्री देवेन्द्र सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर । जब यह मामला सब जुडिश है तो क्या इस पर बहस हो सकती है ।

श्री बंशीलाल पटवा : क्या फरमा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मामला कोर्ट में है, वे कह रहे हैं ।

श्री बंशीलाल पटवा : मामला सब जुडिश नहीं है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह तो आप फैसला करें, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया, मामला कोर्ट में है तो क्या बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : वे अलग तथ्यों पर बोल रहे हैं ।

श्री बंशीलाल पटवा : मेटर सब जुडिश नहीं है । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : मामला बिल्कुल सब जुडिश है । मन्त्रीजी ने कहा है सब जुडिश है । अपने जवाब में कहा है ।

श्री बंशीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय ने अलाऊ कर दिया, मामला सब जुडिश नहीं है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं उन्होंने जवाब में कहा है, आप उनसे पूछिये ना ।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, वह सदन में वक्तव्य आ चुका है । सब जुडिश नहीं है मैटर ।

श्री यदुनाथ सिंह : वक्तव्य से ही तो पता लगा कि मामला सब जुडिश है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कौनसे तथ्य कहना चाह रहे हैं, कहिये ना आप ।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं कोर्ट के तथ्य की बात नहीं करूंगा ।

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं तो इसमें तथ्य क्या है । इसमें तथ्य तो सारे मंत्रीजी ने कह दिये । इसमें स्वीकार कर लिया है इस बात को ।

श्री उपाध्यक्ष : एक-दो सवाल कहने हैं, बाकी तो सारे कह दिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : उसके बाद मामला कोर्ट में है, वह स्वीकार कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है ।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं कोर्ट के तथ्यों पर बात नहीं करूंगा ।

श्री देवेन्द्र सिंह : हाई कोर्ट में है और

(श्री देवेन्द्र सिंह)

कोई प्रश्न ही नहीं है, और कोई इश्यु ही नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, मैं कोर्ट के तथ्यों पर बात नहीं करूंगा। कोर्ट ने जो स्टे दिया है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ये अनियमितताओं के बारे में कह रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : कह दिया ना मन्त्री जी ने।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं इर्रेगुलरिटीज के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें इर्रेगुलरिटीज क्या है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : सारी बातें तो उन्होंने बता दी। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। कोई अनियमितता नहीं हुई है और....

श्री बंशीलाल पटवा : मैं कोर्ट के स्टे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इर्रेगुलरिटीज की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कहिये ना, जो कुछ कहना है।

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं, कैसे कह सकते हैं जब सब जुडिस है।

श्री बंशीलाल पटवा : कैसे नहीं कह सकता हूं। यह तो आप मान सकते हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उनसे थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री बंशीलाल पटवा : मैंने आपको अलाऊ किया है ना।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Total matter is not subjudice

श्री बंशीलाल पटवा : चलो रूलिंग मिल गई। मेरा यह निवेदन है....नहीं रूलिंग मिल गई।

श्री देवेन्द्र सिंह : मन्त्रीजी ने जवाब में कहा है।

श्री बंशीलाल पटवा : डिसीजन हो चुका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर कहां तक बोला जा सकता है, सब जुडिश मैटर को भी यहां पर अलाऊ किया गया है इसलिए इस मामले में जो है, आप ज्यादा....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पता नहीं, आप कैसे अलाऊ कर रहे हैं। यह क्या बात कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप यह परम्परा डाल रहे हो कि सब जुडिश मामले पर यहां चर्चा कराई जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, रूलिंग है, वह भी ध्यान है हमें, वह भी हमें ध्यान है। (व्यवधान) कहां तक मेम्बर बोल सकता है, कहां तक नहीं बोल सकता है, इसी लास्ट सेशन में ही आया है इस प्रकार का मामला। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह पहली बार

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अलाऊ किया जा रहा है कोर्ट के मामले को ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी स्पष्ट करें क्या है । एक मिनट बिराजिये आप । माननीय मन्त्रीजी ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट का प्रश्न है कोर्ट ने अपने आदेश से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12-11-90 को स्टे किया है जिसके अन्तर्गत वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो एडमिनिस्ट्रेटर के आपरेशन का है । ये दूसरी बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : वह तो एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : वे दूसरी बात कह रहे हैं । टोटली एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया हुआ है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी व्यवस्था दी है कि सब जुडिस मैटर को भी हाउस में चर्चा के लिए अलाउ किया गया है, ऐसा नहीं है । ऐसा कभी भी नहीं किया गया । हमेशा कोर्ट के अन्दर पेंडिंग मामले की यहां पर चर्चा नहीं की गई । आसन से यह कहा गया कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा की जा सकती है । लास्ट सेशन में ही यहां पर अलाउ किया गया है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि आगे से इस तरीके से आपकी रूलिंग के बाद व्यवस्था हो जायेगी, कृपया आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जो कह चुका हूं, ठीक कह चुका हूं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जो हमको... .... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : वह ही हम क्लियर करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट मैं निवेदन कर दूं । एक मिनट बिराजिये आप । प्लीज मेरा निवेदन यह है कि हाउस में इस प्रकार के मैटर आए हुए हैं कि जो मैटर सबजुडिस है या जिसको कार्ट में चेलेंज किया हुआ है, जिसका न्यायालय में निर्णय होना अभी शेष है, उस बारे में यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती........माननीय देवेन्द्र सिंह जी, लेकिन ये जो तथ्य उठा रहे हैं, ये कोर्ट के द्वारा या जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं । ये अन्य तथ्य बोल रहे हैं । उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं । उन तथ्यों पर जायेंगे तो उनको रोक देंगे ।

श्री देवेन्द्र सिंह : मेरा यह सवाल नहीं है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

महोदय, इस मामले में माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब में बहुत स्पष्ट कहा है कि यह मामला कोर्ट में था, उस पर स्टे हो चुका है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया है, यह माननीय मन्त्री महोदय के जवाब में आया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इस मामले से सम्बन्ध नहीं था। आपकी रूलिंग के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, वह आपने अपनी व्यवस्था दे दी, वह ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन करना है जब कोर्ट में मामला लम्बित होता है, सब जुडिश होता है, उस केस को हम यहां पर बहस नहीं कर सकते....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यहां पर जो तय हो रखा है, उसके बारे में कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। यह सदन की परम्परा रही है कि जो कोर्ट में सब जुडिश मामला है, उस मामले को नहीं उठाया जा सकता.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोर्ट का निर्णय यहां की बहस से प्रभावित होगा इसलिए यहां उस पर बहस ही नहीं कर सकते।

श्री देवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके इस पर गौर कीजिये स्टे किस पर हुआ है ?

श्री बंशीलाल पटवा : मैं इर्रेगुलरिटीज के बारे में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न न्यायालय में पैंडिग हो, उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। आप सुनो तो सही।

श्री बंशीलाल पटवा : उससे रिलेटेड नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मामला उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है।.......(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : आप मेरी बात सुनिये। एक एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय। वहां पर एडमिनिस्ट्रटर के पद को भर दिया गया। उस पर कोर्ट में गये, कोर्ट से वापस स्टे होकर स्थिति यथावत् रही, वह एडमिनिस्ट्रेटर हट गया और गवर्नमेंट के आदेश रिवोक हो गये और वहां पर आज की तारीख में चुना हुआ आदमी काम कर रहा है। जो अनियमितताएं हैं उस पर जांच हाई कोर्ट में हो रही है। यदि हाई कोर्ट में अनियमिततायें साबित होती हैं तो स्टे आर्डर वेकेट होगा तो वह खारिज हो जायेगा।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, आर्डर पर स्टे हुआ है। केवल आर्डर पर स्टे किया हुआ है। मेरी बात तो इर्रेगुलरिटी की है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : यह चीज वह ही है। इसलिए सब जुडिस है और क्या इश्यु है।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप क्या कर रहे हैं।

Page No. 120

(120)

श्री मदनलाल सैनी : मैं सहारा लगा रहा हूं इनको ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सहारे की जरूरत नहीं है........(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : यह इश्यु सब जुडिश इसलिए है कि वह अनियमितताओं के खिलाफ कोर्ट में गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय को सारा देखने के बाद ही इसको अलाऊ किया गया है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह आपके सामने आया ही नहीं कि यह मामला सब जुडिश है यह तो मन्त्रीजी ने अभी कह चुके, तब आपको पता चला कि यह मामला सब जुडिश है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं यह उत्तर सारे आते हैं पहले ।

श्री बंशीलाल पटवा : मन्त्रीजी ने तो यह कहा था, मैं इर्रेगुलरिटीज के बारे में बोल रहा हूं ।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप मन्त्रीजी से पूछ लीजिये कि सब जुडिस कितना है, किस पाइन्ट पर कोर्ट में गये हुए हैं........ (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, जब 12-11-90 को राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, उस नियुक्ति के अगेन्स्ट में संस्था हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने उसके सन्दर्भ में जो स्टे आर्डर दिया है, उसकी 4 लाइन है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"Issue notice, returnable within two weeks, to be given 'Dasti', for service to the learned counsel. Meanwhile operation of the order dated 12-11-90 (annex. 27) is stayed."

श्री देवेन्द्र सिंह : और क्या चाहिये । इसमें ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राउन्ड्स क्या हैं इसमें ।

श्री बंशीलाल पटवा : केवल आर्डर पर स्टे किया है इसमें........(व्यवधान) मैं इर्रेगुलरिटीज पर बोल रहा हूं ।

श्री राम सिंह विश्नोई : जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो माननीय सदस्य का बोलना और आपका अलाऊ करना जरूरी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है माननीय सदस्य रामसिंह जी, यह कार्य सूची में लिया हुआ सब्जेक्ट था, मैं स्पेशल दूसरा कोई अलाऊ नहीं कर रहा, मेरी तरफ से अलाऊ कर रहा हूं । कार्य सूची में लिया गया और अब भावना यहां आई है सदन के सामने, उसके बारे में........(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कार्य सूची में लिया गया तब मालूम नहीं था कि यह सब जुडिश है । अध्यक्ष महोदय, को वह मालूम नहीं था, तब उन्होंने उसको स्वीकार किया गया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर दिया । माननीय मन्त्रीजी ने जवाब दे दिया कोई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

अनियमितताएं नहीं हुई वहां पर फलां आदमी काम कर रहा है, सारी बातें कह दीं, फिर क्या बचता है।

श्री उपाध्यक्ष : अनियमितताओं के बारे में चैलेंज किया है क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अनियमितताओं को ही चैलेंज किया है। हाई कोर्ट में वही चैलेंज हुआ है।

श्री बंशीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, 86 में चुनाव हुए, उम्मेद सिंह....

श्री उपाध्यक्ष : चुनावों के बारे में आपने क्या कहा, चुनाव तो हो चुके हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं तो वहां पर जो इर्रेगुलरिटीज है, उसके बारे में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी कह चुके हैं कि चुनाव हो चुके हैं। अभी चुनाव हुए हैं और वे ही काम कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : वह नहीं है। उन्होंने नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष : बताया है।

श्री बंशीलाल पटवा : 86 में चुनाव हुए।

श्री उपाध्यक्ष : चुनावों में धांधली क्या हुई है। चुनाव में धांधली होती है तो कोर्ट में सुनवाई होती है, यहां नहीं होती है।

श्री बंशीलाल पटवा : वहां पर इर्रेगुलरटीज हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इर्रेगुलरटीज को लेकर वह किया गया है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं इर्रेगुलरटीज पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किस पाइन्ट को लेकर किया है ?

श्री बंशीलाल पटवा : मैं इर्रेगुलरटीज पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में स्टे आ गया है।

श्री बंशीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, वहां 1986 में चुनाव हुए... ....

श्री देवेन्द्र सिंह : चुनाव होने को कौन मना कर रहा है। आप कल ही कराओ ना चुनाव। चुनाव तो आप नहीं करा रहे।

श्री बंशीलाल पटवा : वहां उपाध्यक्ष चुना नहीं गया। वे मैनेजर मैनुपुलेट करके वहां पर अध्यक्ष बन बैठे और इस 30 तारीख तक सदस्य हैं और आज दिन तक लोगों को सदस्य नहीं बनाया जा रहा है और नरेन्द्र सिंह हाडा, गिरीशचन्द........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीलाल जी आपका मेटर सेम है, मैं अलाऊ नहीं करता हूं। माननीय पटवा साहब बिराजिए। मेटर सब ज्युडिस है। अब आप बिराजिए। (व्यवधान) नेक्स्ट, माननीय श्री रामकिशन जी और खंगारसिंह जी चौधरी।

Page No. 122

श्री बंशीलाल पटवा : (व्यवधान) और कोर्ट का आदेश है, स्टे है वह चुनाव पर है । (व्यवधान)

भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा टोपोशीट्स का दुरुपयोग

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन जी और श्री खंगार सिंह जी सीमावर्ती क्षेत्र की तैयार की गई टोपोशीटस का भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा यह निवेदन है कि इसकी पैरवी की जाय और वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी जांच की जांय ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप । (व्यवधान)

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : मैं टोपोशीट्स के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आर्कषित करता हूं ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है ।

यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई पोटोशीट्स रहती है । इन पोटोशीट्स को डबल लॉक में सुरक्षित रखे जाने की पूर्ण व्यवस्था भू-प्रबन्ध विभाग में है । व्यवस्थानुसार समस्त टोपोशीट्स डबल लॉक में सुरक्षित रखी गई है । यह सही नहीं है कि टोपोशीट्स विगत 10 वर्ष से डबल लॉक से बाहर है एवं इनका किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया है ।

श्री रामकिशन शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि इस पर कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की उसकी जांच की और फाइल आपने मंगवाई है ? आप कहते हैं कि उनका दुरुपयोग नहीं हुआ, तो शिकायत हुई है । शिकायत की जांच के लिए फाइल मंगवाई है, क्या यह सही नहीं है ? मैं पूछ रहा हूं तो आप साफ-साफ बताओ, इस तरह चीजों को छुपा क्यों रहे हो ? क्या यह सही नहीं है कि ये शीट्स दिल्ली ले जाई गई और फ्रेण्ड्स कॉलोनी में इनके छायाचित्र लिए गए ? इसके 200–250 के करीब अलग-अलग टुकड़े मिले हैं क्या यह बात सही नहीं है ? आपका यह कहना कि डबल लॉक में रखी जाती है अगर डबल लॉक में रखी जाती है तो दिल्ली में कैसे पहुंचाई गई ? वो छाया चित्र कैसे आ गया ? इन सारी चीजों को आप साफ-साफ बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खंगार सिंह जी ।

श्री रामकिशन शर्मा : यह तो सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही पूछ लें, उत्तर आ जायेगा । आप पूछना चाहते हैं खंगार सिंह जी ?

श्री रामकिशन शर्मा : यह अलग है, वो अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों एक ही हैं ।

श्री खंगार सिंह : टोपोशीट्स डबल लॉक से बाहर रहीं, यह किन-किन तारीखों को बाहर रहीं और दिल्ली में इनके छाया चित्र कितनी बार लिए गए और वे छाया चित्र लिए गए वे किस काम में लिए गए ? यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इन शीट्स को दिल्ली भेजा गया यह बात सही नहीं है, असत्य है। इस सम्बन्ध में एक ड्राफ्ट्समैन ने कुछ बातें लिखकर शिकायत पेश की है जिसकी जांच चल रही है। ड्राफ्ट्समैन ने 2.11 को कोई नोटशीट तैयार की थी और 4.12 को अपने अधिकारी के पास पेश की। उसमें उन्होंने अंत में यह जरूर लिखा है जो तथ्य वो साबित नहीं कर पाये। उन्होंने यह जरूर लिखा है कि इस प्रकार पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के नक्शे टोपोशीट्स काफी समय से डबल लॉक से बाहर गैर जिम्मेदार कर्मचारियों के पास रखना राज्य एवं राष्ट्रीय हित में नहीं है। यह उन्होंने जरूर लिखा है लेकिन उनसे कई बार पूछा कि किस वक्त में किसके पास में यह शीटें रहीं, आप जरा बताओ। 2-12 से लेकर आज दिन तक वो इस बात को साबित नहीं कर पाये, किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं दे पाये और शीटें बिल्कुल सुरक्षित हैं। वैसे इस विषय पर मैं समझता हूं ज्यादा चर्चा हाउस में करने बजाय की माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य हों तो हमें बतायें माननीय अध्यक्ष के पास में और हम उसकी जांच कर लेंगे।

श्री रामकिशन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, भू-प्रबन्ध ने इन शीट्स को किसलिए मंगवाया था और अगर मंगवाई हैं, क्योंकि यह तो सर्वे ऑफ इण्डिया के पास रहती हैं तो भू-प्रबन्ध विभाग ने किस काम के लिए इनको मंगाया, कितने दिन रखा और किस काम के लिए रखा है, यह जानकारी आप दें।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वे शीट्स जो माननीय सदस्य समझ रहे हैं कोई मिलेटरी से सम्बन्धित हमारे पास नहीं है। हमारे पास में केवल सर्वे ऑफ इण्डिया की साधारण शीटें हैं जिसकी जरूरत हमको पड़ती है तहसील नक्शा बनाने के लिए, हमारे सर्वे के लिए हर काम के लिए जरूरत पड़ती है और जितना आप समझते हैं उतनी सूचना इसके अन्दर, जैसा उत्तर लिखा है कि टावर की है, एरोड्रोम की है या मिलेटरी की छावनी की है। इस तरह की इसमें कोई जानकारी नहीं है। केवल बोर्डर की जानकारी जरूर है और इसलिए इसको प्रोटेक्टेड जरूर लिखा है और डबल लॉक में है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। (व्यवधान) इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री खंगारसिंह : मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें सारी तारीख हैं। आप अगर जांच कराना चाहते हैं तो पूरी जांच करवा सकते हैं और मैं आपको यह कागज देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह साधारण है माननीय खंगारसिंह जी, इस पर हो गया। जैसा आप समझ रहे हैं वह नहीं है। नेक्स्ट।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत श्रमिकों में फैल रही फैंफड़ों की रहस्यमय बीमारी की ओर श्रम राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

दीपा स्टेट्स फैक्ट्री के श्रमिकों में फैल रही फैंफड़ों की बीमारी

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत मैं माननीय श्रम राज्य मन्त्री का ध्यान विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर स्थित दीपा स्टेट्स फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में फैल रही फैंफड़ों की रहस्यमय बीमारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मन्त्रीजी।

श्री बाबूलाल खाण्डा (श्रम राज्य मंत्री) : जयपुर शहर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नं. 2 पर दीपक एसोसिएट एण्ड मिनरल फैक्ट्री का औद्योगिक संस्थान दिसम्बर, 91 से बन्द पड़ा है। इस सम्बन्ध में यह प्रकरण विभाग के सामने राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत एवं अन्य समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने पर आया था जिसकी जांच की गई। स्थिति इस प्रकार निकली है :—

1. दीपक एसोसियेट एण्ड मिनरल नामक संस्थान राजस्थान शॉप एण्ड कॉमर्शियल एस्टीबिलिशमेंट एक्ट, 1958 के अधीन श्रम विभाग में पंजीकृत है तथा इसे उक्त संस्थानों के मालिकों ने फैक्ट्री एक्ट 1948 के अधीन रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है। प्रबन्ध की ओर से श्रम विभाग में एक प्रार्थना पत्र उक्त संस्थान को रजिस्टर्ड कराने के लिए दिनांक 14.5.91 को राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया तथा उक्त संस्थान का विधिवत रजिस्ट्रेशन उक्त एक्ट के अधीन किया गया। प्रबन्धक ने अपने प्रार्थना पत्र में संस्थान के पार्टनरों की सूची भी संलग्न की है—

1. श्री दीपक शारदा पुत्र श्री ओ.पी. शारदा, डी-189, अम्बाबाड़ी, जयपुर।

2. मिसेज शीला गर्ग पत्नी आर.एन. गर्ग, 204, ए.डब्ल्यू.एच.ओ.कालोनी, अम्बा बाड़ी, जयपुर।

3. श्री भारत भूषण मलिक, पुत्र श्री एल.आर. मलिक, 1-ख-11, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

4. श्री ज्योति प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री एम.एल. अग्रवाल, ई-100, शास्त्री नगर, जयपुर।

साथ ही इन्होंने अपने यहां कार्यरत 14 श्रमिकों एवं 3 अधिकारियों की सूची भी संलग्न की है एवं यह अंकन किया है कि वे एसिडिंग रेमिंग मास बना रहे हैं। उक्त संस्थान को दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्टर्ड कर लिया गया। बाद में श्री दीपक शारदा एवं श्री ज्योति प्रकाश अग्रवाल, दिनांक 26.8.91 से इस फर्म से अलग हो गए और शेष 2 पार्टनर रह गये।

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं वाष्प संयंत्र ने उक्त प्रकरण की जांच के लिए कारखाना एवं वाष्प संयंत्र के केमिकल

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

निरीक्षक श्री एस.के. मिश्रा, एरिया निरीक्षक श्री ओ. पी. शर्मा एवं उप निदेशक, आई.एच.एल. डॉ. पी. सांखला का एक दल गठित किया तथा उन्हें यह निर्देश दिये गये कि वे इस प्रकरण में तुरन्त जांच करें। उनके द्वारा मौके की जब जांच की गई तो संस्था बन्द पाई गयी तथा वहां कोई कार्य होता हुआ या कोई सामान उपलब्ध नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में जबकि संस्था में कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, संस्थान के प्रबन्धकों से पूछताछ की गयी। इस क्रम में श्री आर.एन. गर्ग, जिनकी पत्नी श्रीमती शीला गर्ग इस संस्था की पार्टनर है के बयान लिये गये तथा दूसरे पार्टनर श्री भारत भूषण मलिक पुत्र श्री लाजपत राय मलिक के भी बयान लिये गये।

उक्त दोनों मालिकों ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि यह संस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत मई, 91 में रजिस्टर्ड करायी गयी थी तथा इसे फैक्ट्री एक्ट, 1948 के अधीन रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने बयान में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस कारखाने में कभी भी विद्युत शक्ति से कार्य नहीं लिया गया और न ही कभी 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्य पर लगे हुए थे। उनकी संस्थान में कार्य केवल बेलचा, फावड़ा एवं पराती से क्वार्टस मिनरल को मिक्स करने का ही किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्री नरपत सिंह, श्री लालचन्द, श्री हनुमान सिंह उनके यहां अगस्त, 91 में ही नौकरी छोड़कर चले गये, तब वे स्वस्थ हालत में थे। तोहफा बाई उनके यहां कार्य नहीं करती थी। इसके अलावा श्रमिक श्री लालचन्द पुत्र श्री नारायणदास ने यह बयान दिया कि कारखाने में कोई मशीन नहीं लगी हुई थी तथा कभी भी 13-14 से ज्यादा श्रमिक काम पर नहीं रहते थे एवं उक्त कारखाने में वह गत तीन साल से काम कर रहा था तथा यह भी कहा कि प्लास्टिक के कवर मुंह पर लगाने के लिए प्रबन्धकों ने दिये थे। श्री नरपत सिंह ने अपने कथन में यह बताया कि इस फैक्ट्री में कभी भी कोई विद्युत की मशीन नहीं लगी हुई थी और कभी 13-14 व्यक्तियों से अधिक काम नहीं करते थे। उसने यह भी अवगत कराया कि उक्त संस्थान में दो वर्ष से काम कर रहा था तथा यह अवगत कराया कि उसने नवम्बर, 91 में उक्त कारखाने की नौकरी छोड़ दी। इसने यह भी अवगत कराया कि उक्त कारखाने में श्री मालसिंह ठेकेदार ने उसे लगाया था तथा 22/- प्रति दिन वेतन मिलता था तथा यह भी कहा कि उसके साथ काम करने वाले श्री मूलसिंह राजपूत, सुखदेव सिंह एवं हनुमान सिंह, तीन श्रमिक मर गये। इनमें से दो की मृत्यु टी. बी. अस्पताल में तथा एक की मृत्यु गांव में हुई तथा श्रीमती तोहफा बाई अपने घर में मर गई। उपरोक्त दोनों प्रबन्धकों और दोनों श्रमिकों के बयानों के आधार पर मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प संयंत्र द्वारा नियुक्त की गयी टीम ने मुख्य निरीक्षक को यह रिपोर्ट भेजी कि उक्त प्रबन्ध कारखाना एवं वाष्प संयंत्र की परिधि में नहीं आता था। जहां तक यह प्रबन्ध कब से काम कर रहा है और इसमें श्रमिक कब से काम करते थे इसकी जांच पृथक् से की जायेगी।

विभाग द्वारा टी.बी. सेनेटोरियम अस्प-

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

ताल के अधीक्षक से जनकारी प्राप्त की गयी। अस्पताल के डाक्टर के अनुसार उनके अस्पताल में दीपक एसोसियेट एण्ड मिनरल नामक संस्थान में कार्य करने बताने वाले कुल पांच श्रमिक भर्ती हुए जिन्हें सिलीकोसिस की बीमारी से ग्रस्त बताया गया। इन श्रमिकों में से श्री लालचन्द पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 45 वर्ष की मृत्यु दिनांक 13-3-92 को 12 बजकर 10 मिनट पर हो गयी। दूसरे श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मदनलाल की मृत्यु 12-2-92 को 10 बजकर 55 मिनट पर हुई। श्री नरपत सिंह पुत्र श्री रामदयाल को 17-2-92 को उसकी इच्छा के अनुसार डिस्चार्ज कर दिया गया। श्रीमती उगन्ती पत्नी श्री मोहनलाल निवासी मुरलीपुरा स्कीम के पास, मकान न.ए-301, पानी की टंकी के पास तथा श्रीमती मोहनी पत्नी श्री मक्खन लाल, कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर (लंकापुरी) अभी भी इलाज करवा रही है। वह दोनों महिलाएं अपने आप को उक्त संस्थान में कार्य करना बताती हैं तथा सिलीकोसिस की बीमारी से पीड़ित बतायी जाती हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि—

(1) दीपक एसोसियेट एण्ड मिनरल नामक संस्थान सन् 1991 में राजस्थान शॉप एण्ड कामर्शियल एस्टीब्लिशमेंट के अधीन रजिस्टर्ड हुआ था।

(2) उक्त औद्योगिक संस्थान में क्वार्टज पाउडर का ग्रेडिंग, मिक्सिग, सेविंग एण्ड फिलींग का कार्य किया जाता था।

(3) संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिक सिलीकोसिस नामक बीमारी से ग्रस्त थे।

(4) टी.बी. सेनेटोरियम से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमिक श्री लालचन्द पुत्र श्री नारायण लाल की मृत्यु दिनांक 13-3-92 को एवं श्री राजेन्द्र पुत्र मदनलाल की मृत्यु 19-2-92 को हुई, शेष तीन श्रमिक अभी इलाज करा रहे हैं।

(5) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अधीन जो श्रमिक सिलीकोसिस की बीमारी से ग्रस्त पाये गये हैं या जिनकी मृत्यु हो गयी है उनको या उनके आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा मिल सकता है। श्रम विभाग के निरीक्षक स्वयं उन परिवारों से सम्पर्क स्थापित करके उनके दावे भरवा कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही करेंगे ताकि श्रमिकों को मुआवजा मिल सके।

(6) मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं वाष्प संयंत्र, राजस्थान, जयपुर ने इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए इस संबंध में महानिदेशक, श्रम सलाहकार सेवा, केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई को यह निवेदन किया है कि इस प्रकार की अन्य फैक्ट्रियों में लगे हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच करने हेतु विशेष उपकरणों के साथ विशेषज्ञों को भेजने का कष्ट करें ताकि समस्या की गम्भीरता का पता लगाया जा सके।

(7) समस्त कारखाना एवं वाष्प संयंत्र निरीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो निजी सुरक्षा उपकरण दिया जाना आवश्यक है उसकी कठोरता से पालना कराई जावे।

(3.55 म.प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्रीजी ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में दीपा स्टेट्स फैक्ट्री के मामले में जो बयान दिया है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में जिन तथ्यों को रखा है, मुझे लगता है कि उनके विभाग ने सारे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उनके सामने प्रस्तुत किया। 15-16 कर्मचारियों से ज्यादा उन्होंने गिनती बताई नहीं। सात आदमी टी.बी. से ग्रसित होकर, फेफड़ों के उससे मर गये। 18 आदमी मौत के मुंह के अन्दर पड़े हैं। उस फैक्ट्री के अन्दर कम से कम 30 कर्मचारी कार्यरत थे लेकिन उन मालिकों ने जब-जब उनके बीमारी हुई, जो-जो इस बीमारी से पीड़ित हुआ, उसको नौकरी से निकाल दिया और अपनी संख्या घटाते रहे। यह इतना गम्भीर प्रश्न है माननीय श्रम मंत्रीजी, कि जिस फैक्ट्री के अन्दर 30 लोग रहे हों, उसमें से 18 लोग मौत के मुंह में हों और सात लोग मारे गये हों। विभाग ने सही मायने में यह जब ध्यान राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत के अन्दर सामने आया, सही मायने में श्रम विभाग की आंख उस दिन खुली है, उसके पहले तो आपके चीफ इन्सपेक्टर फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स, जो भी हैं, सही मायने में उनकी मिलीभगत से यह सारा काम हो रहा था। श्रम मंत्रीजी निश्चित तौर से यह मानकर चलिये कि एक फैक्ट्री किसी एरिया में लग जाय, उनको न्यूनतम वेतन मिल नहीं रहा हो, प्रोविडेन्ट फण्ड उनका कट नहीं रहा हो और आके जवाब के अन्दर विभाग ने आपको तथ्य जो प्रस्तुत कर दिये वह तथ्य आपने पढ़कर सुना दिये। यह काफी गम्भीर मामला है। जो लोग अस्पताल में भर्ती रहे, उन्होंने अपने बयानों में कहा है, टी. वी. सेनेटोरियम के अधीक्षक ने अपने बयान में कहा है, एस.एम.एस अस्पताल के इन्चार्ज काबरा ने अपने बयान में कहा है यह चार तरह का जो पाउडर का मिश्रण करके इस फैक्ट्री में जो भी इस्तेमाल भट्टियों में गलाने में जिस प्रकार का काम में यह पाउडर लिया जाता था उसमें ऐसी चीज पैदा थी कि जिसकी वजह से लोगों के फेफड़ों में यह बीमारी हो जाती थी और बीमारी होने के बाद ज्यों ही उसको लगता, मालिक फिर उनको निकाल देते थे या उनकी छुट्टी कर देते थे। आपने अपने बयान में स्वयं ने कहा है कि कई लोग अपने गांव में जाकर मरे। कोई भी आदमी मजदूरी करने यहां आया है, वह अपने घर नहीं जायेगा। जब उसको लगा कि वह बीमार हो गया है और मैं इस फैक्ट्री में काम करता रहूंगा तो मारा जाऊंगा और बीमारी लेकर घर चला गया और वहां जाकर मर गया। स्थितियां इस प्रकार की सामने आई हैं और यह भी बात साफ आपने छिपाई है श्रम मंत्रीजी, आपने चार विभागों की एक कमेटी बनाई थी जिसमें आपने रखा था पर्यावरण विभाग, आपका श्रम विभाग और आपके बायलर फैक्ट्री का जो विभाग, जो इन्सपेक्टर इसको देखता है, इन तीनों

(3.58 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

को, उस कमेटी को जाकर उस फैक्ट्री का इन्सपेक्शन करने के लिए, एक कमेटी आपने

Page No. 128

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बाद में बनाई। उसके पहले कुछ लोग डाक्टर्स और विशेषज्ञ इस पाउडर को देखने के लिए, जांच करने के लिये गये। फैक्ट्री के मालिकों ने दरवाजे पर रोक दिया उनको, इन्सपेक्शन नहीं करने दिया, इन्सपेक्शन बिना करे ही वह लोग लौट कर आये। जब आपके सामने यह तथ्य आये, जब आपने तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनाई, जब तक मालिकों ने अपनी दुकान बंद कर ली और फैक्ट्री को बंद कर दिया। दो भागीदार थे वह छोड़कर अलग हो गये और दो के बयान आपने नोट कर लिये। सही मायने में आपके विभाग की इसमें पूरी लीपा-पोती है और मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा घपला इस मामले में हुआ है और फैक्ट्री को पूरा संरक्षण लेबर विभाग का प्राप्त था और इन्होंने सारे रूलस का वायलेशन किया है। न उनका प्रोविडेन्ट फण्ड कटा है, न राज्य कर्मचारी बीमा निधि का जो पैसा जमा होता है, वह हुआ और उन्होंने 14-15 कर्मचारियों से ज्यादा कभी रखे ही नहीं, जबकि वहां पर 30-35 आदमी काम कर रहे थे और उनमें से 18 लोग मौत के मुंह में चले गये और सात लोग मारे गये और राजस्थान सरकार इसको देखती रही। उन मजदूरों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप से इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनायें हो सकती हैं, आपको इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। उन मजदूरों को, जिनको इस प्रकार की फेफड़ों की, तपेदिक की बीमारी लगने की जो भी सम्भावनायें हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाय। उनको उपयोग के लिए जो सामग्री आवश्यक होती है जिसके इस्तेमाल करने के बाद उनको यह रोग नहीं लगे, उन चीजों का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। आपके विभाग को निश्चित तौर से इसके अन्दर गम्भीरता बरतनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि इतना गम्भीर मामला है कि इस बीमारी से एक ही फैक्ट्री में इतने लोग मारे गये हों और इतने लोग इससे ग्रस्त रहे हों, यह बहुत गम्भीर मामला है और मैं समझता हूँ कि आपके विभाग के पार्ट में एक नेग्लीजेन्सी है और आपके जो भी अधिकारी थे, इसमें लिप्त हैं उनकी नोलेज से यह हुआ है, वह आंख मींच कर बैठे हैं। इसलिए मैं समझता हूं, मंत्री महोदय इसको बहुत गम्भीरता से लेंगे।

श्री बाबूलाल खाण्डा : माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मामला बड़ा गम्भीर है, मैं स्वयं भी यह स्वीकार करता हूं कि मामला बहुत गम्भीर है। यह जो मैंने पढ़ कर बताई है, हमारी प्राथमिक जांच है यह और उसकी डिटेल जांच चालू है और उसके लिए ओक्यूपेशन डिजीज जो है उसके लिए हमारे पूरे देश में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं उनके लिए श्रम सलाहकार सेवा, केन्द्रीय श्रम संस्थान बम्बई में स्थित है और वहीं से ओक्यूपेशन डिजीज कौन-सी है और उनको कैसे लोकेट किया जाय, कैसे पता लगाया जाय और उनका क्या निदान हो, यह महानिदेशालय करता है। जब से प्रकरण सामने आया, तभी से मैंने खुद कह करके उनसे सम्पर्क साधा कि भाई, आपकी टीम भेजिये और यह पता लगाइये कि यह कोई फैक्ट्री भी नहीं थी, 13–14

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

आदमी काम करते थे और वह भी केवल एक थैले से दूसरे थैले में करते थे, फिर भी कैसे यह हुआ ? उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 4 रोज पहले ही उनका एक डाक्टर विशेषज्ञ मुझसे मिला है । मैंने उनसे बात की है कि आप अपनी टीम भेजिये । एक तो वह एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास इक्विपमेन्ट्स होते हैं । वह टीम अभी 20 अप्रेल को आ रही है और उनमें यह है कि अगर उनके पास इक्विपमेन्ट नहीं भी हों तो आई. एल. ओ. से भी वह मंगा सकते हैं । तो हमारा विभाग यही कर सकता था कि वह रहस्यमय बीमारी जो है इसका पता केवल वही लगा सकते हैं....

(4.00 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक डाक्टर मुझसे मिलकर गये हैं । 20 तारीख को टीम आ रही है । जो भरती हैं अभी, उनकी वह जांच करेगी और जो भी कोई मरीज जैसा आपने कहा कि 30–40 रहे होंगे, हो सकता है यह भी रहा हो लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त पर जो सूची हमें दी है उस में केवल 13 श्रमिकों की सूची है और उसमें श्रमिक लालचन्द और राजेन्द्र के भी नाम हैं और इन्होंने जो बयान दिये हैं उनका यह कहना है कि 13–14 से ज्यादा कभी नहीं रहे और एक्चुअली वह फैक्ट्री थी ही नहीं । हमारे ए. ईएन. (आर. एस. ई. बी.) से भी मैंने रिपोर्ट मंगाई है । कोई बिजली पावर का कनेक्शन नहीं था । वह शैड में काम कराते थे । अब कैसे क्या हुआ, यह रहस्यमय चीज है । इसका पता लगाया जायेगा । एक्सपर्ट टीम आ रही है । हम यही अर्ज कर सकते हैं ।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो मिक्सिंग का काम करते थे जब कि हमारे यहाँ प्रदेश में करीब 65 इस तरह के क्वार्ट्ज की फैक्ट्री है और दस-दस साल से काम कर रही हैं । ऐसी रहस्यमयी बीमारी की अभी तक कोई शिकायत नहीं है । जयपुर में ही हैं 7 फैक्टरियाँ और फैक्टरी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उनमें भी करीब 50 श्रमिक हैं । ब्यावर में 5 हैं । किसी में 551 हैं और किसी में 500 श्रमिक हैं । किशनगढ़ में 5 फैक्टरियां हैं जिसमें 50 श्रमिक हैं । जब इतने श्रमिक काम कर रहे हैं दस-दस साल से और कोई एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा विभाग सो रहा था और नेगलीजेन्ट था । यह तो रहस्मयी बीमारी है । यह तो एक्सपर्ट लोग ही बतायेंगे । वह टीम आ रही है । माननीय सदस्य बड़े संवेदनशील हैं, सूरजगढ़ की भूमि में पैदा हुए हैं, तो मैं भी वहीं से हूं इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझे भी पीड़ा है कि यह सारा चक्कर क्या है । मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, विस्तृत जांच चल रही है । टीम भी आ रही है 20 तारीख को । आप मुझे सहयोग कीजिए । जैसे किसी गांव में कोई मर गया श्रमिक, उसका पता लगाइये । मैंने मेरे विभाग को कह दिया है कि जो दो मजदूर मरे हैं लालचन्द और राजेन्द्र, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट में दोनों के फार्म मैंने भरा लिये हैं और उनको कम्पन्सेशन दिलायेंगे । बाकी जो भी पीड़ित हैं या मर गए हैं इस प्रकरण में, आप मेरी मदद करो,

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

इसका कम्पन्सेशन दिलायेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि हम सजग हैं।

समिति का प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति 'क' का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बन्शीलालजी पटवा।

श्री बन्शीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति (क) 1991–92 उद्योग विभाग से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1990--91 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनीरामजी।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) जिला बीकानेर तहसील लूणकरणसर के ग्राम शेखसर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(2) लूणकरणसर के चक 264 आर. डी. के निवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(3) जिला बीकानेर तहसील लूणकरणसर के महाजन कस्बे की माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(4) चक आर. डी. 264 लूणकरणसर की प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित और

(5) जिला बीकानेर तहसील लूणकरणसर के चक 247 के किसानों को बिजली कनेक्शन दिये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकायें उपस्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश गुप्ता के दिनांक 25 मार्च, 1992 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आधा घण्टे की चर्चा होगी।

Page No. 131

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में दिये गये साक्षात्कार के समाचार जो समाचर-पत्रों में प्रकाशित हुए थे, के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन जो दिनांक 16 मार्च, 1992 को सदन में उपस्थापित किया गया था उसके ऊपर विचार के लिए प्रस्ताव किया था आज उस प्रस्ताव पर सदन विचार कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति ने जो तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने अपना निष्कर्ष बताते हुए कहा है कि समिति ने प्रस्तुत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया एवं श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत की गई पत्रावलियों का अवलोकन किया। श्री व्यास की व्यक्तिगत साक्ष्य भी ली। इन सब के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि व्यास द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1991 को विधान सभा स्थित विधायक कक्ष में एक पत्रकार सम्मेलन में राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकरजी भाभड़ा पर निम्न शब्द कहते हुए आरोप लगाकर उनका अपमान किया, सदन की प्रतिष्ठा गिराई और उनके विशेषाधिकार का हनन किया। 'विधान सभा अध्यक्ष दस्तावेजों की हेरा-फेरी व जालसाजी के प्रकरण में खुद लिप्त हैं और इस रूप में श्री दिग्विजयसिंह ग्रुप के मुलजिमों की पार्टी के साथ वे भी मुलजिम हैं। अध्यक्ष तो खुद फोरजरी जालसाजी में शामिल हैं वह फैसला करेगा ही नहीं।' यह जो समिति का निष्कर्ष है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके निष्कर्ष के जो पहलू हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह निष्कर्ष समिति के द्वारा बाकायदा साक्ष्य लेकर और सारे पत्र आदि पर विचार करके जो समाचार-पत्रों में प्रकाशन हुआ था उनके ऊपर विचार कर, समाचार-पत्रों के एडीटर्स को बाकायदा चिट्ठी लिखकर उनकी पुष्टि करने के बाद में लिया गया। मैं, इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री व्यास ने जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो पहली प्रिवलेज उन्होंने जब इस प्रकार का पत्रकार सम्मेलन बुलाया उस समय सारे सदन के साथ किया। माननीय श्री दिग्विजयसिंहजी, उनके साथियों, अन्य जो 5 माननीय सदस्य थे उनके साथ उन्होंने इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया जो राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यदि हम किसी भी विधान सभा या लोक सभा को देखें तो किसी भी लोक सभा के अध्यक्ष या किसी भी विधान सभा के माननीय अध्यक्षों के विरुद्ध किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जिस प्रकार के इस सदन के माननीय सदस्य ने लगाये और यह सदन उन आरोपों के आधार पर काफी उद्वलित हुआ। सारे सदस्यों में यह भावना फैली कि यह क्या बात हो रही है। इस प्रकार की भाषा का जो उपयोग किया गया यह हमारे सदन का अपमान है, राजस्थान की जनता का अपमान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब माननीय अध्यक्ष के द्वारा

(श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता)

इसको प्राइमाफेसी सही मानते हुए विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया तो विशेषाधिकार समिति ने अपने हिसाब से माननीय श्री व्यास जी को नोटिस दिया और उनको अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा। इन्होंने उनका जवाब देने के साथ-साथ ही कई पत्र माननीय सचिव, विधान सभा को और कई पत्र माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को अलग से दिये और तत्पश्चात् उन्होंने समिति के समक्ष यह स्वीकार किया और यह कहा कि इन पत्रों को ही मेरा उत्तर माना जाये और इनको जो उत्तर मैं दे रहा हूं वर्बल दे रहा हू और उसके साथ ही साथ इन पत्रों को भी एक एनेक्शर के रूप में स्वीकार किया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस सदन के साथ-साथ जो सदन द्वारा गठित विशेषाधिकार समिति है उस पर भी आरोप लगाये उनके अनुसार समिति के प्रतिवेदन से यह सिद्ध हो गया कि विधान सभा अध्यक्ष इसके दस्तावेजों की हेरा-फेरी और जालसाजी के प्रकरण में खुद लिप्त हैं और इस रूप में उन्होंने दिग्विजय सिंह गुट की मुल्जिमों की पार्टी के साथ मुल्जिम बनाने का प्रयास किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने विशेषाधिकार समिति में भी कहा कि यदि मेरे उत्तर पर विचार किये बिना, मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना समिति दलीय आधार पर निर्णय कर सदन को मेरे विरुद्ध उक्त विषय में सिफारिश करने पर आमादा है तो निश्चित रूप से सदन में भी बहुमत के आधार पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने समिति के समक्ष दलीय आधार, बहुमत का आधार, ऐसे शब्दों का उल्लेख कर के समिति का अपमान किया। जब उनसे एक तरह से प्रश्न पूछा गया, जिसको क्रास एग्जामिन कहते हैं, उस समय उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि समिति के माननीय सदस्यों को कफ्यूज कर दिया जाय। उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं, इसका हिन्दी दूसरा होता है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : पाइण्ट ऑफ आर्डर। अगर उन्होंने विशेषाधिकार समिति के समक्ष कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसको यहां लाने के बजाय समिति का कर्त्तव्य था कि वह अध्यक्ष के ध्यान में लाते। दूसरा विशेषाधिकार प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वे तो फैक्ट्स नरेट कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : कमेटी की रिपोर्ट में है जो हाऊस के पास है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : कहने का आशय यह है कि उन्होंने कमेटी से रिपोर्ट मांगी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो उस रिपोर्ट में है, यह सारी बातें आयी हुई हैं, उसको नरेट कर रहे हैं। नई बात नहीं कह रहे हैं। वह तो रिपोर्ट में आई हुई है सारी बातें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिपोर्ट में नहीं है यह।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : रिपोर्ट में यह बातें आई हुई नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : रिपोर्ट में है। पेज नम्बर 14 पर देखिये आप, पैरा 48। जब उनसे समिति ने पुनः स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ऐसे शब्द कहे हैं ? उससे पहले उन्होंने समिति के सामने कहा कि मैंने ऐसे शब्द नहीं कहे लेकिन जब उनसे पूछा तो व्यासजी ने बताया, आप खुद इस बात को मानते होंगे कि सदन में भाषण देते समय अधिकांश समय वे अंग्रेजी में बोलते हैं। आप इस बात को समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते हो कि "Speaker is involved in the forging of documents."

यह बात तो मैं लिखकर दे रहा हूं। एक तरफ उन्होंने इस बात तो कन्फेस किया कि "Speaker is involved in the forging of documents." फिर उन्होंने स्ट्रेस किया इस बात पर कि मैं यह लिख के दे रहा हूं, जिस प्रकार से आप इसका हिन्दी रूपान्तरण करते हो कि जालसाजी में स्पीकर लिप्त है, यह मैंने कभी नहीं कहा....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आप जो बोल रहे हो, इसमें नहीं है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : रिपोर्ट है, अब आपके पास नहीं हो।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह था कि आप विषयान्तर होकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं। दूसरे मामले अन्दर जोड़ रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : मैंने यह आरोप नहीं लगाया कि स्पीकर जालसाजी में लिप्त है....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : दूसरे मामले जोड़ रहे हैं। अपने आपको इस समिति के प्रतिवेदन तक सीमित रखें।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : जो प्रतिवेदन सदन की टेबिल पर रखा गया है, सदन की प्रोपर्टी है उसको कोई भी माननीय सदस्य देख सकते हैं। उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य को 2 मिनट बैठना चाहिए। पाइण्ट ऑफ आर्डर है यह। उन्हें आपने पाइण्ट ऑफ आर्डर अलाऊ किया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : पाइण्ट ऑफ आर्डर मैंने यह उठाया था कि आप एक दूसरा विषय जोड़ देना चाहते हैं और सदन को एक तरह से प्रिजुडिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने तो अध्यक्ष महोदय के विशेषाधिकारों का तो हनन किया ही, साथ ही साथ जो समिति है उसका भी कहना नहीं माना है। डिफाइन एटीट्यूट रखा है। इस तरह की बात लाकर इसकी गम्भीरता और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सब्जेक्ट को कंसीडर करने के लिए वह तथ्य हैं जो रख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में सारे

(श्री उपाध्यक्ष)

तथ्य आये हुए हैं। मैंने खुद ने रिपोर्ट देखी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बातें इसमें आयी हुई हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : बातें आई हुई हैं वह तो रखें।

श्री रामसिंह विश्नोई : आई हुई है तो कमेटी ने विचार क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी ने किया है विचार। विचार किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : रामसिंहजी, एक मिनट सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी गलतफहमी हो रही है, वह यह है कि फैक्ट्स जितने समिति के सामने हैं वह सब रखने का अधिकार माननीय सदस्य को है, वह रखें, चीफ व्हीप महोदय रख रहे हैं, रखें। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपने बीच में यह कहा कि माननीय सुरेन्द्र व्यास ने तो समिति का भी अपमान किया, यह कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि माननीय सदस्य ने समिति का अपमान किया हो। आब्जेक्शन इस बात का है। इस बात का नहीं है कि अध्यक्ष के लिए क्या कहा, इन्होंने क्या लेटर लिखा, अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं है। वह आप कहें। इस बात का एतराज किया फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कि समिति पर भी उन्होंने आक्षेप लगाया, आरोप लगाया और यह सन्देह प्रकट किया कि यह समिति तो दलीय आधार पर फैसला करेगी, यह इसमें कहा है, यह इस रिपोर्ट में कहा है। क्वेश्चन यह था, पाइण्ट ऑफ आर्डर इस बात पर है और कहीं पर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री केदार नाथ शर्मा : मान्यवर, देखिये रूल्स 236, पार्ट 2,

"Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the delails of the report further than is necessary to make out a case for the consideration ot the report by the House."

इसकी डिटेल क्यों ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस रूल का अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, डिटेल में जाने की इसमें कतई आवश्यकता नहीं है लेकिन सरकारी चीफ-व्हीप महोदय सदन को जिस तरह प्रिजुडिस करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी ने अपनी किसी भी जगह यह फाइंडिंग नहीं दी है कि माननीय सदस्य, जिन पर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उस समिति के सम्मुख विचाराधीन था उन्होंने अपने साक्ष्य देते वक्त कभी भी इसकी अवमानना की हो या उसका अपमान किया हो, एक बात।

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ-व्हीप महोदय जिस पेज 14 पर उद्धरण पढ़ने जा रहे हैं इसका उत्तर देखेंगे तो उन्होंने यह बात कही है कि जो अखबार में, जो कुछ भी छपा है वह अलग-अलग अखबारों में छपा है और एक अखबार ने तो यहां तक छाप दिया है कि स्पीकर को हटाया जाना चाहिए। मैं ऐसा नेव आदमी नहीं हूं, मैं इस सदन का लेजिस्लेटर हूं एवं रूल्स ऑफ प्रोसिजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस की मुझे पूरी जानकारी है, यह जो नो-कांफिडेंस लाया जाता है, लेकिन इसी में जिस उद्धरण को आप पढ़ रहे हैं इस उद्धरण के आखिर में जो लास्ट पैरा में जब उनसे यह स्पेसिफिक क्वेश्चन रखा तो सुरेन्द्र व्यासजी कहते हैं, सभापतिजी ने क्वेश्चन पूछा कि यह शब्द आपने नहीं कहे ? श्री सुरेन्द्र व्यास-हां, मैंने नहीं कहे। अब जो वह डिनाई कर रहे हैं, इस मामले को लेकर तो आप इस सदन के सामने तथ्य रखने जा रहे हैं और कमेटी ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि इन्होंने यहां पर कैटेगोरिकली यह बात कही है जो कुछ बात मैंने कही है इसलिए ऊपर वाले पेज में जो भी उद्धरण आपने अखबारों के दिये हैं उस सम्बन्ध में जब उनका साक्ष्य लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इंगलिश में बोलता हूं, उन्होंने जो उसकी ट्रांसलेशन की है वह ठीक तरह से ट्रांसलेशन नहीं की है और मेरा कभी यह मतलब नहीं है कि मैं अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा गिराने का, अपमान करने का कोई भी प्रयत्न करूं ....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपके पाइण्ट ऑफ आर्डर का जवाब दे रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर का जवाब तो उपाध्यक्ष महोदय देंगे ....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि समिति पर उन्होंने किसी प्रकार के आक्षेप नहीं लगाये हैं, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पेज नम्बर 8 को देखें, इसमें लिखा है कि मेरे उत्तर पर विचार किये बिना एवं मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना समिति दलीय आधार पर निर्णय कर सदन को मेरे विरुद्ध उक्त विषय पर कोई सिफारिश करने पर आमादा है तो निश्चित रूप से इस सदन में भी बहुमत के आधार पर निर्णय करवा लिया जाय....(व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यही तो हो रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप ठहरिये।

श्री परसराम मदेरणा : सम्माननीय सदन के नेता महोदय, यह साक्ष्य नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मैं साक्ष्य की कब कह रहा हूं। यह स्टेटमेण्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने असेम्बली सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, उसका उल्लेख है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह स्टेटमेण्ट है, उल्लेख है।

Page No. 136

श्री परसराम मदेरणा : जो लैटर लिखा है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। यह साक्ष्य में नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, साक्ष्य से भी ज्यादा है। अब माननीय सदस्य, जो गंगानगर से आये हैं, उन्होंने आपत्ति की। माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रख दिया। यदि इस प्रस्ताव पर विचार करने का सदन का मत बनता है तो आगे इस पर चर्चा हो सकती है। सदन का वोट ले लिया जाय कि इसको कंसीडरेशन में ले लिया जाय। यह प्रस्ताव पास कर दिया, इसको पूछ लिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाया है उसकी व्यवस्था दें। पाइण्ट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट ऑफ आर्डर की व्यवस्था हो गयी ना। सब तरह से स्पष्ट हो गया ना। एक वह रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसी के ऊपर तो था, और क्या पाइण्ट आफ आर्डर था ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन को देनी चाहिये थी ना। आसन कुछ अपनी व्यवस्था देगा जब होगी ना व्यवस्था।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की व्यवस्था है, इस प्रकार की जो बात उन्होंने कही थी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मन्त्रीजी की व्यवस्था होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : वह उसी बात को कह रहे थे। गलत नहीं थी। तो कौन-सा पाइण्ट ऑफ आर्डर था ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, आसन की गरिमा है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की गरिमा के अनुसार ही मैं बोल रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की गरिमा नहीं, आसन की गरिमा उससे बड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आसन की गरिमा के अनुसार ही बोल रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं तो आपने व्यवस्था दे दी, मुख्य मन्त्रीजी—

श्री उपाध्यक्ष : मामला यह था कि इस प्रकार की बात नहीं कही गयी। इस बात पर था। इस प्रकार की कही गयी है। मुख्य मन्त्रीजी ने यही कहा कि आयी हुई है रिकार्ड पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अध्यक्षजी को बुला लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपकी व्यवस्था तो हो।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात पर व्यवस्था थोड़े ही दी जाती है। हर बात पर व्यवस्था ही व्यवस्था दें क्या। ऐसा थोड़े ही है कोई। एक-एक बात पर व्यवस्था दी जाती है क्या ?····(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठे हैं, आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, प्लीज सुनिये आप । एक मिनट, माननीय मुख्य सचेतकजी ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : किसी भी पाइण्ट ऑफ आर्डर की व्यवस्था आसन की तरफ से होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनिये आप ।

"**Consideration of Report**:—(1) After the report has been presented, the Chairman or any other member of the Committee or any other member shall move that the report be taken into consideration, whereupon the Speaker may put the question to the House.

(2) Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report further than is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House."

उसके बारे में वह कंसीडरेशन में कैसे लिया जाय, इसी के बारे में फैक्ट्स बोल रहे थे । उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं है । अब वह उसके बारे में कुछ कहें नहीं, यह कंसीडरेशन में क्या लें उन फैक्ट्स को नरेट कर रहे थे इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं है उन्होंने ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कमेटी की बात कही ।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, कमेटी का बेस नहीं बनाया ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जैसा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन से साफ है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा । बैठिये आप ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सवाल बोलने का नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल हमारे बोलने का नहीं है । सवाल यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीया सुमित्रा सिंहजी, जो आब्जेक्शन उठाया गया था उस आब्जेक्शन का उत्तर दिया गया है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या जवाब दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट ऑफ आर्डर यह था कि उस रिपोर्ट में वह चीजें नहीं हैं । वह भी बता दिया गया है पढ़ कर कि यह चीजें, फैक्ट्स आये हुए हैं ।

श्री सुनील कुमार बिश्नोई : आसन को प्रिजुडिस कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ना, प्रिजुडिस करने वाली बात नहीं कह रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रिजुडिस नहीं कर रहा हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप चीफ व्हीप महोदय को कहिये, वह फैक्टस के अलावा नरेट नहीं करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह जान-बूझकर सदन को प्रिजुडिस कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह नहीं करेंगे। हां, इस प्रकार के फैक्टस नरेट मत कीजिये आप।

श्री ईश्वर लाल सैनी : जब कि विशेषाधिकार समिति ने ऐसा कहीं भी विवरण नहीं दिया है। यह प्रिजुडिस कर रहे हैं सदन को।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिजुडिस करने वाले फैक्टस नरेट नहीं करेंगे। नहीं कहेंगे यह। नहीं कहेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से समिति निष्कर्ष पर पहुंची है उसके बाद में समिति ने यह सिफारिश की कि श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में आपत्तिजनक एवं अपमानजनक शब्द कहे गये हैं तो भी व्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण और उनके द्वारा इस सब के लिये खेद प्रकट करने पर समिति सिफारिश करती है कि इस मामले में अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जावे और उसे यहीं समाप्त कर दिया जावे। यह जो समिति की सिफारिश हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रस्ताव में, मैंने जो विचारार्थ रखा है इस पर यह हम संशोधन पेश कर रहे हैं और मैंने हाउस के समक्ष संशोधन भी प्रस्तुत किये हैं लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने खेद व्यक्त किया है वह भी हाउस के सामने निश्चित रूप से आना चाहिये कि इन्होंने किस प्रकार से खेद व्यक्त किया है। इन्होंने कहा कि....

"....which is fact I never meant. If the Hon'ble Speaker's personal ego has been hurt on this count and if my regrets on that count can satisfy his personal ego, I have on Contrileution in expressing my regrets for the same."

श्री यदुनाथ सिंह : आपके मन में हो जो बताओ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह अब्यूजिंग है। यह रिग्रेट नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अब्यूजिंग है। एक प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से कह कर....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?....(व्यवधान) माननीय सुमित्रा सिंहजी, बिराजिये। पहले यह पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले मैं खड़ी हुई हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले एक ही होगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य व्यास जी

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

के लिये जो प्रिविलेज मोशन है उसके बारे में जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने यह कहा कि प्रिविलेज कमेटी····

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर कैसे बना ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप बिना सुने ही····

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, कैसे बन गया पाइन्ट आफ आर्डर, वह बताइये आप !

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं बोल रहा हूं, आप सुनिये तो सही। प्रथम तो उन्होंने यह कहा कि प्रिविलेज कमेटी····

श्री उपाध्यक्ष : कहीं रूल का ब्रीच होता हो, कोई चेंज हो रही हो कार्यवाही, एक कार्यवाही चल रही है इसमें पाइन्ट आफ आर्डर को पाइन्ट आफ आर्डर के ढंग से रेज कीजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरे बिना पाइन्ट आफ आर्डर रखे ही आप समझ गये कि मैं क्या बोल रहा हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं, कोई इतना भी अन्दाज नहीं लगता है क्या ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरे बिना रखे ही समझ गये आप ?

श्री उपाध्यक्ष : चेयर पर बैठे हैं, यह भी अन्दाज नहीं लगता आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। यह बात हो सकती है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कोई बात कहें तो उसी को आप रूलिंग कोट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो, नो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लेकिन यह मतलब नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कैसे कह रहे हो आप ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : यह आसन पर सीधा आरोप है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, मैं रखूंगा। मेरा अधिकार है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आसन पर आरोप लगा रहे हैं, माननीय सदस्य। यह आसन पर कैसे आरोप लगा रहे हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा अधिकार है, मैं रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अधिकार पूर्वक कहिये पर कहिये तो सही।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हां, बोल रहा हूं तो। यह डिस्टर्ब कर रहे हैं····
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं देखूंगा आपकी तरफ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य चेयर को डिक्टेट करना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, बिराजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव: आप + + + चाहते हैं ? आपकी + + + में आने वाला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से बात कीजिये आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा कि मैं इसमें संशोधन पेश कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बिना प्रस्ताव विचारार्थ लिये ही यह संशोधन कैसे मूव कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी आया नहीं प्रस्ताव यहां।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : और किसी प्रस्ताव के विचारार्थ लिये बिना कोई संशोधन नहीं हो सकता है। पहले इसका निर्णय कीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं रखा, आपने उसकी मेरिट्स, डी-मेरिट्स और फैक्ट्स को डिस्कस करने का अलाउ कैसे कर दिया ? पहले इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले विचारार्थ लिया जायगा, उसके बाद होगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि मैं करूंगा।

एक माननीय सदस्य : करने की बात कह रहे हैं, किया नहीं अभी····(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह तो स्पष्ट करें कि क्या यह प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब, कंसीडरेशन के लिये लिए जाने के लिये फैक्ट्स दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, वह तो संशोधर पेश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन अभी पेश नहीं हुए हैं। ना–ना, संशोधन अभी पेश नहीं हुए हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बिना विचार लिये ही ?

श्री उपाध्यक्ष : यह करूंगा, यह वर्ड्स बोले हैं, किया थोड़े ही है अभी।···· (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं मूव करूंगा।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बोले हैं।

श्री हरि सिंह (महुआ) : इन्होंने कहा कि संशोधन पेश कर दिये हैं। विचारार्थ लिया नहीं गया है और संशोधन पेश कर दिये।

एक माननीय सदस्य : स्पेसिफिक प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बिना विचारार्थ लिये संशोधन कैसे पेश होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हमारे सामने इस प्रकार का कोई नहीं आया संशोधन अभी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा निवेदन यह है कि यह कानूनी मुद्दा है····

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं, क्या इन्होंने कोई विधिवत् संशोधन प्रस्ताव पेश किया है ? पहले सचिवालय से यह पता करें।····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब सारे बोलते रहोगे तो सुना भी नहीं जायगा। यह बोल रहे हैं। बोलने का भी कोई तरीका है। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। कृपया सहयोग कीजिये।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिये अपनी। आप रूलिंग तो दे दीजिये। उनको अलाउ कर रहे हैं, आप····(व्यवधान)

श्री हरि सिंह (महुआ) : सुस्पष्ट लिखा है, उन्होंने साफ लिखा है····

श्री उपाध्यक्ष : हां, उन्होंने पढ़ कर सुनाया था ना।

श्री हरि सिंह (महुआ) : कि इस मामले में अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जावे और इसे यहीं समाप्त कर दिया जावे। विचारार्थ होने से पहले कमेटी की सिफारिश निश्चित रूप से सदन के ध्यान में लानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। माननीय जुबेरखान जी, बैठिये।

डा. चन्द्रभान : आप, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट कर दीजिये कि इसको विचारार्थ ले लिया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

डा. चन्द्रभान : नहीं लिया तो फिर क्यों चर्चा कर रहे हैं अमेंडमैंट्स के ऊपर। यह तो स्पष्ट कीजिये आप। आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब लेंगे। अभी नहीं लिया है। बिराजिये आप।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : We are discussing rule 236(2)....

श्री जुबेर खान : इस सम्बन्ध में यह कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा चर्चा नहीं होगी, यह 45 मिनट की चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको यहीं समाप्त किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : 45 मिनट नहीं हुए हैं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : "Before putting the questinn to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, . . ."

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता

जो आपने परमिट की है वही डिबेट चल रही है, उसके बाद आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे बिफोर दी हाउस। उसके बाद अमेंडमैंट मूव होगा। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइण्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ना–ना, 4.10 पर प्रारम्भ हुई है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : या तो आप समय बढ़ाइये आधे घंटे····या इसमें व्यवस्था दे दीजिए। इन्होंने पाइण्ट आफ आर्डर के जरिये····

श्री उपाध्यक्ष : 4.10 पर प्रारम्भ हुई है। आधा घंटा नहीं हुआ है, बिराजिये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आधा घंटा नहीं, पौन घंटा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : पौन घंटा कैसे हो जायेगा आपके कहने से····(व्यवधान) हम समय तो नोट करते हैं ही नहीं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बीच-बीच में बोल रहे हैं। बोला हुआ माना जायेगा, बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पाइण्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइण्ट आफ आर्डर यह है, आपके 236····

श्री उपाध्यक्ष : हां, उसी के तहत है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यानि इसमें जो लिखा है "Before putting the question, to the House, the Speaker, may permit a debate on the motion not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report." इसमें जो लिखा है, आपने जो परमीशन दी आधे घंटे की और उसमें डिबेट दुबारा शुरू करवाने के लिए अमेंडमैंट मूव होकर दुबारा हो सकती है, इस पोर्शन को आपको ड्रोप करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : देख लिया है इसे।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो आप ड्रोप कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : लिखा हुआ है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, आप उस पर पहले रूलिंग दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

डा. चन्द्रभान : पहले आप रूलिंग दे दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : Rule 236:—"After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपका भी सुना है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहूंगा ....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में रूलिंग मांग रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आज बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है कि एक पाइण्ट आफ आर्डर पर दूसरा पाइण्ट आफ आर्डर आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर हैं। मैंने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया था, उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी। उसके पहले आपने दूसरे पाइण्ट आफ आर्डर की सुनवाई कर ली। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि पहले मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है उस पर आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा था यह संशोधन मूव कर रहे हैं, यह संशोधन मूव नहीं किया है। न आया है अभी तक। तो इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, अब इस पर मैं क्यों व्यवस्था दे दूं। मैंने कह दिया अभी आया नहीं है.... (व्यवधान) क्या चाहते हैं आप? संशोधन ही नहीं आया अभी।

श्री यदुनाथ सिंह : आ गया। आपकी टेबल पर पहुंच गया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अभी तो आप कह रहे हैं विचारार्थ ही नहीं आया मैटर।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए अस्वीकार किया गया है वह प्रस्ताव आया ही नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने अमेंडमैंट को अस्वीकार किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है, उसको अस्वीकार किया है मैंने।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने अमेंडमैंट को अस्वीकार किया है।

श्री नत्थीसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर तो रिजेक्ट होता है, अस्वीकार नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह कोई व्यवस्था नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सुमित्राजी, नेता महोदय बोल रहे हैं। विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल 236 सदन की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or any other member shall move that the report be taken into consideration. Thereupon the Speaker may put the question to the House."

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूल 236 में इस रिपोर्ट को विचारार्थ लिया जाये, इस सम्बन्ध में इस सदन से मत जान लें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

Page No. 144

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सबसे पहले यह होना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट ऑफ आर्डर, क्लेरीफिकेशन।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता....

अनेक माननीय सदस्य : नोज हैव इट।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप नियमों का हनन कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : क्या हनन कर रहा हूं? (व्यवधान) इसका पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं होता है। मैं चलूंगा आगे।

"प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।"

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता....(व्यवधान)।

अनेक माननीय सदस्य : नोज हैव इट। ना पक्ष जीता (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, मत विभाजन की घण्टी बजायी जाय।

(मत विभाजन सूचक घण्टी)

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता....(व्यवधान)।

अनेक माननीय सदस्य : नोज हैव इट ....(व्यवधान)।

मत-विभाजन

हां पक्ष

1. श्री अचला राम
2. श्री अनंग कुमार
3. श्री अब्दुल हादी
4. श्री अर्जुन दास मदान
5. डॉ. उजला अरोड़ा
6. श्री उम्मेद सिंह
7. श्री ओम प्रकाश गुप्ता
8. श्री कन्हैया लाल
9. श्री कालीचरण सराफ
10. श्री कालूलाल गूजर
11. श्री किशन गोपाल कोगटा
12. श्री किशनाराम नाई
13. श्री कुन्दन लाल
14. श्री कृष्ण कुमार गोयल
15. श्री खंगार सिंह चौधरी
16. श्री गुलाब सिंह
17. श्री गोपीराम जाट

Page No. 145

18. श्री गोविन्द सहाय
19. श्री चतुर्भुज
20. श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण)
21. श्री चुन्नीलाल (खण्डार)
22. श्री चुन्नीलाल इंदलिया
23. श्री चुन्नीलाल धाकड़
24. श्री छगन लाल
25. श्री जगजीत सिंह
26. श्री जगत सिंह दायमा
27. श्री जगन्नाथ
28. श्री जितेन्द्र सिंह
29. श्री जियालाल बंशीवाल
30. श्री जीतमल जैन
31. श्री जीवराम कटारा
32. श्री जोगेश्वर गर्ग
33. श्री टीकम चन्द कांत
34. श्री डूंगर राम पंवार
35. श्री दिग्विजय सिंह
36. श्री नवनीत लाल नीनामा
37. श्री नारायण लाल
38. सुश्री पुष्पा जैन
39. श्री प्रभुराम ग्रासिया
40. श्री फूलचन्द (नीम का थाना)
41. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)
42. श्री बंशीलाल पटवा
43. श्री बाबूलाल खांडा
44. श्री बालचन्द आर्यवीर
45. श्री बृजराज मीणा
46. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर)
47. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल)
48. श्री भैरूलाल बैरवा
49. श्री भैरोंसिंह शेखावत
50. श्री मदन दिलावर
51. श्री मदनलाल सैनी
52. श्री मदन मोहन सिंघल
53. श्री मांगीलाल (गंगरार)
54. श्री मांगीलाल मेघवाल
55. श्री मानधाता सिंह
56. श्री मिश्रीलाल चौधरी
57. श्री मोहन मेघवाल
58. श्री रखब चन्द मीणा
59. श्री रघुवीर सिंह कौशल
60. श्री रमजान खां
61. श्री रमाकान्त शर्मा
62. श्री राजपाल सिंह शेखावत
63. श्री राजेन्द्र राठौड़
64. श्री राम किशोर मीणा
65. श्री राम किशोर सैनी
66. श्री कैलाश मेघवाल
67. श्री रामनारायण विश्नोई
68. श्री रामप्रताप कासनिया
69. श्री रामेश्वर
70. श्री रामेश्वर भारद्वाज
71. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
72. श्री लक्ष्मी चन्द मेड़ता
73. श्री लक्ष्मीनारायण दवे
74. श्री लालचन्द डूडी
75. श्रीमती विद्या पाठक
76. श्री अम्बालाल बड़गूजर
77. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली)
78. श्री शिव किशोर सनाढ्य

79. श्री शिवदान सिंह
80. श्री श्रीकिशन सोनगरा
81. श्री श्रीचन्द कृपलानी
82. श्री सम्पत सिंह
83. श्री सुरेन्द्र गोयल
84. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
85. श्री हरलाल सिंह खर्रा
86. श्री हरिकुमार औदिच्य
87. श्री हरिश चन्द्र
88. श्री हरीश भामनानी
89. श्री हीरालाल आर्य
90. श्री हुक्माराम मेघवाल
91. श्री हेमराज
92. श्री जगमाल सिंह यादव
93. श्री नन्द किशोर शर्मा

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय से सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 236 के अन्तर्गत....

श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता खड़े हैं, मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं....

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : एक प्रेस कांफ्रेंस में दिये गये साक्षात्कार के समाचार जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं उनके विरुद्ध सरकारी मुख्य सचेतक एवं दस विधायकों द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नवीं राजस्थान विधान सभा द्वारा गठित विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन जो सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है, की सिफारिश में यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

यह सदन मानता है कि समिति के निष्कर्ष के आधार पर समिति की सिफारिश इसलिए पूर्णतया स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा जिस प्रकार से अपने कृत्य के लिए स्पष्टीकरण व खेद व्यक्त किया गया है....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब यह थोड़े ही एमेंडमेंट ला सकते हैं ?....(व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : वह उनके आचरण को देखते हुए अपर्याप्त है। अतः यह सदन प्रस्ताव करता है कि विशेषाधिकार समिति के ततीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिश में संशोधन किया जाकर माल-

(श्री ओम प्रकाश गुप्ता)

पुरा से निर्वाचित माननीय विधायक सुरेन्द्र व्यास को सदन के आगामी एक वर्ष तक होने वाले सत्रों के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एमेन्डमेन्ट है....। उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह सर्वप्रथम प्रस्ताव आया था। मैंने इसमें विचारार्थ लिए जाने वाले प्रस्ताव के ऊपर संशोधन की सूचना दी थी जो आपके सचिवालय में ड्यू टाइम पर प्रजेन्ट कर दिया था। मालूम नहीं आपके समक्ष आया है या नहीं आया है। मैंने वह संशोधन प्रस्ताव सचिव महोदय को स्वयं को दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव यह था कि यह जो रिपोर्ट आई है विचारार्थ इसको न लिया जाकर के माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इस पर निर्णय ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन प्रस्ताव को देने में मेरी मन्शा यह थी कि जिस प्रकार का वातावरण रहा है। अध्यक्ष महोदय के ऊपर ऐसा कहा गया—Certain allegations were levelled against the Speaker in the Press Conference, यह इसका मूल आधार रहा है और उसके बाद यह मामला प्रिवेलेजेज कमेटी को सौंपा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के अन्दर लोग अपनी बात कहते हैं। यह बात सही है कि मर्यादा के अन्दर अपनी बात कहनी चाहिए। शब्दों का चयन ठीक प्रकार से होना चाहिए। भावना वही रह सकती है लेकिन शब्दों के ऊपर कन्ट्रोल रखकर के निश्चित रूप से बोला जाना चाहिए इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम भी, यह पूरा सदन जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय का आदर करता है उसी प्रकार से हमारी तरफ से भी, हम लोग विपक्ष के अन्दर बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस दल के नेता हों, चाहे जनता दल के लोग हों। अध्यक्ष के प्रति अवमानना की भावना हमारे हृदय में कभी नहीं रही। अध्यक्ष को हमेशा सम्मान दिया, अध्यक्ष को हमेशा आदर दिया और उनके आदेशों की हमेशा पालना की। तो उपाध्यक्ष महोदय, मूल मंशा यह थी। कभी-कभी आवेश के क्षणों में लोग उस बात को कह जाते हैं और राजस्थान विधान सभा का इतिहास भी इस प्रकार का रहा है। इस प्रकार के प्रस्ताव कभी आये नहीं हैं। हमेशा लोगों को एकेमोडेट करने की नियत से यहां पर कार्य किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सत्ता पक्ष के लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार का वातावरण रहा है। सुरेन्द्र व्यास जी के लिए जो प्रस्ताव लाये हैं, आज राजस्थान की और हिन्दुस्तान की जनता को मैसेज क्या जायेगा, मैं कोई थ्रेटेन देने की भावना से नहीं कह रहा लेकिन आज यह लगेगा कि बदले की भावना से यह कार्य किया गया है। तो मैं पुनः आपसे कहूंगा चूंकि अध्यक्ष जी का मामला है। अध्यक्ष जी खुद संवेदनशील हैं, विवेकशील हैं। समिति ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं समिति ने स्वयं कहा है कि इस प्रकरण को यहां समाप्त कर दिया जाय। आप कहोगे what is committee, कमेटी जितनी भी सदन की बनती हैं वह सदन की भावनाओं को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। यहां पर जितनी कमेटियों का निर्माण

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किया जाता हैं, पूरा सदन तो सारे मामलों की प्रकरण की जांच कर नहीं सकता है लेकिन विशेषाधिकार समिति जिसमें कि आपके दल का बहुत, सत्ता पक्ष का बहुमत है, उसके बाद भी उस कमेटी ने कहा है, समिति के सामने उन्होंने खेद प्रकट किया है, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आया है। लेकिन आपकी दुर्भावनावश आपने उसमें कन्डीशनल माफी मांगी है लेकिन यह कमेटी के सोचने की बात थी।....(व्यवधान).... नहीं नहीं, यह बात चीफ व्हिप ने कही है कन्डीशनलटीज के ऊपर लेकिन कमेटी ने कहीं पर आबजर्व नहीं किया है कि इन्होंने कन्डीशनल माफी मांगी है, कन्डीशनल खेद व्यक्त किया है। यह कमेटी की फाइंडिंग्स के अन्दर कहीं भी यह बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है जो हमारे सदन के नेता हैं जो राज्य के मुख्य मंत्री हैं, विपक्ष में वर्षों बैठे हैं, उनसे मैं आशा करूंगा कि आप भी एक बड़प्पन का परिचय दें, यह अच्छी परम्परा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आज सदन के अन्दर आप बहुमत में बैठे हैं, भविष्य के अन्दर आप बहुमत में रहें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है प्रजातन्त्र के अन्दर और आप विपक्ष में बैठेंगे। इससे यह हुआ कि किसी सदस्य ने मुंह खोला, सरकारी पक्ष अपनी मेजोरिटी के आधार पर प्रस्ताव लायेगा और प्रस्ताव ला करके लोगों का एक्सपलेशन किया जायेगा यहां पर तो लोकतन्त्र कहां से चलेगा श्रीमन्। आपने देखा बिहार के अन्दर तीन आदमियों को निकालने की बात हुई, निकाला गया और उसके बाद भी सदन ने फिर बुलाने की बात की, मेरी जानकारी में है कि सदन बुलाने की बात चल रही है। वहां भी रीकन्सीडिरेशन की स्टेज आ रही है....(व्यवधान)।

श्री हेतराम बेनीवाल : उन्होंने अध्यक्ष को पीटा था फिजिकल, इसके बाद भी ले लिया....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया सुनिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय इससे भी गम्भीर घटनाएं हिन्दुस्तान की और विधान सभाओं में हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमन् और मुख्य मंत्रीजी से मैं अनुरोध करूंगा कि लोकतन्त्र के आप प्रहरी हैं विपक्ष में आप वर्षों से रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए परम्परा भगवान के लिए डाल कर न जाएं जो सत्ता पक्ष कभी भी आयेगा सत्ता में लोग रहेंगे, आप एक रास्ता खोल कर जा रहे हैं, वाणी को अवरुद्ध मत कीजिये। यह तो राजस्थान की जनता को तय करने वाली बात है, लोगों पर आरोप लगे हैं, सुखाड़िया जी सदन के नेता थे, मुख्य मंत्री थे उनके ऊपर भी गलत आरोप लगे लेकिन 17 वर्ष तक राजस्थान का राज किया है आरोपों से कहीं किसी की छवि धूमिल नहीं होती है, यह राजस्थान की जनता को फैसला करना है राजस्थान के लोगों को फैसला करना है, इलाके के लोगों को फैसला करना है कि आपकी छवि कैसी है, आपके शासन की छवि कैसी है। अखबारों में तो पचासों बातें निकलती हैं, आपने कितने अखबार वालों के खिलाफ कण्टेम्प्ट केस चलाये हैं, आपने कितने अखबार वालों के खिलाफ कार्यवाही की है ? आज दिन तक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं की। लेकिन आज सदन में आपके पास + + + है, उसके आधार पर अगर आप यह एक्शन लेते हैं तो हिन्दुस्तान की जनता को और राजस्थान की जनता को क्या मैसेज जाएगा, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। मैं, मुख्य मंत्री जी, आप से पुनः अपील करूंगा कि आप बड़प्पन का परिचय दीजिए, एक ड्रास्टिक एक्शन मत प्रयोग कीजिए। अन्यथा राजस्थान में जो आपने स्वस्थ परम्पराएँ डाली हैं उनको आप तोड़ेंगे और भविष्य के लिए एक ऐसी गलत परम्परा का निर्माण करेंगे जिससे कि लोकतंत्र को सिवाय नुकसान होने के कुछ नहीं होगा यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं, नत्थी सिंह जी, आपको अलाउ करूंगा, पहले रमाकान्त जी बोलेंगे। मैं सबको अलाउ करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : मेरा प्रस्ताव है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये, आपके प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कल्ला साहब ने प्रोफेसर केदार जी ने, बेनीवाल साहब ने और डाक्टर चन्द्रभान ने एक प्रस्ताव दिया है। इसमें प्रस्ताव यह दिया है कि विशेषाधिकार समिति ने जो सिफारिश की है उसको सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह हमने क्यों दिया। इसलिए दिया, आज यहां बात उठायी गयी, मुख्य सचेतक महोदय द्वारा कई चीजें पढ़ी गयीं, लेकिन सबसे रेलेवेण्ट पोर्शन जिस पर समिति ने विचार किया कि माननीय सुरेन्द्र जी व्यास ने कोई आरोप लगाया अध्यक्ष महोदय के खिलाफ। समिति के सामने जब यह मामला आया, व्यास जी ने स्वयं कहा। उन्होने सदन से बाहर जो प्रेस कान्फ्रेंस की, तीन अखबारों में वह बात निकली—इण्डियन एक्सप्रेस में निकली, नवभारत टाइम्स में निकली और राजस्थान पत्रिका में निकली। और तीनों में तीन तरह की बात निकली। उनकी भाषा अलग थी, भाव अलग था। किसी भी हालत में, उन्होंने कहा, वह मेरी भाषा नहीं थी, मेरी शैली नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं कभी भी अध्यक्ष महोदय का अपमान, अनादर करने की मंशा तक नहीं रखता, उनके लिए ऐसे शब्द कहना तो गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा. जब पूछा गया कि यह शब्द आपने कहे तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं कहे। इन सबके बावजूद, उन्होंने कहा, अगर मेरे शब्दों से, मेरे किसी आचरण से अध्यक्ष महोदय किसी तरह हर्ट हुए हैं, उनकी गरिमा को किसी तरह आघात पहुंचा हो तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने किसी तरह की ना-नुच नहीं की।

इस सब के बावजूद यह प्रस्ताव कैसे लाये आप ? आप कहते हैं, हम परम्परा कायम करेंगे, सदन की गरिमा रखेंगे। आप बहुत ज्यादा रूल्स की कहते हैं। मैं कहना

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थी सिंह)

चाहता हूं कि यह जो कौल एण्ड शकधर की पार्लियामैण्टरी प्रैक्टिस है उसमें साफ लिखा है : Where a regret is expressed or clarification is given by the alleged offender the committee may not give a finding whether or not a breach of privilege has been committed and recommended that no further action be taken by the House in the matter. In such cases the recommendation is invariably accepted by the House. यह कहा गया है invariably accepted by the House.

साफ तौर पर विशेषाधिकार समिति ने जो सिफारिश की है, उन्होंने तो यह कहा है कि ऐसी बात हुई जिससे अपमान हुआ लेकिन रिग्रेट करने के बाद, अनक्वालिफाइड रूप से उसको स्वीकार किया जाय और कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

जब कमेटी ने यह कहा कि इनवेरियेबली एक्सैप्ट किया जाना चाहिए तो हमारे मुख्य सचेतक महोदय, सत्ता पक्ष जो प्रस्ताव लाया है वह कमेटी की अवमानना है, परम्पराओं का हनन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा के लिए, अध्यक्ष महोदय की गरिमा के लिए, नियमों के परिपालन के लिए और स्वस्थ परम्पराएँ बनें इसके लिए, उनको अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। हमने जो कहा है, इस कमेटी की रिकमण्डेशंस को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। अन्त में मेरा यही सत्ता पक्ष को निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में आज से चार दिन पहले जिस तरह से, जिस वातावरण में प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आयी और जो रिपोर्ट हमने पढ़ी, पहली बात तो यह है कि स्पीकर के खिलाफ अखबारों में जो रिपोर्ट निकली, अखबारों की रिपोर्ट के बावजूद भी प्रिविलेज कमेटी में मोशन गया। उस पर डिस्कशन हुआ अखबारों की रिपोर्ट होते हुए भी। मैम्बर ने क्षमा मांग ली, वह मामला समाप्त हो गया। उस मामले को दुबारा, स्पीकर जैसी पोस्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभाओं और पार्लियामैण्ट को चलाने में एक बहुत ही अहम् पद हमारी परम्पराओं में कायम रहा है। उस पद को अगर हम राजनीतिक तौर से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर से सिर्फ अपना नहीं आने वाली पीढ़ियों का नुकसान भी करेंगे। सारी यहां हो गयी चर्चा, अध्यक्ष की बात हो गयी। उन्होंने माफी मांग ली। अब हम उस इश्यू को दुबारा उठा रहे हैं। उस इश्यू को उठाने के पीछे राजनीति है। मुझे समझ में नहीं आता, जो सत्ताधारी पार्टी है उसी का प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन है, मेजारिटी उनकी है, मैजारिटी मैम्बर्स उनके हैं, उनके सामने बयान हुए, सारी कार्यवाही उन्होंने तय कर ली। उसके बाद क्या वजह है कि आज वह दुबारा रिपोर्ट खुले और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से उनके मुख्य सचेतक दुबारा से प्रस्ताव रखें, अमैण्डमैण्ट रखें कि उस बात को मैं स्वीकार नहीं करता ? जो चेयरमैन था उस कमेटी का, जो मैम्बर्स थे उनकी क्या राय थी ? क्यों

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बनी थी उस वक्त राय ? क्या वजह थी कि आपने आज से 20 दिन पहले यह राय बनायी कि हाउस के अन्दर....

श्री जगत सिंह दायमा : सदन बड़ा है, कमेटी छोटी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिलकुल सदन बड़ा है, मैं मानता हूं। सदन बड़ा है, अध्यक्ष भी बड़ा है।

जो कमेटी ने पहले रिपोर्ट तय की, उसके अन्दर जो माननीय सदस्य थे, उसके अन्दर जो चेयरमैन थे, जो घटनाएं हुई, क्या राजनीतिक घटना ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको, सत्ता पक्ष के सचेतक को अपनी राय बदलनी पड़ी ? आपकी भी उस वक्त यही राय थी कि इस मामले को समाप्त कर दिया जाय। हाउस में लोगों ने पत्थर फेंके हैं, हाउस के अन्दर पेपर्स फेंके हैं, हाउस के अन्दर सब तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन माफी मांगने के बाद उन सबको माफ किया गया है। यह परम्परा रही है। और आप एक प्रेस कांफ्रेंस में अखबारों में दिये कोई स्टेटमेंट को, उस बात को सीरियसली समझते हैं। आप उसको वाकई सीरियसली लेते तो हमको समझ में आता कि आपने बड़ा सीरियसली लिया हुआ है, हम भी वह महसूस करते। आपने कोई सीरियसली नहीं लिया। आपने उसको अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिख दिया कि एक बार इनके माफी मांगने के बाद चैप्टर समाप्त हो गया। अब रीओपन करके निश्चित तौर से राजनीतिक तौर से ऐसी फिजां पैदा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सत्ता पक्ष के लोगों से कि आप यह विपक्ष के दिमाग में डर पैदा करना चाहते हो कि असेम्बली के अन्दर कोई भी चीज रखी जाय, असेम्बली के अन्दर कोई भी बात रखी जाय। हम असेम्बली के अन्दर रखते हैं, चाहे हम इल्जाम लगाएं चाहे कोई समस्या रखें। हमें डर लगे कि क्योंकि इनकी मैजोरिटी है, हमें जब मर्जी आये निकाल कर बाहर कर देंगे। यह आप फिजां पैदा करना चाहते हो। ऐसे वक्त में आपको विचार करना चाहिए। मैं सारे मैम्बर्स से विशेष तौर से जो हमारे साथी जनता दल के नाम से वहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : आपके कहां से हो गये ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा नहीं आपका जनता दल कह रहा है। गलती हो गयी। भैरोसिंह जी का जनता दल। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जनता दल से मुझे मोह है, जनता दल नाम से मोह है। मैं समझता हूं उनके अन्दर कुछ लोकतन्त्र है, कुछ ट्रेडीशन कायम हैं, लोकतन्त्र के ट्रेडीशन कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह उनके अन्दर आथोरिटेरियन फोर्सेज नहीं हैं। इसलिए निवेदन करता हूं मैं उनसे कि आप इस तरह की परम्परा हाउस में डाल रहे हो जो निश्चित तौर से अच्छी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस के अन्दर सिर्फ मैजोरिटी के बल पर, अगर 5–10 मैम्बर्स ज्यादा हो जायें उसके बल पर किसी मैम्बर को सजा दें तो, मैं समझता हूं, सजा इस बात की नहीं होगी कि उसने कोई गलती की है, सजा इस बात की होगी कि उसने एक सच्ची बात कही है। सच्ची

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बात लगी दिल पर लोगों के इसलिए उससे बदला लिया जा रहा है । यह गलत चीज है । मैं बड़े आदर से कह सकता हूं हाउस के अन्दर, मुझे गर्व है इस बात का कि एक सदस्य ने राजस्थान में उन चीजों को उघाड़ा है जिसका सम्बन्ध गलत बातों से है, ऐसी चीजों का पर्दाफाश किया है जो गलत राजस्थान में हो रही हैं । पर्दाफाश करने के कारण उन्होंने 2–3 इश्यूज पैदा किये इस हाउस में । मुझे गर्व है इस बात का । उनका राजस्थान की जनता ने स्वागत किया भी है । इस सिलसिले में अगर आप इस तरह की चीज करने वालों को टेबल्स टर्न करके, अगर आप पहले करते तो हमें कोई ऐतराज नहीं था, पर आपने दो दिन में टेबल्स टर्न करके निकालने की+ + +दी है, निश्चित तौर से अच्छी परम्परा नहीं है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारा जो प्रस्ताव है कि वह जो रिपोर्ट आयी है, उस रिपोर्ट को एज इट इज स्वीकार किया जाय और इस चैप्टर को समाप्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार नाथ जी ।

श्री रमाकान्त शर्मा : इधर से बहुत बोल चुके, सत्ता पक्ष का कोई भी नहीं बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अलाऊ किया है इनको ।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर, स्पीकर की डिग्निटी, स्पीकर की इमेज और स्पीकर की रेस्पेक्ट, यह हाउस की रेस्पेक्ट हुआ करती है । इस प्रीविलेज मोशन के तीन कारण थे–स्पीकर का अपमान, हाउस की प्रतिष्ठा गिरी और विशेषाधिकार का हनन हुआ । बहुत सीरियस चार्जेज थे । हम प्रेस कान्फ्रेंस करें चाहे अध्यक्ष को लैटर लिखें, जहां इसकी इमेज का सवाल है वह हमारी इमेज है । उसको डेरोगेटरी रिमार्क्स, डिस्परेजिंग रिमार्क्स, यह कोई भी माननीय सदस्य के मुंह से शोभा नहीं देता। इसलिये हमने जो प्रस्ताव रखा है, बहुत सोचकर रखा है । मैं यह सारी बात कहता हुआ एक निवेदन करूंगा माननीय व्यासजी से, माननीय व्यासजी जो आपने स्पीकर की "इगो" का लब्ज लिया है, वह स्पीकर की प्रेस्टिज के साथ मेल नहीं खाता । स्पीकर का जो एग्जाल्टेड आफिस है, जो हाउस की सारी डिग्निटी को कायम रखता है, पर्सनल नहीं, स्पीकर एज़ सच, उसकी इगो कुछ नहीं हुआ करती । स्पीकर की इगो नहीं हुआ करती । इगो का मतलब हिन्दी में क्या होता है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अहम् ।

श्री केदारनाथ शर्मा : जब अहम् होता है, इसका मतलब हाउस की खुद की डिग्निटी पर उसका एक रिफलैक्शन पड़ता है । स्पीकर का अहम् का मतलब है कि हाउस की डिग्निटी, हाउस की इमेज, हाउस का सारा डेकोरम पर इसका एक इन्डायरेक्ट रिफलैक्शन पड़ता है, जिस पर हम

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

एस्पर्शन कास्ट कर रहे हैं। इसलिये, माननीय व्यासजी, आपने क्रास-एक्जामिनेशन की बात कही कि मेरे शब्दों से कभी यह मतलब नहीं निकलता था कि स्पीकर की रेस्पेक्ट और डिग्निटी के खिलाफ मैं बोलूं या मेरा मतलब उनके खिलाफ बोलने का है। उसके बाद आपने यह शब्द जो कहे कि अगर मेरे शब्दों से स्पीकर की इगो हर्ट होती है, यह लब्ज है, 'स्पीकर की इगो हर्ट होती है', यह, मेरा ख्याल है, उसके बाद नेगेट करती है जो आपने पहले लब्ज कहे हैं, उसका सारा इसेंस नेगेट करता है। इसलिये हाउस में शान्ति हो, कांग्रेस ने जो बात की है, उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं। ठीक है, कभी कभी डिफरेंस होते हैं, कभी कभी पेडेमोनियम होते हैं, कभी-कभी टैंस मूमेंट पैदा होते हैं, हुआ करते हैं डेमोक्रेसी में, मगर हमारे हाउस की बहुत अच्छी ट्रेडिशन रही है। इसलिये, व्यासजी, आपकी नोलेज को भी मैं मानता हूं, थोड़ा यह भी सोचो कि इन्हें रिटेंस में बहुत चीजें मिली हैं, विरासत में आपको बहुत चीजें मिली हैं। आपके पिताजी इस हाउस के बहुत ही डिग्निफाइड मैम्बर रहे हैं और कैबिनेट के बहुत बड़े सुपिरियर, अच्छे हाई रैंक के कांग्रेस के लीडर रहे हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि जो आदमी अपने शब्दों को वापस लेता है, मेग्नानिमिटी आफ हर्ट, उसमें आदमी की गिरावट नहीं होती। हां पक्ष को भी कहता हूं कि आप जो यहां रिजोलूशन लाये हैं, अमेंडमेंट, एक साल के लिये निकाला जाय, यह विडिक्टिव होगा, यह वेन्डेटा होगा। मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने और हमने 20-30 साल पहले माननीय जोशीजी पर ऐतराज किया था, देवपुराजी, पहाड़ियाजी पर, जो गेलेक्सी आफ चीफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें कोई छोटा नहीं हैं, मेरा ख्याल है जो भी आदमी हाउस में बैठकर ठण्डे दिमाग से, विद रेस्ट्रेंड एण्ड कूल, बेलेन्स्ड माइण्ड से अगर अपनी बात वापस लेता है तो मैं नहीं मानता, उसकी कोई कमजोरी नहीं होती। मैं समझता हूं कि हाउस की डिग्निटी के लिये, स्पीकर की रेस्पेक्ट के लिये यह लब्ज "इगो" है, उसको आप वापस ले लीजिये और बाकी सब काम ठीक है। इस सब मुद्दे को हां पक्ष के लोग वापस ले लें और शांति हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुलाकीदास कल्ला। आप बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानीय सदस्यों से यह विशेष प्रार्थना करूंगा, सम्भवतः यह प्रस्ताव पारित होगा तो यह मेरा अन्तिम भाषण होगा और मैं कन्टेम्नर की हैसियत से बोल रहा हूं, इसलिये शान्ति से मुझे सुनने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी इन्हिबिशन के I may conclude this reply with the observation that the hon'ble Speaker appears to have taken to his heart that I have said certain things which go against his dignity or respect, which, in fact, I never meant. If the hon'ble Speaker's personal ego....

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पर्सनल इगो में विदड्रा करता हूं Speaker's ego has been hurt on this count and if my regrets on this count can satisfy him. I have no inhibition in expressing my regrets for the same. यह एक बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रो. केदार ने एक बात कही और वाजिब बात थी, मैंने उसको स्वीकार किया । यह 25 मार्च का पत्र है । 26 मार्च के पत्र में मैंने लिखा है "वैसे माननीय अध्यक्ष को यदि इससे ठेस पहुंची है...." यहां कोई इगो नहीं है । हिन्दी में लिखा है, यहां कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है । "वैसे माननीय अध्यक्ष को यदि इससे ठेस पहुंची है तो इसका मुझे खेद है" । उपाध्यक्ष महोदय, यह लैटर्स जो हैं, ये सब चीजें सेकण्डरी हो जाती हैं । जहां मुझे पर्सनली एग्जामिन कर लिया कमेटी ने तो उस साक्ष्य से बड़ा कोई साक्ष्य नहीं हुआ करता । मेरे साक्ष्य का जो अंश उद्धृत किया गया है इस रिपोर्ट के अन्दर, सिर्फ वह पोर्शन पढ़ना चाहता हूं आपकी आज्ञा से । पेज 14–"श्री व्यास ने बताया कि जिस तरीके से पेपर में रिपोर्टिंग हुई है, यह मैंने कभी नहीं कहा । सभापति द्वारा यह पूछे जाने पर Are you in a position to say whether these words were said by you or not.

इसके जवाब में श्री व्यास ने बताया कि तीन अखबार—"इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, तीनों की रिपोर्टिंग एक सी नहीं है ।" उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष महोदय के लिये जिस तरह की भाषा मुझे असाइन की गई है, यह कोई सुखद स्थिति नहीं हो सकती । मैंने कभी नहीं कहा है और ठीक भी नहीं है । पेज 15 पर कहते हैं, "Forgery in documents is there" मैंने कहा है लेकिन स्पीकर के खिलाफ कोई चार्ज मैंने अभी नहीं लगाया । स्पीकर ने फोर्जरी की है, फोर्जरी में वे शामिल हैं, यह मैंने कभी नहीं कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा विवेचन में नहीं जाना चाहता हूं । मेज पालियामेंटरी प्रेक्टिस, कौल एण्ड शकधर पढ़ दी, माननीय नत्थी सिंह जी ने, और प्रिविलेज डाइजेस्ट, यह सेक्रेड लॉ है । कमेटी हाउस का मिनिएचर होती है । बी. जे. पी. का चेयरमैन वहां पर मौजूद है, बहुमत इनका वहां पर है और उस समिति की सिफारिश निश्चित रूप से हाउस को मान्य होनी चाहिये । मुझे अवसर दिया, एग्जामिन किया, जो भी हुआ, अब, उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने यह चेष्टा की है यहां पर कि मैंने कमेटी के साथ यह किया और यह लिख दिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहूंगा । एक शब्द नहीं कहूंगा जो आप प्रस्ताव लाये हैं, राजस्थान की जनता क्या कहेगी । आप बहुमत के आधार पर कर रहे हैं, इसमें वहम कहां है ? लेकिन आप उस बात को जाने दीजिये, मैं उस बात को नहीं कहूंगा, मैरिट के ऊपर मेरा एक निवेदन है । प्रिविलेज कमेटी की रिकमण्डेशन्स को आपको असेप्ट करना चाहिये । मैं जो कुछ इसमें कह चुका हूं कुछ उसमें ऐड करने वाला नहीं हूं । अगर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आप यह समझते हैं कि सुरेन्द्र व्यास इस सदन का सदस्य बने रहने के लिये, मुख्य मन्त्रीजी, रोज-रोज माफी मांगेगा तो आप भूल जाइये। सुरेन्द्र व्यास बिना मैम्बर बिल्कुल आराम से है। (व्यवधान) आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैंने प्रार्थना की है आपसे। मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, न मैं इससे भयभीत हूं। आप बहुमत के आधार पर करें, यह दूसरी बात है।

एक तीसरी बात जो सदन के अन्दर कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय और यह दूसरी कन्टैम्प्ट करना चाहता हूं। जितनी पीड़ा, जितनी तकलीफ और जितनी, मेहनत और जितना परिश्रम इस केस के अन्दर किया है, या तो मैं समझता हूं या माननीय अध्यक्ष समझते हैं। क्षमा करेंगे आप मुझे, प्रीविलेज कमेटी ने भी उन डाकूमेंट्स को नहीं पढ़ा। मैंने 8–8 पेज के लेटर लिख के दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन पूरे विवेचन में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय आसन पर होते। अध्यक्ष महोदय अपने कक्ष में सुन रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब जो मैं बात कह रहा हूं, पूर्ण रूप से अध्यक्ष महोदय के लिये कह रहा हूं, सदन के अन्दर कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, सदन के माननीय सदस्यों के माध्यम से कह रहा हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष के लिये कह रहा हूं सुरेन्द्र व्यास इतना अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि अध्यक्ष के लिये अनादर की भावना रखे। कभी भी मैं अवमानना की भावना अध्यक्ष के लिये नहीं रख सकता और कभी नहीं रखी। यह क्यों हुआ सारा प्रकरण ? उपाध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में बताता हूं आपको। डाकूमेंट्स फोर्ज्ड हुए हैं, उसमें भी नहीं जाऊंगा। मेरे फोर्जेरी के दो मोशन पेंडिंग हैं। मेरी एस. एल. पी. पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। मोशन पेंडिंग है, अध्यक्ष महोदय ने उनको खारिज नहीं किया है। बिना मोशन आये मैं चर्चा करने वाला नहीं हूं, मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूं लेकिन यह सिलसिला कब पैदा हुआ, 12 अक्टूबर को लिखित बहस मैंने प्रस्तुत की और उसके अन्दर एक पैरा डिवोट किया। अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया कि इस प्रकार की ट्रेजडी हुई है। 12 फरवरी, 1991 को। 14 फरवरी को एन्टी डिफेक्शन प्रोसीडिंग की हीयरिंग हो रही थी, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामेश्वर दयाल यादव ने यह मुद्दा हीयरिंग के वक्त उठाया था। 16 फरवरी को मैंने सचिव, राजस्थान विधान सभा को एक पत्र लिखा कोई कार्यवाही नहीं हुई। 19 फरवरी को उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल, महोदय को ज्ञापन दिया। यहां तक तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी को कुछ पत्रकारों ने, मैं रिकार्ड पर यह लाना चाहूंगा, क्योंकि असली मुद्दा यही है। मैं लगातार यह लिख रहा हूं कि दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं—कुछ पत्रकारों ने माननीय अध्यक्ष से पूछा कि यह फोरजरी वाला मुद्दा क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र भाव से कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को कहना चाहिए था कि मैं इसको देख रहा हूं—It is being examined. It is

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

being looked into. लेकिन अध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा। तो उन्होंने कहा साहब श्री सुरेन्द्र व्यास ने मेमोरेण्डम पेश किया है गवर्नर के पास। सुरेन्द्र व्यास बच्चा है।

21 फरवरी को रात को मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय से बात हुई। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचना के लिए निवेदन किया कि आपने इस प्रकार की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बच्चा ही समझता हूं। उस बात के लिए, जिस बात को मैं जितनी गैरत से इस बात को ले रहा था, मेरे इश्यू को जिस तरह से डाइल्यूट किया गया या मैंने समझा कि स्पीकर चला कर इसको डाइल्यूट कर रहा है। यह स्वाभाविक था कि मैं आवेश में आता, यह स्वाभाविक था कि मुझे क्रोध आता, यह स्वाभाविक था कि मुझे डिफेशन आता। आप इस बात को समझने की चेष्टा कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय। जब अध्यक्ष महोदय यह कहते हैं कि सहज भाव से, सद्भावना पूर्वक किया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष से कहता हूं कि उनके बच्चे का 22 तारीख का प्रेस कान्फ्रेन्स था वह बचपना था उसके लिए मुझे इतना बड़ा दण्ड देना चाहते हैं, पूरे सेशन के अन्दर मुझे तंग करके रखा, क्या आप मुझे दण्ड देना चाहते हैं, आप मुझे निष्कासित करना चाहते हैं, पूरे सेशन के अन्दर मुझे काम नहीं करने दिया। रोज नोटिस दिया, मैं अकेला आदमी हाउस के अन्दर जो कर सकता हूं करूं, उस नोटिस का जवाब देना। उसके बाद आपने लगातार किया। मैंने 7 अप्रेल को, उपाध्यक्ष महोदय, एक पत्र लिखा। यह 7 अप्रेल का पत्र प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसलिए जब 27 मार्च को अपना निर्णय सुना दिया। 7 अप्रेल को मैंने फिर लैटर लिखा—I don't mind placing my regret on record again for offending your personal ego....

यह पर्सनल इगो को फिर विथड्रा कर रहा हूं—But it was a sheer compulsion for a law abiding citizen like me, who was determined to discharge his constitutional obligation for bringing the culprits to book and you seem not to be cooperating; Here again sir it was never an issue that you had anything to do with forgery committed by these offending Ministers but the cause of agitation was your disinclination to heed to full proof case of forgery but somehow you unfortunately took offence to this that while giving the aforesaid finding you did not deal with the issue of forgery.

वह आगे अलग है, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने यहां भी क्लियर किया है। मैंने अध्यक्ष के लिए कभी भी यह नहीं कहा कि अध्यक्ष ने फोरजरी की है। सजा के लिए मेरे मन में कभी भी घबराहट नहीं है, मैं दण्ड स्वीकार करने को तैयार हूं पुट दी रिकार्ड, कभी भी मैंने यह नहीं कहा कि अध्यक्ष ने फोरजरी की है। या अध्यक्ष महोदय भी शामिल हैं। हां, उपाध्यक्ष महोदय, कन्लेन्डेस्टाइन तरीके से फोर्जड डाकुमेंट्स होम

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मिनिस्टर साहब ने दाखिल किया है। यह मैं आज भी कहता हूं, आप चाहें जो सजा दीजिए मुझे। अब जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, अध्यक्ष की जानकारी में नहीं किया गया हो, मैं यह आज मानने को तैयार हूं।

अध्यक्ष की बोनाफाइड को डाउट नहीं करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन बीच में स्थिति आ गई उसके खिलाफ पर मैंने यह बात कही। यह प्रकरण की बात यहां होती है। इस प्रकरण में मैंने एक शब्द भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहता हूं इतनी सी प्रार्थना करता हूं कि इस सदन के अन्दर एक भी माननीय सदस्य ने अगर मेरे लेटर्स और डाकुमेंट्स पढ़े हों, वह ईमानदारी से पार्टिसिपेट करें डिबेट में, तब तो उसका औचित्य है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक लेकिन चुनौती पूर्वक कहता हूं कि एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है कि जिसने पूरे लेटर्स पढ़े हों........

श्री रमाकान्त शर्मा : ऐसी चुनौती मत दीजिए, कह दीजिए कि नहीं पढ़े होंगे। एक-एक लाइन, एक-एक लब्ज मैंने पढ़ा है इसके अन्दर।.. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सीधे आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Ramakant possibly this is my last spech and you will not interrupt me. I donot mind it.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रमाकान्त जी की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि 7 अप्रेल का पत्र नहीं पढ़ा। चलिए, वह प्रिविलेज कमेटी को गया ही नहीं आपने पढ़ा तो प्रिविलेज कमेटी का ही है ना।

श्री रमाकांत शर्मा : हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिविलेज कमेटी को नहीं गया फिर। 7 अप्रेल का लेटर नहीं गया। मैं आपसे कहता हूं, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है, लेकिन सत्य है कि इस केस को मेरे और अध्यक्षजी के अलावा कोई नहीं जानता है। अध्यक्षजी जानते हैं, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत से जो निर्णय करेंगे, वह मजबूरन मैं क्या करूंगा, करना हो पड़ेगा लेकिन मैं मेरे मन से अध्यक्ष के सामने सरेण्डर करता हूं, अध्यक्ष कोई दण्ड देते हैं तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, बाकी बहुमत से आप फैसला करेंगे वह मुझे मानना ही पड़ेगा।.... (व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : रहने को तो बहुत कुछ रह गया।

श्री रामकिशन : मैं तो वैसे भी कम बोलता हूं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनके बाद में मुझे अवसर दे दीजिए।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो केवल इतनी सी बात निवेदन करनी है कि सुरेन्द्रजी ने जो बात

(श्री रामकिशन)

कही है, जिस भावना से कही है और जिस सन्दर्भ में कही है मैं समझता हूं कि इससे बढ़ी और क्या बात चाहता है सदन, माननीय मुख्य मन्त्रीजी मैं सलाह देने का अधिकारी तो नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सी पेचीदगियां हों लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप उदारता से व्यवहार करें और आपके व्यवहार से सदन में अच्छी परम्पराएं भी बनेंगी। और घटना के बाद जो उन्होंने लगातार कहा है कि अध्यक्ष महोदय के सामने सरेण्डर करता हूं तो मैं समझता हूं कि हिन्दी में तो इससे बड़ा अर्थ आत्म समर्पण से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अंग्रेजी में सरेण्डर और हिन्दी में आत्मसमर्पण के बाद मनुष्य कहीं रह ही नहीं जाता है जब मनुष्य सम्पूर्ण समर्पणता के साथ अपनी बात को कह रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इस बहस की क्या जरूरत है और रमाकान्तजी को सुनने की क्या जरुरत है। सीधे में तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को आप वापस लें और जो कमेटी ने रिपोर्ट की है उससे स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विश्नोई साहब।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें जोर देकर कही गई, बहुत ऊंची आवाज से कही गई, कुछ बातें भावनाओं से कही गई, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की बात के प्रश्न को यदि हम केवल मात्र भावनाओं के आधार पर चलेंगे तो आगे सदन के अन्दर जितना बड़ा इनडिसिप्लीन कायम हो सकता है और सदन दिन प्रतिदिन और ज्यादा गिरावट में जा सकता है। यह भी इस सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

पण्डिजी ने अभी कहा कि अध्यक्ष को पूरी तरह से समर्पण करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। परन्तु अध्यक्ष और सदन दोनों बराबर की चीज हैं और सदन शायद बड़ा है। सदन से कहते हैं कि सदन में मेरी आस्था नहीं हैं, सदन में तो मेरा विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, सदन तो मेजोरिटी के आधार पर मुझे बाहर निकालेगा।....(व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये। (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा नहीं सुनेंगे हम....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : जरा सुनने की कोशिश कीजिए। हमने बहुत सुना है आपको। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री पारीक साहब। (व्यवधान)....श्री मदेरणा साहब बोलेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना बोल चुके हैं, मैं तो कुल मिलाकर 3–4 मिनट बोलना चाहता हूं।........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :....(व्यवधान)... प्लीज पारीक साहब सुनिए। वह बड़ी शालीनता से बोल रहे हैं...... (व्यवधान) Please.

(श्री उपाध्यक्ष)

control yourselz. इनको कन्ट्रोल कीजिए. (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : जनता फैसला करेगी आपका, सबकी जमानत जब्त होगी ....सबकी........(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह समय बता देगा आप पहले क्यूं कह रहे हैं....(व्यवधान) इनको कन्ट्रोल कीजिए।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मालपुरा से जो सदस्य आते हैं....(व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : हाउस जितना सीरियस चल रहा है उतना सीरियस बनिए आप। कई बातों पर थोड़ा गम्भीर होइए....

श्री रमाकान्त शर्मा : उनकी एक बड़ी विशेषता है वह अपने आप एकदम आसमान पर पहुंच जाते हैं और फिर फौरन जमीन पर गिर जाते हैं.......फिर कुलबुलाते हैं फिर आसमान पर दौड़ने की कोशिश करते हैं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह इनका लहजा है, भाषा है कहने दीजिए इन्हें।

श्री रमाकान्त शर्मा : उनके प्रत्येक पत्र में जो विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, मैंने प्रत्येक पत्र पढ़ा है उनका, उनकी मैंने जो वहां पर उन्होंने एविडेंस दी है वह भी पढ़ी है। दुर्भाग्य है कि एक ही वाक्य के अन्दर यह बड़ा भारी कन्ट्राडिक्शन कर जाते हैं। एक बार कहेंगे कि मैंने माननीय अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा दूसरी बार कहेंगे The Speaker is involved in the forgery.

जब पूछा जाएगा कि इन्वाल्ड का मतलब हिन्दी में उन्होंने गलत लिख दिया, लिप्त लिख दिया तो यह नहीं बतायेंगे कि इन्वाल्व्ड का इनका क्या मतलब है। अखबारों के अन्दर यह कहते हैं कि मैंने अध्यक्ष के लिए कभी इस तरह की भावना नहीं रखी........

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंह जी बैठिए आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....(व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : यह+ + +के आधार पर करना चाहते हैं यह क्या बात हुई....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या पाइन्ट आफ आर्डर है........(व्यवधान)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है आप मुझे सुन लो........(व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे रूल के तहत पाइन्ट आफ आर्डर है ? (व्यवधान) यह कहना बहुत आसान है पाइन्ट आफ आर्डर है, कैसा पाइन्ट आफ आर्डर है ?

एक माननीय सदस्य : आप सुन लीजिए फिर ओवर रुल कर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ आर्डर, यह क्या है पाइन्ट आफ आर्डर....(व्यवधान)....

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप सुनिए पहले इनको ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बैठिए पहले........(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : हल्ला करने से बैठ जाऊंगा क्या मैं........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए आप । बिराजिए आप ।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं यह सिद्ध करने जा रहा हूं आगे कि यह केवल मात्र विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं है, यह माननीय अध्यक्ष की अवमानना का प्रश्न है, उनके प्रति तिरस्कार के शब्द कहे हुए का प्रश्न है, उनके प्रति कन्टेम्प्ट का प्रश्न है, बहुत भारी प्रश्न है इसके बारे में बड़े-बड़े रूलिंग्स मैं आपको निवेदन करूंगा । कन्टेम्प्ट को और ब्रीच आफ प्रिविलेजेज को दोनों को बराबर नहीं माना गया है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप क्या केस मेरिट पर सुन रहे हैं क्या, सवाल इस बात का है कि रूल्स में क्या प्रोविजन है कि इस स्टेज पर क्या यह केस आप मेरिट पर सुनेंगे........

श्री रमाकान्त शर्मा : हां क्यों नहीं सुनेंगे....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सुना जा रहा है मेरिट नहीं है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आधा घण्टे का समय निर्धारित है....

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में क्यों बोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, बहुमत है बैठिए आप।।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है यहां पर भी कही गई कि इस प्रकार की बात तो रोज होती रहती है । मैंने सारी यहां की लाइब्रेरी देखी है, प्रत्येक स्टेट के अन्दर जो भिन्न-भिन्न इस प्रकार के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न आए हैं वह पढ़े हैं मैंने । मैंने जो डाइजेस्ट है पार्लियामेंट का वह पढ़ा है, मैंने मेज आफ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस पढ़ी है, मैंने एक यह जो पाशूरी की किताब है यह पढ़ी है । विश्व के अन्दर कहीं पर भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया जिसके अन्दर पूरे विश्व के अन्दर किसी पार्लियामेंट में जिसमें कि स्पीकर को यह कहा गया हो कि उन्होंने जालसाजी की है और वह जालसाजी में इनवाल्वड हैं, ऐसा प्रश्न नहीं आया है । यह एक अनप्रेसिडेन्टेड प्रश्न है इसलिए अनप्रेसिडेन्टेड प्रश्न के बारे के अन्दर हमको यहां गम्भीरता से विचार करना होगा कि किस तरह की यह बात कही गई है । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

था कि जब अखबारों में छपी और इनकी मंशा यह नहीं थी तो उस वक्त में इनको कन्ट्राडिक्शन भिजवाना चाहिए था....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी....।

श्री परसादीलाल मीणा : कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में कोड किया जाए।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं आ रहा हूं कमेटी की रिपोर्ट पर....।

श्री परसादीलाल मीणा : कमेटी के निष्कर्ष सुनाईए ना आप....।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनप्रेसीडेन्टेड चीज भी किस-किस के द्वारा, एक ऐसे माननीय सदस्य के द्वारा जो पहली दफा नहीं आए हैं कई बार निर्वाचित हो करके आए हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने आपको एक वरिष्ठ, अग्रणीय हाईकोर्ट का एडवोकेट मानते हैं....(व्यवधान)....।

कई माननीय सदस्य : हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : अवश्य हैं, मानते हैं....(व्यवधान)....इसलिए मुझे खुशी की बात है कि यह कह रहे हैं कि हैं इसलिए जो इन्होने काम किया है, जो शब्द कहे हैं, एक इस प्रकार के सदस्य से जो कि हैं उनके मुंह से जो निकलते हैं तो वो आरोप बहुत बड़े गम्भीर हो जाते हैं, उनका घनत्व बढ़ जाता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां कहे हैं यह शब्द, कहीं रास्ते चलते सड़क पर नहीं कहे हैं, कहीं गोसिप में नहीं कहे हैं, कहीं वहां जाकर के केवल मात्र घर पर बुलाकर के किसी अखबार वाले को नहीं कहे हैं यहां सदन के परिसर में कहे गए हैं। और सदन के परिसर के अन्दर जैसे मान लीजिए आफीसर्स गैलरी के अन्दर कोई बात कही गई है, पत्रकार गैलरी के अन्दर कोई बात कह दी जाए अभी, यहां पर दर्शक दीर्घा में कोई बात कह दी जाए यदि कहीं कैन्टीन में भी कही जाए विधान सभा के अन्दर तो रूलिंग है इसका कि परिसर में कोई बात कही गई है तो ठीक उसी प्रकार की वो बात है जिस प्रकार की सदन के अन्दर बात है। तो यह परिसर के अन्दर इस प्रकार के सेंन्टेन्सेज बोलना, माननीय सदस्य अभी भी जब बोल रहे थे। इनकी अंग्रेजी और हिन्दी का मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....।

एक माननीय सदस्य : रूलिंग कोट कर दो आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां कोट कर दूंगा....(व्यवधान)....परिसर में ही नहीं मैं तो आगे यह भी कोट करूंगा....।

श्री ईश्वर लाल सैनी : माफी सबसे बड़ा शब्द है। थानागाजी के माननीय सदस्य आपको भी कलकत्ता में तस्वीरों के मामले में सरकार माफी दे चुकी है.... (व्यवधान)....।

श्री रमाकान्त शर्मा : जी हां, जी हां, बिराजिए आप।....आपका कृत्य मैं सब जानता हूं....(व्यवधान)।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप जैसे

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

आई. ए. एस. को इन्होंने टिकट दे दिया इस प्रकार का जो प्रचार कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे · · (व्यवधान) यह भ्रष्टाचार इनका है · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब बिराजिये, प्लीज सैनी साहब · · · (व्यवधान) · · · ·

श्री रमाकान्त शर्मा : बहुत + + + करते हैं · · ·

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप भ्रष्टाचार को तूल दे रहे हैं और आप आज समाप्ति की बात कर रहे हैं · · · · (व्यवधान) · · · · माफी से बड़ा कोई शब्द नहीं होता हिन्दुस्तान में · · (व्यवधान), आपको टिकट देकर इस बी. जे. पी. का एम. एल. ए. बनाया मैं कहता हूं · · ·

श्री रमाकान्त शर्मा : इनको + + + में भिजवाइए । · · · (व्यवधान) आपके कारनामे, आप किस तरह के आदमी हैं · ·

श्री राजेन्द्र पारीक : उनकी हिन्दी और अंग्रेजी के बारे में · · · · (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, वह बोल रहे हैं उनको अलाऊ किया है, माननीय विश्नोई साहब बोलेंगे, मदेरणा साहब बोलेंगे उस समय भी यही इन्टेंट होगा क्या · · · (व्यवधान) आप सभी की भावना का ख्याल रखिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी विशेषाधिकार हनन पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य हिन्दी और अंग्रेजी के बारे में बात कह रहे हैं · · · (व्यवधान) · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य । माननीय शर्मा साहब चालू रखिए ।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह अभी अभी भी ऐसे बोले हैं अध्यक्ष यह कहता है, अध्यक्ष यह बैठा है, इनकी जो हिन्दी है, मैं समझता हूं हमारे देश की एक प्रकार की जो शिष्टता है उस शिष्टता से बहुत कहीं परे है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाता है ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने थानागाजी से आने वाले

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री जगमाल सिंह)

माननीय सदस्य पर अभी आरोप लगाया कि तस्करी के आरोप में कलकत्ता में आपको गिरफ्तार किया गया और नोटिस नहीं दिया, उसको एक्सपंज करावें ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप । माननीय जगमाल सिंह जी ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, अगर यह सही हो तो फिर आप क्या करोगे, यह कह दें कि गलत है ....

श्री रमाकान्त शर्मा : बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है +++ बात है ... (व्यवधान) ...

श्री चन्दनमल बैद : गवर्नमेंट की फाइल में लिखा हुआ है....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : ..(व्यवधान)... बिल्कुल गलत है, आप नोटिस दीजिए मैं जवाब दूंगा उसका, मामला भी गलत था ...(व्यवधान) हाई कोर्ट ने खतम किया है उसको, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिनिश किया है उसको ।

श्री चन्दनमल बैद : ....(व्यवधान) इस प्रकार की बातें लाते हैं यह । गवर्नमेंट की फाइल में है कि आप+++पकड़े गये थे ।

श्री रमाकान्त शर्मा : बिल्कुल गलत बात है यह ।

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल सही बात है यह । ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बिराजिये ।

श्री रमाकान्त शर्मा : इस प्रकार की बातें लाते हैं यह । ...(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : गवर्नमेंट की फाइल में है यह ।

श्री रमाकान्त शर्मा : ठीक है । .... (व्यवधान) यह कौनसा तरीका है आपका । +++बातें करते हैं, बिना नोटिस दिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठिये । प्रकरण नहीं है यहां । प्रकरण हो तो मैं बता दूंगा, मौका मिलेगा तो ... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द एक्सपंज किये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मूर्ति वाला है वह एक्सपंज कर दिया जाये । ..(व्यवधान) उसी पार्ट को एक्सपंज किया है जो इन पर चार्जेज लगाये हैं गलत ।

एक माननीय सदस्य : अनेक मामले हैं । एक मामला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है । आप कहते रहना, कौन मना करता है ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको ताड़ना दीजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : सचेतक जी किसी और को बुला कर... (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या बातें करते हो आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, क्या हो गया आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कहलवा दें कि बीज का घोटाला नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए। आर्डर प्लीज। माननीय रमाकान्तजी पूरा कीजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन कर रहा था, इन्होंने यहां पर परिसर के अन्दर, पत्रकार सम्मेलन में बात कह कर ही चुप नहीं हो गये हैं यह। इन्होंने 24 तारीख के पत्र की भाषा यदि आप पढ़ें.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिपिटेडली यह रिक्वेस्ट की है प्रिविलेज कमेटी को, अध्यक्ष महोदय को, कि मेरे 24 तारीख के पत्र के आधार पर मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वैधानिक स्थिति से पूर्णतया अवगत हूं कि अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप बिना अविश्वास प्रस्ताव लाये नहीं लगाया जा सकता चाहे वह आरोप असत्य हो अथवा सत्य हो। और निश्चित रूप से मैंने कुछ कहा है उस 24 फरवरी के पत्र को मेरे आग्रह के बावजूद न तो प्रिवीलेज कमेटी ने आधार बनाया न माननीय अध्यक्ष ने उस पर विचार किया इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 24 फरवरी के पत्र के आधार पर आप दूसरा कोई मोशन लायें तो मैं लीगल, लों मैन आदमी हूं, हो सकता है मैं गलती पर हूं लेकिन आप कृपया इस मोशन को मिक्सअप मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : 24 फरवरी को नहीं आया है तो इस पर मत आइये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 22 फरवरी की प्रेस कान्फ्रेन्स में बात हुई थी।....(व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : कोई बात नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोड़िये मैं इस पत्र की बात नहीं कर रहा मैं तो आपका उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : थानागाजी की....(व्यवधान)....अधिकारी की हैसियत से बात कर लो....

श्री रमाकान्त शर्मा : थानागाजी की बात तो कर लूंगा मैं। यह + + + मत कीजिये आप। आपके चन्दनमलजी बैद....

श्री हरिसिंह (महुआ) : एस. टी. सी. में जहां एक-एक लड़के से 30–30 हजार रुपये केपीटेशन फीस ली है।

श्री रमाकान्त शर्मा :....साहब रेप केसेज में पकड़े गये हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

महोदय, यह क्या तरीका है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं इस बात को। मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य मन चाहे वह बोल रहे हैं। हाउस में जिस प्रकार की गम्भीरता होनी चाहिये वैसी गम्भीरता नहीं है। थोड़ा सा शान्त रहिये। जिस विषय पर विचार.... कर रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम चोर नहीं हैं, हमने चोरियां नहीं की हैं।....(व्यवधान)....

श्री ईश्वरलाल सैनी : अभी भी यह बोले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब बिराजिये आप।...(व्यवधान) आप बोलेंगे थोड़ी देर बाद। रमाकांतजी पूरा कीजिये आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। इन्होंने बोलने ही नहीं दिया। मैं तो मुश्किल से पांच मिनिट बोला हूं। सारा का सारा तो डिस्टरबेंस किये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में मैं आपकी थोड़ी-सी तवज्जोह चाहूंगा इस मामले पर, इन परिस्थितियों में इन्होंने यहां पर इस प्रकार का वातावरण बनाया और पत्रकार सम्मेलन के अन्दर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया ये उस समय इस ख्याल के अन्दर थे कि सरकार बदल रही है दिग्विजयसिंह ग्रुप के जो आदमी हैं उनको इन्टीमिडेट कर दिया जाये। वह उनके साथ रह नहीं सकते। जनता दल के साथ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाये और इनकी मेजोरिटी बन जाये और इसके साथ-साथ स्पीकर भी बदल जायेंगे और सारी बात बदल जायेगी। ऐसा एक वातावरण बनाना चाहते थे इन्होंने राज्यपाल महोदय का माइक छीना, यहां पर एक प्रकार की स्थिति पैदा की....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर बोल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा होनी है....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप बार-बार समय बढ़ाते चले जा रहे हो, यही मुद्दा चलता रहेगा। आज बिजली पर चर्चा होनी है, किसान बरबाद हो रहा है बिजली की कमी से, आप सदन का समय इसीलिये बढ़ाये चले जा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह अपनी बात को कन्क्लूड कर रहे हैं, बैठिये माहिर आजाद जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राज्यपाल महोदय का कागज फाड़ दिया, किस विषय पर चर्चा होनी है आज, कुछ तो सीमा हो।....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : हैबीचुअल आफेण्डर है यह, मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

इनकी आदत पड़ गई है हैबीचुअल आफेंस की....(व्यवधान) मैं इस बात की ओर तवज्जोह दिलवाना चाहता हूं। उस वक्त एक तरह से माननीय सदस्यों को इंटीमिडेट करने के लिये एक तरह से बात कही थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं बार-बार, आज भी इन्होंने कहा है कि मेरी मन्शा नहीं, थी मेरी यह नहीं थी, ये तो यहां यह कह रहे हैं, मैं तो 24 तारीख का नहीं मैं तो 22 तारीख का पत्र पढ़ रहा हूं उसके अन्दर क्लीयर यह बात कहते हैं.... आई एम फुल्ली कंविस....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : 22 का कोई पत्र ही नहीं है।

श्री रमाकान्त शर्मा : सॉरी, 24 का पत्र पढ़ रहा हूं। सॉरी कह रहा हूं। सॉरी 24 का नहीं पढ़ूंगा, 24 का नहीं पढ़ रहा हूं, 26 का तो पढ़ सकता हूं ना। सॉरी कह रहा हूं मैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परिसर, कान्फ्रेंस वह जो है वह सब कोट कर दो आप तो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव :....(व्यवधान) कलक्टर की कोई रूलिंग हो तो वह भी बता दो।....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा माननीय बहुत कुछ है इसमें। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं I stand by every word that I have written in my letter dated 24.2.91 24–2–91 के पत्र में, मैं 26 का पढ़ रहा हूं माननीय, 26 का नहीं पढ़ रहा। 26 के पत्र में लिखते हैं I stand by every word I have said.....(व्यवधान) और यह कहा है कि the Speaker is involved. जिसको इन्होंने कन्ट्राडिक्ट नहीं किया है।

श्री नत्थी सिंह : 24 के पत्र पर तो विचार नहीं किया गया। आपकी रूलिंग हो गई है, उसको रेफर नहीं किया गया, ये रेफर कर रहे हैं....

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं 26 के पत्र को रेफर कर रहा हूं 24 के पत्र को रेफर नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान) मैं एक मिनिट में पूरा कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको यह बता रहा हूं, यह निवेदन कर रहा हूं शब्दों के अन्दर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रिविलेजेज के साथ-साथ, विशेषाधिकार हनन के साथ-साथ एक कन्टेम्प्ट और है और विशेषाधिकार का हनन उसी को कहते हैं कि किसी माननीय सदस्य की एक प्रकार से उनकी ड्यूटीज में कोई बाधा आ जाये, जो ह्यूमिनिटीज़ हैं उन ह्यूमिनिटीज़ के अन्दर कहीं रुकावट आ जाये परन्तु जो कन्टेम्प्ट है, कन्टेम्प्ट की इसके अन्दर डेफीनेशन दी हुई है कि यदि किसी आथोरिटी की डिगनिटी के ऊपर आक्षेप किया जाये तो वह कन्टेम्प्ट है। इसमें डिफरेंस है और इस डिफरेंस के ऊपर उन्होंने यह कहा है कि जिस प्रकार से सुपीरियर मोस्ट कोर्ट किसी कन्टेम्प्ट के मामले के अन्दर डिसीजन करती है कन्टेम्प्ट के मामले के अन्दर विधान सभा या जो पार्लियामेंट है वह भी इस कन्टेम्प्ट का उसी प्रकार से निर्णय

(श्री रमाकान्त शर्मा)

देगी। यहां तक कि डी. बी. सी. ने एक स्टेटमेंट दिया....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसको आप पढ़ो।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां बिल्कुल,

श्री चन्दनमल बैद : ऐसे-ऐसे आई· ए. एस. आफिसर हो गये हैं....(व्यवधान)....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई रेफरेंस हो ना, विदाउट रेफरेंस बात हो रही है। जो रेफरेंस उपाध्यक्ष महोदय, चल रहा है वह तो बात हो। रेफरेंस ही नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्त साहब कम्पलीट कीजिये आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : लास्ट बात....

(6.00 सायं)

कोई भी मामला यदि सब जुडिस है या जो मामला विधान सभा के अन्दर अध्यक्ष महोदय के पास में सब जुडिस है, उस पर किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कुछ कह दिया जाय तो वह कन्टेम्प्ट की श्रेणी में आता है। "Comments outside the House on matters, which are pending for the decision of the Speaker or a Committee of the House, or even in the House may amount to contempt." इसके अन्दर यह बाद में पेज 267 में कहा है "Jurisdiction of the House even their own Members, their right to impose decipline within their four walls is absolute and exclusive."

श्री परसराम मदेरणा : on a point of order.

श्री रमाकान्त शर्मा :....सुब्रमण्यम स्वामी के मामले के अन्दर....लास्ट सेन्टेंस....

श्री उपाध्यक्ष : ये पाइण्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : लास्ट सेंटेंस में पूरा कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : I would like to procede over the Member who is in possession of the Fioor of the House. उपाध्यक्ष महोदय, कन्टेम्प्ट की बात कर रहे हैं। जब कभी भी इस हाउस का कन्टेम्प्ट हुआ है, ब्रीच आफ प्रिविलेज अलग चीज है और ब्रीच आफ प्रिविलेज के अलावा अगर हाउस का कन्टेम्प्ट किसी ने किया है तो हाउस कोर्ट में कन्वर्स हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : वहीं बात कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, ऐसा नहीं है। यह कन्टेम्प्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वे बता रहे थे, और क्या कह रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर फोमरू रिजोल्यूशन होता है। कई बार हाउस कोर्ट में कन्वर्ट होता है।

Page No. 168

श्री उपाध्यक्ष : वही बता रहे थे और क्या कह रहे थे ।

श्री परसराम मदेरणा : कोर्ट में कन्विक्ट होने के बाद में वे पनिशमेंट देते हैं । यह प्रिविलेज का मैटर है । माननीय सदस्य के रेस्टिकेशन का मोशन आया है और इसलिए कन्टेम्प्ट का मैटर जो आप कह रहे हैं, यह प्रिविलेज कमेटी में कन्टेम्प्ट का मैटर जो है, इसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं लिखा है, और न ही इस मैटर पर कभी विचार किया है । कन्टेम्प्ट किसका ले आये आप यहां पर ? इसलिए मैं कहूंगा माननीय सदस्य जो कन्टेम्प्ट-कन्टेम्प्ट कह रहे हैं, ये बहुत विषयान्तर हो गये हैं । कन्टेम्प्ट कुछ नहीं है, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है—

श्री उपाध्यक्ष : ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन को इसी सन्दर्भ में रेफरेंस कर रहे थे । उनकी मंशा वहां तक थी ।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहेंगे तो मैं इसकी रूलिंग को पढ़ सकता हूं । मैं लास्ट सेन्टेंस में निवेदन करना चाहता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : हां, पूरा कर दीजिये । हां बोलिये लास्ट सेन्टेंस ।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय सुब्रमण्यम स्वामी के........(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, खत्म करने से पहले इन्होंने जो.... ....(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है)

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : आप इस पर व्यवस्था दीजिये । अगर विपक्ष के माननीय सदस्य बोल लेते हैं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको बोलने क्यों नहीं देते ? बार-बार खड़े हो जाते हैं, बार-बार व्यवधान कर देते हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी अपना वक्तव्य देते हुए थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस सदन के बाहर परिसर में, कैंटीन में, प्रेस गैलेरी में भी कोई बात कही जाय तो उसको हाउस में कही गई मानी जायेगी । इनकी रूलिंग दर्ज करवाइये पहले । जो बात आपने हाउस में कह दी, आपने कहा कि रूलिंग पेश कर रहा हूं । आप व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजाद जी, बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य को अलाऊ किया है क्या ? ये कौन-से नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब चारों तरफ से आवाजें आएंगी और एक बात पूछो यह बहुत इम्पोसिबल बात है....(व्यवधान) ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं और फिर आप उसके ऊपर कोई डिसीजन चाहते हो....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय....

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आप हाउस को आर्डर में ले लीजिये। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य कौन-से नियम के तहत बोल रहे हैं। इनको बैठाइये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी अपना वक्तव्य देते हुए यह कहा था कि मैं एक ऐसी रूलिंग पेश कर रहा हूं कि विधान सभा के सदन के बाहर प्रेस गैलेरी में, कैंटीन में, बरामदे में, कहीं पर भी कोई बात कही जाय....

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी है क्या वह आपके सामने पेश करें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिल्कुल। रूलिंग पेश करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे कोई भी बात कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। बिराजिये आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : Law of Parliamentary Privileges in U. K. and in India, Book written by pashori, "Comments outside the House on matters which are pending the decision of the Speaker or a committee of the House or even in the House may also amount to contempt of the House on the ground of affront to the dignity of the House in attempting to influence its decision or of prejudicing an issue. There have not been many cases in which action has been taken by the House against such contempt. But the existence of the Rule has been mentioned in the same cases which may be outlined here,"

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिये। आखिरी बात कह दीजिए।

श्री रमाकान्त शर्मा : वैसे तो बात बहुत कुछ कहना बाकी है, परन्तु आप जैसा समय दे रहे हैं, लास्ट थिंग, सुब्रमण्यम स्वामी के मामले के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसकी आपको सूचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी को सदन से बाहर निकाला गया था शेष अवधि के लिए, उसके अन्दर जो फाइन्डिंग थी वो ये थी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या किया था उसने ?

श्री रमाकान्त शर्मा : "The purpose of expulsion is not so much deciplinary as remedial, not so much to punish Members as to rid the House of persons who are unfit for Membership."

जो इस प्रकार की बातें यहां पर बराबर चलती हैं, निरन्तर कन्टेम्प्ट करते हैं, उनके मामलों के अन्दर जो यहां पर अमेंडमेंट आया है, मैं उसका बहुत बहुत समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्द विश्नोई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और विरोध ही नहीं कठोरतम शब्दों में निन्दा करता हूं । इसके पीछे यही लगता है कि हम हमारे विचार स्वतन्त्रता से यहां पर व्यक्त नहीं कर सकें और कोई भी बात हो, इसके लिए यह तलवार ऊपर लटकी रहे कि किसी भी सदस्य को सदन से निष्कासित किया जा सकता है । 40 साल में इस सदन में कई प्रसंग आते रहे हैं । वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है विपक्ष में एक बहुत ही छोटे दल के रूप में था । यह प्रस्ताव प्रथम बार आया है, एक दफा शायद और आया है लेकिन वह विदड्रा कर लिया । प्रथम बार है कि सदन की अवमानना और विशेषाधिकार के हनन से किसी भी सदस्य को एक वर्ष के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव यहां लाया गया है ? संसार में आपको कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा । यहां गरमागरम बहस होती है, कई तरह की अटपटी बातें आ जाती हैं, मानहानिकारक, अपशब्द भी और कई दफे गाली-गलौच भी होता है और कभी-कभी मार-पीट भी हो जाती है लेकिन क्षमा-याचना करने के पश्चात् उस मामले को वहीं समाप्त समझा जाता है । इस प्रकरण के अन्दर भी क्या हुआ है, यदि आप यह प्रस्ताव लाते हैं तो फिर उसमें बहुत खामियां हैं । विशेषाधिकार समिति को जब इनकी तरफ से क्षमा-याचना आई तो न तो इनको अपनी तरह से अपना बचाव देने का अवसर और दिया गया और इसमें जब होता है तो विधान सभा की पत्रावलियां हैं, वे भी बुलाई जातीं, माननीय अध्यक्ष को भी गवाह के रूप में बुलाया जा सकता था, सचिव महोदय को भी बुलाया जा सकता था क्योंकि वे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय को गवाही के रूप में बुलाने की व्यवस्था है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी, बिल्कुल, अध्यक्ष जी को आना पड़ेगा, जब उनके नाम से हो तो । एक बात आप नहीं समझ रहे हैं, मुझे तो उसमें भी डाउट है कि यह विशेषाधिकार का मामला भी बनता है या नहीं बनता है क्योंकि इसमें कार्य कर रहे हैं एक विधान सभा की कार्यवाही का संचालन और एक उनकी प्रशासनिक हैड की हैसियत, तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं । ठीक है, संविधान के अन्दर संशोधन हुआ और उसके कारण माननीय अध्यक्ष को क्योसी ज्युडिशियल अधिकार दे दिये गये, लेकिन क्या वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा है ? जो आपकी पत्रावलियां हैं, ठीक है, विधान सभा की पत्रावलियां हैं,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उसके कागज हैं, उनके बारे में यहां चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को दण्डित करना चाहते हैं तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि आपको उसको अपने बचाव का पूरा अवसर देना पड़ेगा। साक्ष्य के लिए वह चाहे जिसे बुला सकते हैं, उसे क्रोस एक्जामिन कर सकते हैं, लेकिन यह सब बातें, क्योंकि क्षमा-याचना कर दी थी और क्षमा-याचना होने के बाद में इस तरह के प्रकरण समाप्त कर दिये जाते हैं, इसलिए यह सब कमियां रह गई। आपका जो संशोधन प्रस्ताव है इसमें शब्द हैं इसको स्वीकार किया जाए, प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जाय या संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय। तो संशोधन ऐसा होना चाहिए जो उसकी मंशा से मेल खाता हो। लेकिन उसका निष्कर्ष आप इसमें कैसे जोड़ेंगे, उनके तो निष्कर्ष कुछ और तरह के हैं उन्होंने माफी मांग ली है, इसलिए प्रकरण को समाप्त किया जाय। उनका स्पष्टीकरण और क्षमा-याचना दोनों के आधार पर क्षमा करने का कर दिया। इसमें आप जोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है, इसलिए उनको दण्डित कर दिया, वह करेंगे क्या ? तो मेरे कहने का आशय यह है कि यदि आप इनको दण्डित करना चाहते हैं तो फिर दण्डित किया जाय, आपको अधिकार है लेकिन उस अवस्था में आपको पुर्नविचार हेतु इस समिति को भेजना पड़ेगा ताकि इनको पूरा अवसर मिले और उसके बाद में जैसा होगा वह ठीक है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और खास तौर से आपके नेतृत्व में इस तरह का प्रस्ताव पास हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक साधारण परिवार में जन्मे हैं, आपको इस तरह का जनतान्त्रिक माध्यम मिला, आप में योग्यता थी, आप सर्वोच्च पद पर पहुंच गये और उसके पश्चात् ठीक है, नये हैं, गलती भी मान लीजिए, गलती होगी, लेकिन अगर गलती कर भी दी होगी तो उसके लिए उनको इतना दण्ड दिया जाये यह कहां तक उचित है व भविष्य में इसका असर क्या रहने वाला है ? कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो सोचेगा कहीं मैं निष्कासित न हो जाऊं, सब इतनी हिम्मत वाले नहीं होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह दण्ड बहुत कठोर है और जो समिति ने प्रस्ताव किया है कि इनकी क्षमा-याचना को स्वीकार किया जाये वह स्वीकार कर लिया जाये, अन्यथा अनर्थ हो जायेगा और आपकी देश भर में बदनामी होगी यह मैं निवेदन कर देता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने कहा कि समिति की सिफारिशों को या समिति के प्रतिवेदन को समिति को रिकमिट किया जाय, दुबारा दिया जाय, तो इसके पक्ष में हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप प्रस्ताव लायेंगे तो पास करा देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी क्या इच्छा है, मेरे साथ वोट देंगे क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, मेरी तो राय यह है कि यह स्वीकार करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने यह भी कहा कि इसको रिकमिट किया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, फिर तो यह शुरू तब होगा (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो कहा है उस पर आपकी पार्टी सहमत है ? आपने कहा है कि इसको रिकमिट किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस पार्टी पूरी इस पक्ष में है कि इसको रिकमिट किया जाय तो विचार कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये गलत अर्थ लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कहा तो है, विश्नोई साहब ने कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप लगत अर्थ लगा रहे हैं। न उनकी ऐसी मंशा है और न ही नीयत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवपुरा साहब, बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं तो कहता हूं कि इनको प्रशस्ति के साथ यहां स्वागत कीजिये। आप मंजूर कर लेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो आप जो कह रहे थे वह कह रहा था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने यह कहा कि यह डिफेक्ट है इसको रिकमिट करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता। मैं तो आप जो भी कोई बुद्धिमानी की बात कहेंगे उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। आपने कहा इसको रिकमिट कीजिये। अब आप देख लीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको उन्होंने प्रक्रिया की कमी बताई है और आप गलत अर्थ लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रक्रिया की कमी भी पूरी हो जायेगी अगर विश्नोई साहब जैसा विद्वान् आदमी, यहां के जो अध्यक्ष रहे....

श्री नत्थी सिंह : अपनी नियत उन पर क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नियत की बात नहीं कहता। मैं तो बहुत सीधा-सादा आदमी हूं। नीयत और बदनीयत का सवाल नहीं है। मैं तो इसलिए निवेदन कर रहा था कि विश्नोई साहब जैसे बुजुर्ग, समझदार यहां वर्षों अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कई प्रकार की व्यवस्था दी है, इन्होंने इस समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है और यह समझते हैं इसमें कुछ प्रक्रिया की कमी रह गई इसलिए इसको वापस उस कमेटी को भेजा जाय, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवपुराजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण पर बहस चल रही है। मैं बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहता, न मैं इसका....

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात पर एतराज है। भैरोंसिंहजी ने कहा "मुझ जैसा सीधा-सादा आदमी।" अगर भैरोंसिंहजी सीधे-सीधे आदमी हैं तो

(श्री रामकिशन)

टेढ़ा आदमी राजस्थान में कौन है वह और बता दें मुझे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, पं. राम किशन जी हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : पंडितजी, यही सुनना चाहते थे क्या आप? उपाध्यक्ष महोदय मैं इस मामले में बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहूंगा। जहां तक फेक्ट का प्रश्न है और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का प्रश्न है, मैं उन बातों में भी ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि काफी बातें सदन के समक्ष स्पष्ट हो चुकी हैं।

मैं दो बात निवेदन करना चाहूंगा। इस तरह के केसेज कई बार सामने आये। जहां तक मेरी जानकारी है इस सदन में शायद पहली बार यह केस इस प्रकार का आया कि विशेषाधिकार समिति की किसी रिपोर्ट विचारार्थ यहां पर लिया गया हो। आम तौर पर समितियों की रिपोर्ट को यह सदन स्वीकार करता आ रहा है।

समिति ने अपना जो निष्कर्ष निकाला है, उसने इस बात को माना है कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्षजी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और विशेषाधिकार हनन का मामला उनके खिलाफ बनता है। लेकिन साथ ही साथ समिति ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि चूंकि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, जिनके खिलाफ एक केस समिति में चल रहा था, ने खेद प्रकट कर दिया है, इसलिए इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिये, इस पर आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जहां कहीं भी इस प्रकार के केसेज आए, कोल व शकधर का भी रेफरेंस आया, प्रिविलेज के कई केसेज इस तरह के हुये। एक केस 1960 में पार्लियामेंट में हुआ था और मौमिक का केस, जो मशहूर केस है, वह एक्जैक्टली इसी तरह का मामला था। सुरेन्द्रजी व्यास ने अखबार में कुछ बात कही, यह कहकर इनके खिलाफ मामला लगाया गया। और वहां पर एक पम्पलेट निकाला गया, उस पम्पलेट में तत्कालीन गवर्नमेंट के खिलाफ, पं. जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरी के खिलाफ, गोविन्द बल्लभ पंत के खिलाफ कुछ चार्जेज लगाये। सारी गवर्नमेंट को इन्वोल्वड किया और अध्यक्ष के खिलाफ भी उसमें चार्ज लगाये कि अध्यक्ष इनके कहने में हैं। प्रिविलेज कमेटी ने उसको अवमानना माना लेकिन चूंकि प्रिविलेज कमेटी के सामने जब यह सारी कार्यवाही आई और मौमिक ने खेद प्रकट कर दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक्जेक्टली सिमिलर केस है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा का यह इतिहास रहा है जब कभी भी प्रिविलेज के मामले आये हैं, सदन में कई बार प्रिविलेज के मामले उठे हैं और प्रस्ताव भी यहां रखे गये हैं, लेकिन इस सदन ने, इस सदन की अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए, अपनी हैसियत को समझते हुए कि हमारे सदन की क्या हैसियत है, सबसे ऊपर है, मैगनामिटी दिखाकर हमेशा फैसला किया है कि जहां खेद प्रकट किया है और क्षमा मांगी है वहां उनको क्षमा दी है, माफ

Page No. 174

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कर दिया है। आज सवेरे भी इसी आसन से माननीय अध्यक्षजी ने, जब वातावरण बना था, सदन की मैगनामिटी की बात याद दिलाकर यह कहा था कि अगर सदस्य क्षमा मांग लेता है तो इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाय। माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां सदन के नेता हैं, पहले विपक्ष के नेता थे, तब भी इस प्रकार के प्रश्न आये और वहां पर क्षमा मांगने के ऊपर इन बातों को खत्म कर दिया गया। इस प्रिविलेज कमेटी के सामने जो क्षमा मांगी उसके बारे में यह कहा गया कि उसमें कुछ इफ्स एण्ड बट्स लगा दिये। प्रोफेसर केदार गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, आपने एक बात कही कि इगो वर्ड है, इगो हठ करता है, यह ऐसा वर्ड है जो काम में नहीं लिया जाना चाहिए था। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जब अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा और मान लिया इस बात को कि दरअसल यह इगो वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिये, उन्होंने वापस उसको विड्रा भी कर लिया और साथ-साथ अध्यक्षजी के बारे में जो बात कही है, उन्होंने सरेन्डर वर्ड का भी यूज करके यह कह दिया, इन सब बातों के होते हुए भी मैं तो सरेण्डर करता हूं और अध्यक्ष महोदय जो दण्ड देना चाहें, दे दें, मैं उसको स्वीकार करूंगा। यह सब इस बात को शो करती है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से क्षमा-याचना की है।

तो मैं कोई लम्बी बात नहीं करके माननीय मुख्य मन्त्रीजी, इस सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि वह गम्भीरता से इस मामले को कन्सीडर करें, नयी परम्परा इस सदन में नहीं डालें और अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए, इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए, मैं यह आवश्यक मानता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। इनकी गरिमा रहेगी, माननीय सदस्यों की गरिमा रहेगी। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस डिबेट को मत बढ़ाइए, जितनी बढ़ायेंगे कई बातें इसमें खुलती हैं। माननीय सदस्यों के मन में आक्रोश आता है। अभी भी सदस्य बोल रहे थे तब कितना आक्रोश आया। मैं समझता हूं कि शांत वातावरण सदन का बना हुआ है, उस वातावरण को बनाये रखें। इसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें। यह ही इसमें अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के सम्मुख प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। जो प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया, गवर्नमेंट चीफ ह्विप ने उसमें एक अमेंडमेंट दिया है, और प्रतिपक्ष की ओर से भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिये हैं। मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। चीफ ह्विप के संशोधन को मैं अपोज करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई लेटर्स का उल्लेख किया। क्वेश्चन अराइज यह

(श्री परसराम मदेरणा)

हुआ था कि क्या फोरजरी के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के ऊपर कुछ आक्षेप लगाये हैं प्रेस कान्फ्रेंस में। तो आपको उस परिप्रेक्ष्य में, उस रेफरेन्स में और कन्टेक्स्ट में उस बैंक ग्राउण्ड में जाना पड़ेगा उस परिवेश में कि यह सब स्थितियां और परिस्थितियां क्यों बनीं। हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के टेन्थ शिड्यूल के अन्दर जो प्रोविजंस हैं डिस-क्वालिफिकेशन के, डिफेक्शन पर, इस मामले को लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो एक याचिका प्रस्तुत की माननीय सदस्य ने, उस पर अध्यक्ष महोदय, अपना निर्णय लेने वाले थे। अध्यक्ष महोदय ने उस पर रिटन आर्ग्युमेंट्स भी मांगे, वह 12 फरवरी को प्रस्तुत किये गये और उसके बाद में 14 फरवरी को जब यह मैटर वहां पर डिस्कशन हो रहा था, अध्यक्ष महोदय के सामने चर्चा हो रही थी, तो उसमें पत्रावली के अन्दर पेज 105 पर एक ऐसा पत्र मिला जिसके ऊपर कोई एन्डोर्समेंट स्पीकर का नहीं है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को वहां पर उठाया। इस मुद्दे को उठाने के बाद में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जिसको आप आफेण्डर मानते हैं, ने एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया। उसमें यह बात कही कि मुझे ऐसा दिखता है कि इस पत्र को जो इन्डक्ट किया गया है और इन्सर्ट किया गया है, इसमें एक फोरजरी हुई है। यह बात भी नहीं है, लैटर भी उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखा कि आप इसकी जांच कराइये कोई न कोई, क्योंकि हर पेपर के ऊपर, जितने भी वहां पर कागज हैं, आपके सिग्नेचर और एण्डोर्समेंट से वह कागज उस फाइल पर आये हैं। उस वक्त, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, वी. पी. सिंह की गवर्नमेंट गिरी थी, जनता दल के अन्दर स्पिलट हुई थी और वहां पर भी जो ग्रुप बने थे, दिग्विजय सिंह का बना और दूसरे जनता दल का ग्रुप पीछे रह गया, इसका एक बैंक ग्राउण्ड है, इस पृष्ठभूमि के अन्दर प्रेस कान्फ्रेंस के अन्दर जो कुछ भी बात मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही उस पर प्रिविलेज का एक मोशन यहां पर मूवं किया गया 23 तारीख को और करने के बाद में वह मैटर प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया गया। प्रिविलेज कमेटी ने यह सब कागज और साथ-साथ अप्रेल का शायद कागज उन्होंने नहीं देखा होगा, या 24 फरवरी का लेटर, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पीकर को प्रस्तुत किया है, उस पर गौर नहीं किया हो, लेकिन 25 मार्च के पत्र का उन्होंने हवाला भी दिया है और उसको पढ़ा भी है और उस पर गौर भी किया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से, कि प्रिविलेज कमेटी के सामने यह सब लैटर आये हैं, प्रिविलेज कमेटी के सामने प्रेस कान्फ्रेंस की जो तीन अखबारों ने अलग-अलग बात कही है, इसका उल्लेख भी आया है और उसके आने के बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय सदस्य से पूछे गये हैं और उन्होंने उत्तर दिये हैं।

उत्तर देने के बाद में उन्होंने कई बातें इनसे पूछी हैं और पूछने के बाद में प्रिविलेज कमेटी, जिसमें इस ओर... उस ओर दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य थे, यूनानीमसली इस निष्कर्ष पर पहुंची है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि हालांकि इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, ऑनरेबल स्पीकर का प्रिविलेज का ब्रीच हुआ, लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने इसमें क्लेरीफिकेशन दिया है। यह क्लेरीफिकेशन वर्ड, उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार इस्तेमाल में आ रहा है, इस टोटलिटी के अन्दर आपको देखना पड़ेगा कि एन्टी डिफेक्शन के मामले को लेकर जो यहां पर चर्चा चल रही थी और जो सुनवाई हो रही थी, उपाध्यक्ष महोदय, उसी के रेफरेंस के अन्दर वहां पर प्रेस कान्फ्रेंस हुई है। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय ने यहां ऐंटी डिफेक्शन की जो पिटीशन्स थी उनको सब को सुनने के बाद, रिटन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद 27 मार्च को इस सदन में अपना एक जजमेंट भी दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन ऐसे मामले में, जहां प्रिविलेज का मामला हो या सदन की अवमानना हो, इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में कोई मैटर नहीं आया है और हाऊस की प्रोसिडिंग में यह मैटर नहीं आया है, तो यहां पर कोई घटना नहीं घटी है, चाहे कन्टेम्प्ट की, चाहे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की। प्रेस कान्फ्रेंस में जो कुछ कहा, वह और बात थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कभी थोड़े-बहुत आपस में जब टेम्पर बहुत हाई होता है, तो कुछ बातें कह दी जाती हैं, आसन के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य, जब उनको इजाजत आप नहीं देते हैं, तो कभी कह देते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। इस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य हमेशा आसन के प्रति और अध्यक्ष महोदय के प्रति सर्वोच्च आदर प्रकट करते रहे हैं और करते रहेंगे इसी सन्दर्भ के अन्दर जब-जब अध्यक्ष के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात प्रिविलेज कमेटी ने माननीय सदस्य से पूछी है और क्वेश्चन किये हैं स्पेसिफिक उनके साक्ष्य में, ओरल एवीडेंस में तो उन्होंने हमेशा एक बात कही है।

हालांकि मैं यह बात मानता हूं कि स्पीकर महोदय की दो केपेसिटी होती हैं। इस सदन के अध्यक्ष की अलग है, इस सदन के रूल्स एण्ड प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनस के सम्बन्ध में जो कोई भी मुद्दा या कोई प्रश्न खड़ा होता है, वह एक सेपरेट प्रश्न है और जहां तक एन्टी डिफेक्शन लॉ का और टेन्थ शिड्यूल का प्रश्न है उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने वैरी रिसेन्टली एक जजमेन्ट भी दे दिया है। अभी 18 फरवरी 1992 को यह जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने:—

"The Speaker/Chairmen, while exercising powers and discharging functions under the 10th Schedule, act as Tribunal adjudicating on rights and obligations under the 10th Schedule and their decisions in that capacity are amenable to judicial review."

और सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील हो सकती है। यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो जजमेन्ट दिया है 27 मार्च को उस सम्बन्ध में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है अभी जनवरी में। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कह रहे हैं, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य, कि I stand by every word in this letter as well as other letters that I have written.

(श्री परसराम मदेरणा)

इसके ऊपर का ही पोरशन आप देख लीजिए forgery in documents is there.

मैं अध्यक्ष महोदय को इनवाल्व नहीं कर रहा हूं। यह मैंने कहा है लेकिन स्पीकर के खिलाफ फोरजरी का चार्ज मैंने कभी नहीं लगाया। "स्पीकर ने फोरजरी की है, फोरजरी में शामिल हैं" यह मैंने कभी नहीं कहा। और यही बात नहीं अध्यक्ष महोदय यहां पर एक दफा नहीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अखबारों ने गलत लिख दिया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय नेता महोदय, इसके ऊपर उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है और regret and clarification should be taken together.

मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में आप देखिये, हाउस आफ कामन्स का प्रिसिडेन्स है, लोकसभा और बोथ हाउसेस आफ दी पार्लियामेन्ट के अन्दर, जिसका उल्लेख कर रहे थे, उसमें इस तरह से क्लेरीफिकेशन और रिग्रेट दोनों जाहिर की हैं तो हाउस ने हमेशा डिग्नीफाइड एटीट्यूड लिया है।

तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी के निर्णय पर पहुंचने के कई कारण हैं। कई कारण इसलिए हैं कि बार बार जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गये माननीय सदस्य से तो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने यह बात नहीं कही है। माननीय सदस्य ने आखिर में जाते हुए यह बात कही है 25 तारीख के लैटर में और ईगो को हर्ट करने की बात अगर आप ठीक नहीं मानते तो उन्होंने आगे फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है जब यह पढ़ा गया। स्पीकर की डिग्नीटी के खिलाफ कहने की कोई उनकी मंशा नहीं थी, "माननीय अध्यक्ष के पद की गरिमा की अवमानना करने का मेरा आशय कभी नहीं रहा" जिससे तथाकथित दिनांक 22 की कान्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष द्वारा फोरजरी और उस विषय में की गई टिप्पणी की प्रक्रिया मात्र है। स्पीकर पूज्यनीय है लेकिन उनको राइट नहीं है कि वह रेडिक्यूल करें यह वर्ड रेडिक्यूल वाला जो ओरीजिनेट हुआ है कि क्या चर्चा हुई, इनफार्मल तरीके से हुई चैम्बर में हुई, माननीय सदस्य को उन्होंने कम आयु का समझकर चाइल्ड कह दिया उनके एक्शन को चाइल्डीश कह दिया और चाइल्डीश कहने के बाद में उसका कोई री-एक्शन हुआ। यंग आदमी है, री-एक्शन हो सकता है लेकिन आप और मेरे जैसे हेयर वाले लोग है, उनको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बहुत कूल्ली सोचना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। इसलिए सोचना चाहिये कि लम्बी फहरिश्त है डाकुमैन्ट्स की, और लम्बी फहरिश्त डाकुमेन्ट्स की है, उसमें कई बातें कही गयी हैं। उसमें बार बार यह बात कही गयी है डाकुमेन्ट्स के उस मैटर को भी आप यहां रखिये। वह मैटर भी यहां पर आना चाहिए कि किस रेफरेन्स में कहा है। अभी थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बनाना चाहती थी। कांग्रेस सरकार बनायेगी तो जनता के मेन्डेट पर बनायेगी, कभी इधर-उधर बंदरों की तरह कूदेगी नहीं कांग्रेस। अब मैं फिर आपको यह बात कह देना चाहता हूं कि जो भी मैटर जिस रेफरेन्स में और जिस

(श्री परसराम मदेरणा)

कान्टेक्स्ट में आया उसमें उत्तेजित माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है, आप क्या उचित समझते हैं यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं खेद प्रकट करता हूं और मैं सदन से माफी चाहता हूं अगर किसी माननीय सदस्य की फीलिंग्स को मैंने हर्ट किया है तो। मुझे कोई शंका नहीं है। मेजिस्टी और डिग्निटी लेजिस्लेचर की हमको रखनी चाहिए। जम्प ही है एक दफा जम्प करते हुए माननीय श्री शिवचरण जी माथुर के बाद जब पहाड़िया जी यहां आये थे तो उनको डिग्निफाइड में वे जम्प करना चाहिए, इस तरह से जम्प नहीं करना चाहिए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो निष्कर्ष प्रिविलेजेज कमेटी का रहा है, निष्कर्ष उन्होंने यही निकाला है कि यह ब्रीच आफ प्रिवलेज हुआ है। लेकिन ब्रीच आफ प्रिवलेज के बाद में जो भी हमारे पास डाकुमेन्ट्स आये हैं, जो एवीडेन्सेस माननीय सदस्य जिनके खिलाफ प्रिवलेज का मोशन है की ओर वह बार-बार, एक जगह नहीं कई जगह, यह कह चुके हैं। आज भी उन्होंने कहा, पूज्यनीय नहीं कहा स्पीकर को। आज उन्होंने कहा है : My head is in hands of the Hon'ble Speaker. You behead him or you don't behead him.

मेरा स्पीकर के प्रति कभी भी उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को गिराने का ऐसा कोई सूचक अपमानजनक हो या अनादरपूर्वक हो यह कहने की कभी मंशा नहीं थी और न मैंने कभी ऐसा सोचा। यह बात उन्होंने कही। यूनेनीमसली जब प्रिवलेज कमेटी सिफारिश करती है इस सदन को, यद्यपि श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा माननीय अध्यक्ष के संबंध में आपत्तिजनक एवं अपमानजनक शब्द कहे गये हैं, तथापि श्री व्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण "clarification he has made" उनके द्वारा इस कृत्य के लिए खेद प्रकट कर देने पर, कोई कण्डीशनल रिग्रेट नहीं है, आउटराइट जो आदमी सरेण्डर कर रहा है और हैंड्स-अप कर रहा है। इफ्स एण्ड बट्स के अन्दर बीसियों बातें कही हैं थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने, शायद आपने इसको समझा नहीं है। स्पष्टीकरण के द्वारा, इस कृत्य के लिए खेद प्रकट कर देने पर, सदन के माननीय नेता से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा....

श्री रामकिशन : सदन से करो। नेता के तो काबू में नहीं है उनका दल।

श्री परसराम मदेरणा : वही तो सब कर रहे थे। चीफ व्हिप तो कुछ कर नहीं रहे थे। सब इसको कन्फ्यूज कर रहे थे। "Where a regret is expressed, clarification is given by the alleged offender."

कमेटी कह रही है कि माननीय सदस्य ने जो स्पष्टीकरण दिया है, क्लेरीफिकेशन दिया है, Offender is in the hands of this House–Hon'ble Member coming from Malpura Assembly Constituency. "The committee may not give a finding whether or not

(श्री परसराम मदेरणा)

a breach of privilege has been committed.....:"

कमिट हुआ है या नहीं भी हुआ है और कमिट हो भी गया तो भी ".....and a recommend that no further action be taken by the House in the matter. In such cases, the recommendation is invariably accepted by the House."

यह लोकसभा सर्वोच्च लोकतन्त्र की संस्था है और हिन्दुस्तान का लोकतन्त्र संसार का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, उसका यह प्रिसीडेन्ट वहां पर एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद में हाउस ग्राफ कामन्स में भी इस तरह के मैटर्स ग्राये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, "Where the Committee recommended that in view of the explanation offered by the offender...."

He has very well given the explanation and that explanation is quite satisfactory to the Privileges Committee, it is satisfied with his explanation and expres sion of regret for the offence which he has committed. "....the House should take no further action in the matter." हाउस ग्राफ कामन्स में इसी प्रकार का एक प्रिवलेज का मामला जब ग्राया....

श्री दिग्विजय सिंह : हम तो मानेंगे when you have said "the offender". हम तो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। 'ग्राफेण्डर' जब रिग्रेट करता है तो माफ कर देना चाहिए। I agree, उसको माफ कर देना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर तो ग्राप प्रस्ताव के खिलाफ बोलें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं 'ग्राफेण्डर' इसलिए कह रहा हूं कि यह टर्म यूज किया गया है हाउस की रूलिंग में। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि झगड़े की जड़ में ही ग्राप हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसीलिए ग्राफेण्डर तो यही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : फोर्जरी के मामले में भी 24 तारीख को जो सेक्रेटरी टू दी ग्रसेम्बली को लैटर लिखा है माननीय सदस्य ने, उन्होंने कहा है कि माननीय गृह मंत्रीजी के खिलाफ एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि फोर्जरी इन्होंने की है। 3 लैटर में लिखा है, इसलिए ग्रोफेण्डर वो नहीं हैं, ग्रोफेण्डर कौन है ? सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है, उसी से पता लगेगा। लेकिन राजस्थान की जनता किस को ग्रोफेण्डर मानती है, इसका पता, ग्रगर यह पहले ग्रापकी सरकार नहीं गिरी तो 3 साल के बाद निश्चित तौर से पता लग जायेगा कि इसमें ग्रोफेण्डर कौन था। ग्रागे फर्दर यह लिखा है, मेज पार्लियामेण्ट्री प्रेक्टिस में, ऐसे ही प्रिविलेज के मामले में :–

"In an other instance after the commttee of privileges had reported that, in their opinieon, the breach of Privilege had been

Page No. 180

(श्री परसराम मदेरणा)

committed, but that in the circumstances, the Horse would best consult its own dignity by taking no fur ther action in the matter the House resolved that in agrees with the committee in their report."

इस सदन में यह सोचना है कि सदन की डिग्निटी कैसे अक्षुण्ण रहती है। डिग्निटी और मैजेस्टी ऑफ दी हाऊस, अगर माननीय सदस्य को एक साल तक निकालने में रहती है तो मुझे, मुख्य मंत्रीजी, कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि लोकसभा और हाऊस ऑफ कामंस के प्रेसिडंट के सन्दर्भ में और इस परिवेश में बहुत-बड़ा डेविएशन करना होगा। जो युनानीमस रिकमण्डेशन है प्रिविलेज कमेटी की उसको टर्न डाउन करना, वहां उस पर अमेण्डमेण्ड करना आपका अधिकार है लेकिन सदन में बहुत गलत परम्परा पड़ने जा रही है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जब इन्होंने रिगरेट जाहिर कर दी, माननीय सदस्य ने एक दफा नहीं, कई दफा, स्पीकर का डिगिनिटी के बारे में, उनके सम्मान के बारे में लिखा है कि स्पीकर की डिगनिटी कभी भी अण्डर माइण्ड नहीं करना चाहता था और न आज चाहता हूं, वह हमारे पूजनीय हैं। और आज, मुख्य मंत्रीजी, आपके सामने सरेण्डर नहीं किया है क्योंकि वे जानते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहता भी नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप चाहते भी नहीं हो, आपके साथ क्रूट मैज्योरिटी है और आप कसाई का काम कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी नहीं करूंगा मैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए उन्होंने स्पीकर साहब के हैण्ड्स में अपने आपको सौंपा है "I am in the hands of the hon. Speaker" जिनके बारे में आप कहते हो कि बहुत उनका प्रिविलेजेज ब्रीच कर दिया गया है.

फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी बात कही है, टोटलिटी में, उस परिवेश में और उस रेफरेंस टु कान्टेक्ट्स में इनको पनिश करना और एक साल के लिए इनको हाऊस की मैम्बरशिप से रेस्टिकेट करना, आगे राष्ट्रपतिजी के चुनाव आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इन-डाइरेक्टली इस प्रकार का मोशन लेकर कांग्रेस की जो वोट वेल्यू है उसको कम करने पर तुले हुए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आने वाले हैं, राज्यसभा के चुनाव में....

श्री हेतराम बेनीवाल : उनके खिलाफ दोनों मिलकर लड़ोगे शायद।

श्री चन्दनमल बैद : आप मिलोगे, वे मिलेंगे, पता नहीं, कोई तो मिलेगा ही।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है हम और वे तो मिले हुए हैं या नहीं हैं, लेकिन हम आपके मेटल और ग्रिट को अब

(श्री परसराम मदेरणा)

इस वक्त परखने जा रहे हैं। अब हमने उनको छोड़ दिया है, आपके साथ में दोस्ती कर रहे हैं। यह फैक्ट है। मैं कह रहा हूं, बहुत रेस्पोन्सिबिलिटी से कह रहा हूं। और आप उधर तो बात कर रहे हैं हम से, और यहां आकर के दूसरी बात करने लगोगे, कि उनसे मिले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह साथ आज ही ले रहे हैं या बाद में भी लोगे ?

श्री परसराम मदेरणा : हम तो कभी ही नहीं मिले, मिलते तो मुख्य मंत्रीजी से रोज ही हैं लेकिन पोलिटिकली....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिल्कुल सही है। एक मिनट सुनिये। यह आज ही साथ ले रहे हैं या भविष्य में इनको साथ रखेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह आल इंडिया प्रश्न है, मुख्य मंत्रीजी महोदय, और भविष्य में इनको साथ लेंगे ताकि आप इधर बैठ सकें....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इनको साथ ले लो, ठीक है। आप लेओ तो सही।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी खातिर।

श्री परसराम मदेरणा : इसके साथ, मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन को इस मामले में सदन की प्रतिष्ठा, सदन की डिगनिटी, सदन को एक मैजेस्टिक एटिट्यूड और अप्रोच से इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। अभी यह कह रहे थे कि यह बात भावनाओं में कह दी गयी। भावनाओं में कई बातें कही जाती हैं यहां सदन में, लेकिन यह जो कुछ भी बात कही है प्रिविलेजेज कमेटी ने कोई बात भावना से नहीं कही है। प्रिविलेजेज कमेटी ने जो बात कही है वह डाक्यूमेण्ट्स और साक्ष्य के आधार पर कही है। वह बहुत वैल मैच्योर फुल ऑफ विजिडम और सदन के प्रिसीडेंट्स और ट्रेडिशन्स रहे हैं, लोकसभा के और दूसरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के, खास तौर से हाउस ऑफ कामन्स के, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो रिकमण्डेशन की है, मेरा यह अनुरोध है कि जो मोशन यहां पर कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसे स्वीकार करना चाहिए। और मुख्य मंत्रीजी, आपका भी इस मौके पर कुछ लार्ज हार्टेडनैस दिखानी चाहिए, नहीं तो इस मैटर को कई तरह से इण्टरप्रेट किया जायेगा। जैसा कि अभी आपके सांगरिया और सार्दुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आपको कोई ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए हाऊस में कई प्रकार के चार्जेज लगे हैं और लगते हैं। आपने भी लगाये हैं और इधर से बैठने वाले कुछ लोगों ने भी लगाये हैं लेकिन उस चार्जेज या काउण्टर चार्जेज के सम्बन्ध में शैल में नीचे रखना चाहिए We should put it under the carpet. हाऊस को निर्णय अपनी डिग्निटी के अनुकूल और प्रिसीडेंट को ध्यान में रखते हुए, ट्रेडिशन को मद्दे नजर रखते हुए, करना है। ऐसे मामलों में जहां प्रिविलेजेज ब्रीच जो हुए हैं, क्लेरिफिकेशन से कमेटी सेटिसफाइड हो गई है और माननीय सदस्य हैं इस सदन के, उन्होंने रिग्रेट जाहिर कर दी है, तो उसके

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद में कोई भी कार्यवाही अलग तरह से करना, इसमें संशोधन करना और कमेटी की रिपोर्ट को बरायेताक रख देना, यह उचित निर्णय नहीं होगा इस सदन का। इसलिए सदन इस पर पुनर्विचार करे और जो प्रस्ताव कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना चाहेंगे क्या माननीय जोशीजी ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कई दृष्टियों से इसका महत्व है कि हम क्या करते हैं ? मेरे मन में कहीं भ्रम नहीं है।

(6.50 सायं)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

अगर आपने मन बना लिया है, फैसला कर लिया है कि श्री व्यासजी को विधान सभा से हटा दिया जाय तो आप नहीं कर सकेंगे, ऐसा कहीं हमें भ्रम नहीं है। जो आपकी मेजोरिटी है, दल संख्या है उस हिसाब से श्री व्यास निश्चय ही निकाले जा सकते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को मैंने पूरी तरह से पढ़ा है। विशेषाधिकार समिति के सदस्य कौन हैं, मैं नहीं जानता हूं, मगर उसके चेयरमैन और मैम्बर्स को मैं बधाई देता हूं, सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मेग्नानिमिटी से और राजनैतिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर फैसला किया है। जहां उन्हें यह लगा है कि श्री व्यास पटरी से उतर करके कुछ बोले हैं अथवा किया है तो उसको उन्होंने हाई लाइट कर दिया है। मगर अन्त में समिति ने यह फैसला किया कि श्री सुरेन्द्र व्यास ने खेद प्रकट किया है, डेमोक्रेसी में इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती है। हम यहां पर आये हैं तो गलतियां नहीं करते हैं अथवा कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो दूसरे को ठीक नहीं लगे, दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर अल्टीमेटली हम क्या करते हैं ? अल्टीमेटली हमारे फैसले कैसे होते हैं, यह देखने और समझने की जरूरत है।

सरकारी पक्ष से कई माननीय सदस्यों

(श्री हरिदेव जोशी)

ने बात की, कहा, मैं थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच वर्ष तो वह चुपचाप बैठकर स्टडी करें तब ज्यादा ठीक रहेगा। उन्हें बहुत उतावलापन नहीं दिखाना चाहिये। एक राय है, मानें तो अच्छा है, नहीं मानें तो अच्छा है। मेरा निवेदन यह है कि हम सब एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। सुरेन्द्रजी व्यास को कई चीजें बुरी लगीं, उन्होंने अपनी कार्यवाही की। अब उसमें कहीं उत्तेजना भी हो सकती है। बहरहाल जो कुछ भी सारा उन्होंने कहा, उसका मतलब एक ही है कि उन्हें खेद है इस बात से कि माननीय अध्यक्षजी को और दूसरों को बुरा लगा। मैं उससे आगे बढ़ करके बात कहता हूं कि हमें कुछ कह करके खेद प्रकट करना पड़े, ऐसा नहीं करके सोचना चाहिये कि हमें ऐसा करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये। आज राजस्थान विधान सभा की जो शक्ल है उसके अन्दर यदि एक आदमी को आप कण्डेम करके निकाल भी देंगे तो इससे आपकी कोई राजनैतिक उसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है, आंकड़ों के ऊपर। मगर आपकी धारणा और मान्यताएं क्या हैं, इसका असर हमारे मानस के ऊपर जरूर पड़ेगा।

(6.55 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

बहुत अच्छी बात है, माननीय अध्यक्षजी (व्यवधान) आपको क्यों शिकायत है इससे ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : स्वागत कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपको यह भी अखरता है !

तो, अध्यक्षजी, आप रास्ते में होंगे अपने चैम्बर से इधर पहुंचने के बीच में मैंने यह अपील की थी कि आप सुरेन्द्र व्यास को बर्खास्त कर सकते हैं साल भर तक के लिये, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है क्योंकि रूलिंग पार्टी की सदस्य संख्या इतनी बड़ी है कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। मगर इससे आप हमारे हृदय को जीत नहीं सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जीतूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : जीतेंगे तो मैं आपको बधाई दूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह तो एक दूसरे का जीत रखा है आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका हृदय मैं नहीं जीत सकता।

श्री चन्दनमल बैद : उसकी कोशिश मत करना आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप कर चुके हैं, इस बात का अनुभव है।

श्री हरिदेव जोशी : सब गलती चलती है मगर यह गलती मत करना।

तो मैं यह कह रहा था, आप हमारे दिल को चोट पहुंचायेंगे। जब हम सदन में पहले पहल आये उसके बाद आज तक ऐसे कई मौके आये हैं जबकि कड़वाहट आई है, मगर हमने अपने आपको समझा करके एक

(श्री हरिदेव जोशी)

दूसरे का आदर करने के लिये अथवा भावनाओं की कद्र करने के लिये जितना भी हो सका है, अपने आपको मोड़ने की कोशिश की है। मगर मैं सरकारी चीफ ह्विप साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप चीफ ह्विप का मतलब हन्टरवाला ही समझते हैं क्या अपने आपको ? अगर आप यह समझते हैं कि रिंग मास्टर का रोल प्ले करना है तो यह तरीका आपका ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : रिंग मास्टर तो दूसरा है।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं यह कह रहा था कि थोड़ा सब्लीमेट करो। चीफ ह्विप अत्यन्त विश्वस्त व्यक्ति होता है और शुभचिन्तक होता है। ऐसा कहा जाता है कि चीफ ह्विप पत्नी से भी ज्यादा अपना होता है। तो कोई ऐसी बातें मत सोचा करो जिससे आपका आपकी पार्टी का और पार्टी के लीडर का····

श्रीमती सुमित्रासिंह : अहित होता हो।

श्री हरिदेव जोशी : इनकी शान में बट्टा लगता हो। हमारी राय मानें तो ठीक है। न मानें तो ठीक है। मैं ऐसा समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति में तो कुछ ही लोग थे मगर वह मिनिएचर हाउस था। उन्होंने आगे हो करके अपनी रिपोर्ट के अन्दर कह दिया है कि जिन शब्दों में उन्होंने खेद प्रकट किया है उसको देखते हुए आगे कोई कार्यवाही करना ठीक नहीं होगा, इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिये। मैं इनकी बात को रिपीट करते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई हमारे कामों से आपको तकलीफ होती होगी मगर करें क्या, हमारा रोल ही यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तकलीफ पहुंचाने का ?

श्री हरिदेव जोशी : मजबूरी में कई बातें इस तरह की कहनी और करनी पड़ती हैं। मगर कहीं भी आपके प्रति दुर्भावना नहीं है इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आप जैसे हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे करते रहिये। ट्रेजरी बैंचेज जो हैं उनके अन्दर कई प्रकार की वो हो सकती हैं क्योंकि उनके एक निहित वो हैं। हमारा तो यही प्रयत्न रहेगा कि आपके द्वारा इस सदन के उत्थान के लिये और माननीय सदस्यों को अधिक सुविधा देने के लिये, इस विधान सभा की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिये हम आपको हमेशा सहयोग देते रहेंगे। श्री व्यासजी ने

(7.00 सायं)

इन सारी चीजों को सोचा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा अवसर फिर नहीं आयेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लीडर आफ दी हाउस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, आप सदन के भी नेता हैं, आपमें यह स्थिति आनी चाहिए कि आप ट्रेजरी बैंचेज को भी यह विश्वास दिला सकें, अपोजिशन बैंचेज को भी यह विश्वास दिला सकें कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, जिससे हमारे मन को चोट पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : मैंने दोनों ओर के माननीय सदस्यों की दलीलें सुनी हैं इस पर। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास ने जो

(श्री अध्यक्ष)

कहा है, वह भी मैंने सुना है । इस सम्बन्ध में इस हाउस में ऐसे प्रकरण आये हैं और एक प्रकरण भू–स्वामी आन्दोलन के समय आया था । माननीय भैरोंसिह जी उस समय सदस्य थे । और भी लोग, जो उस समय जागीरदार थे, वह बड़ी संख्या में यहां उपस्थित थे । मैंने उस पूरे प्रकरण को पढ़ा है और मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि उस वक्त सदन में यद्यपि कुछ लोगों को दंड भी दिया गया था, कुछ लोगों को क्षमा भी किया गया था, लेकिन सभी विचारधाराओं के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उसमें सदन की गरिमा सर्वोच्च है, इसको हमेशा ध्यान में रखा है । आज भी जो बहुत पुराने लोग हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने लगभग एक ही भाषा का प्रयोग किया है और मैं भी यही समझता हूं कि सदन की सर्वोच्चता और गरिमा को बनाये रखना ही उचित है । इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पूरे 1952 से लेकर आज तक के जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से इस सदन में खुले दिल और दिमाग से हमेशा सहृदयता का परिचय दिया है और आज, जैसा कि अधिकांश लोग इस बात को अनुभव करते हैं, माननीय जोशी जी, विश्नोई जी, प्रोफेसर केदार, पंडित रामकिशन, मदेरणा जी, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज सदन में इतने पुराने लोग मौजूद हैं कि जो हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में हैं । और स्वयं मुख्यमंत्रीजी तो उदाहरण के रूप में हैं ही । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी जो भी कहें, वह इस सदन की गरिमा को सर्वोच्च मानकर, गरिमा को बनाये रखकर, और जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, उस पर विचार करके, फिर इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें ।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कई माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये हैं । यहां पर कहा गया कि इस प्रकार का प्रकरण इस सदन में पहली बार आया है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय जोशीजी को याद होगा कि कुछ वर्षों पहले 13 सदस्यों को इस विधान सभा से निकाला गया था····

श्री नत्थी सिंह : निलम्बित किया गया था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक ही बात है । आप निलम्बन को स्वीकार करते हैं क्या ?

श्री नत्थीसिंह : हमारा ही निलम्बन हुआ था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिए मैं कह रहा था निलम्बन को स्वीकार करते हैं तो दूसरी बात है ।

श्री नत्थीसिंह : हमने तब भी स्वीकार नहीं किया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : निकलने वालों में सर्वश्री रामानंद अग्रवाल, मानक चंद सुराणा, उमरावसिंह ढावरिया, रामकिशन, योगेन्द्र हांडा, मुरलीधर व्यास, नत्थीसिंह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

(भरतपुर), विट्ठल भाई, मोहनलाल सारस्वत, हरिशंकर–आप नहीं अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : केदार नाथ शर्मा, दयाराम। इन सदस्यों को सदन से निकाला गया था।

श्री रामकिशन : यह तो आप दोनों ने मिलकर निकाला था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल सही है। और मैं ऐसा समझता हूं····

श्री रामकिशन : निलम्बन किया गया था कुछ समय के लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक ही बात है। यह निलम्बन ही होता है, निकालना इसमें भी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल एक सैशन के लिए निकाला था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, टोकाटाकी न करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इसको आप जरा गंभीरता से सुनिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने उस समय इस प्रस्ताव का विरोध किया कि इन लोगों को निलम्बित नहीं किया जाये, उसके बावजूद भी पंडित जी अहसान नहीं माने तो ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाये। मैंने गत सत्र में माननीय देवीसिंहजी भाटी को 11 या 12 दिन के लिए निकालने का प्रस्ताव यहां रखा था। उनको कुछ समय के लिए निकाला गया। और भी कई सदस्य हैं, जिन सदस्यों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही हुई। तो इस आरोप को मैं स्वीकार नहीं करता कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। कई बार यह भी माननीय सदस्य कह गये कि कलंक लगा है। तो मैं समझता हूं सबसे पहले कलंकित इस मामले में हुए हैं तो जोशी जी हुए हैं, उस समय जिस समय निकाला था। निकालने की कार्यवाही से कोई कलंकित होता है तो आप खुद विचार कर लें कि पहली सरकार अपने ही शब्दों में कलंकित है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इसको फिर एक बार देख लें। प्रीविलेज कमेटी की रिपोर्ट आकर, उस पर बहस करके फिर कोई फैसला किया हो, उसकी बात थी। वह तो हाउस में तत्काल मामले पैदा हुए थे और तत्काल फैसला था, It was decided then and there.

और मैंने यही कहा था कि प्रीविलेज कमेटी ने फैसला किया और उस कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में डिसकस होकर यह चला····

श्री रामकिशन : वह तो और भी गलत हो गया। हमारी सुनी नहीं और फांसी दे दी वैसे ही। वह तो और भी गलत हुआ था। गलत तो वह ज्यादा हुआ था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने इसलिए कही कि सदन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

में कई माननीय सदस्य नये आये हैं। उनको इस बात की जानकारी हो जाये कि यह कार्यवाही पहली बार नहीं हुई है, यह कार्यवाही बहुत पहले कई बार हो चुकी है।

श्री नत्थीसिह : उस वक्त हम लोगों ने माफी नहीं मांगी थी, इसीलिए निलम्बन किया। यहां तो मामला दूसरा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिल्कुल सही है कि आप माफी मांगने वाले थे लेकिन पंडित जी के कारण से नहीं मांगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना यह चाहता हूं कि मैं इस बात का उल्लेख भी नहीं करता यदि माननीय पूनमचंद जी विश्नोई इस बात का जिक्र नहीं करते कि यह घटना इस सदन में पहली बार हुई है। पहली बार नहीं, यह कई बार हो चुकी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब पहले इस प्रकार की घटना हुई है, हमने भी विपक्ष के नाते उस समय की सरकार से बहुत निवेदन किया था। खास तौर से देवीसिहं भाटी के मामले में तो यहां चर्चा भी हुई। चर्चा भी हुई। चर्चा होने के बाद हम सबने निवेदन किया। आज कई सदस्य ऐसे भी हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने भी निवेदन किया था, लेकिन उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया और देवीसिह भाटी के खिलाफ कार्यवाही की।

दूसरा प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, कि प्रीविलेजेज कमेटी ने रिपोर्ट में जब इस प्रकार की अनुशंसा कर दी हो तो हाउस में उसे स्वीकार करना चाहिए। इसका उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में सदन में कुछ बातें पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। समिति के निष्कर्ष क्या हैं, निष्कर्ष यह है कि "समिति में सम्पूर्ण तथ्यों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार-विमर्श किया एवं श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्रादि का अवलोकन किया एवं श्री व्यास का व्यक्तिशः साक्ष्य भी लिया। इन सब के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्री सुरेन्द्र व्यास ने दिनांक 22 फरवरी, 1991 को विधान सभा स्थित विधाई कक्ष में एक पत्रकार सम्मेलन में राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा पर निम्न शब्द कहते हुये आरोप लगाकर उनका अपमान किया, सदन की प्रतिष्ठा गिरायी और उनके विशेषाधिकारों का हनन किया।"

मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस सदन में जो समिति की सिफारिश है इसको स्वीकार करते हैं, इस निष्कर्ष को जो निष्कर्ष समिति का है। आप कहते हैं कि समिति की बात स्वीकार कर लेनी चाहिये। आप पहले मुझे यह बताइये कि इस समिति के निष्कर्ष को आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते।

श्री चन्दनमल बैद : उसके फैसले को स्वीकार करते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, निष्कर्ष की बात कह रहा हूं मैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तभी तो माफी मांग ली, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मैंने किसी को नहीं टोका, आपने बहुत कुछ कह दिया, मैंने सुना है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं टोकने की नहीं कह रहा हूं। निष्कर्ष जो है, नीचे जो रिकमन्डेशन है वह तो निष्कर्ष का ही पार्ट है। आप इसको बाइफरकेट मत कीजिये। आगे वाला पोर्शन भी निष्कर्ष है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रेट वे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्री सुरेन्द्र व्यास ने "निम्न शब्द कहते हुये", मैं उनको दोहराता नहीं, "आरोप लगाकर, उनका अपमान किया और सदन की प्रतिष्ठा गिरायी और उनके विशेषाधिकारों का हनन किया।" आप स्वीकार करें तो आगे के पोर्शन के बारे में मैं सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : Report as a whole.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसमें यह पार्ट भी है।

श्री हरिदेव जोशी : Report as a whole.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इसका पार्ट है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं है कि कोई टुकड़ों-टुकड़ों में कुछ करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I agree with you. अब यहां पर यह भी आरोप लगाया गया कि पार्टी के आधार पर और बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष कोई कार्यवाही कर रहा है। समिति के सदस्यों के नाम गिनाना चाहता हूं।

श्री नत्थी सिंह : हम कहां कह रहे हैं बहुमत का........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन ले, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि समिति में सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का नाम ले रहा हूं। श्री परसराम मोरदिया, श्री महेन्द्र कुमार परमार, श्री विनोद कुमार, श्रीराम मीणा, श्री हीरालाल इंदौरा। कमेटी में, इन्होंने बैठकर यह स्वीकार किया कि इस तरह से यह अपमानकजनक कार्यवाही हुयी है। तो आप यह कहें कि समिति में बहुमत था इसलिये फैसला कर लिया। इस समिति में नोट आफ डिस्सेंट देने का भी राइट है, and there is no note of dissent.

श्री हरिदेव जोशी : आज तक यह परम्परा रही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स आफ प्रोसीजर में इसका उल्लेख है, मैं अभी आपको पढ़कर सुना देता हूं। नोट आफ डिस्सेंट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि दे सकते हैं या नहो दे सकते। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यदि सदन में इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो निश्चित रूप से नोट आफ डिस्सेंट आता और नोट आफ डिस्सेंट देने का अधिकार था। नोट आफ डिस्सेंट नहीं था और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात को स्वीकार किया कि जो इस समिति का निष्कर्ष निकला है उसमें राजनीति भी नहीं है।

अब, अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न यह आता है कि यहां पर श्री सुरेन्द्र व्यास ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इस सम्बन्ध में मेरे सामने दो बहुत ही मोटे सुझाव हैं। एक सुझाव तो चीफ ह्विप का और वह सुझाव यह है कि इनको एक वर्ष के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाय, निष्कासित किया जाय, और दूसरा सुझाव है भूतपूर्व अध्यक्षजी का........

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब मैं नहीं कहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप कई बार हाउस में कहते हैं कि एक बार जुबान से निकल जाता है तो वह हाउस की प्रोपर्टी हो जाता है। यह मैंने आपसे ही सीखा है। आपकी कई व्यवस्थाएं हैं कि एक बार सदन में कोई चर्चा हो जायेगी तो वह हाउस की प्रोपर्टी हो जायेगी। लेकिन मैं इस बात पर नहीं जाता।

मैं आपका इस बात के लिये बहुत ही अहसानमंद हूं कि आपने इस प्रकार का सुझाव दिया। उसके साथ ही भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कई रेफरेंसेज दिये कि इस प्रश्न के ऊपर इस तरह से विचार नहीं किया गया और 22 फरवरी का, 24 फरवरी का, तारीख तो मुझे याद नहीं है, उन मेटर्स के ऊपर इस प्रकार का विचार नहीं किया गया। मतलब यह है कि रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के कथन के अनुसार।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिविलेज कमेटी के अन्दर डाक्यूमेण्ट के ऊपर विचार करना चाहिये था, उन्होंने विचार किया। यह तो थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य हैं—He was confusing the issue. Confusion was most confounded by him, so I made clarification.

श्री रमाकांत शर्मा : मैंने तो 24 तारीख का मेन्शन नहीं किया। आपने ही 24 तारीख के........

श्री परसराम मदेरणा : आपने जितना मेंशन किया और किसी ने नहीं किया है।

श्री रमाकांत शर्मा : लेटर मेन्शन किया है। 24 तारीख का तो आपने मेन्शन किया है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : 24 के डाक्युमेण्ट पर बात नहीं की है। प्रिविलेज कमेटी ने उसको न तो कंसीडर किया है और न ही उसकी चर्चा की है, न कोई उल्लेख किया है, न उसके बारे में कोई पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह समझूं कि समिति में जितना डाक्युमेंट को देखना चाहिये था, जिस प्रक्रिया का निर्वहन करना चाहिये था वह सारा काम पूरा किया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सब चर्चा

(श्री परसराम मदेरणा)

करने के बाद मुख्य मन्त्रीजी, एक बात कही है कि, In the House of commons, you see, there is breach of privilege.

उसके बाद क्लेरीफिकेशन है, रिग्रेट है। लोक सभा के अन्दर ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं है, इन अदर केसेज भी अगर क्लेरीफिकेशन है और रिग्रेट है, कमेटी सेटिस्फाइड है माननीय सदस्य के क्लेरीफिकेशन और रिग्रेट से, इस मामले को समाप्त किया जाय। प्रिविलेज का ब्रीच है, लेकिन बाद में जो क्लेरीफिकेशन दिया है और जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्होंने उससे कमेटी सेटिस्फाई हो गयी, और रिग्रेट भी इजहार कर दिया, इसलिये समाप्त कर दिया........

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसका मतलब सारा यह है कि कमेटी बहुत ही अच्छी तरह से निष्कर्ष पर पहुंची है। मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाता, आप स्वीकार करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न आया कि अपमान किस-किस का किया। आपने कहा कि यह प्रस्ताव दुर्भावना से रखा गया है, प्रस्ताव किसी अन्य कारणों से रखा गया है। यह अन्य कारणों से नहीं है, न किसी प्रकार की दुर्भावना से यह प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव रखा है सीधा और जिसका स्पष्टीकरण और जिसकी पुष्टि स्वयं श्री सुरेन्द्र जी व्यास ने कर दी क्योंकि जिस प्रकार के शब्दों में इन्होंने उस समय रिग्रेट शो किया था, उन शब्दों में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और बाकी के माननीय सदस्यों के कथन के अनुसार और सुझाव के अनुसार वह रिग्रेट शो करना कंडीशनल था। अब आप भी स्वीकार करें कि जब कंडीशन कोई आदमी रिग्रेट शो करता है तो इस हाउस का अधिकार बनता है कि इस कंडीशन को रिमूव करने के बाद अन-कंडीशनल कोई आदमी रिग्रेट शो करें तो हाउस अपनी मेग्नेनिमिटी दिखाने में कोई पीछे नहीं रहता।

श्री हरिदेव जोशी : आपने शायद वह पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसको देखने, विचार करने के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्योंकि इन्होंने रिग्रेट किया है, इसलिये इस पर कंडीशन नही लगायी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय जोशी जी, सब समझ कर कह रहे हैं, क्यों आप फंसते हो, कहने दो। वह सब समझ कर ही कहने वाले हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका भी मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री हरिदेव जोशी : आपके अन्दर कुछ और है, जुबान पर कुछ और है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, जोशीजी, आपकी तरह से नहीं हूं। जो भीतर है वही जुबान पर है। जो जुबान पर है वही भीतर है। मेरे में कोई अन्तर नहीं है, मैं चीफ व्हिप को जैसा समझता हूं, अपने निकट का समझता हूं, आपकी तरह से नहीं हूं कि परसरामजी को दूर समझूं और आपको अलग समझूं।

Page No. 191

(191)

श्री परसराम मदेरणा : आज आपने मोनिंग सैशन में विरोधी पक्ष की तरफ से खेद प्रकट किया, पश्चाताप किया। आप जैन मुनि के शिष्य कब से हो गये, मुनि महाराज। यह आप पश्चाताप हमारी तरफ से कर रहे हैं, वह आपने कंडीशनल किया है। हमसे पूछे ही नहीं, हमारी तरफ से पश्चाताप, हाउस में रिग्रेट जाहिर कर रहे थे। तो माननीय सदस्य ने अगर कंडीशनल किया होता तो प्रिवेलेज कमेटी कहती है कि वह कंडीशनल कर रही है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है।

श्री परसराम मदेरणा : "My head is in the Hands of Hon'ble Speaker." इसके बाद मामला ही समाप्त हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आपने मुझे बार-बार कहा मैं सदन का नेता हूं, सदन का नेता हूं। इसलिए सदन में कोई कार्यवाही होती हैं, उसके लिए यदि मैं क्षमा चाहूं, या रिग्रेट शो करूं तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपत्ति कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रातःकाल तो पश्चाताप कर रहे थे और अब आप गुस्सा कर रहे हैं। आप यह खेद क्यों कर रहे हैं ? मैंने यह बात कही थी कि आपका हृदय इतना परिवर्तन हो गया है, इतना आउट राइट चेन्जु, अपसाइड डाउन परिवर्तन हो गया है। यह परिवर्तन आया है। भाषणों में उनकी अभिव्यक्ति और शब्दों में विथड्रा कर लिया। पर बात को घुमाकर पश्चाताप तो सुबह-सुबह किया.... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब जो जोशीजी ने पाइंट रेज किया, समिति ने जो निष्कर्ष निकाला और समिति ने निष्कर्ष निकालकर जो अनुशंसा की उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह इस बात की धारा नहीं रखनी चाहिए कि रीग्रेट शो करने में किन शब्दों का प्रयोग किया। यह वैसे प्रोफेसर साहब ने यहां पढ़कर सुनाया। मैं आपकी जानकारी के लिए, उस समय जोशीजी, यहां नहीं थे, मैं उसको फिर पढ़कर सुना देता हूं।

I may conclude this reply with the observation that the Hon'ble Speaker appears to have taken to his heart that I have said certain things which go against his dignity or respect, Which in fact, I never meant. If the Hon'ble Speaker's personal ego has been hurt...."

दो शब्द है "If the Hon'ble Speaker's personal ego has been hurt on this count and if my regrets on that count can stisfy his personal ego, I have no inhibition in expressing my regrets for the same."

श्री चन्दनमल बैद : शब्द विथड्रा कर लिये।

श्री परसराम मदेरणा : लेटर 25 मार्च को लिखा है।

श्री अध्यक्ष : There will be no end to it.

आप किसी कनक्लुजन पर आ जाइये। परसरामजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि let it be concluded now.

श्री परसराम मदेरणा : आपको जो लेटर लिखा है यह उसका उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी यह बात लिख दी थी।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं। अब यह अपनी बात रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल वही बात कह रहा हूं जो इस कमेटी की रिपोर्ट में लिखी हुई है। उन्होंने शायद कमेटी को लेटर लिखा या स्पीकर को लिखा। कमेटी को लेटर लिखा उसमें ऐसा है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष को लिखा है। वह कमेटी के सामने आया था और उसको यहा पर प्रोड्यूज किया गया है। वरबेटिम मेरे पास लेटर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं मान गया क्योंकि आप बोलना शुरू कर देते हैं तो 10 मिनिट जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी के सामने स्टेटमेण्ट नहीं है। लेटर है, इसलिए उसका चाहे उद्धहरण है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेटर है या क्या है? इसी बेसिस पर तो कमेटी निष्कर्ष पर पहुंची है। या और कोई चीज है? लेंग्वेज यही है जिसके आधार पर कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि—यद्यपि श्री सुरेन्द्र व्यास ने माननीय अध्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तिजनक व अपमानजनक शब्द कहे हैं, तदापि श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण और उनकी तरफ से इस कृत्य के लिए खेद प्रकट कर लेने पर, कमेटी सिफारिश करती है कि अब इस मामले में अग्रेतर कोई कार्यवाही नही की जाय और इसे यहीं समाप्त किया जाय। कमेटी ने जो रिकमण्डेशन की उसका बेसिस यही है जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया। इसमें "इगो" शब्द यूज किया है और "इफ" शब्द यूज किया है। इसलिए कमेटी के प्रतिवेदन पर विचार करना आवश्यक था।

एक बात और कहना चाहूंगा और वह इसलिए कहना चाहूंगा कि आपने कह दिया रिग्रेट शो किया है। यह तो आपने कह दिया कि, "अध्यक्ष महोदय से रिग्रेट शो करता हूं," लेकिन कमेटी के प्रतिवेदन में निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि श्री हरिशंकर भाभड़ा पर निम्न शब्द कहते हुए आरोप लगाकर उनका अपमान किया, सदन की प्रतिष्ठा गिरायी उनके विशेषाधिकार का हनन किया। यह निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष के तीन पाइंट हैं। पहला पाइंट है अध्यक्ष का अपमान किया, दूसरा पाइंट है सदन की प्रतिष्ठा गिरायी और तीसरा उनके विशेषाधिकारों का हनन किया। तीन बातें इस समिति के निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने आयी।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक ही चीज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकेले का नहीं है। हाउस को भी जोड़ा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके थ्रू हाउस को जोड़ा है। आपके लिए कुछ कहा है, इसलिए हाउस को जोड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे ही जोड़ा हो। अर्थ एक है कि अध्यक्ष का अपमान होता है वह तमाम सदन का अपमान होता है। यह तो आप स्वीकार करते हो। उन्होंने अध्यक्ष को लेटर लिखकर रिग्रेट शो कर दिया। उस लेटर में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इसके कारण हाउस का अपमान हुआ उसके लिये भी मैं रिग्रेट शो करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय का अपमान वापस ले लिया तो क्या रह जाता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि यह प्रसंग क्यों खड़ा किया है। आम तौर पर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए, हाउस में नहीं लेना चाहिए था। परन्तु इस केस में मैं समझता हूं कि हाऊस में नहीं लाते तो हम अपने कर्तव्य का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करते।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्षमा याचना का ड्राफ्ट लिखकर दे दो कि किन शब्दों में क्षमा याचना करें।

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी, अब आप मैं समझता हूं, Pelasc lat him Continue. बहुत बिजनेस पड़ा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी परसरामजी तो मुझे कसाई भी बता गये। आप बताइये कि मैं कसाई का काम करूं या और कोई काम करूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जैन मुनि का करो।

श्री परसराम मदेरणा : कसाई का काम करोगे या नहीं करोगे, मैं समझता हूं कि आपका आज प्रातःकाल ही हृदय परिवर्तन हो गया। जब पश्चाताप हमारी तरफ से करने लगे तो आपने पुरानी सभी हेबिट्स को तिलांजलि दे दी। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी बोलने के पूर्व ही सदन की गरिमा और डिगनिटी की बात कही। माननीय मुख्यमन्त्रीजी उसका ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपको एक घण्टा सुना है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो आपको महावीर भगवान बना दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसके आगे मेरे पास कोई हथियार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप हमारी ओर से पश्चाताप करने लग गये और सदन की गरिमा की बात कर रहे थे........

श्री अध्यक्ष : परसरामजी, सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात को सुन लीजिए। मैं तो हर माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उनको सबको प्रसन्न करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कसाई कहा तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं या इस सदन की भावनाओं की इच्छा पूरी करूं। इतना सा प्रश्न है, इसमें लम्बी चौड़ी बात नहीं है। कसाई का मतलब यह है कि मैं श्री ओम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकाश गुप्ता ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करूं। सदन की भावना यह है कि, सदन की गरिमा को बनाकर रखूं। अब मैं कसाई बनना नहीं चाहता हूं।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : आप कुछ भी बनो हमारे प्राण मत खाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब अन्त में इतना सा कहना चाहता हूं, जोशीजी ने जो अन्त में बात कही, मैं भी उस बात का समर्थक हूं। सदन में हमें इस प्रकार की परम्परा बनानी चाहिए जिससे सदन की गरिमा बढ़े, सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा बढ़े। मैं सुरेन्द्रजी को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रस्ताव के लाने के पीछे हमारी यह कोई मंशा नहीं हो सकती कि उनके बोलने के अधिकार को खण्डित करें। बोलें, स्वतंत्रता से, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई यह समझे कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाकर हमारी यह नीयत हो कि किसी की वाणी पर हम तालाबन्दी करें तो मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो किसी भी हालत में किसी मेम्बर के बोलने के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कई बातें सही भी हैं, कई बार गलती भी हो जाती है। मैं नहीं कहता, गलती उन्होंने खुद ने लेटर में स्वीकार की है। डेस्परशन, एप्रीहेंसन में, फ्रस्टेशन में, यह शब्द कहे हैं, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं और अभी माननीय सदस्य ने खड़े होकर अन कण्डीशनल सारी बात कही। मैं जोशी जी का भी मन जीतना चाहता हूं, माननीय सदस्यों का भी मन जीतना चाहता हूं, कोशिश तो मैं यह भी करूं कि जिनका मन मैं जीत नहीं सकता हूं उनका भी मन जीत लेऊँ लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरेन्द्रजी से फिर कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में कभी इस बात को नहीं लायें कि हमारी तरफ से इस प्रकार की कोई मंशा या धारणा है....कि किसी माननीय सदस्य के बोलने के अधिकार को कुठाराघात करना चाहते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की परम्परा सदन की गरिमा न एक व्यक्ति के हाथ की है न एक लीडर के हाथ की है, यह दो सौ विधायकों के हाथ में है जिस प्रकार की गरिमा वह सदन की बना कर रखेंगे उसका ही जन मानस पर असर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों से आपकी भावनाओं को निश्चित रूप से ठेस पहुंची है और उसके लिए सदन में मैं समझता हूं हम सब, जैसे जोशीजी ने आपको विश्वास दिलाया, मैं भी अपनी तरफ से अपने पक्ष की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल जी बैद : सारे सदन की तरफ से...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारे सदन की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा बनाये रखने में हमारी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। इस आधार पर माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह संशोधित रूप में, माननीय सुरेन्द्र व्यास जी ने जो यहां पर वक्तव्य देकर जो संशोधित किया है, उस रूप में इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, मेरे द्वारा रूल 236 सब रूल (3) में जो प्रस्ताव रखा गया है उसको मैं वापिस लेता हू ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इसमें सहमति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिया गया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से, जो मैंने माननीय मुख्य सचेतक जी के प्रस्ताव में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसको मैं वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इसमें सहमति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिया गया ।

और जो सारे प्रस्ताव हैं उनको वापिस लेने की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सारे प्रस्ताव वापिस लिये गये ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो संशोधित रूप में प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास को क्षमा किया गया ।

इसके पहले कि मैं विधायी कार्य लू, मैं कुछ सूचनाएँ....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना समय हो गया । कल कोई विशेष काम नहीं है, बिजली की बात कल कर लें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

सूचना

सत्रावधि में सम्पन्न कार्य

मैं कुछ सूचनाएँ सदन को देना चाहता हूं क्योंकि कल इस सत्र का अन्तिम दिन है अभी तक जो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रतिवेदन है उसके हिसाब से कह रहा हूं । कुछ सूचनाएं मैं सदन को देना चाहता हूं ।

इस सत्र मैं कल को मिलाकर के कुल 28 बैठकें हुई हैं । माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस पर 57 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । इस सत्र में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों की संख्या 928 रही । सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1459 रही । सदस्यों की संख्या, जिनके प्रश्न सूचीबद्ध हुए, 146 । तारांकित प्रश्नों की संख्या, जिन पर सदन में चर्चा हुई, 248 ।

लोक महत्व के प्रश्नों पर भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 90 रही ।

प्रश्नों पर हुए वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 102 रहा ।

अल्प सूचना प्रश्न–सूचीबद्ध–6, सदस्यों द्वारा भाग लिया गया 6 ।

(श्री अध्यक्ष)

आधा घंटे की चर्चा–स्वीकृत–4, भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 15 ।

नियम 50 के स्थगन प्रस्ताव—कुल 168 प्राप्त हुए । यह पहला मौका है जबकि हमने राज्य सरकार को 147 भेजे उसमें से 136 का जबाव आया और इस पर 32 सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया ।

नियम 119–लोक हित के विषय पर कुल 5 प्रस्ताव हुए जिनमें से 3 सरकार को प्रेषित किये गये, तीनों का उत्तर सरकार का मिला, चार को अस्वीकृत किया गया और 1 पर चर्चा हुई ।

नियम 127 अविलम्बीय लोक महत्व के विषय पर कुल 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से सरकार को 6 प्रस्तुत किये गये, सरकार ने 6 का उत्तर दिया, 9 अस्वीकृत किए, 1 प्रस्ताव सदन में लिया गया और उसमें 6 माननीय सदस्यों ने भाग लिया ।

नियम 157–158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के 10 प्रश्न आये जिनमें से 3 अस्वीकृत हुए, 7 निर्णयाधीन हैं ।

नियम 273 के अन्तर्गत 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए, 2 सरकार को प्रेषित किये गये, दोनों का जवाब सरकार ने दिया, 1 अस्वीकृत किया गया और चार माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया ।

नियम 295 के अन्तर्गत 392 प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से सरकार को 357 भेजे गये जिनमें से 175 का जवाब आ चुका है, 182 का उत्तर आना शेष है । 357 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपको बताऊँ, मैंने पिछले विधान सभा के कई रिकार्ड देखे हैं, पूरे पांच साल में कभी 250–275 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आये हैं । केवल इस सत्र में 348 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं जिनमें से 122 पर सदस्यों को बोलने का मौका मिला और 23 प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई और 86 माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया ।

अकाल पर 31 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । पर्यावरण एवं प्रदूषण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर 19 माननीय सदस्य बोले ।

सरकार की ओर से 7 वक्तव्य दिये गये जिस पर 42 माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया ।

बजट पर सामान्य चर्चा में कुल 53 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, कुल 16 मांगों पर विचार हुआ, मांगों पर जिन सदस्यों ने भाग लिया उनकी संख्या है 241 । कटौती प्रस्ताव 2568 आये, उसमें से 554 अग्राह्य हुए ।

इस सत्र में 19 शासकीय विधेयक पुर: स्थापित किए गए, 12 शासकीय विधेयकों का पारण हुआ ।

सत्र में जन लेखा समिति के 20 प्रतिवेदन, राजकीय उपक्रम समिति के 17, प्राक्कलन समिति (क) का 1, प्राक्कलन समिति (ख) के 4, कार्य सलाहकार समिति 4 नियम समिति का 1, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का

(श्री अध्यक्ष)

1, विशेषाधिकार समिति के दो, याचिका समिति के 3, अनुसूचित जाति कल्याण समिति का 1, अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति का 1, कुल 55 प्रतिवेदन पेश हुए।

लगभग 200 माननीय सदस्यों में से किसी भी प्रश्न पर बोलने का अवसर लगभग 150 को मिला।

अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में सभी पक्षों ने और माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से मिलकर सहयोग किया वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस बार, पहली बार, सरकार ने आपके द्वारा प्रस्तुत एडजार्नमेंट मोशन, काल अटेन्शन, उनको जो हमने निर्धारित समय पर दिया था उसमें उत्तर प्रेषित किये और जो भी इश्यू विरोध पक्ष से उठाये गये उन सब पर सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि यह एक कीर्तिमान है कि जब सरकार ने इस सदन को चलाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस कीर्तिमान के लिए हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या कह रहे हैं, विधेयक विचारार्थ लिया जाए ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक निवेदन सुन लें। मैंने आपसे वहां भी निवेदन किया था विधेयक और बिजली विभाग पर चर्चा के लिए। 7.45 का समय तो हो गया है, हमारे दल के काफी लोग इस पर बोलना चाहते हैं। सभी पक्ष के लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा करिये, मैं बताता हूं, विधेयक ले लेते हैं, चर्चा पर कुछ लोग बोल लेंगे।

श्री नत्थीसिंह : चर्चा तो कल ही लें, श्रीमान्, विधेयक आज ले लें।

श्री अध्यक्ष : विधेयक आज ले लेते हैं।

समिति का गठन
वित्तीय समितियां 1992–93

इसके पहले मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों, अर्थात् जन लेखा समिति, 1992–93, राजकीय उपक्रम समिति, 1992–93, प्राक्कलन (क) समिति 1992–93 एवं प्राक्कलन (ख) समिति, 1992–93 के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :–

जन लेखा समिति, 1992–93

1. श्री नत्थी सिंह
2. श्री मोहम्मद माहिर आजाद
3. श्रीमती रमा पायलट
4. श्री परसराम मदेरणा
5. श्री जनार्दन सिंह गहलोत
6. श्री हीरालाल देवपुरा
7. श्री गुलाब सिंह
8. श्री शान्तिलाल (राजसमन्द)
9. श्री गोपीराम
10. श्री अमृतलाल परमार
11. श्री हरीश कुमावत
12. श्री चम्पालाल बांठिया
13. श्री रमाकान्त
14. श्री गणपतराय गाडेसावलिया

राजकीय उपक्रम समिति 1992–93

1. श्री यदुनाथ सिंह
2. श्रीमती सुमित्रा सिंह
3. श्री भंवर सिंह
4. श्री रामसिंह विश्नोई
5. श्री सुरेन्द्र व्यास
6. श्री प्रद्युम्न सिंह
7. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
8. श्री रामकिशोर सैनी
9. श्री गोविन्द सहाय
10. श्री गुलाम मुस्तुफा खान
11. श्री राजेन्द्र गहलोत
12. श्री रघुवीर सिंह कौशल
13. डा. जितेन्द्र सिंह
14. श्री नन्दकिशोर शर्मा
15. श्री किशनाराम

प्राक्कलन (क) समिति, 1992–93

1. श्री मनोहर सिंह
2. श्री बुलाकीदास कल्ला
3. श्रीमती मदन कौर
4. श्री पूनमचन्द विश्नोई
5. श्री चन्दनमल बैद
6. डा. हरिसिंह
7. श्री जगमाल सिंह यादव
8. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
9. श्री रामेश्वरदयाल यादव
10. श्री लक्ष्मीनारायण दवे
11. श्री बंशीलाल पटवा
12. श्री जगजीत सिंह
13. श्री खंगार सिंह चौधरी
14. श्री कन्हैया लाल
15. श्री शिवकिशोर सनाढ्य

प्राक्कलन (ख) समिति, 1992–93

1. श्री प्रेमसिंह दहिया
2. श्री इन्द्रसिंह पूनिया
3. श्री सम्पतराम
4. डा. चन्द्रभान
5. श्री गोपाल सिंह
6. श्री परसादीलाल मीणा
7. श्री हीरालाल इन्दौरा
8. श्री सम्पत सिंह
9. श्री अब्दुल हादी
10. श्री किशनगोपाल कोगटा
11. श्री जीतमल जैन
12. श्री फूलचन्द गुर्जर
13. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
14. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता
15. श्री मनोहर सिंह इन्दा

विधायी कार्य । श्री रामनारायण विश्नोई ।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992

श्री शान्तिलाल चपलोत (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला। जनमत जानने के लिए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय. मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

मैं दो मिनट बोलूंगा, कल मेरे को नम्बर नहीं मिलेगा, इसलिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव ।

श्री बुलाकीदास कल्ला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

श्री प्रेमसिंह दहिया । नहीं है ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री शान्तिलाल चपलोत (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पारित किया गया ।

विद्युत पर चर्चा कल होगी, इसलिए सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.44 बजे बुधवार दिनांक 8 अप्रेल, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

Page No. 200

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची

उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष 86–87

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी मय पिता का नाम	निवासी	स्वीकृत राशि
1.	श्री लक्ष्मण/सोमा	धनगांव (सीमलवाड़ा)	190.00
2.	श्री धनजी/कालू	,,	190.00
3.	श्री वीरजी/नानिया	,,	190.00
4.	श्री भगवान/थाना	,,	190.00
5.	श्री धूलवा/थाना	,,	170.00
6.	श्री कावा/हिरा	,,	190.00
7.	श्री धर्मा/कालू	,,	190.00
8.	श्री हुवजी/हिरा	,,	190.00
9.	श्री कालू/हरजी	,,	175.00
10.	श्री मसूरा/लालजी	,,	172.00
11.	श्री कालू/पुना	,,	172.00
12.	श्री रावजी/रूपा	,,	190.00
13.	श्री चुनिया/वेलजी	कटारापाड़ा	232.00
14.	श्री वरसेग/रतीया	कटारापाड़ा	190.00
15.	श्री वाबरा/वागजी	कटारापाड़ा	250.00
16.	श्री शंकर/कुरिया	रामपुर (आसपुर)	190.00
17.	श्री धूला/भेमी	पचलासा/छोटा (,,)	299.00
18.	श्री नानजी/वेलजी	कटारापाड़ा	312.00
		योग :–	3682.00

वर्ष 87–88

1.	वदीया/गलावा	मुजाला	271.00
2.	श्री नानजी/नगजी	,,	271.00
3.	श्री पेसन्द/मोगा	,,	271.00
4.	श्री कला/नानुड़ा	कागलिया	270.00
5.	श्री लीलूराम/धन्न गमेती	रानाखेत	187.50

1	2	3	4
6.	श्री माना/मोड़ा जी मीणा	खेराड़	150.00
7.	श्री दामला/झाला रावत	गरड़ा	187.50
8.	श्री सोमेश्वर/खेमजी मीणा	ईटाली	187.50
9.	श्री रूपा/सवा मीणा	पाड़ला	187.50
10.	श्री गौतम/सोमा	बलवाड़ा	316.00
11.	श्री जीवा/हलिया	,,	310.00
12.	श्री रामजी/नाना	,,	350.00
13.	श्री हकरा/काना	,,	350.00
14.	श्री जीवराम/पेमा	,,	350.00
15.	श्री रामजी/सवा	खानमीन	192.00
16.	श्री राजेंग/जालगा	,,	235.00
17.	श्री पन्नालाल/मिमा	,,	203.00
18.	श्री शान्तिलाल/रूप जी	,,	207.00
19.	श्री बन्शीलाल/हूरजी	,,	203.00
20.	श्री बदा/नाथू	जागनिया फला	350.00
21.	श्री उदा/सवा	घाटा	350.00
22.	श्री भेरिया/धनजी	पचलाना	207.00
23.	श्री हाजाराम/दोला	रोहनवाड़ा	350.00
		योग :—	5956.00

वर्ष 1989–90 में आदिवासियों को स्वीकृत अनुदान की राशि की सूची

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	खनिज	खनन क्षेत्र	राशि
1.	श्री वचन सिंह मीणा पुत्र श्री बीरूराम	मेस.स्टोन	प्रतापगढ़	2500–/
2.	सुश्री हिमानी डिन्डोर पुत्री श्री करण सिंह, बांसवाड़ा	मारबल	त्रिपुरासुन्दरी	2200–/
3.	श्री नटवरलाल पुत्र श्री भीखा आदिवासी, जोलाना	मेस स्टोन	सेन्दडाघाटा	2200/–
4.	श्रीश्याम पुत्र श्री जोमना आदिवासी	लाइमस्टोन	हिंगोलिया का गुढ़ा	2200/–

1	2	3	4
5. श्री हकसी पुत्र श्री चोखा आदिवासी	,,	रतनपुरा	2200/–
6. श्री शांतिलाल महीडा पुत्र श्री जोखाजी	मारबल	खेमातलाई	2200/–
7. सुश्री संसर पुत्री श्री हेमता, तलवाड़ा	,,	त्रिपुरासुन्दरी	2200/–
8. श्री धनराज पुत्र श्री हेरजी बांसवाड़ा	चूनापत्थर	डेरीनापाला	2200/–
9. श्री चन्दुलाल आदिवासी	मारबल	पाडला चोबिसा	2200/–
10. श्री खेमा गमेती	लाइमस्टोन	अम्बेरी	2200/–
11. श्री दामलिया पुत्र श्री अलिया मीणा	पट्टीकातला	गरडा	1700/–
12 श्री खुमा पुत्र श्री भेरा गमेती	,,	बांराडा	1700/–
13 श्री भेरा पुत्र श्री नरेणा गमेती	,,	गोडान	1700/–
14. श्री कमला पुत्र श्री भेरा गमेती	,,	मटाट	1700/–
15. श्री शोभालाल पुत्र श्री शंकरलाल	,,	मटाट	1700/–
16. श्री नारू पुत्र श्री सवा गमेती	,,	मटाट	1700/–
17. श्री दलाराम पुत्र श्री रूपा मीणा	,,	गरडा	1700/–
18. श्री गणेश मग्गा गमेती	,,	बांसडा	1700/–
19. श्री बेदा पुत्र श्री कचरा	सोपस्टोन	डूंगरपुर	2200/–
20. श्री धन्ना पुत्र श्री दिता	सरपेटाईन	,,	2200/–
21. श्री लक्ष्मणलाल जाबजी	,,	,,	2200/–
22. श्री नारायण लाल	,,	,,	2200/–
23. श्री नानजी सरदार	,,	,,	2200/–
24. श्री सोमाराम	,,	,,	2200/–
25. श्री थावर चन्द दशरथ लाल	,,	,,	2200/–
26. श्री हकर जी हांणा	,,	,,	2200/–
			53500/–

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले में खाद्य सामग्री का छात्रों में वितरण

867. **श्री सोमा** (बागीडोरा) एवं **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बांसवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी सम्पूर्ण खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री का वितरण करता है ?

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा बांसवाड़ा वन विभाग को वित्त वर्ष 1991–92 में सौर कूकर व सिगड़ियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कब कितनी-कितनी और किस-किस कम्पनी की ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री श्रमिकों को वितरण करने की थी ? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी सौर कूकर व सिगड़ियां किस-किस श्रमिकों को दी गई ? सूची श्रमिक का नाम, गांव आदि सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वन विकास कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रति परिवार प्रति कार्यकारी दिवस में रुपये 6/ –प्रति खाद्यान यूनिट की दर से वितरित किया जाता है जिसमें 2 किलो ग्राम गेहूं, 200 ग्राम दाल एवं 200 मिली तेल होता है ।

(2) जी हां । 18 सौर कूकर एवं 408 सिगड़ियां वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई हैं । सिगड़ियां यू.पी. ऐग्रो इण्डस्ट्रीज की हैं एवं सौर कूकर राजस्थान ऐग्रो इण्डस्ट्रीज की हैं ।

(3) जी हां । जिन-जिन श्रमिकों को सौर कूकर व सिगड़ियां दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले की डार्क जोन तहसील

868. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने गावों को डार्क जोन घोषित किया गया है ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने डार्क जोन घोषित करने के इस निर्णय को अविवेकपूर्ण होने की शिकायतें की है ?

(3) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों का पुनः सर्वे करवा कर उन्हें डार्क जोन से मुक्त करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिनांक 1-4-91 तक अद्यतन की

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

गई सूची के अनुसार भरतपुर जिले की पांच पंचायत समिति यथा डीग, कामां, कुम्हेर, नदबई एवं नगर को पूर्णतः "डार्क" घोषित किया गया है। इनमें से पंचायत समिति डीग में 61, कामां में 140, कुम्हेर में 38, नदबई में 65 तथा नगर में 122 ग्रामों को "डार्क" जोन में अंकित किया गया है। पंचायत समिति-वार विभिन्न जोन्स के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या परिशिष्ट–अ (तथा डार्क जोन्स के अन्तर्गत पंचायत-समितिवार ग्रामों की सूची) परिशिष्ट संलग्न है।

(2) "डार्क" क्षेत्र घोषित होने पर स्थानीय जनता/जन-प्रतिनिधियों की ओर से उस क्षेत्र विशेष को "डार्क" क्षेत्र से मुक्त करने की मांग आती रहती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा भू-जल विभाग को पुनः भू-जल सर्वेक्षण हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

(3) राज्य के सभी 30 जिलों का पुनः भू-जल सर्वेक्षण करवा लिया गया है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। वर्तमान में "डार्क" घोषित क्षेत्रों में भू-जल अधिशेष विहित मानदण्डों के अनुरूप होने पर उन्हें "डार्क" श्रेणी से मुक्त कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित–प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1992)
(गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1992)

सीलिंग कानून के तहत श्रीगंगानगर जिले में अवाप्त भूमि

263. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर जिले में कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई है एवं उसको कितने लोगों को अलाट किया गया? उसमें से कितने लोग अब भी काश्त कर रहे हैं और भूमि उनके कब्जे में है, उन लोगों की संख्या कितनी है?

(2) सन् 1990-91 में विभिन्न स्तर की अदालतों में सीलिंग कानून के तहत उक्त जिले के कितने लोगों की अपीलें पैंडिंग थीं जिनमें राज्य सरकार के अवाप्ति आदेश के खिलाफ काश्तकार अपील में गये?

(3) रेवेन्यू बोर्ड व हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोगों की अपीलें हैं और 1990 के बाद पैंडिंग रही हैं?

(4) राज्य सरकार ने 1980 से 1990 तक सीलिंग कानून में अवाप्त भूमि के कितने मुकदमें वापस लिए हैं और 1990 व 1991 में कितने मुकदमें राजस्व मन्त्री स्तर पर ड्राप किये जाने के आदेश हुए हैं? जो मुकदमें ड्राप किये गये हैं उससे कितनी भूमि वापस दी गई है?

(5) क्या राज्य सरकार ने ऐसे मुकदमें भी वापस लिए हैं जिनमें रेवेन्यू बोर्ड व हाईकोर्ट ने भूमि अवाप्ति को सही माना है और भूमि अलाट ही नहीं की गई बल्कि आवटी द्वारा सारी किश्तें भी भर दी गई

(श्री हेतराम बेनीवाल)

फिर भी सरकार ने उस स्तर पर मुकदमें वापस ले लिए ?

(6) ऐसे में यदि तथ्य सही है तो मुकदमें वापस लेने का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में कुल 39,026 एकड़ भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित की गई थी, लेकिन केवल 14,669 एकड़ भूमि का ही वास्तविक कब्जा राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, इसमें से 9,048 एकड़ भूमि 1748 व्यक्तियों को आवंटित की गई है । आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा है ।

(2) वर्ष 1990 के अन्त में विभिन्न स्तर की अदालतों में कुल 417 अपीलें पेंडिंग थी । इसके अलावा 170 रिटें माननीय उच्च न्यायालय में तथा 60 एस. एल. पी. माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग थी ।

(3) इन न्यायालयों में वर्तमान में जो अपीलें पेंडिग हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. मान. उच्चतम न्यायालय	:	60
2. मान. उच्च न्यायालय	:	170
3. राजस्व मण्डल, अजमेर	:	384
		614

(4) राज्य सरकार ने 1980 से 1990 तक अवाप्त भूमि के कोई मुकदमें वापिस नहीं लिए हैं । 1990—91 में राजस्व मंत्री के स्तर पर 168 मामले ड्राप किये गये हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में कुल 1159 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश होने के बाद ड्राप किये गये हैं । जिला स्तर पर कब्जा देने के आदेश नहीं दिये गये ।

(5) राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति के जिन 6 प्रकरणों में कार्यवाही समाप्त की गई है, उनमें 2 प्रकरणों में राजस्व मण्डल, अजमेर ने भूमि अधिग्रहण आदेश को सही माना है, परन्तु प्रभावित पक्षकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण तथा शेष 4 प्रकरणों में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई । अतः किश्तें भरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(6) जो मामले वापिस लिये गये हैं, उनमें सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व मंत्री द्वारा पुनः सुनवाई का अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले रिओपन किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण ड्राप कर दिये गये ।

बाली (पाली) में अनावृष्टि से अकाल की स्थिति

869. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली जिले की बाली तहसील

(श्री अमृतलाल परमार)

के आदिवासी क्षेत्र में (पिछले वर्ष) वर्ष 1991 में वर्षा न होने से फसल नहीं हुई तथा अकाल की स्थिति है ?

(2) इस क्षेत्र में सरकार इन वनवासी आदिवासियों को राहत प्रदान करने हेतु राहत कार्य कब खोल रही है ? अब तक इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बाली तहसील के 159 ग्रामों में से 97 गांवों में फसल खराबा 50% से 74% व 5 गांवों में फसल खराबा 75% व इससे अधिक रहा है।

(2) जिला पाली में माह अप्रेल, 92 के लिये राहत कार्यों पर 15000 की श्रमिक सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यों पर 9000 श्रमिक कार्यरत हैं।

बांसवाड़ा में माही डेम की नरवाली वितरिका नहर के सर्वे में परिवर्तन

870. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बांसवाड़ा में माही डेम की दाईं मुख्य नहर की नरवाली वितरिका नहर की आर. डी. नम्बर 25330 से वितरिका की सर्वे बदल कर गांव बड़ेतर में नई सर्वे करवा कर गांव बोरवी खाटा, काडा, पाड़ा, टोडी, सीमरोल, टामटीवा, सरोदीया, देवलिया, शक्तावत एवं मटवाड़ा गांवों की सूखी जमीन को माही डेम का पानी देने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नरवाली वितरिका का कार्य अभी बन्द पड़ा है, जिस युद्ध स्तर पर प्रारम्भ करवाकर आने वाले वर्ष में सूखी भूमि को पानी सप्लाई कर 10 गांवों के किसानों को राहत देने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आर. डी. 25330 मी. के आगे सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है अतः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही यह बताना संभव हो सकेगा कि प्रश्न में वर्णित किन-किन गांवों की सूखी जमीन को माही डेम का पानी दिया जा सकेगा।

(2) जी नहीं।

नरवाली वितरिका का कार्य प्रगति पर है आर. डी. 20675 मी. के बाद मध्य में वन विभाग की जमीन आ जाने से कार्य रुका पड़ा है फोरेस्ट की जमीन को अधिग्रहण करने का कार्य प्रगति पर है।

देवली तहसील की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

871. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले की तहसील देवली के पटवार हलका घाड़

(श्री कन्हैया लाल)

की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 2059 एव 2060 चारागाह भूमि है ? यदि हां, तो उसका रकबा कुल कितना है ?

(2) क्या यह सही है कि चारागाह भूमि पर ऋषभ स्टोन क्रेशर के नाम से एक उद्योग लगा लिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्व नियम 91 के अन्तर्गत तहसीलदार देवली उक्त उद्योग को हटाने के लिए सक्षम थे ? यदि हां, तो तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी को चारागाह से अभी तक बेदखल क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग उद्योग को दिये गये विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करवाने की कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख. नं. 2059 एवं 2060 चारागाह भूमि है। जिसका कुल रकबा 22.27 हेक्टेयर है।

(2) जी हां। ख.नं. 2059 एवं 2060 की 1 हेक्टेयर भूमि पर क्रेशर लगाया हुआ है।

(3) जी हां। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार, देवली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था। अतिक्रमी ने नोटिस के जवाब में सहायक खनिज अभियन्ता, टौंक द्वारा भूमि लीज पर दिये जाने का आदेश प्रस्तुत किया। अतः तहसीलदार ने नोटिस को ड्रोप कर दिया। लेकिन तहसीलदार, देवली द्वारा की गई यह कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि खनिज विभाग द्वारा खनन हेतु भूमि लीज पर दी गई है। जबकि इस भूमि पर अनाधिकृत क्रेशर भी अप्रार्थी द्वारा लगाया हुआ है, जो खनन से विभिन्न प्रयोजन है। अतः अनाधिकृत क्रेशर को हटाने के लिए तहसीलदार, देवली को पुनः धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

(4) विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही राजस्व विभाग से सम्बन्धित न होकर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से संबंधित है। लेकिन जिला कलक्टर, टौंक द्वारा अवगत कराया गया है कि उप जिला कलक्टर, टौंक से जांच करवाई जा रही है और निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जोधपुर सहकारिता उपभोक्ता भण्डार

872. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर के सहकारिता उपभोक्ता भण्डार में वर्ष 1988–89 से अब तक कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हुए और उसके विरुद्ध कितने पद भरे हैं ? वर्ष 1988–89 से अब तक भंडार में किन-किन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई और कुल कितना वेतन दिया गया है ? इसमें डेली-वेजेज के कितने कर्मचारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) जोधपुर मंडार के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ? कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश व चयन कमेटी की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर सहकारी उपभोक्ता मंडार में वर्ष 1988–89 से अब तक 27 पद स्वीकृत हैं। इन पदों के विरुद्ध चयन कमेटी द्वारा 10 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। एक कर्मचारी पूर्व से ही सेवा में है। इनके अतिरिक्त 29 कर्मचारी दैनिक वेतन पर तथा दो कर्मचारी पार्ट टाईम पर कार्यरत हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं फरवरी 92 तक दिये गये वेतन संबंधी सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन कमेटी विभागीय आदेश दिनांक 26-11-87 द्वारा गठित की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। नियमित नियुक्ति दिये गये सभी 10 कर्मचारियों के लिये नियोजन कार्यालय से नाम मांगे गये व स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन भी दिया गया। चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई गई। कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश का दिनांक एवं उन्हें दिये गये वेतन का विवरण परिशिष्ट "क" में दे दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वर्ष 1980 से पूर्व के अतिक्रमी काश्तकारों की भू-नियमन की प्रक्रिया

873. **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1930 के पूर्व की वन भूमि पर नाजायज कब्जे सुदा काश्तकारों को अपने कब्जे की भूमि नियमन करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें केवल अनुसूचित जनजाति के लिए नियमन करने का प्रावधान है ?

(2) क्या वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त अन्य जाति के काश्तकारों के भी लम्बे समय से कब्जे हैं ? यदि हां, तो उन काश्तकारों के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या ऐसे लोगों को भी अपने कब्जे की भूमि नियमन होकर मिलेगी ?

उत्तर

(1) केवल जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन आदिवासियों द्वारा 1-7-1980 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन किया जाना विचाराधीन है।

(2) जी हां। राज्यादेश क्रमांक एफ 1 (10) वन/90 दिनांक 27-4-1991 द्वारा सिंचाई बांधों के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापितों द्वारा 1-1-1989 से पूर्व के वन भूमि पर कब्जों को नियमन करने का निर्णय लिया गया है। अन्य काश्तकारों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार बेदखल किया जावेगा।

टाडा-माडा योजनान्तर्गत तहसील कोटडा व गोगुन्दा में कुओं को गहरा करने हेतु निःशुल्क ब्लास्टिंग

874 श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील गोगुन्दा कोटडा में टाडा-माडा योजनान्तर्गत वर्ष 1988–89 से अब तक कितने काश्तकारों के कुएँ निःशुल्क ब्लास्टिंग द्वारा गहरे कराये गये ?

(2) उक्त योजना अन्तर्गत जिन काश्तकारों के कुएँ गहरे कराये गये हैं उन कुओं तक टेक्टर अथवा ट्रक के जाने का रास्ता है अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) तहसील गोगुन्दा एवं कोटडा में टी. ए. डी. व माडा योजनान्तर्गत वर्ष 1988–89 से अब तक जनजाति कृषकों के क्रमशः 56 एवं 116 कुएँ निःशुल्क ब्लास्टिंग द्वारा गहरे कराये गये ।

(2) जिन काश्तकारों के कुओं तक टेक्टर अथवा ट्रक जाने का रास्ता पाया गया उन्हीं कुओं में निःशुल्क ब्लास्टिंग कार्य करवाया गया है ।

लालसोट में जीवन-धारा के तहत कुआ निर्माण में अनियमितता

875. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट में जीवन-धारा में कुओं की स्वीकृति तथा निर्माण करने में भारी भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत मुख्य मंत्रीजी को की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(2) शिकायतों की जांच करने पर किन-किन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जांच में तत्कालीन प्रधान को भी दोषी ठहराया गया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति में जीवन धारा कुओं की स्वीकृति तथा निर्माण करने में व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत मुख्यमंत्री जी को की गई थी ।

उपर्युक्त विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु विशिष्ठ योजनायें एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 7-5-90 को लिखा गया था । कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा इस विषय में इसलिए जांच कराने में असमर्थ है कि संबंधित रिकार्ड राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के पास है । रिकार्ड प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(2) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच सम्पन्न होने पर ही यह कहा जा सकेगा कि इसमें कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ।

(भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री)

(3) भाग 2 में वर्णित स्थिति के अनुसार।

सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पद

876. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहायक अभियन्ता (सिविल) के कितने पद कब से रिक्त हैं ? डिप्लोमाधारी और सीधी भर्ती का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां कितने वर्ष पूर्व की गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत कई कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) ऐसे हैं जो सीधी भर्ती की आयु सीमा पार कर चुके हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

(4) क्या सरकार इस विभाग में सीधी भर्ती द्वारा लिये जाने वाले सहायक अभियन्ता के पदों को कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं से भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरह अपने अभियन्ता वर्ग को समयबद्ध वेतनमान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो प्रदेश में प्रोफेशनल वर्ग में केवल अभियन्ताओं को ही समयबद्ध वेतनमान से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती एवं डिप्लोमाधारियों के लिए रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष 1987–88 :–इस वर्ष में सीधी भर्ती के कुल 154 पद रिक्त थे जबकि डिप्लोमाधारियों के लिए रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से भरने के कारण कोई पद रिक्त नहीं था।

वर्ष 1988–89 :–इस वर्ष में सीधी भर्ती के 10 पद और रिक्त हो जाने से कुल 164 पद रिक्त थे, जबकि डिप्लोमाधारियों के लिए रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित से भरने के कारण कोई पद रिक्त नहीं था।

वर्ष 1989–90 :–विभाग में कई पदों के समाप्त होने के कारण इस वर्ष सीधी भर्ती के कुल 111 पद रिक्त थे, जबकि डिप्लोमाधारियों से 20 पद अधिक भरे हुए थे।

वर्ष 1990–91 :–विभाग में कई पदों के समाप्त होने के कारण इस वर्ष सीधी भर्ती के कुल 104 पद रिक्त थे, जबकि डिप्लोमाधारियों से 3 पद अधिक भरे हुए थे।

वर्ष 1991–92 :–विभाग में इस वर्ष सीधी भर्ती के कुल 131 पद रिक्त थे, जब कि डिप्लोमाधारियों के लिए कोई पद रिक्त नहीं थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्त-

(सिंचाई मंत्री)

मान में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती के कुल 131 पद रिक्त हैं, जब कि डिप्लोमाधारियों के लिए कोई पद रिक्त नहीं।

(2) सहायक अभियन्ता सीधी भर्ती के कोटे के पदों को भरने हेतु वर्ष 1981–82 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयन किया गया। इन चयनित सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियां वर्ष 1986–87 तक सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अनुसार की जाती रहीं जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	सीधी भर्ती की नियुक्तियों की संख्या
1981–82	6
1982–83	4
1984–85	4
1985–86	17
1986–87	7

इसके बाद भी मृतक कर्मचारी के आश्रितों के नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्तियां दी गईं उसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	नियुक्तियों की संख्या
1988–89	2
1989–90	1
1990–91	3
1991–92	2

(3) जी हां, इनकी संख्या 31-3-92 तक 76 है।

(4) सिंचाई विभाग का एक प्रस्ताव कार्मिक विभाग के पास विचाराधीन है। निर्णय शीघ्र होने की आशा है।

(5) मौजूदा समय में समयबद्ध वेतनमान देने का कोई विचार नहीं है। वेतनमान के प्रश्न पर सभी विभागों के बारे में एक साथ देखना होता है। किसी विभाग विशेष के वेतनमान अलग से नहीं निर्धारित किये जा सकते हैं। अन्य राज्यों की स्थिति अलग हो सकती है अतः हमें राजस्थान के संदर्भ में भी अन्य विभागों के वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में इस मामले को देखना होता है।

बारां जिले के ग्रामों की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

877. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के प्रत्येक ग्राम में चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव की चारागाह भूमि में अतिक्रमण किस-किस किसान ने कौन-कौन से खसरा नम्बर में कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चारागाह पर अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की?

(3) चारागाह भूमि के अतिक्रमण से

(श्री हेमराज)

किन-किन किसानों को बेदखल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

अतिक्रमणों की विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत एवं उपनिवेशन क्षेत्र में उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

(3) चारागाह भूमि पर हुए 1659 अतिक्रमणों में से 1078 व्यक्तियों के अतिक्रमण को हटाया जा चुका है । सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा की गई खरीफ में अनियमितताएं

878. **श्री रामकिशन** (भरतपुर), **श्री गणपतराम गाड़ेगावलिया** (दूदू) एवं **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल में वित्तीय वर्ष 1989–90, 1990–91 व 1991–92 में किन-किन फर्मों से कितनी-कितनी राशि की खरीद की गई ?

(2) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल में खरीद अनियमितताओं में गत एक वर्ष में कितने श्रमिकों/कर्मचारियों/अधिकारियों को निलम्बित या सेवा पृथक् या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया ? प्रत्येक के खिलाफ की गई जाँच रिपोर्ट की प्रति तथा अदालती कार्यवाही के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल में उक्त वर्षों में खरीद हेतु जो समितियां बनीं उनकी वर्षवार कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल पिछले कई वर्षों से रुग्णक इकाई के रूप में चल रही है । उसके पास वित्तीय साधनों का प्रायः अभाव रहता है । इसे राज्य सरकार से भी वित्तीय सहयोग दिया गया है । अतः अपनी आवश्यकतानुसार वित्तीय स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार का सामान मिल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय किया जाता है । इस मिल में वित्तीय वर्ष 1989-90 में 181 फर्मों से 42,12,997.56 रुपये की राशि का, वर्ष 1990-91 में 211 फर्मों से 37,56,230.35 रुपये की राशि का तथा वर्ष 1991-92 में 274 फर्मों से 1,22,21,123.60 रु. की राशि का विभिन्न फर्मों से क्रय किया गया है । सैकड़ों की संख्या में होने के कारण सूचना अल्प-समय में उपलब्ध कराना संभव नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य किसी फर्म विशेष की सूचना चाहें तो वह उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(सहकारिता मंत्री)

(2) केशवराय पाटन सहकारी शूगर मिल में खरीद अनियमितताओं में गत एक वर्ष में 15 श्रमिकों / कर्मचारियों/अधिकारियों को निलम्बित या सेवा से पृथक् या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया। प्रत्येक के खिलाफ की गई जाँच तथा कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–1 में संलग्न हैं।

(3) केशवरायपाटन सहकारी शूगर मिल में उक्त वर्षों में खरीद हेतु जो समितियाँ बनी उनकी वर्षवार कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम व पद सहित सूची परिशिष्ट—1 में संलग्न है।

विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

879. **श्री इन्द्रसिंह पुनिया** (सादुलपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग ने कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (मजदूर) रखे ?

(2) इन्हें रखने का विभाग का क्या मानदण्ड है ? क्या उक्त वर्षों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 240 दिन की अधिक अवधि तक भी रखे गये ? क्या नियमों में 240 दिन से अधिक समय तक रख सकते हैं ?

उत्तर

(1) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विकास कार्यों पर वर्ष 1990-91 व 1991-92 में क्रमशः 58,131 व 49,865 श्रमिकों ने दैनिक वेतन पर कार्य किया।

(2) विकास कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर श्रमिकों को रखा जाता है। उक्त वर्षों में कार्य की आवश्यकतानुसार इनमें से कुछ श्रमिकों ने 240 दिन से अधिक कार्य किया है। यद्यपि किसी श्रमिक को 240 दिन से अधिक दिनों तक नियोजित नहीं रखने हेतु श्रम नियमों में प्रतिबंध नहीं है किन्तु राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को 80 दिन से अधिक नियोजित नहीं करने के निर्देश अवश्य प्रसारित किये हैं।

मरु विकास योजनान्तर्गत पंचायत समितियों में नर्सरियों का निर्माण

880. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मरु विकास योजना के अन्तर्गत पंचायत समितिवार दो-दो नर्सरियां मय कूप व पम्प सेट के ग्राम पंचायतों के मार्फत निर्मित करवाये गये थे ?

(2) निर्वाचन क्षेत्र परबतसर में किस-किस ग्राम पंचायत में यह कार्य पूर्ण करवाया गया है ? किस–किस का अपूर्ण है ? यदि अपूर्ण है, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल)

(3) यह कार्य किस उद्देश्य से करवाये गये थे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) निर्वाचन क्षेत्र परबतसर में खोखर एवं ढाढोता ग्राम पंचायत मे यह कार्य पूर्ण करवाया गया है । उक्त किसी भी ग्राम पचायतों में कार्य अपूर्ण नहीं है ।

(3) यह कार्य पंचायत समितियों के माध्यम से वानिकी कार्य यथा ग्रामीण ईंधन एवं चारागाह योजना की सफल क्रियान्विति हेतु किया गया था ।

भरतपुर की सिंचाई व्यवस्था का जीर्णोद्धार

881. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने 1991—92 के बजट सत्र में यह घोषणा की थी कि भरतपुर सिंचाई सिस्टम को जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिसकी सिंचाई विभाग योजना बनायेगा ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग ने कितने की जीर्णोद्धार योजना बनाई तथा कितनी राशि मिली ?

उत्तर

जी नहीं। विभाग द्वारा भरतपुर सिंचाई सिस्टम के जीर्णोद्धार हेतु 74 लाख रुपये का आंकलन बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत 193.20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । मार्च, 1991 तक 62.57 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं एवं वर्ष 1991-92 में 26.00 लाख रुपये आवंटित किये गये ।

लाडनूं के अभावग्रस्त गांव

882. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) :** क्या बाढ़ अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) लाडनूं तहसील के गांव रायधना उदरासर, कुशलपुरा, तिलोटी, हुसैनपुरा, मिठडी, लाछाडी, फिखासी, समना, रेवाड़ा आदि गाँवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गाँवों की गिरदावरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(2) तहसीलदार लाडनूं ने तहसील के किन-किन गाँवों को अभावग्रस्त घोषित करने बाबत जिला कलक्टर को रिपोर्ट भेजी है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार लाडनूं तहसील में अकाल राहत कार्य कब चालू कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । इन गाँवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है ।

(2) सूची परिशिष्ट—"अ" पर दी गई गई है ।

(3) राहत कार्य चालू करने के निर्देश जिला कलक्टर को दिये जा चुके हैं ।

परिशिष्ट—"अ"

प्रस्तावित अभावग्रस्त ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	घीरडोदा मीठा	30.	खाखरी
2.	धीरडोदा खारा	31.	सिमला
3.	जैसलान	32.	गुणपालिया
4.	राठोल	33.	कोयल
5.	मीडासरी	34.	वाकलिया
6.	छपारा	35.	जेकरिया
7.	दताऊ	36.	बादेड़
8.	विठूडा	37.	बाडेला
9.	सावराद	38.	श्यामपुरा
10.	रताऊ	39.	दुजार
11.	मालगांव	40.	बेड़
12.	सिकराली	41.	गोरेड़ी
13.	गैनाणा	42.	चक गोरेड़ी
14.	ढिबासरी	43.	खिदास
15.	तिपनी	44.	नाटास
16.	खामियाद	45.	आसोटा
17	तीतरी	46.	खानपुर
18.	नन्दवाण	47.	मियाणी
19.	सावा	48.	जसवन्तगढ़
20.	घड़ीला	49.	क. अलीपुरा
21.	सिलनवाद	50.	क. जोखला
22.	रोजा	51.	क. उपादड़ा
23.	खंगार	52.	क. नलिया
24.	सुनारी	53.	पदमपुरा
25.	हिरावती	54.	मगलपुरा
26.	विश्वनाथपुरा	55.	बल्दू
27.	मालासी	56.	बालसमद
28.	कासण	57.	लेड़ी
29.	ग्रोडिट	58.	वोलिया

क्र. सं. नाम ग्राम	क्र. सं. नाम ग्राम
59. डाबड़ी	78. अनेसरिया
60. मीठड़ी	79. ध्यावा
61. हुसेनपुरा	80. खीवज
62. तिलोटी	81. इन्द्रपुरा
63. रेवाडो का बास	82. पीपाखड़ी
64. डोबरों का बास	83. मनु की ढाणी
65. रीगण	84. गिरदारीपुरा
66. रीड़मलास	85. लाछड़ी
67. रायबना	86. फिरवासी
68. उदरासर	87. देवरा
69. कुशलपुरा	88. निम्बी जोधा
70. गोदारा बास	89. चन्द्राई
71. रोड़ू	90. साडास
72. तवरा	91. मरनावा
73. लोडसर	92. हुडास
74. मामास	93. भरडिया
75. कुमासियाँ	94. टोंकी
76. सारड़ी	95. मण
77. भिड़ासरी	96. चुण्डासर
	97. लुकास

ग्राम कंवरपुरा (भैंसरोडगढ़) की लिफ्ट योजना का कार्य

883. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के विस्थापित ग्राम कंवरपुरा की लिफ्ट योजना का कार्य कब आरम्भ हुआ और अब तक कितना-कितना कार्य एवं व्यय किया जा चुका है तथा कितना काम और शेष है ?

(2) उक्त लिफ्ट कब तक पूर्ण होकर सिंचाई आरम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) कंवरपुरा लिफ्ट योजना पर मामूली कार्य वर्ष 1984-85 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाया गया था। जिस पर मात्र 751 रुपये व्यय किये गये थे। इसलिए लगभग इसका कार्य पूरा ही शेष है।

(2) वित्तीय संसाध्यान उपलब्ध होने पर

(सिंचाई मंत्री)

कार्य कराना सम्भव होगा। अब विभाग की नई नीति के अनुसार छोटी-छोटी लिफ्ट योजनाएँ बनाकर कृषकों की समितियों को देने का लक्ष्य है। अतः उचित स्थानों पर कृषकों की मांग पर, लिफ्ट योजनाएँ लगाने का प्रयास किया जाएगा।

जिला अभिकरण टौंक द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से एनीकट निर्माण

884. **श्री घासीलाल** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अभिकरण कार्यालय, टौंक द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से पिछले 5 सालों में एनीकट बनवाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन एनीकटों में से कितने टूट चुके हैं व कितने सुरक्षित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पिछले सालों में जो एनीकट अतिवृष्टि से टूटे क्या सरकार इनकी मरम्मत करवाना चाहती है ? यदि हां, तो क्या जिला अभिकरण कार्यालय, टौंक को टूटे हुए ऐनीकटों को ठीक करवाने हेतु कोई राशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पिछले पांच सालों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पिछले पांच साल में 52 एनीकट बनवाये गये हैं।

(2) 6 एनीकट टूट चुके हैं। 46 एनीकट सुरक्षित हैं। विवरण परिशिष्ठ–"अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, इन टूटे हुए एनीकट को विभिन्न योजनान्तर्गत ठीक करवाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 864 की सूची

परिशिष्ट--क

तहसील चूरू के भूतपूर्व सैनिकों की प्रतीक्षा सूची का विवरण

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	वि. वि.
1	2	3
1.	श्री चैतन सिंह पुत्र श्री कालू सिंह, रामपुरा, चूरू	
2.	श्री रावतराम पुत्र श्री बीरमाराम ढेलासर, चूरू	
3.	श्री भागूसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह, पीथासार, चूरू	
4.	श्री सागरमल पुत्र श्री मेघाराम, धाधू का बास, चूरू	
5.	श्री हीरालाल पुत्र श्री हुणताराम, चूरू	
6.	श्री लियाकत अली पुत्र श्री गुलाम कादर, चूरू	
7.	श्री पन्नाराम पुत्र श्री हीराराम, ढाढर, चूरू	

तहसील चूरू के सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मियों के करने मियाद बहाल प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

परिशिष्ट--ख

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	वि. वि.
1.	श्रीमती इन्द्राज कंवर पत्नी दिलाल सिंह राजपूत सा. रामपुरिया त. चूरू	
2.	श्री प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत सा. लोहसना बड़ा त. चूरू	
3.	श्री शिवचन्द पुत्र सिखनाराम जाट सा. भामासी तह. चूरू	
4.	श्री हरीश्चन्द्र पुत्र ज्ञान राम जाट सा. ठाठर तह. चूरू	
5.	श्री बहादुर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह राजपूत सा. रामपुरिया तह. चूरू	
6.	श्री मगन सिंह पुत्र सुरजन सिंह राजपूत सा. रामपुरिया तह. चूरू	
7.	श्री कल्याणसिंह पुत्र नेह सिंह राजपूत सा. पीथीसर तह. चूरू	
8.	श्री नारायण सिंह पुत्र जवन्त सिंह राजपूत सा. रामपुरिया तह. चूरू	
9.	श्री धन्नेसिंह पुत्र हमीर सिंह राजपूत सा. करणपुरा तह. चूरू	
10.	श्री नेतराम पुत्र बीमाराम जाट सा. सिरसला तह. चूरू	

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	वि. वि.
11.	श्री चतरसिंह पुत्र जगसिंह राजपूत सा. सिरसला तह. चूरू	
12.	श्री इन्द्रसिंह पुत्र अजयसिंह राजपूत सा. रामपुरिया तह. चूरू	
13.	श्री गोपाल सिंह पुत्र आसूसिंह राजपूत सा. जासासर तह. चूरू	
14.	श्री खेमनराम पुत्र गुदीराम जाट सा. गान्द तह. चूरू	
15.	श्री सुरेशसिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र मेनासिंह राजपूत सा. दाराद्र तह. चूरू	
16.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र खीमाराम जाट सा. लोहसना बड़ा तह. चूरू	
17.	श्री गोपाल सिंह पुत्र नहरा सिंह राजपूत सा. गोड़ी तह. चूरू	
18.	श्री अलीमखां पुत्र हमीरखा बनरामखानी सा. किलासी तह. चूरू	
19.	श्री उम्मेद सिंह पुत्र सादुल सिंह राजपूत सा. रिड़खिामा तह. चूरू	
20.	श्री धनेज सिंह पुत्र ब्रजलाल सिंह राजपूत सा. चामासी तह. चूरू	

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1372 की सूची

श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की
ग्रामवार मय क्षेत्रफल के योजनाओं की सूची

परिशिष्ट " अ"

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्राम	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा	विशेष विवरण
1.	जगन्नाथपुरी	झोटवाड़ा	74	03	
2.	जोशीनगर	,,	1	14	
3.	बालविहार	,,	38	07	
4.	विजयसिंह पथिक नगर	,,	23	00	
5.	श्यामपुरी	,,	24	18	
6.	शिवपुरी	,,	28	16	
7.	श्रीरामनगर	,,	8	03	
8.	श्रीरामनगर ए. बी. सी.	,,	17	19	
9.	रामदासपुरी	,,	1	00	
10.	रामनाथपुरी	,,	20	07	
11.	राणा प्रतापनगर	,,	0	12	
12.	श्रीरामपुरी	,,	23	15	
13.	पटवारी कालोनी	हरमाड़ा	2	13	मीणा
14.	प्रतापनगर	महापुरा उर्फ कुकड़खेड़ा	4	05	
		चारणनदी	79	05	
		माचेड़ा	64	01	
15.	संगम कालोनी	,,	24	12-1/2	
16.	कमानीरोड	मुरलीपुरा	4	00	
17.	मुरलीपुरा योजना	महापुरा उर्फ कुकडखेड़ा	4	00	मीणा
18.	विजयबाड़ी	बीड सरकारी	2	00	
19.	पार्वती नगर	हरमाडा	8	11	
20.	अलकापुरी	महापुरा उर्फ कुकडखेड़ा	15	08	
21.	सहरिया कालोनी	हरमाडा	3	14	बलाई
22.	पवनपुरी	चरणनदी	4	8–1/2	
23.	नारायण नगर	झोटवाड़ा	20	13	

1	2	3	4	5
24.	प्रेमनगर	झोटवाड़ा	4	1
25.	सोनाबाड़ी	गोपालपुरा	9	14 बलाई
26.	माडल टाउन	बिदायका	64	16 मीणा
		गैटोर	6	17
27.	सम्राटनगर	खोखावास	22	3-1/2
28.	विद्यानगर	जगतपुरा	19	04 मीणा
29.	सुशीलपुरा	सुशीलपुरा	1	16
30.	राठौड़ नगर	बीडखातीपुरा	27	12
31.	करणी विहार	बदरवास	41	17
32.	श्यामनगर	सोडाला	3	01
33.	देवी नगर	बृजलालपुरा	10	12
34.	रामद्वाराकालोनी	सांगानेर	12	15 मीणा
35.	अम्बेडकर कालोनी	,, पालड़ी	3	10 मीणा
36.	किसान कालोनी	,,	4	19–1/2
37.	शांतिनगर	बृजलालपुरा	20	00
38.	श्रीगणेश कालोनी	देवरी	15	13
39.	महावीर कालानी	करतापुरा	9	11
40.	पुरणवाड़ी	सवाई गेटोर जगतपुरा	9	17 मीणा
41.	विश्वकर्मा कालोनी	खोहनागोरियान	4	00 मीणा
42.	नन्द बिहार	सवाई गेटोर	3	05 मीणा
43.	शिववाटिका	,,	4	05 मीणा
44.	ब्रह्मपुरी प्रथम	तालकटोरा	0	7–1/2
46.	ब्रह्मपुरी योजन द्वितीय	,,	0	11
45.	गणेश कालोनी	जगन्नाथपुरा	22	10
47.	अखिल नगर	सवाई गेटोर	11	17 मीणा

(222)

परिशिष्ट "ब"

अनुसूचित जाति/जनजाति से खरीदी गयी भूमि का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्राम	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	खातेदार की जाति
1.	प्रतापनगर	महापुरा उर्फ कुकड़खेड़ा	4	5	मीणा
		चरणनदी	79	5	
		माचेड़ा	64	1	
2.	मुरलीपुरा	महापुरा उर्फ कुकड़खेड़ा	4		मीणा
3.	सोनाबाड़ी	गोपालपुरा	9	14	बलाई
4.	माडल टाउन	बिंदायक	64	16	मीणा
		गेटोर	6	17	
5.	सम्राटनगर	खोखावास	22	3-1/2	मीणा
6.	विद्यानगर	जगतपुरा	19	4	,,
7.	रामद्वारा कालोनी	साँगानेर	12	15	,,
8.	अम्बेडकर कालोनी	साँगानेर पालड़ी	3	10	,,
9.	पूर्ण वाडी	सवाई गेटोर जगतपुरा	9	17	,,
10.	विश्वकर्मा	खोनागोरियान	4	0	,,
11.	नंदबिहार	सवाईगेटोर	4	5	,,
12.	शिव वाटिका	,,	4	5	,,
13.	अखिल नगर	,,	11	17	,,

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 की सूची

परिशिष्ट "क"

क. सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद	निलम्बन तिथि	निलम्बन के कारण	चार्जशीट दी गई या नहीं	दी गई तो कब-कब
7	6	5	4	3	2	1
1.	श्री अनिल झालानी	विक्रेता-उपहार	2860–70/ 29-5-91	विभिन्न वित्तीय अनियमिततायें एवं स्टॉक कमी में लिप्त पाये जाने के कारण।	दे दी गई	दि. 19-11-91
2	श्री कैलाश चन्द्र	हैल्पर-मेडिकल	2872–82/ 29-5-91	श्री यादव धारा 4/5 एक्सप्लोजिंग एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 23-3-91 से 1-4-91 तक पुलिस हिरासत में रहे हैं। इस कारण निलम्बित किया गया।	—	
3.	श्री घनश्याम माहेश्वरी	सहायक व्यवस्थापक मेडिकल	349–353/ 13-10-91	संघ को हानि पहुंचाने व स्वयं को लाभ पहुंचाने की नीयत से अवैध रूप से प्राप्त दवाइयों को संघ की दुकानों के माध्यम से विक्रय करवाने में षड्यंत्र में लिप्त होने के आरोप में।	चार्जशीट नहीं दी गई।	
4.	श्री हरकचन्द जैन	सुपरवाईजर-मेडिकल	344–48/ 13-10-91	संघ को हानि पहुचाने व स्वयं को लाभ पहुंचाने की नीयत से अवैध रूप से प्राप्त	चार्जशीट नहीं दी गई।	

1	2	3	4	5	6	7
				दवाइयों को संघ की दुकानों के माध्यम से विक्रय करवाने में षड़यंत्र में लिप्त होने के आरोप में।		
5	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	विक्रेता-मेडिकल	354–58/ 13-10-91	ग्राहकों से निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करने के आरोप में एवं संघ की दवाईयों को बिना बिल बेचने आदि के आरोप में तथा संघ को हानि पहुंचाने व स्वयं को लाभ पहुंचाने की नीयत से अवैध रूप से प्राप्त दवाओं को संघ की दुकानों के माध्यम से विक्रय करवाने के षड़यन्त्र में लिप्त होने के आरोप में।	चार्जशीट नहीं दी गई।	
6.	श्री हरिसिंह चौबदार	विक्रेता-मेडिकल	74–83/ 25-1-92	औषधि विक्रय में अनियमितता बरतने व कर्त्तव्य पालन के समय शराब पीकर कर्त्तव्य स्थल पर कार्य करने के आरोप में।	चार्जशीट नहीं दी गई।	

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 का विवरण

परिशिष्ट–"अ"

रबी फसल 92 में सहकारी समितियों को ऋण वितरण का विवरण :

क्र. सं.	नाम समिति	दिनांक ऋण वितरण	राशि ऋण वितरण
1	2	3	4
1.	डोडियाना	1-12-92	7000
2.	पांदुखुर्द	3-2-92	93700
3.	डोडियाना	6-2-92	264000
		8-2-92	26000
		27-2-92	27000
		27-2-92	4000
4.	रियांबडी	27-2-92	532600
		26-10-91	157370
		30-10-91	211500
		2-11-91	247500
		30-11-91	66360
5.	कांकरिया इन्द्रोखा	29-11-91	57600
		7-12-91	57200
		13-12-91	4000
6.	प्रेमपुरा	29-11-91	56800
		7-12-91	83200
		13-12-91	28075
7.	देवली	29-11-91	253092
		7-12-91	47000
8.	पादुखुर्द	10-1-92	205500
		7-12-91	47000
9.	मेड़ता रोड	30-12-91	2000
		12-12-91	67480
		13-12-91	120000
		18-12-91	47800

1	2	3	4
		19-12-91	32240
		23-12-91	4800
10.	जसनगर	2-12-91	2000
		4-12-91	5000
		30-10-91	81200
		12-11-91	67000
		18-11-91	69000
		20-11-91	125500
		23-11-91	61000
		28-11-91	21500
		30-11-91	20500
11.	नागडी	10-12-91	214000
		16-12-91	16500
		18-11-91	257500
12.	शिम्भुपुरा	13-12-91	62848
13.	हनुमानपुरा	13-12-92	271080
14.	पांचवा	17-12-91	196880
15.	ईनाणा	18-12-91	2000
		2-12-91	2000
		30-1191	12800
		26-1191	213240
		28-11-91	12000
16.	कुचेरा	6-12-91	2000
		18-11-91	288160
17.	डांगावास	24-10-91	198500
		25-10-91	102545
		26-10-91	4000
		28-10-91	7400
		29-10-91	2000
		18-11-91	118250
		19-11-91	5476
		20-11-91	96400
		22-11-91	1800

1	2	3	4
		2-12-91	4500
		6-12-91	52800
		9-12-91	49080
		10-12-91	14000
18.	पून्दलू	30-11-91	147530
		1-11-91	98400
		4-11-91	81200
19.	रोल	7-12-91	59997
		9-12-91	27182
		11-12-91	14000
		12-12-91	52000
		16-12-91	2000
		20-12-91	1995
20.	सांजू	20-12-91	247540
21.	राबडियाद	25-10-91	82400
		31-10-91	90000
		1-11-91	7100
22.	निमोद	11-11-91	187737
		19-11-91	128516
23.	कुराडा	20-11-91	107276
		26-11-91	13500
24.	खींवसर	2-12-91	102200

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 की सूची

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 89--90 में अटरू विधान सभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों का विवरण :—

1,	परवन नहर का आधुनिकरण पर व्यय	0.65 लाख
2.	पार्वती नहर के आधुनिकरण पर व्यय	1.87 लाख
3.	परवन नहर की मरम्मत पर व्यय	0.81 लाख
4.	पार्वती नहर की मरम्मत पर व्यय	2.30 लाख

वर्ष 90–91 में अटरू विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों का विवरण :—

		स्वीकृत राशि	व्यय
1.	**अकाल राहत के अन्तर्गत :—**		
	पार्वती पिक अप वियर एवं मुख्य नहर चैन 165 से 184 तक एवं चैन 218 से 280 को बेड कटिंग का कार्य	2.00 लाख	1.30 लाख
2.	**जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत :—**		
	(अ) पार्वती नहर को राजवाहा ब्रांच के सुदृढ़ीकरण का कार्य (चेन 50 से 400)	1.72 लाख	1.76 लाख
	(ब) पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण का कार्य (चैन 87 से 130 एवं चैन 280 से 335)	5.24 लाख	5.26 लाख
	(स) पार्वती पिक अप वियर पर डीसिल्टिंग का कार्य	0.70 लाख	0.11 लाख
3.	**आधुनीकरण के अन्तर्गत :—**		
	(अ) पार्वती मुख्य नहर डोसिल्टिंग का कार्य (चैन 250 से 300)		2.04 लाख
	(ब) परवन नहर को आमली डिस्ट्रीब्यूटरी (चैन 225 से 255 किशनपुरा माइनर चैन 0 से 90 खोरपुरिया माइनर चैन 0 से 75)		2.05 लाख
4.	**नहरों के रख-रखाव के कार्य :—**		
	(अ) परवन नहर को रीछन्दा डिस्ट्रीब्यूटरी		

पर चैन 0 से 5, 130 से 175, 225 से 255 एवं 630 से 645 परबंक सुदृढ़ीकरण का कार्य आदि । 1.90 लाख

(ब) परवन को नहरों के संचालन हेतु नहरों को सामान्य मरम्मत के कार्य पिक अप वियर को टेम्परेरी रेजिंग केनाल एवं पिकअप वियर पर गेटों को मरम्मत का कार्य आदि । 3.34 लाख

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1389 की सूची

परिशिष्ट "अ"

संवत् 2048 (1991) में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की सूची तहसील--सिवाना

क्र. सं. नाम ग्राम	क्र. सं. नाम ग्राम	क्र. सं नाम ग्राम
1. सिवाना	2. मवड़ी	3. देवन्दी
4. दन्ताला	5. अजियाना	6. लुदराडा
7. बिजलिया	8. मैली	9. खाखरलाई
10. नई खाखरलाई	11. मांगला	12. भीलो की ढाणी
13. देवड़ा	14. फूलन	15. बामसीन
16. देवलियाली	17. सुईली	18. थापन
19. मूढ़ली	20. पादरली खुर्द	21. कुम्पावास
22. लालाणा	23. कुसीप	24. पारडी कलां
25. खेड़ा खण्डावड़ा	26. राखी	27. बालू
28. खेड़ा सुजेर	29. मौकलसर	30. मायलावास
31. रमणिया	32. काठाड़ी	33. मोतीसरा
34. रोजीयो की ढाणी	35. डावली	36. गोलिया चौधरीयान
37. खण्डप	38. सरवड़ी	39. सेवाली
40. छियाली	41. रातड़ी	42. अर्थण्डी
43. करमावास	44. बूई	45. सावरड़ा
46. भूती	47. तिरगटी	48. मजल
49. ठाकरखेड़ा	50. समदड़ी	51. जेठन्तरी
52. सिनोर	53. राणी देसी पुरा	54. गोखण्डी
55. भलड़ो का बाड़ा	56. भानावास	57. खेजड़ियाली
58. तेजसिंह की ढाणी	59. पाती का बाड़ा	60. गिराब का ढाणी
61. अजीत	62. चारणो का बाड़ा	63. रामपुरा
64. चिरड़िया	65. समी का बाड़ा	66. ढीढ़स
67. सामूजा	68. कोदड़ी	69. लालीया
70. अम्बो का बाड़ा	71. खरंटिया	72. मठ खरंटिया

1	2	3
73. गीदो का बाड़ा	74. कमो का बाड़ा	75. पादरू
76. इटवाया	77. मीठोड़ा	78. धारा
70. सीनेर	80. गुडा	81. नाल
82. थानमाता हिंगलाज	83. गोलिया	84. गूंगरोट
85. पीपलून	86. भागवा	87. धरवाला
88. तेलवाड़ा	89. धीरा	90. जिणपुर
91. मांगी	92. कुण्डल	93. रेलो की ढाणी
94. सैला	95. मुबारी	96. पाऊ
97. कांखी	98. परिहारो की ढाणी	99. इन्द्रणारा
100. बालीयाना ।		

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 971 की सूची

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में शाला भवनों, सड़कों एवं सामाजिक वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरित राशि एवं व्यय का जिलेवार और कार्यवार विवरण

(राशि रु. लाखों में)

क. सं.	नाम जिला	वर्ष 1991–92 में राशि हस्तान्तरण				वर्ष 1991–91 में व्यय			
		शाला भवन	सड़कें	सामाजिक वानिकी	योग	शाला भवन	सड़कें	सामाजिक वानिकी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	40.79	210.97	14.46	266.17	31.76	66.56	6.41	104.73
2.	अलवर	77.10	78.81	9.45	165.36	47.26	56.69	10.17	114.12
3.	बांसवाडा	—	—	10.12	10.12	—	—	8.72	8.72
4.	बांरा	—	14.00	4.77	18.77	—	51.65	5.01	56.66
5.	बाड़मेर	37.83	10.00	70.00	117.83	33.74	11.55	67.63	112.92
6.	भरतपुर	8.81	29.10	5.53	43.54	7.31	23.42	1.96	32.69
7.	भीलवाड़ा	—	28.24	6.93	35.17	—	1.50	1.48	2.98
8.	बीकानेर	92.88	54.34	0.95	148.17	88.20	61.42	0.72	150.34
9.	बूंदी	—	11.00	—	11.00	—	9.27	—	9.27
10.	चित्तौड़	72.55	6.16	6.58	85.29	47.60	9.34	7.13	64.06
11.	चूरू	71.32	169.93	—	241.25	57.44	151.05	—	208.49
12.	दौसा	46.14	7.09	4.68	57.91	33.75	8.97	4.11	46.83
13.	धौलपुर	45,39	5,22	0,70	51,31	53,04	7,79	0,76	61,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	डूंगरपुर	25.46	47.68	2.28	75.41	18.82	40.88	1.78	61.48
15.	गंगानगर	38 18	12.50	7.53	58.21	50.53	23.15	7.45	81.13
16.	जयपुर	—	19.75	4.32	24.07	—	20.38	—	20.38
17.	जैसलमेर	41.00	—	4.11	45.11	20.56	1.73	3.45	25 74
18.	जालौर	—	—	—	—	51.76	15 33	5 82	72.91
19.	झालवाड	7.66	8 93	4.72	21.31	3.16	6.74	3 28	13.18
20.	झुंझुनूं	6.87	20.89	2 54	30.30	30.36	17.14	2.28	49 78
21.	जोधपुर	—	86.40	10.05	96 45	—	42 81	8.65	51.46
22.	कोटा	14 56	3.04	13.73	31.33	11.38	23.86	7 48	42.72
23.	नागौर	27.54	30.29	4.53	62.36	20.72	33.15	3 27	57.14
24.	पाली	95 00	25.00	26.65	146.65	81.84	22.04	22.71	126.59
25.	राजसमंद	4.19	26.54	2.26	32.99	3.91	24.30	1.44	29.65
26.	स. माधोपुर	28.00	—	9.61	37.61	19.66	—	9.45	29.11
27.	सीकर	14.95	17.97	1.65	34.57	14.95	29.51	1.65	46.11
28.	सिरोही	—	—	4.39	4.39	—	9.54	4.68	14 22
29.	टोंक	15.88	40.33	2.04	58.25	8.18	44.11	2.93	55.22
30.	उदयपुर	19.76	34.19	6.64	60.59	42.98	44.50	7.77	95.25
	योग :—	831.85	998.32	241.32	2071.49	778.91	858.38	208.19	1845.48

235

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	176	27	वाबत	बाबत
2.	280	17	श्री रामेवश्र दयाल यादव	श्री रामेश्वर दयाल यादव
3.	281	1	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
4.	368	फोलियो	प्रतिवेद	प्रतिवेदन
5.	385	28	Pelasc	Please
6.	398	फोलियो	7 अप्रेल, 1993	7 अप्रेल, 1992
7.	399	2	प्रश्न संख्या 86	प्रश्न संख्या 861
8.	427	2	प्रश्न संख्या 1383	प्रश्न संख्या 1392
9.	264	20	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	श्री ओम प्रकाश गुप्ता